खण्ड-522, अंक-01
शुक्रवार, 12 फाल्गुन, शक संवत् 1944
(दिनांक 03 मार्च, 2023 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(अट्ठारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, वर्ष 2023)

(खण्ड 522 में 01 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2023

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय			पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	...	...	1-8
प्रश्नोत्तर	...	...	9-60
समाजवाद के सम्बन्ध में नेता सदन द्वारा की गयी टिप्पणी से सम्बन्धित औचित्य के प्रश्न को उठाये जाने का प्रयास (जारी)		...	60-62
श्री सलिल विश्नोई, तत्कालीन मा0 सदस्य, विधान सभा, उ0प्र0 द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना पर माननीय विशेषाधिकार समिति (2022-23) द्वारा की गई संस्तुतियों पर विचार	...	...	63
समाजवाद के सम्बन्ध में नेता सदन द्वारा की गई टिप्पणी से सम्बन्धित औचित्य के प्रश्न को उठाए जाने का प्रयास ...			63
विशेषाधिकार हनन एवं सदन के अवमानना के दोषी समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों की विधान सभा परिसर में उपस्थिति के सम्बन्ध में सदन को सूचना	...	...	63-64
विशेषाधिकार हनन व सदन की अवमानना के दोषी कर्मियों के दण्ड निर्धारित हेतु माननीय सदन को माननीय न्यायालय के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	...	...	64-66
श्री सलिल विश्नोई, तत्कालीन सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के दोषी कर्मियों को कारावास का दण्ड दिए जाने हेतु विचार का प्रस्ताव (स्वीकृत)		...	66-70
श्री सलिल विश्नोई, तत्कालीन सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के दोषी कर्मियों के लिये दण्ड के निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	...	...	70-75
श्री सलिल विश्नोई, तत्कालीन सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं आदरणीय सदन की अवमानना के दोषी कर्मियों को सजा सम्बन्धी आदेश	...	...	75-76
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	...	77-83
जनपद सुल्तानपुर की तहसील सदर, विकास खण्ड कुरेभार के अन्तर्गत ग्राम कनौली में बाबा रामकरन कुटी नामक मंदिर की मरम्मत तथा सौन्दर्यीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	83-84

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बागपत के छपरौली विधान सभा क्षेत्र में राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज में पठन-पाठन का कार्य आरम्भ कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	84
जनपद जौनपुर की शाहगंज विधान सभा क्षेत्र में कतिपय मार्गों का चौड़ीकरण तथा सौन्दर्यीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	84
जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र आर्यनगर नवीन मार्केट कानपुर नगर में अवैधानिक वाहन स्टैंड के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	85
जनपद प्रयागराज की विधान सभा क्षेत्र मेजा के अन्तर्गत रामनगर में अतिक्रमण हटाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	85
जनपद उन्नाव के भगवंतनगर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा पहाड़पुर सुबस में श्री दिगम्बरनाथ स्वामी मंदिर परिसर के तालाब को अमृत सरोवर योजना में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	86
जनपद महोबा में 250 फीट से ज्यादा गहरे पहाड़ों के अत्यधिक दोहन पर रोक लगाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	86
जनपद फिरोजाबाद के स्वशासी मेडिकल कॉलेज में छात्र-छात्राओं का शोषण एवं भ्रष्टाचार की जाँच कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	87
जनपद गोरखपुर की विधान सभा क्षेत्र बांसगांव के अन्तर्गत सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त बस स्टॉपेज सहित बस स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	87
जनपद प्रयागराज की प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में महिला डिग्री कॉलेज एवं राजकीय इण्टर कॉलेज बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	88
जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ के खुरहंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	88

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बदायूं की विधान सभा क्षेत्र दातागंज में नव निर्मित कन्या इण्टर कॉलेज ढ़हरपुर कलां में स्टाफ की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	88-89
जनपद मिर्जापुर के मड़िहान विधान सभा क्षेत्र में रोडवेज बस स्टेशन मड़िहान एवं अहरौरा पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	89
जनपद हाथरस में एक प्रदूषण कार्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	89
जनपद बुलन्दशहर के नगर पालिका क्षेत्र में स्थित महापुरुषों के नाम पर निर्मित पार्कों का सौन्दर्यीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	90
जनपद हापुड़ की विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के अन्तर्गत ग्राम जमालपुर में हरौड़ा पुल से ग्राम सिगनपुर तक सड़क निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	90
जनपद कासगंज के अन्तर्गत अमांपुर में रजबाहों की सफाई कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	90-91
लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के विज्ञापन सं0-2/2020-21, विभाग सं0 एस 3/14 की भर्ती में पिछड़ा वर्ग के एक भी पद न भरे जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	91
जनपद सहारनपुर की नगर विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	91-92
जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के ग्राम रेत्ता नगला में माइनर को पक्का कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	92
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत रसड़ा शहर में लोक निर्माण विभाग का गेस्ट हाउस बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	92-93
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर के अन्तर्गत विकास खण्ड काकोरी में लखनऊ विश्वविद्यालय की शाखा खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	93

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद झाँसी की सदर विधान सभा क्षेत्र के प्रेम नगर क्षेत्र में राजकीय अस्पताल स्थापित कराये जाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	93-94
जनपद एटा के अलीगंज विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	94
ग्रेटर नोयडा (वेस्ट) में मेट्रो का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	94
जनपद शाहजहांपुर की निगोही के ग्राम पंचायत ढकिया तिवारी में एक विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	94-95
जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के ग्राम रामपुर गिरट में एक विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	95
जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के ग्राम सभा दाउदपुर बुढ़वा बाबा देव स्थान एवं तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	95
जनपद कुशीनगर में एक मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	96
जनपद बरेली के तहसील बरेली में बरेली-नैनीताल हाई-वे से धौरा-टांडा मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	96
जनपद रामपुर की रामपुर मनिहारन में हिंडन नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	96-97
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवंत नगर के ग्राम दुबेपुर में बच्चों के खेल की सुविधा हेतु स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	97
जनपद मिर्जापुर के औराई मिर्जापुर से मुजेहरा खुर्द सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	97-98
जनपद गोण्डा के तरबगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चांदीपुर में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	98

विषय	पृष्ठ-संख्या
बस्ती मण्डल के समस्त सरकारी अस्पतालों में जाँच की सुविधा को उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	98-99
जनपद जौनपुर के जाफराबाद विधान सभा क्षेत्र में होम्योपैथिक चिकित्सालय का भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	99
जनपद बरेली की फरीदपुर विधान सभा क्षेत्र में दो ओवरहेड टैंक बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	99
जनपद एटा के मारहरा विधान सभा क्षेत्र में रतिभानपुर सम्पर्क मार्ग से लालपुर तक विशेष मरम्मत कराये जाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	99-100
जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम विनोहनी चौराहा से रानियापुर तक मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	100
जनपद गाजीपुर के जखनियां विधान सभा क्षेत्र में कतिपय मार्गों एवं पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	100
जनपद सहारनपुर के नकुड़ विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीणों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	101
जनपद गोरखपुर के चिल्लूपार विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक गोला के अन्तर्गत सरयू नदी पर बन रहे आजमगढ़ के रौनापार को जोड़ने के लिए पुल का कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	101
विधान सभा क्षेत्र कालपी में हमीरपुर शाखा नहर के किनारे की पटरी काटने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	101-102
जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत रुपईडीह मुख्यालय पर एक नया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	102
जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत कायमगंज विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड शमसाबाद व अन्य स्थानों में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	102-103
जनपद जौनपुर के समस्त तहसीलों में गोंड जाति का प्रमाण-पत्र को स्क्रूटिनी कमेटी द्वारा निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	103

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मिर्जापुर के सीमावर्ती जनपद भदोही से निकल रहे प्रदूषित जल निकासी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	103-104
जनपद जौनपुर के बदलापुर विधान सभा में कतिपय ग्रामों में प्राइमरी विद्यालय का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	104
जनपद झाँसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र में लखेरी नदी पर गोरपुरा के पास लघु सेतु का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	104
आर0टी0आई0 प्रयोगकर्ताओं की समस्याओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	105
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डाक्टरों के आवास की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	105-106
जनपद अमरोहा के धनौरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव पपसरी में राजकीय इण्टर कॉलेज खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	106
जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत मेरठ-करनाल राष्ट्रीय मार्ग पर ग्राम झाल में रोडवेज बसों का ठहराव कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	106
जनपद चंदौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर में एक चिल्ड्रेन पार्क बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	107
जनपद फतेहपुर के तहसील खागा में अवैध तरीके से आवंटित भूमि की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	107-108
जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव के अन्तर्गत राय रिसर्च फार्म की भूमि को अनियमित कब्जा से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	108
जनपद कासगंज के ग्राम नदरई के नहर पुल से लेकर भगवन्तपुर पुल तक नहरों के बीच का मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	108-109

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद हरदोई के स्वास्थ्य विभाग में हुए भ्रष्टाचार की जाँच बेहतर तरीके से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	109-110
जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत टूटे मार्गों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	110
जनपद प्रतापगढ़ में अवैध तरीके से भेदभाव करके जाति प्रमाण-पत्र निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	111
जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों को बाढ़ के कटान से रोकने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना.	111
जनपद सीतापुर के अन्तर्गत बिसवां में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत कराये जाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	111-112
जनपद लखनऊ की विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड मलिहाबाद के लोधौसी में बेहता नाला पर पुल निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	112
जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सिसवा के अन्तर्गत सोहगीबरवा में गण्डक नदी पर बड़े पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	112
जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत कतिपय जर्जर रोडों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	113
जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत थाना कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक श्री संतोष कुमार द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	113
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर में स्थित अवंतिका देवी मंदिर को जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	114
जनपद रायबरेली के शुभ इंटरप्राईजेज के प्रोपराइटर के साथ हुए अमानवीय व्यवहार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	114-115
जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास की संग्रामगढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सराय निर्भय में निर्माणाधीन स्कूल का कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	115

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर में विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से संचालित किये जाने हेतु ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाये जाने नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	116
जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र में सोरावं के थाना मऊआइमा के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	116-117
जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र हुसैनगंज में कतिपय स्थानों पर नलकूप व्यवस्था सही कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	117
जनपद शामली के कैराना में विडौली यमुना पुल से पानीपत कैराना यमुना पुल तक तटबंध मार्ग के मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	117-118
जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर, विधान सभा क्षेत्र में बन रही पानी की टंकियों के सप्लाई में बिछाए जा रहे पाइप की जाँच के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	118
जनपद बलरामपुर के गैसड़ी में निर्माणाधीन महिला महाविद्यालय का कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	118-119
जनपद चित्रकूट के भरतकूप में खनन माफियाओं द्वारा एन0जी0टी0 के नियमों का उल्लंघन कर अवैध ब्लास्टिंग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	119
विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के विकास खण्ड बिरनो के अन्तर्गत कतिपय इण्टरलॉकिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	119-120
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-23 से लिंक कुडिहर माइनर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	120
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के पलोमल कालोनी के अन्तर्गत स्थित गौशाला के समीप मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	120-121
जनपद बरेली के बहेड़ी विधान सभा क्षेत्र रिछा-जहानाबाद मार्ग से मुलियानावी बक्श मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	121

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद हमीरपुर के नगर पंचायत कुरारा में मगही नाले की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	121-122
जनपद हरदोई में संडीला तहसील के ब्लाक कछौना की ग्राम सभा गौसगंज को नगर पंचायत का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	122
जनपद शाहजहांपुर में गलत तरीके से शस्त्र लाइसेंस बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	122-123
जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत कटका धाम भंगहा व भग्गडवा तट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	123
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज में एक राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	123-124
बचत खाते में हुए फर्जीवाड़े के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ..	124
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के अन्तर्गत कतिपय स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र-123 के अन्तर्गत बल्लिया सोसायटी से रामपुर काकर तक पक्के सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	125
जनपद आजमगढ़ के अधिशाषी अभियन्ता के पद भरे जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	125
जनपद फिरोजाबाद के कस्बा जसराना में बाईपास मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	125-126
जनपद बिजनौर के विकास खण्ड बुढ़नपुर में ग्राम गल्लाखेडी से मुदाखेडी मार्ग पर कंडूला नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	126
जनपद उन्नाव के दुबेपुर में तालाब के सौन्दर्यीकरण कराये जाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	126
जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र लोनी के अन्तर्गत मीरपुर हिन्दू में एक मेडिकल कॉलेज बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	127

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद चंदौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा में भूपौली मुख्य नहर से सिकरौरा सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	127
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में ट्रामा सेंटर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	127-128
जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत कतिपय जर्जर मार्गों का निर्माण कराये जाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	128
जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत माँ कामाख्या भवानी मंदिर स्थल का विकास कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	128-129
जनपद जौनपुर के बेलवार घाट तिराहा से सई नदी तक पुल की सड़क की मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	129
जनपद बलिया के बांसडीह विधान सभा क्षेत्र में डुमरिया से सहतावर रेलवे क्रासिंग पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	129
जनपद लखनऊ के काल्विन इण्टर कॉलेज से रिटायर्ड प्रवक्ता को पेंशन दिलाये जाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	130
जनपद महाराजगंज के फरेंदा शहर में बस स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	130
जनपद आगरा की फतेहपुर सीकरी के ग्राम रायभा, संधान तथा रुनकता को नगर पंचायत का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	130-131
जनपद हापुड़ की नगर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम नूरपुर में इण्टर कॉलेज का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	131
जनपद अमेठी की विधान सभा क्षेत्र गौरीगंज में CRF के अन्तर्गत रामगंज से भुसियावा वाया शाहगढ़ सड़क के अधूरे पड़े निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	131
सैदपुर जागीर खसरा संख्या-36 (स) निकट भुइयन देवी तिराहा सब-स्टेशन न्यू कैम्पस, लखनऊ के समीप श्रीमती राम बेटी देवी के प्लाट से लगे सार्वजनिक रोड पर प्राइवेट बिल्डर द्वारा बिजली विभाग के कर्मचारियों के शह पर रखे ट्रांसफार्मर व हाई एक्सटेंशन लाइन के जरिये बिजली देने की जाँच के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	132

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र बेहट की फुल कॉलोनी व इंदिरा कॉलोनी को कस्बा बेहट या अन्य ग्राम पंचायत में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	132
ग्राम सभा सिधियावां में 7 वर्ष से कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी (अंजुम) की मिलीभगत से बिना इण्टरलॉकिंग लगाये लाखों रुपये हड़प कर बंदरबांट किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	133
उद्यान एवं खाद्य प्रंस्करण विभाग द्वारा नए उद्यमियों को सब्सिडी न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	133-134
जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र में कस्बा लावड में स्थायी किसान मण्डी बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	134
जनपद मुरादाबाद की बिलारी तहसील के अन्तर्गत ग्राम जरगांव और नमैनी गद्दी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का पुनः निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	134
जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगावां में तहसील बिल्डिंग बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	135
जनपद बलिया के तहसील रसड़ा के ग्राम जेठवार याकूबपुर के कन्हैया पुत्र गौरी की जमीन को हड़पने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	135
जनपद बुलन्दशहर के कैलाश हॉस्पिटल द्वारा बरती गयी लापरवाही के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	136
जनपद संतकबीरनगर के घनघटा के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग का निरीक्षण भवन बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	136
जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र करनैलगंज के लखनऊ-गोण्डा हाई-वे पर रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	136-137
विद्युत वितरण प्रथम अन्तर्गत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र मॉखी से 11 के0वी0 बिरसिंगपुर रायपुर गढ़ी शाहपुर, भादेमू तक लगभग एक किमी0 लाइन बना कर जोड़ने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	137

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र नगीना के विकास खण्ड कोतवाली के नगीना-अकबराबाद मार्ग से मलकपुर-अब्दुल्ला मार्ग एवं आबादी भाग में सी0सी0 रोड निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	137-138
जनपद अयोध्या के गोसाईगंज विधान सभा क्षेत्र में भूमि से कब्जा हटाने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	138
वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्यय के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग कृषि	138-190
वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक की शेष अनुदानों की मांग को आज ही लिए जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)... ...	190-191
वित्तीय वर्ष 2023- 2024 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांग पर मतदान अनुदान संख्या 01, लगायत 06, 08 लगायत 09, 13 लगायत 28, 30, 33 लगायत 34, 36, 38 लगायत 55, 57, लगायत 63, 65 लगायत 87, 89 तथा 91 लगायत 92	191
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2023 (पुरःस्थापित एवं पारित) ...	191-201
याचिकाओं का उपस्थापन	201
इं0 बृजेश कठेरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद मैनपुरी से सम्बन्धित पांच यचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	201-202
सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद सम्बन्धित चार याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	202
श्री रवेन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	202-203
डा0 अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	203
डा0 असीम कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	204

विषय		पृष्ठ-संख्या
डा0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	204
डा0 आर के वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित चार याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	205
डा0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	205-206
डा0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	206
डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित चार याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)		206-207
डा0 विरेन्द्र कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित चार याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	207
डा0 शिव प्रताप यादव सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित चार याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	208
श्री हृदय नारायण सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	208
प्रो0 श्याम बिहारी लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	208-209
श्री अंकुर तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित चार याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	209
श्री अखिलेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	...	209-210
श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	...	210
श्री अजीत पाल त्यागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद से सम्बन्धित दो याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	...	211

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	211
श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित चार याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	212
श्री अनिल कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	212-213
अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	213
श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद कन्नौज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	213
श्री अरमान खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	214
श्री असरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित चार याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	214-215
श्री आकाश सक्सेना, सदस्य, विधान सभा की जनपद रामपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)... ...	215
श्री आशु मालिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	215-216
श्री कमाल अख्तर, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	216
श्री कवीन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित चार याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	216-217
श्री गणेश चन्द्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	217
श्री गौरव कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	217-218
श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	218-219

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	219
श्री चेतराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	219
श्री बाबू लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	220
श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	220-221
श्री जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानंद, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ..	221
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित चार तथा जनपद इटावा से सम्बन्धित एक याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	222
श्री जियाउर्रहमान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	222-223
श्री तसलीम अहमद, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	223
श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	223-224
श्री देवेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज से सम्बन्धित चार याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	224-225
श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ..	225
श्री निर्मल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	225-226
श्री पंकज गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर व जनपद उन्नाव से सम्बन्धित एक-एक याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	226

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री पंकज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गौतमबुद्धनगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	226-227
श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ..	227
श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ..	227-228
श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	228
श्री प्रदीप शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	228-229
श्री प्रवीण पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	229
श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित पांच याचिकाए (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	230
श्री प्रेम सागर पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ..	230-231
श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	231
श्री बाबूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	231-232
श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित दो याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	232
श्री भूपेश चौबे, सदस्य, विधान सभा की जनपद सोनभद्र से सम्बन्धित चार याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	232-233
श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	233
श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ तथा जनपद लखनऊ व उन्नाव से सम्बन्धित एक-एक याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	233-234

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	234
श्री महबूब अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित चार याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	235
श्री मुकेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	235-236
श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	236
श्री मो0 ताहिर खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	236-237
श्री मो0 हसन रूमी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद से सम्बन्धित एक याचिका तथा जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित चार याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	237
श्री मोहन वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	238
श्री मो0 फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	238-239
श्री योगेश शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	239
श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	239-240
श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चंदौली से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	240
श्री रमेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	240-241
श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	241

विषय	पृष्ठ संख्या
डा0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	242
श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	242-243
श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएँ तथा अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित एक याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	243
श्री राजपाल सिंह बालियान सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	243-244
श्री राजीव कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	244
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	245
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	245-246
श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ. (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	246
श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	247
श्री राजेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	247
श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित चार याचिकाएँ तथा जनपद लखनऊ से सम्बन्धित एक याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	248
श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	248-249

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	249-250
श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	250
श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलंदशहर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	250-251
श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	251
श्री विजय पाल (आढ़ती), सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	251-252
श्री विनय प्रकाश गोंड, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	252
श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	252-253
श्री विश्वम्भर सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाँदा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	253
श्री शशांक त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	253-254
श्री शशांक वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर खीरी से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	254
श्री श्याम सुंदर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	254-255
श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	255
श्री सर्वेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	256
श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ की नगर (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	256-257
श्री स्वामी ओउमवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	257

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री हरिओम, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	257-258
श्री हरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	258
श्रीमती अंजुला सिंह माहौर, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस से सम्बन्धित चार याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	259
श्रीमती केतकी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	259
श्रीमती गीता शास्त्री (पासी) सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित चार याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	259-260
श्रीमती नीलिमा कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	260
श्रीमती विजमा यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	260-261
श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	261-262
श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित चार याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	262
श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	262-263
श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद चंदौली से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	263
श्री बीरेन्द्र सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	263-264
श्री संग्राम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	264
श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	264
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	264-273

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अंत्योदय कार्ड धारकों को त्योहारों पर एक किलो चीनी प्रति कार्ड उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	273
जनपद आजमगढ़ में मूल्य समर्थित योजनान्तर्गत धान खरीद की ऑनलाइन फीडिंग न होने से जनपद के किसानों को होने वाली समस्या के समाधान के सम्बन्ध में श्रीमती पूजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	273-276
कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वार्ड संख्या-37 में भू-खण्ड को अधिग्रहण से मुक्त करवाने, उचित मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में श्री राम खिलाड़ी सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	276
प्रदेश के नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में प्रति नियुक्ति पर तैनात अधिशाषी अधिकारियों की मूल विभाग में वापसी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भइया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य...	276-278
जनपद उन्नाव में वित्तीय अनियमितता के बावजूद ग्राम प्रधान को निलंबित न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य	278-279
जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी में भोलाराम पेपर मिल में अवैध कब्जे व प्रदूषण आदि के निदान के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद फहीम इरफान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यावरण मंत्री का केवल वक्तव्य	279-282
जनपद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना के सामुदायिक केन्द्र में डॉक्टर एवं नर्स स्टाफ की कमी के सम्बन्ध में श्री राजपाल सिंह बालियान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य	282-283
मा0 सदस्यों की सामूहिक फोटोग्राफी के सम्बन्ध में सदन को सूचना ...	283-284

विषय			पृष्ठ संख्या
विश्वविद्यालयों/संस्थाओं की समितियों में कार्य करने के लिए विधान सभा सदस्यों के नामांकन हेतु श्री अध्यक्ष विधान सभा को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	...	...	284-287
बजट-सत्र की समाप्ति पर आभार	...	...	287-298
सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	...	...	298
राष्ट्रगान	...	...	299

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अट्ठारहवीं विधान सभा

(उपस्थित सूची)

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री सतीश महाना की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

शुक्रवार, दिनांक 03 मार्च, 2023

उपस्थित सदस्य-374

1. अंकित भारती, श्री — गाजीपुर
2. अखिलेश, श्री — आजमगढ़
3. अखिलेश यादव, श्री — मैनपुरी
4. अजय, श्री — गोण्डा
5. अजय कुमार, श्री — बागपत
6. अजय सिंह, श्री — बस्ती
7. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
8. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
9. अताउर रहमान, श्री — बरेली
10. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
11. अतुल प्रधान, श्री — मेरठ
12. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
13. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
14. अनिल प्रधान, श्री — चित्रकूट
15. अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री — संतकबीरनगर
16. अनिल कुमार मौर्य, डॉ0 — सोनभद्र
17. अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
18. अनिल कुमार सिंह, श्री — उन्नाव
19. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
20. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
21. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
22. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
23. अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्री — अलीगढ़
24. अन्जुला सिंह माहौर, श्रीमती — हाथरस
25. अभय सिंह, श्री — अयोध्या
26. अभिजीत सिंह 'साँगा', श्री — कानपुर नगर
27. अमन गिरि, श्री — लखीमपुर खीरी
28. अमरेश कुमार, श्री — लखनऊ
29. अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
30. अमित सिंह चौहान, डा0 — अयोध्या
31. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
32. अरमान खान, श्री — लखनऊ
33. अरुण कुमार, डॉ0 — बरेली
34. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
35. अलका सिंह, श्रीमती — हरदोई
36. अवधेश प्रसाद, श्री — अयोध्या
37. अवधेश सिंह, डॉ0 — वाराणसी
38. अशरफ अली खान, श्री — शामली
39. अशोक कुमार, श्री — रायबरेली
40. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
41. असीम कुमार, श्री — कुशीनगर
42. आकाश सक्सैना (हनी) श्री — रामपुर
43. आदित्यनाथ योगी, श्री — गोरखपुर
44. आनन्द कुमार यादव, श्री — बहराइच
45. आर0 के0 पटेल, डॉ0 — जौनपुर
46. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
47. आशा मौर्य, श्रीमती — सीतापुर
48. आशीष कुमार सिंह 'आशू', श्री — हरदोई

49. आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी', श्री लखनऊ
50. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
51. आशुतोष शुक्ल, श्री उन्नाव
52. आशु मलिक, श्री सहारनपुर
53. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
54. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
55. उमर अली खान, श्री सहारनपुर
56. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
57. ऊषा मौर्या, श्रीमती फतेहपुर
58. ऋषि त्रिपाठी, श्री महराजगंज
59. एम0पी0 आर्य, डॉ0 बरेली
60. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
61. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
62. ओममणी वर्मा, श्रीमती बांदा
63. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
64. कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, श्री आजमगढ़
65. कमाल अख्तर, श्री मुरादाबाद
66. कविन्द्र चौधरी, श्री बस्ती
67. किरत सिंह, श्री सहारनपुर
68. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
69. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
70. केतकी सिंह, श्रीमती बलिया
71. कैलाश, श्री चंदौली
72. कैलाश नाथ, श्री बलरामपुर
73. कैलाश राजपूत, श्री कन्नौज
74. गणेश चन्द्र, श्री संतकबीरनगर
75. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
76. गीता शास्त्री (पासी), श्रीमती प्रयागराज
77. गुड़िया कठेरिया, श्रीमती औरैया
78. गुरु प्रसाद मौर्य, श्री प्रयागराज
79. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
80. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
81. गौरी शंकर वर्मा (कोरी), श्री जालौन
82. चंदन चौहान, श्री मुजफ्फरनगर
83. चन्द्रपाल सिंह, श्री बुलंदशहर
84. चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट), श्री फतेहपुर
85. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
86. छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
87. जगदीश नारायण, श्री जौनपुर
88. जय कुमार सिंह जैकी, श्री फतेहपुर
89. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
90. जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, श्री पीलीभीत
91. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
92. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
93. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
94. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
95. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
96. जाहीद, श्री भदोही
97. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
98. जियाऊर्रहमान, श्री मुरादाबाद
99. जी एस धर्मेश, डॉ0 आगरा
100. जीत लाल पटेल, श्री प्रतापगढ़
101. जै किशन साहू, श्री गाजीपुर
102. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
103. ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महराजगंज
104. डी0सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
105. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
106. तुफानी सरोज, श्री जौनपुर
107. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्धनगर
108. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर

109. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
110. दयाशंकर सिंह, श्री बलिया
111. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
112. दिनेश रावत, श्री बाराबंकी
113. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
114. दीपक कुमार मिश्र ''शाका'', श्री देवरिया
115. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
116. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
117. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
118. देवेन्द्र सिंह, श्री कासगंज
119. देवेन्द्र सिंह लोधी, श्री बुलन्दशहर
120. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
121. धर्मपाल सिंह, डॉ0 आगरा
122. धर्मराज सिंह यादव, श्री बाराबंकी
123. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
124. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
125. नन्दकिशोर, श्री गाजियाबाद
126. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
127. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
128. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
129. नादिरा सुल्तान उर्फ बिटिया, श्रीमती कासगंज
130. नासिर कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
131. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
132. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
133. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
134. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
135. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
136. पंकज, श्री जौनपुर
137. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
138. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
139. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
140. पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक), श्री कुशीनगर
141. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
142. पल्लवी पटेल, डॉ0 कौशाम्बी
143. पिंकी सिंह, श्रीमती सम्भल
144. पीयूष रंजन निषाद, श्री प्रयागराज
145. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
146. पूजा, श्रीमती आजमगढ़
147. पूजा पाल, श्रीमती कौशाम्बी
148. पूनम संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
149. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
150. प्रकाश द्विवेदी, श्री बांदा
151. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
152. प्रदीप कुमार चौधरी, श्री बुलन्दशहर
153. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
154. प्रदीप कुमार सिंह, श्री हाथरस
155. प्रदीप शुक्ला, श्री गोरखपुर
156. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
157. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
158. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चंदौली
159. प्रवीण पटेल, श्री प्रयागराज
160. प्रसन्न कुमार, श्री शामली
161. प्रेम नरायन पाण्डेय, श्री गोण्डा
162. प्रेम पाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
163. प्रेमसागर पटेल, श्री महराजगंज
164. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
165. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
166. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
167. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर

168. बाबूराम, श्री पीलीभीत
169. बाबूलाल, श्री आगरा
170. बावन सिंह, श्री गोण्डा
171. बिजयलक्ष्मी गौतम, श्रीमती देवरिया
172. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
173. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
174. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
175. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
176. बेदी, श्री गाजीपुर
177. बेबीरानी मौर्य, श्रीमती आगरा
178. ब्रजभूषण राजपूत, श्री महोबा
179. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
180. ब्रजेश यादव, श्री बदायूं
181. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
182. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
183. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
184. मदन भैया, श्री मुजफ्फरनगर
185. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
186. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
187. मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री कुशीनगर
188. मनीष रावत, श्री सीतापुर
189. मनीषा, श्रीमती हमीरपुर
190. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
191. मनोज कुमार प्रजापति, डॉ0 हमीरपुर
192. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
193. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
194. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री अमेठी
195. महबूब अली, श्री अमरोहा
196. महाराजी प्रजापति, श्रीमती अमेठी
197. महेन्द्र, श्री अमरोहा
198. महेन्द्र नाथ यादव, श्री बस्ती
199. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
200. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
201. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
202. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थ नगर
203. माधवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री हरदोई
204. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
205. मीनाक्षी सिंह, श्रीमती बुलन्दशहर
206. मुकेश चौधरी, श्री सहारनपुर
207. मुकेश चन्द्र वर्मा, डा0 फिरोजाबाद
208. मुक्ता संजीव राजा, श्रीमती अलीगढ़
209. मूल चन्द्र सिंह, श्री जालौन
210. मेघश्याम, श्री मथुरा
211. मो0 ताहिर खान, श्री सुल्तानपुर
212. मोहन वर्मा, श्री कुशीनगर
213. मोहम्मद हसन 'रूमी', श्री कानपुर नगर
214. मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'', श्री कानपुर नगर
215. मौहम्मद फहीम इरफान, श्री मुरादाबाद
216. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
217. योगेश धामा, श्री बागपत
218. योगेश वर्मा, श्री खीरी
219. योगेश शुक्ला, श्री लखनऊ
220. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
221. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
222. रत्नाकर मिश्रा, श्री मिर्जापुर
223. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
224. रमा शंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
225. रमेश, श्री जौनपुर
226. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर

227. रमेश जायसवाल, श्री चन्दौली
228. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
229. रवि शर्मा, श्री झांसी
230. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
231. रवेन्द्र पाल सिंह, श्री अलीगढ़
232. रश्मि आर्य, डॉ0 झांसी
233. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
234. आर0के0 वर्मा, डॉ0 प्रतापगढ़
235. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
236. राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकरनगर
237. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
238. राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
239. रागिनी, डॉ0 जौनपुर
240. राघवेन्द्र शर्मा, डॉ0 बरेली
241. राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री इटावा
242. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
243. राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
244. राज प्रसाद उपाध्याय, श्री सुल्तानपुर
245. राजबाला सिंह, श्रीमती रामपुर
246. राजमणि, श्री प्रयागराज
247. राजीव कुमार, श्री अमरोहा
248. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
249. राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
250. राजीव सिंह ''पारीक्षा'', श्री झाँसी
251. राजेन्द्र कुमार, श्री प्रतापगढ़
252. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
253. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
254. राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
255. राजेश कुमार गौतम, श्री सुल्तानपुर
256. राजेश चौधरी, श्री मथुरा
257. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
258. राजेश्वर सिंह, श्री लखनऊ
259. रानी पक्षालिका सिंह, श्रीमती आगरा
260. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
261. राम अवतार सिंह, श्री बिजनौर
262. रामकृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
263. रामकेश निषाद, श्री बांदा
264. रामखिलाड़ी सिंह, श्री सम्भल
265. रामचन्द्र यादव, श्री अयोध्या
266. रामदुलार, श्री सोनभद्र
267. रामनरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
268. राम निवास वर्मा, श्री बहराइच
269. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
270. राम प्रताप वर्मा उर्फ शशिकान्त वर्मा, श्री बलरामपुर
271. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
272. राम बिलाश चौहान, श्री मऊ
273. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
274. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
275. राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, श्री रायबरेली
276. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
277. रेखा वर्मा, श्रीमती औरैया
278. लकी यादव, श्री जौनपुर
279. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
280. लक्ष्मी राज सिंह, श्री बुलन्दशहर
281. लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
282. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
283. वाचस्पति, श्री प्रयागराज
284. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर

285. विजमा यादव, श्रीमती प्रयागराज
286. विजयपाल (आढ़ती), श्री हापुड़
287. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
288. विनय प्रकाश गोंड, श्री कुशीनगर
289. विनय वर्मा, श्री सिद्धार्थनगर
290. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
291. विनोद कुमार बिन्द, डॉ0 मिर्जापुर
292. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
293. विनोद शंकर अवस्थी, श्री खीरी
294. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
295. विपिन कुमार डेविड, श्री एटा
296. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
297. विपुल दुबे, श्री भदोही
298. विमलेश पासवान, डॉ0 गोरखपुर
299. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
300. विवेक कुमार वर्मा, श्री पीलीभीत
301. विवेकानन्द पाण्डेय, श्री कुशीनगर
302. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
303. वीर विक्रम सिंह, श्री शाहजहांपुर
304. वीरेन्द्र चौधरी, श्री महराजगंज
305. वीरेन्द्र सिंह लोधी, श्री एटा
306. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री अयोध्या
307. शलभ मणि त्रिपाठी, श्री देवरिया
308. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
309. शशांक वर्मा, श्री खीरी
310. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
311. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
312. शिव प्रताप यादव, डॉ0 बलरामपुर
313. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
314. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
315. श्याम बिहारी लाल, प्रो0 बरेली
316. श्यामधनी राही, श्री सिद्धार्थनगर
317. श्याम सुन्दर, श्री रायबरेली
318. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
319. श्रीराम चौहान, श्री गोरखपुर
320. संग्राम सिंह, श्री बलिया
321. संजय कुमार शर्मा, श्री बुलन्दशहर
322. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
323. संजीव अग्रवाल, श्री बरेली
324. संजीव कुमार गोंड, श्री सोनभद्र
325. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
326. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
327. संदीप सिंह, श्री प्रयागराज
328. सचिन यादव, श्री फिरोजाबाद
329. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
330. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
331. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
332. सभाकुंवर, श्री देवरिया
333. समरपाल सिंह, श्री अमरोहा
334. सरवन कुमार निषाद, इंजी0 गोरखपुर
335. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
336. सरोज कुरील, श्रीमती कानपुर नगर
337. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
338. सर्वेश सिंह, श्री फिरोजाबाद
339. सलोना कुशवाहा, श्रीमती शाहजहांपुर
340. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
341. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री प्रयागराज
342. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
343. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
344. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद

345. सुनील पटेल, डॉ0 वाराणसी
346. सुभाष त्रिपाठी, श्री बहराइच
347. सुरभी, डॉ0 फर्रुखाबाद
348. सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री कुशीनगर
349. सुरेन्द्र चौरसिया, श्री देवरिया
350. सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
351. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
352. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
353. सुरेश राही, श्री सीतापुर
354. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
355. सुशांत सिंह, कुँवर बिजनौर
356. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
357. सुशील सिंह, श्री चंदौली
358. सुहेब उर्फ मन्नु अन्सारी, श्री गाजीपुर
359. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
360. सैय्यदा खातून, श्रीमती सिद्धार्थनगर
361. सोमेन्द्र सिंह तोमर, डॉ0 मेरठ
362. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
363. सौरभ सिंह सोनू, श्री खीरी
364. स्वामी ओउमवेश, श्री बिजनौर
365. हंसु राम, श्री बलिया
366. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
367. हरिओम, श्री कासगंज
368. हरिप्रकाश वर्मा, श्री शाहजहांपुर
369. हरीश चन्द्र, श्री बदायूं
370. हरेन्द्र सिंह, श्री हापुड़
371. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री प्रयागराज
372. हाकिम लाल बिन्द, श्री प्रयागराज
373. हिमान्शु यादव, श्री बदायूं
374. हृदय नारायण सिंह पटेल, श्री आजमगढ़

नोट :-प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री आशीष पटेल), अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री (श्री दानिश आजाद अंसारी), आयुष एवं खाद्य मंत्री (श्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु'), कारागार एवं होमगार्ड मंत्री (श्री धर्मवीर प्रजापति), सहकारिता मंत्री (श्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर), मत्स्य मंत्री (श्री संजय निषाद), लोक निर्माण मंत्री (श्री जितिन प्रसाद), जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री स्वतंत्र देव सिंह) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश में रोजगार के अभाव से दूसरे प्रदेशों में वित्तीय वर्ष 2017 से लेकर दिनांक 23-12-2022 तक लोगों के पलायन करने एवं पालायन रोकने हेतु कार्य योजना की जानकारी

***1-डॉ0 आर0 के0 वर्मा तथा डॉ0 संग्राम यादव-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में रोजगार के अभाव से दूसरे प्रदेशों में वित्तीय वर्ष 2017 से लेकर दिनांक 23-12-2022 तक कितने लोगों का पलायन हुआ है ? क्या सरकार ने पलायन रोकने हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री अनिल राजभर)-

सम्बन्धित आंकड़ों के संकलन का कार्य सेवायोजन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा जॉबसीकर्स (रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थी) को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। इस हेतु सेवायोजन विभाग के पोर्टल sewayojan.up.nic.in में जॉबसीकर्स (रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थी) एवं नियोजकों को ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था है।

सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों का आयोजन कर निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने का कार्य किया जाता है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्र0 सं0	वर्ष	रोजगार मेलों की संख्या	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
1	2	3	4
1	दिनांक 19 मार्च, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक	633	63,152
2	दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक	685	1,03,202
3	दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक	733	1,43,304
4	दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक	869	1,47,499
5	दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक	822	1,17,430

1	2	3	4
6	दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 31 जनवरी, 2023 तक	1536	1,72,291
	योग	**5,278**	**7,46,878**

कुशल कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं जनसामान्य व शासकीय विभागों को स्थानीय सेवायें (प्लम्बर, कारपेन्टर, पेन्टर, इलेक्ट्रिीशियन, डाईवर आदि) प्रदान करने हेतु सेवामित्र प्लेटफार्म पोर्टल sewamitra.up.gov.in सेवामित्र एप/कॉल सेन्टर) की व्यवस्था सेवायोजन विभाग द्वारा विकसित की गयी है।

सेवामित्र पोर्टल पर पंजीकरण की स्थिति दिनांक 13 फरवरी, 2023 तक-

कुशल कामगारों की संख्या-33,913

सेवा प्रदाताओ की संख्या-753

सेवामित्रों की संख्या-3,839

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रदेश की सबसे गम्भीर समस्या, बड़ी समस्या जो बेरोजगारी और रोजगार को लेकर है। उससे सम्बन्धित यह प्रश्न विधान सभा में आया है। माननीय मंत्री जी से पूछा गया था कि क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में रोजगार के अभाव से दूसरे प्रदेशों में वित्तीय वर्ष 2017 से लेकर दिनांक 23-12-2022 तक कितने लोगों का पलायन हुआ है ? क्या सरकार ने पलायन रोकने हेतु कोई प्रभावी योजना बनाई है ? यदि हां तो उसका विवरण क्या है, नहीं तो क्यों ? मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि सम्बन्धित आंकड़ों के संकलन का कार्य सेवायोजन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। मान्यवर, आपको ध्यान होगा जब लॉक डाउन लगा तो देश के कोने-कोने से प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में आने लगे। बहुत सारी तस्वीरें जो हम सब लोगों को शर्मसार कर देने वाली है। दिल्ली से जब उत्तर प्रदेश के लिए हाई-वे खुला तो लगा कि सबसे बड़ा बाजार हाई-वे पर आ गया है। मान्यवर, यह तस्वीरें हैं। तस्वीरें दिखाना तो नहीं चाहिए फिर भी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आई हैं। मुम्बई से लौटने वाला नौजवान अपने बेटे को भूखे-प्यासे लेकर अपने घर आने के लिए यात्रा करता रहा। उसका बेटा रास्ते में मर गया उसने अपनी पत्नी को नहीं बताया। अपने कन्धे पर लेकर यात्रा करता रहा और जब यहां की पुलिस ने उसको छेड़ा तब उजागर हुआ कि उसका बेटा मर चुका है। ऐसी तस्वीरें भी उत्तर

प्रदेश के सामने आई हैं। मान्यवर, फिर भी यह जवाब कि पलायन करने वाले लोगों की तादात का आंकड़ा श्रम सेवायोजन विभाग के पास नहीं है तो यह भी उदासीनता को दिखाता है। इससे लगता है कि विभाग अपनी जिम्मेदारियों में रुचि नहीं लेता है। यहाँ पर सदन में बहुत सारे माननीय मंत्रीगण का जवाब आया है, वक्तव्य आये हैं उससे लगता है कि उनका पूरा मन विभाग में न लगकर दूसरों के तारण और निहारण में लगा रहता है। वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करेंगे। मान्यवर, आकड़े बताना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

जो आकड़े हैं, उसमें से आप पूछ लीजिए। आकड़े तो उनको मालूम ही है, आपने लिख कर दिये ही हैं। जो रेलेवेन्ट बात है वह पूछिये।

डॉ0 आर0के0 वर्मा-

मान्यवर, अगर आंकड़े मालूम होते तो यह जवाब क्यों आता कि सम्बन्धित आंकड़ों के संकलन का कार्य सेवायोजन विभाग नहीं करता। यहां पर दूसरे माननीय मंत्रीगण बैठें है। कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही ले लें कि हम बता देंगे, हमारे विभाग में इसका आंकड़ा है। मान्यवर, यहां का चाहे असंगठित क्षेत्र का मजदूर हो, कुशल मजदूर हो, प्रशिक्षित बेरोजगार हो, सुशिक्षित बेरोजगार हो हर कोई यहां से कोई लुधियाना जाकर रोजगार पाता है, कोई दिल्ली जाकर रोजगार पाता है कोई मुम्बई जाता है, कोई सूरत की साड़ी की कम्पनियों में, फैक्ट्रियों में जाकर काम करता है। मान्यवर, बड़े-बड़े दूसरे प्रदेशों की समृद्धि का आधार उत्तर प्रदेश का नौजवान है।

मान्यवर, आप बड़े-बड़े दावे तो करते हैं लेकिन जो काम धरातल पर करना चाहिए वह आप नहीं कर पाते हैं। मैं मा0 मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि 21, मार्च 2017 और 29, जुलाई 2017 और 4, अगस्त 2018 को मा0 मुख्य मंत्री जी का बयान था और उन्होंने कहा था और सदन में भी कहा था कि हम प्रदेश में विकास का ऐसा मॉडल देंगे कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा और उसके बाद भी कई बार मा0 मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य आया है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या मा0 मंत्री जी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश से पलायन करने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की तादात कितनी है और क्या सदन में इसको बताने का कार्य करेंगे और दूसरी बात असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए क्या उनके गांव में जहां के वह निवासी है उनको पलायन न करना पड़े और प्रतापगढ़ के व्यक्ति को नोएडा न आना पड़े क्या प्रतापगढ़ में कुटीर उद्योग लघु उद्योग की स्थापना पर विचार करेगी जिससे कि उनको रोजगार दिया जा सके।

श्री अनिल राजभर-

मान्यवर, असल में सबसे बड़ी खराबी और सबसे बड़ी दुश्वारी परेशानी विपक्ष की यही है कि ये सच्चाई को स्वीकार करने के लिए जरा भी तैयार नहीं हैं और विरोध करना इन्होंने अपना फैशन बना लिया है और पूरी दुनियां के सामने आप कोविड काल की चर्चा कर रहे थे और पूरी दुनिया जानती है जिस तरह से प्रवासी हमारे श्रमिक बाहर के प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आये और उनका किस तरह से ख्याल उत्तर प्रदेश की सरकार ने रखा उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने का उनकी स्किल मेपिंग कराने से हर प्रकार का काम उत्तर प्रदेश ने किया है और उसकी प्रशंसा पूरी दुनिया ने की है। हम उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। जो आपने प्रश्न किया है कि प्रवासी मजदूर हैं जिन लोगों ने प्रदेश से पलायन किया है। वह तो पिछली सरकारों का पाप है भोग रहे हैं हम तो निरंतर प्रयास कर रहे हैं और जन अदालत सबसे बड़ी अदालत है उसके फैसले भी आपके सामने है मैं उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। जब प्रवासी मजदूर हमारे पास आये तो रिकार्ड के लिए हमने रजिस्ट्रेशन करवाया और आपके माध्यम से पूरे सम्मानित सदन को संतोष के साथ बताना चाहता हूँ कि तकरीबन 38 लाख हमारे प्रवासी श्रमिक आये कोविड काल के दौरान उसमें से 10 लाख से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में रोकने का काम किया है और यहीं उत्तर प्रदेश में रोजगार की व्यवस्था करायी है। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि उसी क्रम में जिला मुख्यालयों पर हम रोजगार मेला आयोजित करते थे फिर मा0 मुख्य मंत्री जी ने आदेशित किया कि विधान सभा स्तर पर मेले का आयोजन किया जाय और जो हमारे स्किल वर्कर है हम उनके लिए सेवामित्र पोर्टल लेकर आये हैं जो प्लम्बर, पेंटर, कारपेंटर आदि जो स्किल कामगार हैं उनके लिए अलग से सेवामित्र पोर्टल लेकर आये हैं और उस पर भी 35913 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है।

हम निरंतर काम कर रहे हैं अगर आंकड़े देख लिए जाए तो यह कहेंगे कि आंकड़े असत्य हैं हम लोगों नें वर्ष 2017 से लेकर अब तक सिर्फ मेलों के माध्यम से हमने 5278 मेलों का हमने आयोजन किया है और 7 लाख 46 हजार 878 लोगों को सेवायोजित किया है। हम लोग रोज नई व्यवस्था लेकर आ रहे हैं। अभी बेरोजगारी की समस्या को कितनी संवेदनशीलता के साथ योगी जी की सरकार ने लिया है। खुद मुख्य मंत्री जी अध्यक्ष हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक आयोग का गठन किया है जो हमारे श्रमिक है और जो हमारे बेरोजगार हैं उनके सर्वांगीण विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए हमने आयोग का भी गठन किया है। मैं भारत सरकार का स्वागत करना चाहता हूँ। भारत सरकार ने हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 20 जगह पर कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों के उच्चीकरण का फैसला किया है जिसमें पायलट

प्रोजेक्ट के तौर पर हमारे उत्तर प्रदेश के जो बड़े जिले हैं ऐसे 20 शहरों का चयन किया है और उसका उच्चीकरण करने जा रहे हैं, बेरोजगारों को अवसर देने जा रहे है। हमारे जो बाकी जनपद हैं वहां के सेवायोजन कार्यालयों का उच्चीकरण करने की प्रक्रिया क्रियाशील है और हम उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। हम कैरियर काउसिलिंग की बात कर रहे हैं और यह पहली बार हुआ है कि 3191 कैरियर कांउसिलिंग की गई है और 266335 लोग इससे लाभान्वित हुये हैं। सरकार इसमें निरंतर काम कर रही है। हर हाथ को काम देना हमारी प्राथमिकता और संकल्प है। हम इस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने पलायन करने वाले लोगों की तादाद के बारे में नहीं बताया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं और पूरी की पूरी सरकार बैठी है। मान्यवर, अगर माननीय मंत्री जी के पास इसका अभी जवाब नहीं है तो आश्वासन दे दें कि हम बाद में उपलब्ध करा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी, कोविड के समय लोग यहां से पलायन करके बाहर नहीं गये थे, बल्कि बाहर से पलायन करने वाले लोग यहां वापस आ रहे थे। हम सबने देखा है।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे प्रवासी मजदूरों की संख्या के बारे में कोई कन्फ्यूजशन नहीं है। लोक सभा में माननीय केन्द्रीय श्रम मंत्री जी ने ही जवाब दिया कि एक करोड़ से ज्यादा लोगों ने पलायन किया है।

श्री अध्यक्ष-

लोक सभा का रिकार्ड यहां पर हमारे पास नहीं है।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, लेकिन यह रिकार्ड तो उत्तर प्रदेश से ही गया होगा। हमारी सरकार के भेजे बगैर वहां पर यह आंकड़ा नहीं पहुँच सकता है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और पूरी सरकार बैठी है यह केवल एक आश्वासन दे दें कि यहां से कितने असंगठित क्षेत्र के मजदूर, कुशल मजदूर, प्रशिक्षित मजदूर, बेरोजगार और शिक्षित बेरोजगार गये हैं। क्या सरकार के पास उनकी तादाद का कोई आंकड़ा उपलब्ध है और अगर आंकड़ा उपलब्ध नहीं है तो क्या सरकार ऐसा आंकड़ा तैयार कराकर उनको रोजगार देने पर विचार करने का आश्वासन देगी। इस पर माननीय मंत्री जी का कुछ जवाब आ जाये और अगर यह जवाब ना दे सकें तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसका जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी का पूरा जवाब पहले ही आ चुका है। अब मैं अगला प्रश्न लेता हूँ।

प्रदेश में विगत 03 वर्षों में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को स्थायी सरकारी नौकरी/रोजगार दिये जाने विषयक

***2-श्री प्रसन्न कुमार-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत 3 वर्षों में कितने शिक्षित नौजवानों द्वारा रोजगार हेतु पंजीकरण कराया गया है, उनमे से कितनों को स्थायी सरकारी नौकरी/रोजगार से जोड़ा गया है एवं वर्तमान में कितने शेष हैं ? क्या सरकार की शेष बेरोजगारों को नौकरी देने कि कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा जॉबसीकर्स (रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थी) को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। इस हेतु सेवायोजन विभाग के पोर्टल sewayojan.up.nic.in में जॉब सीकर्स (रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थी) एवं नियोजकों को ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था है।

सेवायोजन पोर्टल पर विगत 3 वर्षों 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में पंजीकृत जॉबसीकर्स (रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थी) की संख्या निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	वर्ष	पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या
01	2019-20	3,37,112
02	2020-21	3,98,326
03	2021-22	3,05,923

विभिन्न राजकीय विभागों में नियमित रिक्तियों की भर्ती का कार्य तद्प्रयोजन हेतु गठित चयन/भर्ती आयोग के माध्यम से किया जाता है।

सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों का आयोजन कर निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने का कार्य किया जाता है।

विगत तीन वर्षों की रोजगार मेलों की प्रगति निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	वर्ष की संख्या	रोजगार मेलों	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
1	दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक	733	1,43,304
2	दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक	869	1,47,499
3	दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक	822	1,17,430

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालय द्वारा कार्यालय परिसर के बाहर यथा आवश्यक चयनित स्थान में रोजगार मेलों के आयोजन किये जाते हैं, इन मेलों में निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष रोजगार अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किये जाने की व्यवस्था है। उक्त मेलों में शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है।

कुशल कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं जनसामान्य व शासकीय विभागों को स्थानीय सेवाएं (प्लम्बर, कारपेन्टर, पेन्टर, इलेक्ट्रिशियन, ड्राईवर आदि) प्रदान करने हेतु सेवामित्र प्लेटफार्म (पोर्टल) sewamitra.up.gov.in (सेवामित्र एप/कॉल सेंटर) की व्यवस्था सेवायोजन विभाग द्वारा विकसित की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रसन्न कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सरकार से प्रश्न पूछा था कि विगत तीन वर्षों में कितने शिक्षित नौजवानों द्वारा रोजगार हेतु पंजीकरण कराया गया है और उसमें से कितने नौजवानों को रोजगार से जोड़ा गया है और कितने अवशेष हैं ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय प्रसन्न कुमार जी प्रश्न को भी प्रसन्न कहते हैं।

(सदन में हँसी)

श्री प्रसन्न कुमार-

मेरे सवाल का जवाब सरकार ने घुमा-फिराकर दिया है। मैंने पूछा था कि कितने लोगों को स्थायी सरकारी नौकरी मिलेगी जिसका कोई उत्तर नहीं दिया गया और केवल रोजगार मेलों की बात कहकर टाल दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना

चाहती है और आंकड़ों के मकड़जाल में फंसाना चाह रही है। सही तो यह है कि वर्तमान में हजारों में से एक शिक्षित नौजवान स्थायी रोजगार है।

सरकार ने सरकारी नौकरी छीनने का कार्य किया है। सब कुछ आउटसोर्सिंग को दे दिया। मान्यवर, सरकार तो केवल बहकाना चाहती है। कहीं शिक्षा मित्र, कहीं अग्निपथ और अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का बहाना दिया जा रहा है। अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया, रूस की विदेशी कम्पनियाँ आ रही हैं तो उनके देश के बराबर की मजदूरी की गारंटी सरकार क्यों लेती। मैं अनुपूरक में यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या सेवायोजन विभाग सरकारी योजना की गारंटी लेगा। दूसरा सवाल यह है कि क्या सेवायोजन विभाग में किसी सरकारी नौकरी की लिखित परीक्षा या इण्टरव्यू की काल भी जा सकती है और आखिरी अनुपूरक है कि क्या सेवायोजन विभाग आयोजित रोजगार मेलों में नौकरी के साथ-साथ वेतन भी निश्चित करायेगा और जो सरकारी वेतन के बराबर दिया जायेगा।

श्री अनिल राजभर-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने सरकारी नौकरियों के बारे में पूछा है। सरकारी नौकरियों के सृजन और सरकारी नौकरियों की भर्ती कराने के लिए विभिन्न बोर्डो का गठन किया गया है। सेवायोजन विभाग निजी क्षेत्र में बेरोजगारों को सेवायोजित करता है। मैं मा0 सदस्य प्रसन्न जी को बताना चाहता हूँ कि उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा बोर्ड, प्रयागराज, उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ, बेसिक शिक्षा विभाग यह सरकारी नौकरियों के लिए बोर्ड और आयोगों का गठन हुआ है। और आपने जो पूछा है कि पिछले तीन वर्ष में कितने बेरोजगारों ने अपने आपको पंजीकृत कराया है तो उसका डिटेल हमने आपको दे दिया है। आपने रोजगार मेलों की बात कही तो जो पहले से हमारे सेवायोजक हैं वह भी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होते हैं और जो हमारे बेरोजगार हैं वह भी हमारे यहाँ अपने आपको रजिस्टर्ड कराते हैं। हम पुल का काम करते हैं दोनों को आमने-सामने ले आते हैं। जो उनकी रिक्तियाँ रहती है उसके सापेक्ष हमारे नौजवान आते हैं उनकी योग्यता के आधार पर वह चयन करते हैं। जो हमारा बेरोजगार नौजवान है अगर उसको लगता है कि उसके अनुकूल यहाँ रोजगार मिल रहा है तो वह वहाँ पर जाता है। आँकड़े साफ हैं। हमने तीनों साल के आकड़े आपको बहुत विस्तृत दे दिये हैं।

श्री प्रसन्न कुमार-

मेरे तीसरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला कि क्या सेवायोजन विभाग आयोजित रोजगार मेलों में नौकरी के साथ-साथ वेतन भी निश्चित करायेगा।

श्री अध्यक्ष-

जो नौकरी करेगा उसको वेतन तो मिलेगा ही।

श्री प्रसन्न कुमार-

सरकारी वेतन के बराबर वेतन देने की बात है।

श्री अध्यक्ष-

यह आप कैसे कह सकते हैं। आप देंगे। इनके यहाँ जितने लोग लगे हैं उनको सरकारी वेतन करा दो। (सदन में हँसी)।

प्रदेश में वर्तमान में सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत नौजवानों/बेरोजगारों को सेवायोजित करने तथा शेष बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार सम्बन्धी

***3-श्री जय प्रकाश अंचल-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत नौजवानों में कितने बेरोजगारों को सेवायोजित कर दिया गया है ? क्या सरकार शेष बेरोजगारों को बेरोजगारी भता देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। इस हेतु सेवायोजन विभाग के पोर्टल https://sewayojan.up.nic.in में रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों एवं नियोजकों के ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था है।

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र में रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का कार्य किया जाता है।

रोजगार मेलों तथा चयनित अभ्यर्थियों की प्रगति रिपोर्ट-

क्र0-सं0	वर्ष की संख्या	रोजगार मेलों	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
1	दिनांक 19 मार्च, 2017 से 31 मार्च 2018 तक	633	63,152
2	दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक	685	1,03,202
3	दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक	733	1,43,304
4	दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक	869	1,47,499

क्र0-सं0	वर्ष की संख्या	रोजगार मेलों	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
5	दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक	822	1,17,430
6	दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 31 जनवरी, 2023 तक	1536	1,72,291
	योग	**5278**	**7,46,878**

कुशल कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं जनसामान्य व शासकीय विभागों को स्थानीय सेवाएं (प्लम्बर, कारपेन्टर, पेन्टर, इलेक्ट्रिशियन, ड्राईवर आदि) प्रदान करने हेतु सेवामित्र प्लेटफार्म (पोर्टल sewamitra.up.gov.in/सेवामित्र एप/कॉल सेन्टर) की व्यवस्था सेवायोजन विभाग द्वारा विकसित की गयी है।

सेवामित्र पोर्टल पर पंजीकरण की स्थिति (दिनांक 13 फरवरी, 2023 तक)-

कुशल कामगारों की संख्या-33,913

सेवा प्रदाताओं की संख्या-753

सेवामित्रों की संख्या-3,839

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जय प्रकाश अंचल-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री जी से प्रश्न किया है कि प्रदेश में वर्तमान में सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत नौजवानों में कितने बेरोजगारों को सेवायोजित कर दिया गया है। मा0 मंत्री जी ने जवाब दिया है कि हमने वर्ष 2018 से 2023 तक 5278 रोजगार मेलों के माध्यम से 746878 अभ्यर्थियों को चयनित करने का काम किया है।

मान्यवर, उसमें इन्होंने बताया है कि हमने अभ्यर्थियों को क्या सेवायोजित अभ्यर्थियों को प्लम्बर, पेंटर तथा ड्राइवर आदि के रूप में सेवा नियोजित कर दिया है। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ कि सरकारी क्षेत्रों में या फिर उनको प्राईवेट सेक्टर में रखा गया है ? हमारा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि सरकारी क्षेत्रों में कितने योग्यताधारी बेरोजगारों को किन-किन विभागों में वर्ष 2017 से लेकर वर्ष 2023 तक सेवायोजित किया गया है ? मेरा

तीसरा अनुपूरक प्रश्न है कि वर्तमान में आउटसोर्सिंग के आधार पर सेवायोजित अभ्यर्थियों को क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि आदि की सुविधाएं मुहैया करायेगी अथवा जॉब सुरक्षित की गारंटी देने का काम करेंगे ?

प्रदेश का करोड़ों नौजवान आज बड़ी-बड़ी डिग्रियां लेकर पूरे प्रदेश मे बेरोजगार होकर खुदखुशी करने के लिए विवश है। केन्द्र सरकार अग्नि वीर की चार वर्ष की योजना लाई थी। जब चार साल के बाद नौजवान अपनी सेवा पूरी करके रिटायर होगा तब क्या वह नौजवान भटकाव की स्थिति में नहीं होगा ? उन नौजवानों के लिए पेंशन का भी इंतजाम नहीं किया गया है, उनको अन्य तरह की सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं, यह प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के उन तमाम नौजवानों को जो चार साल के बाद में रिटायर होकर अपने घर चले आएंगे। क्या सरकार उनको रोजगार देने की गारंटी देगी ? प्रदेश में तमाम डिग्रीधारी चाहे वह बी0टेक, एम0टेक, बी0एड0, बी0टी0सी0, एम0ए0, एम0एस0सी0 जैसी डिग्रियां लेने के बाद, पी0एच0डी0 करने के बाद नौजवान प्लम्बर, पेंटर एवं सफाई कर्मचारी होने के लिए विवश हैं। क्या सरकार इस बात की जिम्मेदारी लेगी कि हम उत्तर प्रदेश के करोड़ों नौजवान जो बड़ी-बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी अगर बेरोजगार बैठे हैं तो उनको सरकार जॉब देने की या सरकारी नौकरी देने की गारण्टी लेगी, अगर नहीं तो उसकी योग्यतानुसार नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देने का आश्वासन देगी ?

श्री अनिल राजभर-

मान्यवर, अग्नि वीर की चर्चा पिछले प्रश्न में भी हुई थी और मा0 सदस्य भी कर रहे है। अभी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है और अग्नि वीर प्रणाली का अभिनन्दन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सराहना की है। इसलिए मा0 सदस्य से मैं कहना चाहता हूँ कि यह भारत सरकार का विषय है जिसका जवाब आप हमसे ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर जिस बड़ी संख्या में अग्नि वीर प्रणाली को स्वीकार करते हुए, उत्तर प्रदेश ही नहीं देश का नौजवान अग्नि वीर प्रणाली में शामिल हो रहा है। आप सरकारी नौकरी की बात कर रहे थे तो हम उसके बारे में पिछले प्रश्न के उत्तर में बता चुके है, मैं आपके अगर आप आदेश देंगे तो हम उसे फिर से बता देंगे। मान्यवर, आपके माध्यम से पूरे सदन को यह बताना चाहता हूँ कि सरकार इस तरह से संवेदनशील हैं और बेरोजगार नौजवान हमारी प्राथमिकता है और हमने पहले ही कहा हैं कि हर हाथ को काम के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।

श्री अनिल राजभर-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ओ0एम0आर0 उत्तर प्रदेश फाइनेंस कारपोरेशन ओवरसीज मैन पॉवर डैकोरेटिंग एजेंसी स्थापित की है और साथ ही मैं भारत सरकार का भी अभिनन्दन करना चाहता हूँ और मोदी जी का भी अभिनन्दन करना चाहता हूं,

एन0एस0डी0सी0 इण्टरनेशनल स्किल डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन इसकी भी स्थापना हुई हैं, बनारस से जिसकी शुरुआत होने जा रही है। हमारे जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, आज भारत के जो हमारे डॉक्टर एवं इंजीनियर है उनकी डिमाण्ड दुनिया के स्तर पर कितना बड़ी है यह आप सब लोग जानते हैं, उनको भी प्लेटफार्म देने के लिए, बेरोजगारी दूर करने का एक विकल्प देने के लिए सरकार ने इन दो एजेंसियों को स्थापित किया है और इन एजेंसियों का काम है और 50280 नौजवानों ने इन एजेंसियों में अपने आप को पंजीकृत भी करा लिया हैं। दुनिया में जहां भी रोजगार है और दुनिया में जहां उनकी डिमाण्ड है, हम दुनिया में उनकी मांग के अनुसार, उनको दुनिया के साथ ही जोड़ रहे हैं। हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारा जो नर्सिंग स्टाफ है उनको भी रोजगार देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कहां मिल सकता है, दुनिया में कहां रोजगार मिल सकता है इसकी भी संभावना तलाशने का काम निरंतर सरकार कर रही है और उससे भी सरकार को जोड़ रही है। सेवायोजन पोर्टल पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि उस पर सिर्फ हमारे कामगार, हमारे श्रमिक ही अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं, उस पर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स भी खुद रजिस्टर्ड करा सकते हैं, सारे लोग रजिस्टर्ड हो सकते हैं। उसके अनुसार हमारे यहां जो सेवायोजक रजिस्टर्ड हैं, उनकी जो मांग आती हैं, उनकी जो रिक्तियां आती है उसके हिसाब से हम उनके रोजगार की व्यवस्था करते हैं।

हम मा0 सदस्य को स्पष्ट करना चाहते हैं कि सरकार उत्तर प्रदेश के हर नौजवान को रोजगार से जोड़ा जाए। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की चर्चा आपने ही की, यह सरकार का प्रयास ही तो है और हमारे प्रयास की सराहना उत्तर प्रदेश का नौजवान भी कर रहा हैं। अब हम कहेंगे कि एक करोड़ बेरोजगारों के रोजगार की व्यवस्था ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही हैं तो आप कहेंगे कि इस पर आ गये। हम कह रहे हैं कि बेरोजगारी दूर करने के लिए जो मेला जिला स्तर पर लगता था अब उसे विधान सभा स्तर पर लगाने जा रहे है तो आप कहेंगे कि आप सिर्फ रोजगार मेलों की बात करते हैं। मैं सेवामित्र पोर्टल की बात करता हूं, जो हमारे कुशल कामगार श्रमिक है, हम उनके लिए अलग से प्लेटफार्म दे रहे है तो आप कहेंगे कि सबको प्लम्बर बनाना चाहते है, सबको समाज के लोगों का इस तरह से संवेदनशील है और बेरोजगारों के रोजगार की चिंता सरकार कर रही है।

श्री जय प्रकाश अंचल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करें कि सेवायोजन सरकारी क्षेत्र में है अथवा प्राइवेट। आपने मेला लगाने की बात तो कह दिया है कि हमने पांच हजार दो सौ अठ्हत्तर मेला लगाकर लोगों को जॉब से जोड़ने का काम किया। मैने आपसे स्पष्ट प्रश्न पूछा था कि क्या आपने सरकारी इम्प्लॉई के रूप में मेला लगाकर भर्ती करने का काम किया सिर्फ कामचलाऊ व्यवस्था देने का काम किया है ? क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि उनकी

बेरोजगारी का स्पष्ट समाधान आपके पास क्या है ? और रहा सवाल अग्निवीर का, तो मैंने आपसे स्पष्ट पूछा था कि अग्निवीर के तहत केंद्र सरकार ने जो नौकरियां देने का काम किया है उनके चार साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार यह गारंटी लेगी कि बाकी अवधि के लिए हम उन्हें नौकरी अथवा रोजगार से सुसज्जित करने का काम करेंगे ?

श्री अनिल राजभर-

मान्यवर, जो हमारे अग्निवीर हैं, वे सेवानिवृत्त होने के बाद जब वापस आएंगे, हमारे सेवायोजन पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड कराएंगे तो हम उनकी भी चिंता करेंगे। जय प्रकाश जी बार-बार एक चीज पर जोर दे रहे हैं, सेवायोजन जो विभाग है, जो बेरोजगारी दूर करने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन करता है वह निजी क्षेत्रों में सेवायोजित करने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है। सरकारी नौकरी देने की जो हमारी संस्थाएं हैं उनकी चर्चा हम पिछले प्रश्न में कर चुके हैं, आप कहेंगे तो हम दोबारा पढ़ देंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि हमारा अनइम्प्लायमेंट रेट ढाई परसेण्ट है। तो मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ, चूँकि मंत्री जी ने कहा कि बेरोजगारी दर ढाई परसेण्ट के करीब है तो रोजगार दर क्या है ? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश की रोजगार दर क्या है ? जो लोग नौकरी करने लायक हैं, उनको जो आप नौकरियाँ देते है तो वह रोजगार रेट क्या है ? बेरोजगारी दर तो आप बता रहे हैं, लेकिन रोजगार रेट क्या है ?

श्री अनिल राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, हालांकि मूल प्रश्न से अलग यह विषय माननीय वर्मा जी ने उठाया है, लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाह रहा हूँ कि जो आज भारत की बेरोजगारी दर है।

नेता विरोधी (श्री अखिलेश यादव)-

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत सीधा सवाल पूछा है, सरकार अनइम्प्लायमेंट रेट बताती है, माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इम्प्लायमेंट रेट क्या है, समाजवादी सरकार से कम है कि ज्यादा है ? माननीय मंत्री जी बतायें कि उसके समायोजन में किसको आप देंगे बेराजगारी भत्ता ?

श्री अध्यक्ष-

अगर इतने परसेण्ट अनइम्प्लायमेंट है तो इसका मतलब बाकी इम्प्लायड है। यह तो हो ही गया। यह भी पूछने वाली क्या बात है ? यदि आप बोलोगे कि इस कमरे में कितने लोग हैं तो हम कहेंगे 02 नहीं हैं तो इसका मतलब 98 है। (हँसी)

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष जी, क्या बात कर रहे हैं ? अध्यक्ष जी, सरकार के साथ फिर खड़े हो गये आप।

श्री अध्यक्ष-

अरे, कहाँ खड़े है ? आपके साथ खड़े हैं।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष जी, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, न आपके जवाब से और न माननीय मंत्री जी के जवाब से।

श्री अध्यक्ष-

मैंने तो कोई जवाब दिया ही नहीं। मैं तो कोई जवाब दे ही नहीं सकता। मैं कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ, माननीय मंत्री जी जवाब देंगे। मुझे जवाब देने का कोई अधिकार भी नहीं है, माननीय मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कोई छोटा सवाल नहीं है, अधिकारी लिखकर भेज सकते हैं।

श्री अनिल राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, बेरोजगारी भत्ता देने का सरकार का कोई प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं है, इसलिए कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, हम उनको रोजगार से जोड़ना चाहते हैं, वह हाथ फैलाने के लिए मजबूर न हों, हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए यह चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

तारांकित प्रश्न सं0-4, श्री अमिताभ बाजपेई जी हैं ? नहीं हैं। तारांकित प्रश्न सं0-5, श्री मनोज कुमार पारस जी हैं ? यह भी नहीं हैं। पारस जी कई दिनों से नहीं आ रहे हैं।

प्रदेश में परिवहन विभाग के संविदा चालकों/परिचालकों को रिक्त पदों पर नियमित करने विषयक

***4-श्री अमिताभ बाजपेई (अनुपस्थित)-**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में परिवहन विभाग के संविदा चालकों/परिचालकों को रिक्त पदों पर नियमित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर सिंह)-

परिवहन निगम की आर्थिक स्थिति के सापेक्ष ही निगम के संविदा चालकों/ परिचालकों को नियमित किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की वर्तमान में संख्या तथा उनके हितों की सुरक्षा के लिए कानून/कार्य योजना बनाये जाने विषयक

***5-श्री मनोज कुमार पारस (अनुपस्थित)-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की वर्तमान में कितनी संख्या है तथा उक्त श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए कोई कानून है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कोई योजना बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

वर्तमान में प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीयन ई श्रम पोर्टल पर किया जाता है। दिनांक 15-02-2023 तक ई-श्रम पोर्टल पर 8,30,11,888 कामगार असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं।

जी हां।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये भारत सरकार द्वारा ''असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008'' बनाया गया है तथा इसे लागू करने के लिये प्रदेश में उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियमावली, 2016 बनायी गयी है।

जी हां।

प्रश्न ही नही उठता।

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विहान विद्यालयों के भवनों का मानक तथा उनके किराये निर्धारण हेतु अधिकारी की जानकारी व विज्ञापन प्रकाशित जानकरी व जिलाधिकारी द्वारा सत्यापन व सम्बन्धित दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने विषयक

***6-श्री राम अवतार सिंह-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा हेतु संचालित विहान विद्यालयों के भवनों का मानक क्या है ? यदि हां, तो उक्त भवनों का निरीक्षण एवं विद्यालय चलाये जाने और किराये निर्धारण हेतु कौन उतरदायी अधिकारी है ? क्या भवन

किराये पर लिए जाने हेतु बोर्ड द्वारा कोई विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था अथवा किराया सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित कराया गया था ? यदि नहीं, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

आवासीय विद्यालय योजना के अन्तर्गत भवन हेतु निर्धारित मानक निम्नवत् हैं-

प्रत्येक आवासीय विद्यालय में कम से कम 5 कक्ष होंगे, जिनमें से 1 कक्ष अध्यापकों के लिए, 1 कक्ष कार्यालय के लिये तथा 3 कक्ष बच्चों की शिक्षा के उपयोग के लिये होंगे। प्रथम दो कक्ष 15x20 वर्ग फीट क्षेत्रफल के तथा शेष 3 कक्ष 25x25 वर्ग फीट क्षेत्रफल के होंगे। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 03 शौचालय होंगे तथा छात्र एवं छात्राओं के लिये पृथक-पृथक छात्रावास की व्यवस्था होगी। ऐसे प्रत्येक आवास/कक्ष/डारमेट्री कम से कम 2000 वर्गफीट क्षेत्रफल का होगा। छात्र/छात्राओं के लिए कम से कम 3-3 पृथक-पृथक शौचालय एवं स्नानगृह होंगे। प्रत्येक छात्रावास में 01 किचन होगा तथा कम से कम 1000 वर्गफीट क्षेत्रफल का भोजनालय कक्ष होगा। छात्रावास में कम से कम 15x20 वर्ग फीट का एक कक्ष वार्डेन के लिए होगा।

आवासीय विद्यालय योजना की अधिसूचना में प्रावधान है कि योजना के अन्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालय का नियमित पर्यवेक्षण स्थानीय श्रम कार्यालय/बोर्ड द्वारा किया जायेगा तथा पर्यवेक्षण आख्या सम्बन्धित क्षेत्रीय उप श्रमायुक्त एवं बोर्ड को प्रेषित की जायेगी। ऐसे विद्यालयों का निरीक्षण सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा भी स्वयं या अपने अधीनस्थ अन्य अधिकारियों द्वारा किया/कराया जा सकता है।

विद्यालय संचालन हेतु चयनित संस्थाओं द्वारा किराये का निर्धारण कर भवन किराये मद में निर्धारित सीमा के भीतर किराये की मांग की जाती है। वर्तमान में लखनऊ, विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग एवं लोक प्रशासन विभाग द्वारा आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है।

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड स्तर से आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु भवन किराये पर लिये जाने हेतु कोई विज्ञापन नहीं कराया गया है।

आवासीय विद्यालय योजना के अन्तर्गत भवन किराये पर लिए जाने की समस्त कार्रवाई विद्यालय संचालन हेतु बोर्ड द्वारा चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा की गयी है, उनके द्वारा सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी से किराये का सत्यापन नहीं कराया गया है।

लागू नहीं।

आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु भवन किराये पर लिये जाने की समस्त कार्रवाई विद्यालय संचालन हेतु चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा की गयी है तथा बोर्ड द्वारा किराये के मद में निर्धारित रु0 001 लाख की अधिकतम सीमा के भीतर बजट/धनराशि संस्था को मांग के सापेक्ष प्रदान की जाती है, ऐसी स्थिति में दोष का औचित्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

तारांकित प्रश्न सं0-6, श्री राम अवतार सिंह जी हैं ? हैं, आप प्लीज पूछिए।

श्री राम अवतार सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष असंगठित क्षेत्र में 02 हजार करोड़ रुपया बाँटा गया था, लेकिन वह इस बार के बजट में नहीं रखा गया। यह बताया गया कि कोविड की सम्भावना को देखते हुए वह पैसा बांटा गया था। मैं जानना चाहता हूँ कि कोविड की सम्भावना व्यक्त करते हुए पैसा बाँटा गया था या चुनाव की सम्भावना व्यक्त करते हुए पैसा बाँटा गया था ? क्योंकि इस बार आपने नहीं रखा है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हजारों करोड़ रुपये की हर वर्ष बिलिंग करता है। जब से यह बोर्ड बना, आज तक बैलेंसशीट नहीं बनी। मैंने इस बारे में जानना चाहा था तो उन्होंने बताया कि अभी बैलेंशीट नहीं बनी है। इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की भी इसमें कोई बात नहीं है। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का जो एक्ट है, उसका रूल है, उस एक्ट की धारा-27 और 5 और रूल 272 के 2सी में यह प्रॉविजन है कि उत्तर प्रदेश की सरकार वार्षिक प्रतिवेदन और आडिटेड रिपोर्ट इस सदन में रखेगी, लेकिन जब से बोर्ड बना है, आज तक इस सदन में उसे नहीं रखा गया। मेरा मूल प्रश्न यह था कि उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा जो आवासीय विद्यालय चलाये जाते हैं, उनके विद्यालयों का एक मानक और किराया तय है। मैं पूछना चाहता हूँ कि 18 मण्डलों में 12 जिलों के जो 24 विद्यालय चलाये जा रहे हैं, क्या उनके भवन मानक के अनुरूप है ? यह कौन सर्टिफाई करेगा कि वह मानक के अनुरूप है ? ये सारे विद्यालय छोटे-छोटे कमरों में चलाये जाते हैं और मैक्सिमम 01 लाख रुपये के करीब उसका किराया वसूल करने का काम किया जाता है। मैं भी इस बोर्ड का मेम्बर था, मैने भी जाँच किया है, जो छोटे-छोटे कमरों में विद्यालय चलाये जाते हैं, यह दुःखद है। मैने आपसे पूछा था कि इसका किराया कौन निर्धारित करता है, क्या सम्बन्धित जिलाधिकारी से उसकी संस्तुति ली जाती है ? तो आपने बताया कि जिलाधिकारी से संस्तुति नहीं ली जाती है।

(इसी मध्य 11 बजकर 33 मिनट पर अधिष्ठाता डॉ0 मंजू शिवाच पीठासीन हुई)

कारागार संस्था की जिम्मेदारी है कि वह किराया तय करे। मेरा यह निवेदन है कि सम्बन्धित क्षेत्र एवं पूरे जिलों के जो भी जिम्मेदार अधिकारी हों उनसे पूछा जाए कि क्या उन्होंने जो सत्यापित किया है जैसे मानचित्र है और जो बिल्डिंग का एरिया है वह सर्टिफाई किया कि नहीं किया ? मा0 मंत्री जी इसका जवाब दें।

श्री अनिल राजभर-

मा0 अधिष्ठाता महोदया, सैनी साहब मा0 सदस्य जिस बोर्ड की चर्चा कर रहे हैं उस बोर्ड के आप वर्ष 2015 से सदस्य हैं। आज भी आपका यह प्रश्न है कि मानक के अनुरूप जो

विद्यालय चलते हैं और जिस भाड़े के मकान में चलते है वह मानक के अनुरूप हैं कि नहीं हैं, वह पूरी तरीके से मानक के अनुरूप हैं। आपने कहा कि इसको सत्यापित करने का अधिकार किसको है और इसका मानक तय करने का अधिकार किसको है तो मानक तय करने का अधिकार हमारे बोर्ड को है, आपके बोर्ड को है जिसमें आप सदस्य हैं और जिलाधिकारी भी स्वतंत्र है अगर उसकी जाँच करना चाहें। हमारे डी0एल0सी0, ए0एल0सी0 जाँच करना चाहें वह कर सकते हैं और विभाग का कोई दूसरा वरिष्ठ अधिकारी भी जाकर जाँच कर सकता है। आप सम्मानित सदस्य हैं आप भी जाकर जाँच कर सकते हैं। आपने कहा भी कि हम कई विद्यालय में गए और जाँच किए और उसका जो किराया है तो आपके बोर्ड ने उसका किराया भी तय किया है, मानक के अनुरूप उसका एक लाख रूपए किराया भी है। मैने आपको सारा डिटेल उत्तर में भेजा है कि कितने कमरे होंगे और कै बाई कै के कमरे होंगे हमने सारा डिटेल भेज दिया है उसको सत्यापित करने की बात आपने व्यक्तिगत रूप से कही है कि जिलाधिकारी इसको सत्यापित करे, जिलाधिकारी भी सत्यापित कर सकते हैं, बोर्ड भी सत्यापित कर सकता है हमारे ए0एल0सी0, डी0एल0सी0 भी सत्यापित कर सकते है, हमारे श्रम आयुक्त भी सत्यापित कर सकते हैं, हमारे विभाग के कोई दूसरे वरिष्ठ अधिकारी भी जाकर उसकी जाँच कर सकते हैं और मानक में अगर कहीं व्यक्तिगत आपको कहीं दिख रहा हो कि मानक के विपरीत जाकर अगर कहीं कोई सत्यापन हुआ है या विद्यालय नहीं चल रहा है तो हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमको बताईये हम उसकी अलग से जाँच कराएंगे अगर किसी ने मानक तोड़ा होगा तो हम कार्रवाई भी कराएंगे।

श्री राम अवतार सिंह-

मै आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि मैं विद्यालय की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ कि प्रदेश के सारे विद्यालय जो हमारे बोर्ड का मानक तय है उसके विपरीत चल रहे हैं और दूसरा यह है कि सदस्य होने के नाते जो हमने लिखकर दिया था तो उसकी जाँच करा लेते हैं। मेम्बर का दर्जा क्या है इस बोर्ड में जो तय हुआ था और मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ आपसे कि बोर्ड की आज तक कोई बैलेंस शीट नहीं बनी, उसका जो वार्षिक प्रतिवेदन है वह सदन के कार्यालय में नहीं रखा गया। मैं यह भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो वह बिल्डिंग किराए पर ली गई है वह मानक के अनुरूप है तो किस अधिकारी ने सर्टिफाइड किया है उसे जरा टेबिल करा दें। आपका धन्यवाद।

श्री अनिल राजभर-

किस जिले के किस विद्यालय के किस अधिकारी ने सत्यापित कराया है हम आपको भिजवा देंगे।

श्री अधिष्ठाता-

क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं है तो आप इसकी जानकारी पर्सनल में ले लीजिएगा।

श्री राम अवतार सिंह-

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ मा0 मंत्री जी कि जो लेखाधिकारी इसके जिम्मेदार है और जिन्होंने भुगतान किया है तो बिना मानक दिए किराए का भुगतान कैसे कर दिया, मानक को चेक कर लेना चाहिए था। इसी से सम्बन्धित एक क्विश्चन था असंगठित क्षेत्र का पिछले वर्ष जो है 2021-22 में 2 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। कोरोना को देखते हुए उसके बाद मेरा यह निवेदन है कि इस बार क्यों नहीं रखा गया जब पिछली बार दिया गया था 2 हजार करोड़ रुपए तो इस बार भी व्यवस्था करें।

श्री अनिल राजभर-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, पूरा जो बी0ओ0सी0डब्ल्यू0 बोर्ड है आपने कहा कि यह पैसा तो आप जानते हैं कि लेबर सेस का वह पैसा होता है और उसको सिर्फ और सिर्फ श्रमिक के जीवन पर, उसके परिवार के जीवन पर उसके बच्चों के जीवन पर और आप तो बोर्ड के सम्मानित सदस्य हैं आपको स्वागत करना चाहिए कि पूरे देश के अन्दर उत्तर प्रदेश की सरकार ने उदाहरण प्रस्तुत किया है। श्रमिक के बच्चों के जीवन को बनाने के लिए, उनका पूरा जीवन सँवारने के लिए अटल आवासीय विद्यालय की एक बड़ी परियोजना उत्तर प्रदेश की सरकार लेकर आई है। हम 12-50 लाख करोड़ रुपये से अटल आवासीय विद्यालय बना रहे हैं और मेरा दावा है कि नवोदय से भी बेहतर शिक्षा और सैनिक विद्यालयों से भी बेहतर शिक्षा वहाँ श्रमिक के बच्चों को सरकार उपलब्ध कराएगी।

***7-श्री रविदास मेहरोत्रा-**

[03-सोमवार के तारांकित प्र0 सं0-08 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

***8-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

[प्रश्न के वर्ग में परिवर्तन के कारण हटाया गया।]

***9-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-**

[03-सोमवार के तारांकित प्र0 सं0-07 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगारी के कारण पलायन रोकने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने विषयक

***10-श्री अतुल प्रधान-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगारी के कारण पलायन रोकने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार की है ? यदि हाँ, तो विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कार्यालय परिसर/परिसर के बाहर यथा आवश्यक चयनित स्थान में रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है, इन मेलों में निजी क्षेत्र के

नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किये जाने की व्यवस्था है। उक्त मेलों में शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है।

कुशल कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं जनसामान्य व शासकीय विभागों को स्थानीय सेवाएं (प्लम्बर, कारपेन्टर, पेन्टर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर आदि) प्रदान करने हेतु सेवामित्र प्लेटफार्म (पोर्टल sewamitra.up.gov.in/ सेवामित्र एप/कॉल सेन्टर) की व्यवस्था सेवायोजन विभाग द्वारा विकसित की गयी है।

रोजगार मेलों की प्रगति निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	वर्ष	रोजगार मेलों की संख्या	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
1	दिनांक 19 मार्च, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक	633	63,152
2	दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक	685	1,03,202
3	दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक	733	1,43,304
4	दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक	869	1,47,499
5	दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक	822	1,17,430
6	दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 31 जनवरी, 2023 तक	1536	1,72,291
	योग	**5,278**	**7,46,878**

सेवामित्र पोर्टल पर पंजीकरण की स्थिति (दिनांक 13 फरवरी, 2023 तक)-

कुशल कामगारों की संख्या- 33,913

सेवाप्रदाताओं की संख्या- 753

सेवामित्रों की संख्या- 3,839

प्रश्न नहीं उठता।

*श्री अतुल प्रधान-

महोदया आपका धन्यवाद। अभी कई क्वेश्चनों के जो आंसर मिले हैं, उनमें रोजगार मेलों का बड़ी संख्या में जिक्र है कि कितने लोगों ने वहाँ से रोजगार पाया। महोदया, मैं बताना चाहता हूँ कि कोरोना की त्रासदी हम सब लोगों ने देखी है। चूँकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और सरकार के अनुसार 25 करोड़ की जनसंख्या इस समय उत्तर प्रदेश की है। असंगठित क्षेत्र में जो हमारे कामगार थे, वे कोरोना में बड़ी संख्या में अपने गाँवों की तरफ आए। चूँकि हमारा बुन्देलखण्ड, हमारा पूर्वांचल, हमारे पश्चिम में भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ से बड़ी संख्या में लोग अपने गाँवों की तरफ आए थे। कुछ लोग तो उस असंगठित क्षेत्र में वापस चले गए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे रह गए, जो अपने गाँवों में आज भी हैं। महोदया, मैंने यह सवाल मा0 मंत्री जी से किया था कि क्या सरकार ऐसा प्रयास कर रही है कि जिसमें ऐसे लोगों को जो बहुत तेजी से गाँव से शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, उनको गाँवों में रोका जाए, तो सरकार का जो जवाब आया और इससे पहले जो तीन-चार क्वेश्चन हुए हैं उनमें भी रोजगार मेलों का लगातार जिक्र किया गया। जब रोजगार मेलों की बात आती है, तो मैं मा0 मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपको पता है या नहीं लेकिन हम लोगों को इसकी जानकारी हुई कि जो रोजगार मेलों के माध्यम से सरकार रोजगार देने की बात करती है, अगर उसकी ठीक ढंग से जाँच करा ली जाए तो उसकी सत्यता हमारे, आपके और सबके सामने आ जाएगी। इस सदन में ऐसा कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है जिसके पास अपने घर में होते हुए या अपने ऑफिस में होते हुए जैसे ही सवेरा होता है, नौजवान साथी रिज्यूम लेकर, बायोडाटा लेकर पहुँच जाते हैं कि हमारी अप्रेन्टिस करा दीजिए, हमें कहीं प्रशिक्षण के लिए भिजवा दीजिए, हमारी कहीं ऐसी नौकरी लगवा दीजिए जिससे हम लोग रोजगार पा सकें और सरकार लगातार यह बात कहती रही कि वर्ष 2017 से लेकर 2018 तक 63 हजार अभ्यर्थियों का चयन हुआ, हमने 633 मेले लगाए, फिर अगले साल में 685 मेले लगाए, फिर 733 मेले लगाए, फिर 869 मेले लगाए, फिर 822 मेले लगाए, फिर 1536 मेले लगाए। टोटल 5278 मेलों में 07 लाख 46 हजार 878 अभ्यर्थियों का आप लोगों ने चयन किया। मेरा यह कहना है, मा0 मंत्री जी मेरा स्पष्ट सवाल है, क्या मा0 मंत्री जी बताएँगे कि आपके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड है कि उन रोजगार मेलों के माध्यम से जिन लोगों ने रोजगार प्राप्त किया, उनमें से कितने लोगों ने ज्वाइन किया। वर्तमान समय में वर्ष 2017 से लेकर 2023 तक की जो आपने सूची दी है, वर्तमान समय में उन सात लाख छियालिस हजार आठ सौ अठहत्तर लोगों में से उन रोजगारों पर कितने लोग आज के समय तक काम कर रहे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरा दूसरा क्वेश्चन एन0जी0ओ0 के माध्यम से प्रशिक्षण पर है। महोदया, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ, पूछना भी चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मा0 मंत्री जी इसे सुझाव के रूप में भी लेंगे कि एन0जी0ओ0 के माध्यम से सरकार प्रशिक्षण देती है, वह प्रशिक्षण जो एन0जी0ओ0 के माध्यम से दिया जाता है स्किल डेवलप करने के लिए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि एन0जी0ओ0 के माध्यम से जो लोग प्रशिक्षण पाते हैं, उसमें जो सरकार की धनराशि होती है उसमें 100 में से 80 प्रतिशत पैसा मा0 मंत्री जी, सरकार उनके प्रशिक्षण के बाद देती है। लेकिन उसका 20 प्रतिशत पैसा उस एन0जी0ओ0 को तब मिलता है जब वे लोग रोजगार पा जाएँ। वे लोग जब रोजगार पाते हैं उसके तीन महीने तक उसकी बैलेन्स शीट जब मिल जाये। उसके मिलने के बाद में तब माना जाता है कि रोजगार उपलब्ध हो रहा है और 20 प्रतिशत पैसा तब सरकार देती है। मेरा दूसरा प्रश्न है मान्यवर, क्या मंत्री जी बताएंगे कि किसी एक भी एन0जी0ओ0 को सरकार की तरफ से कोई पैसा दिया जाता है, उस एन0जी0ओ0 को 80 प्रतिशत के हिसाब से जो प्रशिक्षण का पैसा दिया गया है और जो बाकी 20 प्रतिशत देना था क्या किसी एक भी एन0जी0ओ0 को आपने तीन महीने की बैलेन्स शीट देखकर, जिनको रोजगार उन्होंने दिलवाया किसी एक भी एन0जी0ओ0 को आपने 20 प्रतिशत पैसे का भुगतान किया है, तो बताने की कृपा करें।

श्री अनिल राजभर-

मा0 अधिष्ठाता महोदया, पहले तो एक चीज स्पष्ट कर लें कि बेरोजगारी दूर करने के लिए हमारे पास सिर्फ रोजगार मेले ही नहीं हैं।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, मैंने स्पष्ट प्रश्न किया है आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं और इसको तीन बार से बता रहे हैं।

श्री अनिल राजभर-

हाँ, आपने प्रश्न किया है आप हमें सुन लीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य आपने भी काफी एक्सप्लेन करके प्रश्न पूछा है, तो अब आप जवाब देने दें।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, मैंने स्पष्ट सवाल किया है।

श्री अनिल राजभर-

आप स्पष्ट ही जवाब भी लीजिए। आपने कहा कि 746878 के हमने जो आँकड़े दिये ये लोग अभी अपना काम कर रहे हैं कि वहाँ से छूट गये ? बड़ा स्पष्ट है, मान्यवर कि कोई भी हमारा बेरोजगार साथी है, अगर उसको कहीं बेहतर जगह विकल्प दिखायी देगा तो एक

जगह से दूसरी जगह भी जा सकता है और जो व्यवस्था करा रहे हैं इन रोजगार मेलों के माध्यम से हमारा नौजवान उससे सन्तुष्ट है और पूरी तरीके से अभी तक एक भी बेरोजगार नौजवान ने हमसे या हमारे विभाग से यह शिकायत नहीं की है कि हम जहाँ गये वहाँ से लौटकर आए हैं, यह पहली बात हो गयी और दूसरी, अगर आपके पास कोई ऐसे आंकड़े हों तो आप हमको भिजवा दें। हमने तो जितनों को भेजा, सब काम कर रहे हैं। सब अपने रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं, अगर आपको लगता हो कि उसमें से कुछ लोग लौटकर आए हैं तो आप हमको उसकी सूची भिजवा दीजिए। हम उसको चेक करवा लेंगे और उनके दूसरे रोजगार की व्यवस्था भी करेंगे और हमारे दूसरे प्रयासों की तरफ पता नहीं क्यों ये लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में हमारे कुशल कामगार हैं, क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं, अभी इस बार के सदन के बजट में एम0एस0एम0ई0 की चर्चा हो रही है, हमारे जो परम्परागत उद्योग हैं, उसकी चर्चा हो रही है। हमारे लघु और मध्यम उद्योगों की चर्चा हो रही है। यह लघु, मध्यम उद्योगों और परम्परागत उद्योगों में कौन लगा हुआ है ? हम सेवा मित्र पोर्टल क्यों बना रहे हैं ? ऐसे लोगों को प्लेटफार्म देने के लिए हम इसको बना रहे हैं और इसलिए हम उनको अपने यहाँ रजिस्टर्ड कर रहे हैं और जितने भी कुशल कामगार हैं और यहाँ तक ही नहीं हम उसको सरकार के सिस्टम से भी जोड़ रहे हैं। सरकार के विभागों को भी जोड़ रहे हैं, अगर हमारी सरकार को भी कुशल कामगारों की कहीं आवश्यकता है, तो उसके लिए भी हम एक प्लेटफार्म दे रहे हैं और उससे भी जो कुशल कामगार हैं उनको आपस में हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो बार-बार हम जो और भी प्रयास कर रहे हैं, मैंने कहा कि हमने दो व्यवस्थायें डेवलप की हैं, एक भारत सरकार कर रही है और एक उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। मा0 अधिष्ठाता महोदया, हम प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, अगर दुनिया में भी कहीं अगर रोजगार की सम्भावना कहीं दिखती है, तो वह विकल्प भी उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को हम देने के लिए तैयार हैं, उसके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं।

(मेजों की थपथपाहट)

मा0 सदस्य मैं कहना चाहता हूँ कि आप चिन्ता न करें और निश्चित तौर पर जो हमारे बेरोजगार हैं, उन नौजवानों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और इस बात का पूरा भरोसा बेरोजगारों को है और इसीलिए सरकार के साथ कदम से कदम उत्तर प्रदेश का बेरोजगार नौजवान मिलाकर चल रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, आप दूसरा प्रश्न याद दिला दीजिये।

श्री अतुल प्रधान-

दूसरे प्रश्न से पूर्व हम पहले प्रश्न पर ही बात कर लें अभी समय है, क्योंकि कई लोगों ने प्रश्न पूछे हैं।

अधिष्ठाता महोदय, मैंने स्पष्ट प्रश्न पूछा था कि 7,46,878 में से कितने लोगों ने ज्वाइन किया है ? मेरा दूसरा प्रश्न यह था कि इन रोजगार मेलों के माध्यम से आपने वर्ष 2017 से लेकर जनवरी, 2023 तक का आंकड़ा दिया है। इस समय वर्तमान में कितने लोग वहां पर नौकरी कर रहे हैं। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैंने दूसरा क्वेश्चन किया था, आप बुरा मत मानियेगा कि जिन एन0जी0ओ0 को आपके सम्बन्धित जानकार लोग चला रहे हैं, जिनको आपने सरकारी पैसा दिया है उनमें से 80 प्रतिशत प्रशिक्षण पाकर पैसे ले गये हैं, उनमें से सरकार की तरफ से बाकी का 20 प्रतिशत (कुल 100 प्रतिशत) पैसा आप उनको तब देते हैं, जब वह 3 महीने की बैलेन्स शीट लाकर दे दें। आपके पास ऐसा कोई आंकड़ा है कि एन0जी0ओ0 के माध्यम से कितने लोगों ने प्रशिक्षण पाया और प्रशिक्षण के बाद कितने लोगों को भुगतान हुआ, भुगतान के बाद 03 महीने की बैलेन्स शीट आपको मिलने पर उनको बाकी का 20 परसेन्ट का भुगतान करना था, उसमें एक एन0जी0ओ0 का नाम बता दीजिये, रोजगार जिनको मिला हो और उन्होंने 03 महीने की बैलेन्स शीट आपको दी हो और उस बैलेन्स शीट पर आपने उनका भुगतान कर दिया हो। साथ ही साथ एक चीज और पूछ लूं।

श्री अधिष्ठाता-

नहीं-नहीं, पहले इसका जवाब आने दीजिये, एन0जी0ओ0 की जो बैलेन्स शीट है, वह आई थिंक उनके पास नहीं होगी, बाकी का जवाब मंत्री जी दे देंगे।

श्री अतुल प्रधान-

अभी पहले वाले प्रश्न का उत्तर भी नहीं दिया है।

श्री अधिष्ठाता-

वह आपके क्वेश्चन में नहीं था। अगर होगा तो मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री अनिल राजभर-

अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे कामगार का एक पैसा कहीं भी नाजायज नहीं जा सकता, कहीं विसंगति नहीं हो सकती। आपने कुछ बातें मूल प्रश्न से अलग की हैं वह सूचना मैं आपको भिजवाऊँगा, लेकिन हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि श्रमिक का और बेरोजगारों का एक भी पैसा गलत तरीके से कहीं नहीं जा सकता। कहीं किसी प्रकार की कोई विसंगति नहीं है।

श्री अतुल प्रधान-

मुझे जानकारी है मंत्री जी, जब माननीय मंत्री जी को जानकारी मिल जाये तो मुझे अलग से जानकारी प्रदान कर दें। इसके साथ-साथ मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप असंगठित क्षेत्र में बेरोजगार मेलों के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं ? माननीय मंत्री जी क्या सरकार के माध्यम ये बाबा साहब द्वारा संविधान में प्रदत्त अधिकार आरक्षण को उसमें दिलवाने की कृपा करेंगे और अगर नहीं तो क्यों ? इन सारी चीजों पर यू0पी0 की सरकार अगर इसमें कमेटी बनायेगी तो उस कमेटी के माध्यम से रोजगार

मेलों की पोल खुल जायेगी। माननीय मंत्री जी, अगर आप हमारे मेरठ में आ जायें, अभी बहुत बड़ा मेला आपने लगाया था, जिसकी रिपोर्ट मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। हमारे यहां दो-दो मंत्री हैं, हमारे यहां 3-3 राज्य सभा के सांसद हैं, हमारे यहां और भी बड़े ताकतवर लोग हैं उनसे जानकारी ले लीजियेगा कि किस तरह का वह मेला था और उस मेले के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। आज 7 से लेकर 10 हजार तक की नौकरी लोगों को मिलती है। महाराष्ट्र, गुजरात, बैंगलोर, गुड़गांव, उत्तराखण्ड जैसी जगहों पर जब व्यक्ति 8 से 10 हजार रुपये की नौकरी करने जाता है, तो वहां से वह व्यक्ति वापस चला आता है। मैंने माननीय मंत्री जी से स्पष्ट क्वेश्चन किए हैं, अगर जवाब नहीं बन पाये तो मैं तैयार हूं कि माननीय मंत्री जी बाद में लिखित में दे दें।

श्री अनिल राजभर-

माननीय अधिष्ठाता महोदया, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का सबसे ज्यादा अपमान करने वाले लोग आज आरक्षण की चिन्ता कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आरक्षण पर डाका डालने वाले लोग आज आरक्षण की चिन्ता कर रहे हैं। जनता ने आपको जो हैसियत दिखायी कम-से-कम इतना तो आपके समझ में आ गया। सरकार रोजगार देने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है और इस पर हम प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो हमारे पास मैन पावर है, जो हमारी युवा शक्ति है, आपने चर्चा की कि 5,000-10,000 रुपये की नौकरी के लिए लोग प्रदेश के बाहर जा रहे हैं। हम प्रदेश के अन्दर युवा शक्ति को रोकना चाहते हैं, यही हमारा संकल्प है, इसीलिए हम उनके रोजगार की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अन्दर ही कर रहे हैं। चाहे वह पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे हो, चाहे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे हो, हम एक्सप्रेस-वे के किनारे उद्योगों का समूह स्थापित करके यहां के बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ही करने जा रहे हैं।

(सदस्य, श्री अवधेश प्रसाद एवं सदस्य, श्री अतुल प्रधान जी के द्वारा अनुपूरक पूछने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग एक-एक करके पूछ लीजिए।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने न एन0जी0ओ0 के बारे में बताया, न स्कॉलरशिप के बारे में बताया, न आँकड़ों के बारे में बताया, न बाबा साहब जी की चीजों के बारे में बताया। मैं माननीय मंत्री जी से बस इतनी जानकारी चाह रहा हूँ कि आप इसकी एक कमेटी बना दीजिए। मान्यवर, अगर एक कमेटी सरकार बना दे, यह रोजगार का विषय सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जिस तरह शिक्षा और स्वास्थ्य है, उसी तरह रोजगार के ऊपर सरकार बहुत बढ़-चढ़कर बोलती है। समाजवाद की बात सिखाती है, समाजवाद पर टिप्पणी करती है। समाजवाद का मतलब है, समता और समानता और सरकार बतायेगी कि समता और समानता

किस तरीके से रोजगार मेलों के माध्यम से दी जा रही है ? रोजगार मेलों के माध्यम से कैसे समता और समानता दिखाई दे रही है, आज इस चीज की पोल इस पूरे भरे सदन में खुल गई है।

श्री अधिष्ठाता-

आप क्वेश्चन पूछ लीजिए।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि उम्र में हमसे बड़े हैं, थोड़े बड़े हैं। हमने हमेशा बड़े भाई की तरह माना है। हम तो केवल इतना कहना चाहते हैं कि अगर अभी जवाब नहीं है, तो दोबारा लिखित में जवाब भिजवा दें। अगली बार यही क्वेश्चन लेकर फिर हाजिर हों।

(सदस्य, श्री अवधेश प्रसाद एवं श्री अतुल प्रधान जी के साथ-साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अतुल प्रधान जी, आप शान्त रहिए। आप प्रश्न पूछ चुके हैं। इतने वरिष्ठ सदस्य, माननीय अवधेश प्रसाद जी बोल रहे हैं, उनको पूछने दीजिए।

(कई सदस्यों द्वारा आपस में बात करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग आपस में चर्चा न करें।

श्री अवधेश प्रसाद-

अधिष्ठाता महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बेरोजगारी से जुड़ा हुआ सवाल है। बेरोजगारी हमारे प्रदेश के लिए अभिशाप है। लेकिन इस सरकार के पास बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए कोई कारगर और सार्थक उपाय नहीं है। हम केवल एक ही सवाल करना चाहते हैं, मान्यवर, हमारे प्रदेश में कुटीर उद्योग धन्धों के लिए प्रजापति समाज है, वह मिट्टी के बर्तन बनाता था और उनको उनका रोजगार उनके गाँव में भी मिल जाता था। हम मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि जो हमारे प्रजापति लोगों द्वारा मिट्टी से खिलौने और कुल्हड़ बनाने का काम किया जाता था, लेकिन आज यह पूँजीपतियों के हाथ में हो गया है और हमारे गाँव का जो गरीब है और प्रजापति समाज है, वह खाली हाथ बैठा हुआ है। क्या इस सम्बन्ध में यह सरकार प्रजापतियों के लिए विशेष आरक्षण देकर, विशेष अनुदान दे करके उनके खोये हुए व्यापार को पुनः चालू कराएगी ?

श्री अधिष्ठाता-

मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन खादी ग्रामोद्योग में चला गया है। माननीय मंत्री जी, आप जवाब दे दीजिए, आप इसका डाटा बाद में दे दीजिएगा।

श्री अनिल राजभर-

अधिष्ठाता महोदया, बहुत वरिष्ठ हमारे माननीय सदस्य ने प्रजापति, कुम्हार पर चर्चा की है। उत्तर प्रदेश की सरकार प्रजापति, कुम्हार के रोजगार को लेकर पूरी तरीके से संवेदनशील है, हमने माटी कला बोर्ड बनाया है। धर्मवीर प्रजापति जी यहाँ बैठे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

हम वही कह रहे थे कि क्वेश्चन उधर का है।

श्री अनिल राजभर-

मान्यवर, हमने माटी कला बोर्ड बनाया और आज उनके रोजगार को विस्तार देने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार इलेक्ट्रानिक चाक भी बाँट रही है और 24 घण्टे उनको बिजली भी दे रही है।

(सदस्य, श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, उनको उत्तर दे देने दीजिए।

श्री अनिल राजभर-

मान्यवर, अभी हमारे प्रिय छोटे भाई अतुल जी ने जो कहा है, किसी कमेटी के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक आयोग का गठन उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, जिसके अध्यक्ष मा0 मुख्य मंत्री जी खुद हैं, इस बात को देखने के लिए कि कामगार और बेरोजगारों के सामने कोई समस्या न हो तथा उनके जीवन को कैसे बेहतर किया जाये एवं उनके जीवन में कैसे सर्वांगीण विकास लाया जाये।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को इस चीज की बधाई देता हूँ कि जिस उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर सबसे अधिक है और आप जवाब इस तरीके से दे रहे हैं जैसे कि आपने पूरे उत्तर प्रदेश को रोजगार देने का काम किया है। मैं केवल माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो 4 राज्यों का मैं नाम ले रहा हूँ। दिल्ली, बिहार, झारखण्ड और उत्तरांचल उनके यहाँ रोजगार दर से क्या उत्तर प्रदेश की रोजगार दर ज्यादा है या कम है, केवल इतना बता दीजिये।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य वह क्वेश्चन में नहीं है, अगर डाटा होगा तो माननीय मंत्री जी दे देंगे, नहीं तो बाद में दे देंगे।

श्री अनिल राजभर-

मान्यवर, मूल प्रश्न का पूरा उत्तर आ गया है। आपने जिन प्रदेशों का नाम लिया है वहाँ की बेरोजगारी दर का हम पता लगा लेंगे। आज भारत की जो बेरोजगारी दर है...

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, मैंने रोजगार का पूछा है। बेरोजगारी का नहीं पूछा है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य उनके पास अभी डाटा नहीं होगा। वह रोजगार, बेरोजगार दोनों का डाटा दे देंगे।

प्रदेश में दस वर्ष से अधिक समय से कार्यरत होमगार्ड्स को नियमित करने विषयक

***11-श्री पंकज, श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू तथा श्री तुफानी सरोज-**

क्या होमगार्ड्स मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने होमगार्ड्स वर्तमान में कार्यरत हैं ? क्या सरकार दस वर्ष से अधिक समय से कार्यरत होमगार्ड्स को नियमित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार एवं होमगार्ड्स राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री धर्मवीर प्रजापति)-

वर्तमान में प्रदेश में कुल 81,303 स्वयंसेवक कार्यरत हैं।

जी नहीं।

उ0प्र0 होमगार्ड्स अधिनियम, 1963 के अनुसार होमगार्ड्स एक स्वयंसेवी संगठन है, जो दैनिक भत्ता के आधार पर भारत सरकार की स्थापित नीतियों के अनुरूप आपातकाल में विभिन्न कर्तव्यों के निवर्हन सहित प्रदेश में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस बल के सहायक के रूप में कार्य करता है। अतः उ0प्र0 होमगार्ड्स के स्वयंसेवी स्वरूप के दृष्टिगत होमगार्ड्स को नियमित किया जाना विचारणीय नहीं है।

***श्री पंकज-**

मान्यवर, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज होमगार्ड्स प्रदेश में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाने में पुलिस बल के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर चलता है, लेकिन यह सरकार उनके जीवन-यापन को सुधारने एवं उनकी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान नहीं दे पा रही है। पिछले कई वर्षों से होमगार्ड्स के बड़े पैमाने पर खाली पड़े पद पर कोई भी भर्ती न करके सरकार की नाकामी को दर्शाता है। जहाँ एक तरफ सरकार महिला की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ महिला होमगार्ड्स को मातृत्व अवकाश भी नहीं मिलता है। जबकि अन्य प्रदेशों में जैसे मध्य

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, त्रिपुरा में मातृत्व अवकाश दिया जाता है। मान्यवर, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ऐसे मृतक होमगाड्र्स की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिनके बच्चों को शारीरिक रूप से अनफिट बता कर नौकरी से वंचित कर दिया जाता है। जिससे मृतक होमगाड्र्स के परिवार का भरण-पोषण मुश्किल हो जाता है। क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि लगभग 34 हजार रिक्त पड़े पदों की भर्ती करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? दूसरा प्रश्न है माननीय मंत्री जी से क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि महिला होमगाड्र्स को अन्य प्रदेशों की तरह मातृत्व अवकाश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? तीसरा प्रश्न है क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि शारीरिक रूप से अनफिट मृतक आश्रितों को नौकरी देने पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(इसी मध्य 12 बजकर 01 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री धर्मवीर प्रजापति-

मान्यवर, सवाल है कि क्या होमगाड्र्स को नियमित करेंगे। अनुपूरक में इन्होंने दो, तीन सवाल कर दिये, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि होमगाड्र्स विभाग के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यकाल में कई ऐसे महत्वपूर्ण काम किये हैं। जब आपकी सरकार थी तब कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारी सरकार में कई महत्वपूर्ण काम हुये हैं जो मैं आपको बता दूं। आपका सवाल है नियमित करने का तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई। याचिका में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने होमगाड्र्स को जो नियमित करने की याचिका थी, वह रद्द कर दी गई। वर्ष 2017 में जब माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। वर्ष 2018 में माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि उस समय जब इनकी सरकार थी, तब 375 रुपये होमगाड्र्स को मिलते थे, लेकिन हमारी जब सरकार बनी माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनकी चिन्ता की।

वर्ष 2018 में 375 रुपये से बढ़कर उनका दैनिक भत्ता 500 रुपये कर दिया। मा0 अध्यक्ष जी, यही नहीं वर्ष 2019 में मा0 मुख्य मंत्री जी ने होमगार्डों की चिन्ता की और उनका दैनिक भत्ता 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया। एक साल के अन्दर 100 रुपये और बढ़ा दिये गये। मैं बताना चाहूंगा कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने होमगार्ड के परिवारों की चिन्ता करते हुए एक व्यवस्था और की। हमारे होमगार्ड का कोई भी जवान ड्यूटी के समय में, भगवान न करे कोई अप्रिय घटना हो, लेकिन अगर कोई घटना होती है और उस घटना में वह व्यक्ति अपंग हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में मा0 मुख्य मंत्री जी ने 5 लाख रुपये की व्यवस्था उसके परिवार के लिए की है। अगर किसी एक्सीडेन्ट की वजह से हमारा जवान

इस दुनिया में नहीं रहता है, तब उसके परिवार के लिए भी 5 लाख रुपये की व्यवस्था की है। धन्यवाद।

***श्री अवधेश प्रसाद-**

मान्यवर, यह होमगार्ड बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। अभी मा0 मंत्री जी ने कहा कि आपकी सरकार ने होमगार्डों के लिए कुछ नहीं किया, मैं इनको बताना चाहता हूँ तथा इनको जानकारी देना चाहता हूँ कि वर्ष 1989 में जब नेता जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री बने तब उन्होंने होमगार्ड का विभाग मुझे सौंपा था। मैं जब एक जगह होमगार्डों से मिलने पहुंचा तो वहां पर देखकर ऐसा लगता था कि अगर थोड़ी सी तेज हवा चली तो सारी टीन-टप्पड़ उड़ जायेगी। मैंने नेता जी से कहा कि होमगार्ड विभाग की हालत बहुत खराब है। मुख्यालय पर कोई दफ्तर नहीं है, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी आज दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने तत्काल चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, प्रमुख सचिव, वित्त को बुलाया और उन्होंने होमगार्ड विभाग के लिए कहा कि एक शानदार बिल्डिंग होनी चाहिए तथा 3 महीने के अन्दर वह बिल्डिंग बनकर तैयार हुयी और यही नहीं मा0 अखिलेश जी ने होमगार्ड को टेरीकाट की वर्दी भी दी है और जब मा0 अखिलेश जी मुख्य मंत्री थे, तब उन्होंने भी मुझे होमगार्ड विभाग सौंपा था। इसमें मेरा मूलभूत सवाल मा0 मंत्री जी से है कि हमारे होमगार्डों को नियमित कब किया जायेगा ? मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हमारे होमगार्डों ने देश के विभिन्न प्रदेशों में जाकर सेवायें की हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। पुलिस विभाग के बराबर ही काम किया है। मा0 मंत्री जी बताएं कि इनका नियमितीकरण कब करेंगे ?

प्रदेश में बालू खनन सम्बन्धी नीति की जानकारी व सरकार द्वारा आम उपभोक्ता के हित में जनपदों में सस्ती दर पर बालू/रेता उपलब्ध कराये जाने विषयक

***12-श्री जगदीश नारायण-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बालू खनन सम्बन्धी नीति क्या है ? क्या सरकार आम उपभोक्ता के हित में जनपदों में सस्ती दर पर बालू/रेता उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

उ0प्र0 सरकार द्वारा खनन नीति-2017 लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत उप खनिज बालू/मौरंग के खनन पट्टे ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था की गई है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश में काफी संख्या में बालू, मौरंग के खनन पट्टे स्वीकृत हैं, जिसके कारण जनपदों में आम-जनमानस को उचित मूल्य पर पर्याप्त बालू/मौरंग की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगदीश नारायण-

मा0 अध्यक्ष जी, यह मेरा सवाल मकान से सम्बन्धित है, क्योंकि इस महंगाई के जमाने में मकान बनाना एक मुश्किल कार्य है। मैंने एक प्रश्न किया था कि सरकार जनपदों में सस्ती दर पर बालू, रेता उपलब्ध करायेगी। इसका जवाब आया कि उचित मूल्य पर पर्याप्त बालू उपलब्ध है, तो मान्यवर, इसमें उचित मूल्य क्या है।

श्री अध्यक्ष-

पंकज जी आप बैठ जाइए। मा0 सदस्य श्री जगदीश नारायण जी।

(सदस्य श्री तुफानी सरोज के लगातार कुछ बोलने पर)

मा0 सदस्य आप बैठ जाइए, अन्यथा आपको बाहर भेज दूँगा।

श्री जगदीश नारायण-

मा0 अध्यक्ष जी, उचित मूल्य क्या है, जिस पर हमें बालू मिले। इसकी जानकारी मा0 मंत्री जी हमें बता दें, तब दूसरा सवाल करें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने जो सवाल किया है, उसमें देख लें, उत्तर अपने आप में कम्प्लीट है।

(सदस्य श्री तुफानी सरोज के पुनः कुछ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइए। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। कृपया आप बैठ जाइए। मैं आपको बाहर जाने के लिए कह दूँगा, मैं आपको इंगित कर दूँगा, तो आप बाहर चले जाएंगे। हमें आपको इंगित करना पड़ेगा। कोई आवश्यक नहीं है, मैंने आपको पूरा जवाब दे दिया है। मैं आपका नाम इंगित करूँगा, तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। मेरे रहते हुए किसी

भी प्रकार की अभद्रता हाउस में एलाऊ नहीं है। इसके बाद अगर आप बोलेंगे, तो हमें दूसरा स्टेप लेना पड़ेगा। मैं आपको इंगित कर रहा हूँ। आप हाउस में मिस बिहेव नहीं कर सकते।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आपका सवाल था कि बालू खनन के सम्बन्ध में नीति क्या है ? पहले पार्ट का जवाब दे दिया गया कि इसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खनन नीति 2017 लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत उप खनिज बालू, मौरंग के खनन पट्टे ई-निविदा, नीलामी प्रभारी के माध्यम से स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था की गई है। मान्यवर, प्रदेश में काफी संख्या में बालू, मौरंग के खनन पट्टे स्वीकृत हैं, जिसके कारण जनपदों में आम-जनमानस को उचित मूल्य पर पर्याप्त बालू, मौरंग की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है। मान्यवर, वर्ष 2017 में जब योगी जी की सरकार आई, तो उन्होंने इस सम्बन्ध में एक पॉलिसी फ्लोट की। उस पॉलिसी के तहत पहले हम सर्वे कराते हैं और सर्वे की रिपोर्ट जिलाधिकारी को दी जाती है। जिलाधिकारी के माध्यम से वह शासन को आती है। और जब शासन से ये हो जाता है कि इस जनपद में इतने पट्टे होते हैं, तो उसी के अनुसार उसके टेण्डर और ऑक्शन की प्रक्रिया होती है। मिसाल के तौर पर जैसे किसी जनपद में चार स्थानों पर खनन हो सकता है, बालू मिल सकती है, तो अगर सर्वे में उन चारों स्थानों की जिलाधिकारी की रिपोर्ट आती है, तो शासन से इसके सम्बन्ध में निर्देश दिया जाता है। फिर जिलाधिकारी उसके लिए एक विज्ञप्ति प्रकाशित करते हैं और उसके आधार के ऊपर इसमें डबल व्यवस्था यह की गयी है कि सभी लोगों द्वारा पहली बार अगर किसी प्रकार की कोई बोली बोली गयी। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने 20 बोली, 18 बोली, 15 बोली फिर 14 बोली, फिर 13 बोली, तो ऊपर के जो लोग हैं, उनमें से फिर से ऑक्शन कराया जाता है कि इसमें से जो अधिक से अधिक लोग पैसा दे सकें, उसी के अनुसार इसमें ऑक्शन हो सकेगा। उन्हीं को पट्टा दिया जा सकेगा, जिसकी बोली सबसे अधिक होगी।

मान्यवर, इसका मूल्य माँग और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है और सरकार की कोशिश यह रहती है कि अधिक से अधिक सप्लाई बढ़ा सकें, ताकि मूल्य को बैलेंस किया जा सके। जहाँ तक मूल्य का सवाल है, तो हम वह मूल्य भी आपको बता देते हैं। बालू का मूल्य 18 रुपये घनफिट से लेकर 22 रुपये घनफिट तक, मौरंग का मूल्य 45 रुपये घनफिट से लेकर 60 रुपये घनफिट तक है। सरकार की ये मंशा है कि पूरी तरीके से ट्रान्सपैरेन्ट नीति के तहत इसका ऑक्शन हो और हर तरह से लोगों को उचित मूल्य पर बालू और मौरंग उपलब्ध हो सके।

श्री जगदीश नारायण-

मा0 अध्यक्ष जी, हमने मा0 मंत्री जी से पूछा था कि आम नागरिकों को किस रेट में बालू, मौरंग मिलता है, उसका जवाब स्पष्ट नहीं आया। मान्यवर, सोनभद्र, चोपन, जहाँ से

पूर्वांचल में बालू निकलता है, वहाँ पर टेण्डर होता है, उसके बाद वहाँ से बालू निकलता है और कुछ दूर आते-आते उसका दाम बढ़कर 60 से 70 हजार रुपये प्रति ट्रक हो जाता है, तो उपभोक्ताओं को और महँगा पड़ेगा। बीच में जो टैक्स लगता है, वह टैक्स क्या सरकार लेती है या कोई ऐसा टैक्स लगता है, जो अवैध है ? अगर ऐसा होता है, तो क्या उसको रोकने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, विचार नहीं करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और उसका संज्ञान भी लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपको कुछ पूछना है ? चलिए, आज सब प्रश्न समाप्त हो गए।†

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

[पुनरावृति के आधार पर निरस्त]

अतारांकित प्रश्न

जनपद कुशीनगर के पडरौना बस स्टेशन के जीर्णोद्धार कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था को धनराशि मूल्य निर्गत करने सम्बन्धी

1-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के पडरौना बस स्टेशन के जीर्णोद्धार कराये जाने हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नियुक्त किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि कार्यदायी संस्था से प्राप्त एवं प्रलक्षित लागत 659.07 लाख रुपये का प्रारम्भिक आगणन शासन को प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बस स्टेशन पडरौना के जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर सिंह)-

जी हाँ।

नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक आगणन का प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त लागत रु0 628.66 लाख आंकलित की गयी है।

नोट :-† नत्थी (क) के तारांकित प्रश्न संख्या-12 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

संगत मद में बजट उपलब्धता के अनुसार वित्तीय स्वीकृति जारी किया जाना निर्भर है।

उपरोक्तानुसार

उपरोक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना के अन्तर्गत छपरा में कारागार निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक

2-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना के अन्तर्गत छपरा में कारागार के निर्माण के लिए आवंटित भूमि पर कारागार का निर्माण न होने के कारण जनपद के लोगों को बंदियों से मिलने के लिए जनपद देवरिया कारागार जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद कुशीनगर में कारागार के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार एवं होमगार्ड राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री धर्मवीर प्रजापति)-

जी हां।

जी हां।

जनपद कुशीनगर में जिला कारागार के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग से आगणन तैयार कराया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग से आगणन प्राप्त होने के उपरान्त वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम शाखा मेडिकल कालेज, डिपो झांसी के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के देयकों का भुगतान कराये जाने विषयक

3-श्री जवाहर लाल राजपूत

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम शाखा मेडिकल कालेज, डिपो झांसी के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के देयकों का भुगतान कराये जाने विषयक पत्र ख-6 सं0 857677, दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप मंत्री (श्री आशीष पटेल)-

जी हां।

राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा संचालित डिपोज में कार्यरत कार्मिकों के अनियमित रूप से नियुक्त होने का तथ्य संज्ञान में आया है जिसके क्रम में सतर्कता जाँच जारी है। निगम लगातार घाटे में होने के कारण सेवानिवृत्त/कार्यरत कार्मिकों के देयकों के भुगतान में असफल है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद महोबा में पर्यटन स्थल चरखारी से खजुराहो तक ए0सी0 बस संचालन सम्बन्धी

4-श्री बृजभूषण राजपूत

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा में पर्यटन स्थल चरखारी से खजुराहो तक ए0सी0 बस संचालन पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी नहीं।

चरखारी से खजुराहो की दूरी 106 किमी0 है तथा अन्तर्राज्यीय मार्ग है।

चरखारी से कैमाहा की दूरी 46 किमी0 उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के अन्दर है।

कैमाहा से खजुराहो की दूरी 60 किमी0 है, उक्त अंश अराष्ट्रीयकृत है तथा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है।

वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में राज्य सड़क परिवहन निगम नहीं है तथा समस्त मार्गों को विखण्डित किया जा चुका है।

चित्रकूटधाम क्षेत्र, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के पास मध्य प्रदेश राज्य में संचालन हेतु उक्त मार्ग के परमिट उपलब्ध नहीं है।

5-श्री जय प्रकाश अंचल-

[02-सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्य-183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत महामायानगर तकरोही इन्दिरा नगर में पी0एन0जी0 गैस की सप्लाई प्रारम्भ कराये जाने विषयक

6-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत महामायानगर तकरोही इन्दिरा नगर में पी0एन0जी0 गैस की सप्लाई प्रारम्भ कर दी गई है ? यदि नहीं, तो पी0एन0जी0 गैस की सप्लाई समय-सीमा निर्धारित कर प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

प्रदेश में गैस पाइप लाइन बिछाने का कार्य पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार

जनपद शाहजहाँपुर में लेबर रजिस्ट्रेशन न करने एवं श्रमिकों के हित विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 क-नं0 427415 दि0 20-01-2022, कृत कार्रवाई की जानकारी

7-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर में लेबर रजिस्ट्रेशन न करने, बाल एवं महिला श्रमिकों का शोषण किये जाने की जाँच एवं योजनाओं जो श्रमिकों के हित विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 क-नं0 427415, दि0 20-01-2022 है उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी हां, (पत्र सं0 नं0 427415 प्राप्त हुआ है किन्तु उसमें दिनांक 20-10-2022 अंकित है)।

शाहजहांपुर के अन्तर्गत आने वाले विकास खण्डों में जिलाधिकारी/शासन के निर्देशानुसार समय-समय पर ब्लाक/ कैम्पों/मेलों/मेगा कैम्पों का आयोजन किया जाता है। उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा कार्यालय से श्रमिकों का पंजीकरण पूर्णरूप से प्रतिबन्धित कर दिया गया है। पंजीयन एवं योजनाओं के हितलाभ हेतु आवेदन मात्र जनसेवा केन्द्र अथवा श्रमिक द्वारा बोर्ड के पोर्टल पर स्वयं अपने मोबाइल से किया जा सकता है। बोर्ड पोर्टल के अनुसार अब तक कटरा/खुदागंज में 9484, जैतीपुर में 5318, मदनापुर में 5167 एवं कलान में 5190 श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है। साथ ही दिनांक 01-01-2018 से 16-02-2023 तक बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में कटरा खुदागंज में 212, जैतीपुर में 275, मदनापुर में 272 एवं कलान में 274 श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है। निर्माण श्रमिकों के सम्बन्ध में योजनाओं से सम्बन्धित डाटा उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की वेबसाईट (upbocw.in) पर उपलब्ध है।

जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा बाल श्रम चिन्हीकरण/अवमुक्तिकरण हेतु टीम गठित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 14, 2021-22 में 23, 2022-23 में 121 बाल/ किशोर श्रमिक चिन्हित/अवमुक्त किये गये हैं।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम/महिला शोषण से सम्बन्धित किसी प्रतिष्ठान विशेष की शिकायत विगत 03 वर्षों में कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी है।

प्रश्न ही नही उठता।

जनपद झांसी में पूँछ से गुरसराय तक की 4.0 किमी0 की सड़क पर आमजन को आवागमन हेतु शटल बस सेवा संचालित करने विषयक

8-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में पूँछ से गुरसराय तक की 4.0 किमी0 की सड़क पर आमजन को आवागमन हेतु शटल बस सेवा का साधन नहीं है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर परिवहन निगम की शटल बस सेवा संचालित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी नही।

वर्तमान में उक्त मार्ग पर परिवहन निगम की बसें संचालित है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

उरई-पूँछ-एरच-गुरसराय-मऊरानीपुर (01 सेवा)

उरई-पूँछ-गुरसराय-गरौठा-दिल्ली (01 सेवा)

उरई-पूँछ-गुरसराय-गरौठा कानपुर (01 सेवा)

उरई-पूँछ-गुरसराय-कदौरा (01 सेवा)

उरई-पूँछ-गुरसराय-गरौठा-कोसाम्बी (01 सेवा)

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर में विधान सभा क्षेत्र कटरा में ढाबों तथा दुकानों पर छोटे बच्चों से कार्य लेने सम्बन्धी शिकायती पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

9-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या श्रम एवं सेवायोजना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या 230/ दि0 31-08-22 जो श्री कार्यालय शाहजहांपुर में जनता का रजिस्ट्रेशन ना करने तथा विधान सभा क्षेत्र कटरा में ढाबों तथा दुकानों पर छोटे बच्चों के कार्य लेने की शिकायत के सम्बन्ध में था उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि दिनांक 06-09-22 को पत्रांक सं0 837 द्वारा प्रमुख सचिव श्रम उ0प्र0 शासन को उक्त प्रकरण में आवश्यक काईवाई हेतु आदेशित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी नहीं।

किन्तु प्रश्नकर्ता के दिनांक 31-08-2022 के अन्य पत्र प्राप्त हैं, जिनकी विषय वस्तु प्रश्न में उल्लिखित विषय वस्तु के समान है।

जी नहीं।

शाहजहांपुर के अन्तर्गत आने वाले विकास खण्डों में जिलाधिकारी/शासन के निर्देशानुसार समय-समय पर ब्लाकवार कैम्पों/मेलों/मेगा कैम्पों का आयोजन किया जाता है। उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा कार्यालय से श्रमिकों का पंजीकरण पूर्णरूप से प्रतिबन्धित कर दिया गया है। पंजीयन एवं योजनाओं के हितलाभ हेतु आवेदन मात्र जनसेवा केन्द्र अथवा श्रमिक द्वारा बोर्ड के पोर्टल पर स्वयं अपने मोबाइल से किया जा सकता है। बोर्ड पोर्टल के अनुसार अब तक कटरा/खुदागंज में 9484, जैतीपुर में 5318, मदनापुर में 5167 एवं कलान में 5190 श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है। श्रम विभाग में आगामी श्रमिक पंजीयन हेतु कैम्प मा0 विधायक के नेतृत्व में कराये जाने हेतु सहायक श्रमायुक्त, शाहजहांपुर द्वारा व्यक्तिगत रूप से मा0 विधायक से सम्पर्क किया गया है। दिनांक 01-01-2018 से 16-02-2023 तक बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में कटरा खुदागंज में 212, जैतीपुर में 275, मदनापुर में 272 एवं कलान में 274 श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है। निर्माण श्रमिकों के सम्बन्ध में योजनाओं से सम्बन्धित डाटा उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की वेबसाईट (upbocw.in) पर उपलब्ध है।

जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा बाल श्रम चिन्हीकरण/अवमुक्तिकरण हेतु टीम गठित की गयी है। वितीय वर्ष 2020-21 में 14, 2021-22 मे 23, 2022-23 में 121 बाल/किशोर श्रमिक चिन्हित/अवमुक्त किये गये हैं।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम/महिला शोषण से सम्बन्धित किसी प्रतिष्ठान विशेष की शिकायत विगत 03 वर्षों में कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी है।

प्रश्न ही नही उठता।

जनपद-झांसी की दमोह, समथर, सिकन्दरा, एरच, मऊ, गुरसराय एवं टीकमगढ़ आदि को जोड़ने वाली सड़क राज्य सेक्टर घोषित होने के बावजूद इस मार्ग पर परिवहन निगम की बसों का संचालन कराये जाने विषयक

10-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की दमोह, समथर, सिकन्दरा, एरच, मऊ, गुरसराय एवं टीकमगढ़ आदि को जोड़ने वाली सड़क राज्य सेक्टर घोषित होने के बावजूद उक्त मार्ग पर परिवहन निगम की बसें संचालित नहीं हैं ? क्या सरकार

आमजन की सुविधा हेतु उक्त मार्ग पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों का संचालन सुनिश्चित करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

समथर, सिकन्दरा, एरच, गुरसराय मऊ जनपद झांसी के अन्तर्गत हैं तथा उक्त मार्गों पर परिवहन निगम की बसें संचालित हैं, जिनका विवरण निम्नवत हैः-

झांसी-मोंठ-समथर-सिकन्दरा-उरई-कानपुर (2 सेवायें)

उरई-पूँछ-एरच-गुरसराय-मऊरानीपुर (01 सेवा)

उरई-पूँछ-एरच-गुरसराय-गरौठा-दिल्ली (01 सेवा)

उरई-पूँछ-एरच-गुरसराय-गरौठा कानपुर (01 सेवा)

उरई-पूँछ-एरच-गुरसराय-कदौरा (01 सेवा)

उरई-पूँछ-एरच-गुरसराय-गरौठा-कोसाम्बी (01 सेवा)

इसके अतिरिक्त झांसी-उरई मुख्य मार्ग पर मोंठ-सिकन्दरा-पूँछ स्थित जहाँ से झांसी क्षेत्र की 90 प्रतिशत बसें संचालित होती हैं।

मध्य प्रदेश सीमा अन्तर्गत टीकमगढ़ के लिये झांसी-टीकमगढ़-दिल्ली की सेवा एस0टी0ए0 से प्राप्त परमिट के आधार पर संचालित है तथा दमोह का मार्ग अराष्ट्रीयकृत होने के साथ-साथ अन्य प्रदेश होने के कारण उस मार्ग पर परिवहन निगम की कोई बस संचालित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिक हित लाभ हेतु निर्माण श्रमिकों की पुत्री विवाह, मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना के अन्तर्गत मुरादाबाद मण्डल में कुल लाभान्वित श्रमिकों उप एवं श्रमायुक्त कार्यालय में लम्बित प्रकरण की जानकारी

11-श्री राम अवतार सिंह-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिक हित लाभ हेतु निर्माण श्रमिकों की पुत्री विवाह एवं मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना के अन्तर्गत मुरादाबाद मण्डल में वर्ष 2021-22 से दि0 30-11-2022 तक कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा उक्त में कितनों को स्वीकृत कर लाभान्वित किया गया, कितने अस्वीकृत तथा कितने प्रकरण विचाराधीन हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि ऐसे कितने प्रकरण है जो उप श्रमायुक्त कार्यालय स्तर पर एक माह से अधिक

समय तक लम्बित रहे ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद के अन्तर्गत आवर्त 05 जनपदों में उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिक हितलाभ हेतु निर्माण श्रमिकों की पुत्री विवाह एवं मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिनांक 01-04-2021 से दिनांक 31-03-2022 तथा दिनांक 01-04-2022 से दिनांक 30-11-2022 तक यू0पी0एल0एम0आई0एस0 पोर्टल के अनुसार कुल 36,805 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 9,675 आवेदन स्वीकृत कर SNA के माध्यम से हितलाभ का भुगतान किये जाने की प्रक्रिया में हैं, 13,819 आवेदन अस्वीकृत कर निरस्त कर दिये गये हैं तथा 13,311 आवेदन विभिन्न स्तरों पर लम्बित हैं, जिन पर जॉच की प्रक्रियागत कार्रवाई प्रचलन में है।

प्रश्नानुसार वर्षवार/योजनावार कुल प्राप्त आवेदन, स्वीकृत आवेदन अस्वीकृत आवेदन तथा विचाराधीन आवेदनों का विवरण उत्तरालेख के साथ संलग्न है।†

13,311 आवेदन एक माह से अधिक समय से विभिन्न स्तरों पर लम्बित हैं।

प्रश्नानुसार वर्षवार/योजनावार कुल प्राप्त आवेदन, स्वीकृत आवेदन/अस्वीकृत आवेदन तथा विचाराधीन आवेदनों का विवरण उत्तरालेख के साथ संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दिनांक 1-4-2021 से दिनॉक 30-11-2022 तक कुल रोजगार मेलों के आयोजन में बेरोजगार युवक/युवतियों का चयन व कार्यभार ग्रहण कराये जाने की जानकारी

12-श्री राम अवतार सिंह-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिनांक 1-4-2021 से दि0 30-11-2022 तक कुल कितने रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है तथा कितने बेरोजगार युवक/युवतियों का चयन उन रोजगार मेलों के माध्यम से किया गया और वास्तविक रूप से कितने बेरोजगारों को कार्यभार ग्रहण कराया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों का आयोजन कर निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने का कार्य किया जाता है। प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा दिनांक 01-04-2021 से दिनांक 30-11-2022 तक कुल 2,101 रोजगार मेलों का आयोजन हुआ, जिसके माध्यम से 2,71,907 अभ्यर्थी रोजगार हेतु चयनित हुये।

---

† देखिये नत्थी (क) आगे पृष्ठ संख्या-299 पर।

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कार्यालय परिसर/परिसर के बाहर यथा आवश्यक चयनित स्थान में रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है, इन मेलों में निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किये जाने की व्यवस्था है। इस प्रकार रोजगार मेलों के माध्यम से सेवायोजन कार्यालयों द्वारा एक प्लेटफार्म प्रदान किया जाता है जहां नियोजकों द्वारा अपनी रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थियों का चयन रोजगार हेतु किया जाता है तथा रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं।

उपर्युक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

श्री महबूब अली-

[दिनांक 02-03-2023 को उतरित]

जनपद जौनपुर में नई जेल बनाने के लिए सरकार की कार्य योजना की जानकारी

14-श्री जगदीश नारायण-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में नई जेल बनाने की कोई कार्य योजना सरकार की है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री धर्मवीर प्रजापति-

जी हां।

नवीन जिला कारागार जौनपुर के निर्माण हेतु कुल 23.670 हेक्टेयर भूमि चयनित की गयी, जिसमें से 339 कृषकों की 12.470 हेक्टेयर भूमि की रजिस्ट्री कराई जा चुकी है। शेष 4 कृषकों की 0.520 हेक्टेयर भूमि क्रय किया जाना शेष है। क्रय की गयी भूमि का कब्जा प्राप्त किया जा चुका है। उक्त कारागार के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग से आगणन तैयार कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में निर्माणाधीन रोडवेज बस डिपों के निर्माण कार्य में विलम्ब के कारणों की जाँच कराकर कार्य को तय सीमा अन्तर्गत पूर्ण कराये जाने विषयक

15-श्री जगदीश नारायण-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में निर्माणाधीन रोडवेज बस डिपो निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त के विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त कार्य में विलम्ब करने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुये रोडवेज बस डिपो का निर्माण कार्य समय सीमा अन्तर्गत पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी नहीं।

जनपद जौनपुर का बस स्टेशन बदलापुर निर्माणाधीन है।

स्वीकृत धनराशि के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में संगत मद में सीमित धनराशि उपलब्ध होने के कारण।

संगत मद में अपेक्षित धनराशि उपलब्ध होने पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मऊ के नगर पंचायत मधुबन में उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का बस डिपो स्थापित कराये जाने विषयक

16-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के नगर पंचायत मधुबन में उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का बस डिपों न होने के कारण आम जनमानस को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में नगर पंचायत मधुबन में उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का बस डिपो की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जनपद मऊ के नगर पंचायत मधुबन में उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का बस स्टेशन है, बेल्थरा रोड से मधुवन बस स्टेशन होकर गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर व दिल्ली तक साधारण बसों का संचालन होता है।

मधुबन बस स्टेशन दोहरीघाट डिपो से 24 किमी0 एवं बेल्थरा रोड से 19 किमी0 की दूरी के मध्य स्थित है, जहाँ पर यात्रियों के उपलब्धता के दृष्टिगत डिपो की आवश्यकता वर्तमान में नही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुख्यालय पडरौना में कारागार निर्माण कराये जाने विषयक

श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुख्यालय पडरौना में कारागार निर्माण भूमि का अधिग्रहण हो चुका है किन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार कारागार के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान कराकर कारागार का निर्माण कार्य प्रारम्भ करायेगी। यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मवीर प्रजापति-

जनपद कुशीनगर में जिला कारागार के निर्माण हेतु चयनित 328 काश्तकारों की 24.660 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण/बैनामें की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं सीलिंग की भूमि को कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने की कार्रवाई प्रचलित है।

जनपद कुशीनगर में जिला कारागार के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग से आगणन तैयार कराया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग से आगणन प्राप्त होने के उपरान्त वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी। तदोपरान्त कारागार का निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड गठन की तिथि से वर्तमान तक की बैलेंस शीट तैयार होने न होने की दशा में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने विषयक

18-श्री राम अवतार सिंह-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड गठन की तिथि से वर्तमान तक की बैलेंश शीट तैयार की गयी है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या सरकार उक्त हेतु दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

वर्तमान में उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के गठन की तिथि से अब तक कोई भी बैलेंश शीट तैयार नहीं हुई है।

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा बैलेंस शीट तैयार कराये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रक्रियागत कारणों हेतु किसी अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना अपेक्षित नहीं है। उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा बैलेंस शीट तैयार कराये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्थित दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों में कार्यरत श्रमिक हेतु साप्ताहिक बंदी कार्य अवधि का नियमित निरीक्षण नहीं होने से श्रमिकों के शोषण के सम्बन्ध में

19-श्री राम अवतार सिंह-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों के अवकाश के लिए साप्ताहिक बन्दी का प्राविधान है ? क्या सरकार के संज्ञान में हैं कि श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा साप्ताहिक अवकाश (बन्दी) एवं कार्य अवधि के लिए नियमित निरीक्षण नहीं किये जा रहे है जिस कारण उक्त प्रतिष्ठानों के श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश न मिलने एवं कार्य के घन्टे निश्चित न होने के कारण शोषण हो रहा है ? क्या सरकार उपरोक्त श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश देने हेतु आदेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी हां। प्रदेश में उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 तथा उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली, 1963 लागू है तथा उक्त अधिनियम, 1962 की धारा-5 एवं 8 में कार्य अवधि एवं साप्ताहिक बन्दी के प्राविधान हैं।

नवीन निरीक्षण प्रणाली सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 28-07-2017 एवं दिनांक 06-02-2019 द्वारा दुकानों एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों तथा कारखानों में नियमित निरीक्षण न करके श्रम आयुक्त, उ0प्र0 की अनुमति से निरीक्षण किये जाने की व्यवस्था की गयी है। उक्त शासनादेशों में किसी भी दुकान एवं प्रतिष्ठान का वर्ष में केवल एक बार निरीक्षण करने की अनुमति श्रम आयुक्त, उ0प्र0 के स्तर से देने की व्यवस्था है। दुर्घटना आदि होने की विशेष परिस्थिति में वर्ष में दोबारा निरीक्षण किया जा सकता है।

साप्ताहिक बन्दी को लागू कराने हेतु समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों की श्रम आयुक्त, उ0प्र0 के स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठकों में उनके क्षेत्र में स्थित विभिन्न व्यापार मण्डलों से वार्ता करके साप्ताहिक बन्दी लागू कराने के मौखिक निर्देश दिये जाते रहे हैं।

चूंकि श्रम आयुक्त, उ0प्र0 से निरीक्षण की पूर्वानुमति के लिये दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के नाम प्रस्तावित किया जाना आवश्यक होता है और साप्ताहिक बन्दी लागू कराने के लिये दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के वर्ष में कई बार निरीक्षणों की आवश्यकता पड़ती है जिसके लिये साप्ताहिक बन्दी को नियमित रूप से कराने हेतु श्रम आयुक्त कार्यालय स्तर पर दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों के साप्ताहिक बन्दी कराये जाने के विषय पर निरीक्षण के सम्बन्ध में मन्तव्य स्थिर करने के लिये एक समिति का गठन दिनांक 27-2-2023 को किया गया है। समिति की आख्या प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

जी हां। अधिनियम की धारा-5 एवं 8 में साप्ताहिक बन्दी हेतु पूर्व से ही व्यवस्था दी गयी है।

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 की अनुसूची-2 में वर्णित दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों यथा होटल, सिनेमा, क्लब, नाईयों की दुकान, नारकोटिक्स ड्रग्स, यातायात सेवाएं, विद्युत एवं जल सप्लाई के उपक्रम, साइकिल रिक्शा रिपेयरिंग, इन्टरनेट एण्ड वायस कस्टमर केयर्स सर्विस कालसेन्टर, साफ्टवेयर डिजाइनिंग एण्ड डेवलेपमेण्ट, साइबर कैफे, मल्टीपलेक्स, शापिंग कॉम्प्लेक्स एवं कनविनियन्स स्टोर्स को धारा-5 एवं 8 अर्थात् साप्ताहिक बन्दी से छूट प्रदान की गयी है।

उक्त के अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 20-01-2006 के अनुसार सेवायोजक को कतिपय शर्तों के साथ निर्धारित शुल्क से 50 प्रतिशत अधिक शुल्क जमा कर दुकानों को सप्ताह के 07 दिन रात्रि 11:00 बजे तक दुकान और वाणिज्य अधिष्ठानों को खोलने की छूट प्रदान की गयी है। कतिपय शर्तों के अन्तर्गत कर्मचारी को निर्धारित अवधि से अधिक कार्य करने पर अतिकाल का भुगतान किया जायेगा और रोटेशनल आधार पर कर्मचारी को साप्ताहिक अवकाश दिया जायेगा और राष्ट्रीय अवकाशों पर अतिकाल भुगतान के साथ-साथ प्रतिकर अवकाश भी देय होगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नही उठता।

प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक नगर में श्रमिक बस्तियों से अवैध कब्जेदारों को चिन्हित कर उनसे आवास खाली कराकर बाजार दर से किराये की वसूली किये जाने विषयक

20-श्री राम अवतार सिंह-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक नगर में कुल श्रमिक बस्ती एवं प्रत्येक बस्ती में कितने आवास हैं ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि बस्ती में अवैध रूप से व्यक्तियों का कतिपय कब्जा है जो वर्तमान में श्रमिक नही हैं ? क्या सरकार ऐसे अवैध कब्जेदारों को चिन्हित कर उनसे आवास खाली कराकर बाजार दर से किराये की वसूली किये जाने के आदेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी हाँ।

उ0प्र0 के 15 जनपदों में 39 श्रमिक बस्तियाँ स्थापित हैं, जिसमें एक कमरे के 24,777 एवं दो कमरों के 4810 अर्थात् कुल 29587 गृह स्थापित हैं।

प्रदेश की औद्योगिक श्रमिक बस्तियों में अवैध अध्यासियों को चिन्हित किये जाने हेतु वर्ष 2017 में विस्तृत सर्वे कराया गया था, जिसमें तत्समय 74 प्रतिशत अवैध अध्यासी पाये गये थे।

प्रदेश की औद्योगिक श्रमिक बस्तियों की समस्याओं के निदान हेतु शासन की अधिसूचना संख्या-101/36-4-2023-02(म0आ0)-2015, दिनांक 20 जनवरी, 2023 द्वारा उ0प्र0 औद्योगिक गृह व्यवस्था अधिनियम, 1955 की धारा (1) के अन्तर्गत एक 09 सदस्यीय राज्य परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है।

उपरोक्तानुसार गठित राज्य परामर्शदात्री समिति की आयोजित होने वाली बैठक में श्रमिक बस्तियों की प्रत्येक समस्या पर विचार-विमर्श कर निस्तारण के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नकर्ता का पत्र आई0जी0आर0एस0 18152190088094 जो ए0आर0टी0ओ0 शाहजहांपुर द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने विषयक पर कृत कार्रवाई की जानकारी

21-श्री वीर विक्रम सिंह

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र आई0जी0आर0एस0 18152190088094 जो ए0आर0टी0ओ0 शाहजहांपुर द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जाँच विषयक है उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी हाँ।

आई0जी0आर0एस0 18152190088094 परिवहन आयुक्त कार्यालय में दिनांक 20-08-2019 को प्राप्त हुआ है।

आई0जी0आर0एस0 18152190088094 पर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बरेली को दिनांक 21-08-2019 को संदर्भित किया गया। सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), बरेली द्वारा अपने पत्र संख्या-556/2019-आई0जी0आर0एस/2018, दिनांक 04-9-2019 के माध्यम से आख्या उपलब्ध करायी गयी, जिसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार व अनियमितता नहीं पायी गयी। उक्त के आधार पर परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र संख्या-IGRS/2019-20/IGRS /2019, दिनांक 09-9-2019 के माध्यम से आई0जी0आर0एस0 18152190088094 को विलोपित किये जाने का अनुरोध विशेष सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन से किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर ए0आर0टी0ओ0 (प्रवर्तन) तथा प्रशासन के द्वारा शाहजहांपुर में बरेली मोड़ पर तिलहर में दिल्ली जाने वाली प्राइवेट बसों को सड़क किनारे तथा ढाबों पर खड़ी करने के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न होने के कारण जनमानस को असुविधा होने सम्बन्धी

22-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर ए0आर0टी0ओ0 (प्रवर्तन) तथा प्रशासन के द्वारा शाहजहांपुर में बरेली मोड़ पर तिलहर में दिल्ली जाने वाली प्राइवेट बसों को सड़क किनारे तथा ढाबों पर खड़ी करने के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न होने

के कारण जनमानस को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जाँच दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जनपद शाहजहांपुर के समस्त मार्गों एवं मुख्य चौराहों पर प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से चेकिंग की जाती है। बरेली-तिलहर-शाहजहांपुर मार्ग नेशनल हाई-वे होने के कारण लम्बी दूरी के बस/ट्रक संचालित होते हैं। अतः यात्रियों, चालक एवं परिचालक के जलपान, भोजन एवं अन्य मानवीय आवश्यकताओं के कारण वाहनों के मार्ग के किनारे स्थित ढाबे एवं अन्य आवश्यकतानुरूप स्थानों पर रोका जाता हैं। फिर भी, सड़क के किनारे वाहनों के पंक्तिबद्ध खड़े होने के फलस्वरूप जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार

उपरोक्तानुसार।

जनपद शामली में कैराना, शामली, पानीपत रूट पर डग्गामार वाहनों के अवैध संचालन को रोकने व कैराना तहसील मुख्यालय को कतिपय ग्रामीण मार्गों से जोड़ने से सम्बन्ध में

23-श्री नाहिद हसन-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली में कैराना, शामली, पानीपत रूट पर वर्तमान में कुल कितनी बसों का संचालन किया जाता है तथा कितनी समय अवधि के उपरांत कैराना से पानीपत के लिए बस उपलब्ध है ? क्या सरकार उक्त रूट पर डग्गामार वाहनों का अवैध संचालन को रोकने तथा यात्रियों को उचित सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन विभाग द्वारा कैराना तहसील मुख्यालय से ग्रामीण मार्गों तथा कैराना बरनावी, खुरगान, उन, चौसाना मार्ग तथा अन्य बड़े ग्रामों को तहसील मुख्यालय से कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जनपद शामली से कैराना-पानीपत मार्ग पर वर्तमान में कुल 48 बसों द्वारा 116 सिंगल ट्रिप्स पर बसें संचालित हैं, जिसके अनुसार कैराना से पानीपत के लिये लगभग 15 मिनट के अन्तराल पर यात्रियों को बसें उपलब्ध होती हैं।

उपरोक्त मार्ग पर यात्रियों की परिवहन सुविधा हेतु प्रत्येक 15 मिनट के अन्तराल पर दोनों ओर से बसों के उपलब्ध होने से यात्रियों को परिवहन सुविधा मिलती है।

कैराना से बरनावी, खुरगान, ऊन, चौसाना मार्ग के ऊन चौसाना राष्ट्रीयकृत मार्गांश पर उ0प्र0 परिवहन निगम की बसों द्वारा 04 ट्रिप्स प्रतिदिन कराये जाते हैं। कैराना से बरनावी खुरगान-ऊन मार्ग अराष्ट्रीयकृत है जिसका सर्वे कराकर मार्ग की दशा, यात्रियों की उपलब्धता के

आधार पर तथा परमिट प्राप्त करने के पश्चात् निगम की बसों का संचालन निर्भर है। कैराना तहसील से कांधला ग्राम तक मार्ग पर परिवहन निगम बसों का संचालन है।

उपरोक्तानुसार।

24-डॉ0 मुकेश चन्द्र **वर्मा-**

[दिनांक 02-03-2023 को उत्तरित]

जनपद झांसी में गरौठा से झांसी तक रात्रि बस सेवा संचालित करने के सम्बन्ध में

25-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में गरौठा से झांसी तक रात्रि 9:00 बजे के बाद सरकारी बसों का संचालन बन्द हो जाने से यात्रियों को आवागमन में कोई साधन नहीं मिलता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर रात्रि बस सेवा संचालित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जनपद झांसी अन्तर्गत झांसी-गरौठा (झांसी-चिरगांव-गरौठा) मार्ग पर रात्रि 09:00 बजे के बाद उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का संचालन अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि झांसी-चिरगांव-गरौठा मार्ग पर चिरगांव-गरौठा मार्गांश अराष्ट्रीयकृत होने के साथ पूर्णतः ग्रामीण मार्ग है और रात्रि में इस मार्ग पर यात्री उपलब्ध नहीं रहते हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी शहर के निकटवर्ती क्षेत्रों में यातायात के सुगम संचालन हेतु संचालित इलेक्ट्रिक बसों की भांति मोंठ तहसील में भी इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के सम्बन्ध में

26-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी शहर के निकटवर्ती क्षेत्रों में यातायात के सुगम संचालन हेतु संचालित इलेक्ट्रिक बसों की भांति मोंठ तहसील में भी इलेक्ट्रिक बसों के संचालन हेतु सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दयाशंकर सिंह-

जी नहीं।

इलेक्ट्रिक बस का संचालन नगर विकास विभाग द्वारा झांसी शहर में किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा इलेक्ट्रिक बसों का संचालन नहीं किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर में श्रमिक पंजीकरण, बाल शोषण व महिला श्रमिकों को निर्धारित पारिश्रमिक से कम दिये जाने पर की गई कार्रवाई

27-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 25-11-22 तथा 04-01-23 जो जनपद शाहजहांपुर में श्रमिक पंजीकरण, बाल शोषण व महिला श्रमिकों को निर्धारित पारिश्रमिक से कम दिये जाने विषयक प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी हां।

शाहजहांपुर के अन्तर्गत आने वाले विकास खण्डों में जिलाधिकारी/शासन के निर्देशानुसार समय-समय पर ब्लाक वार कैम्पों/मेलों/मेगा कैम्पों का आयोजन किया जाता है। उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा कार्यालय से श्रमिकों का पंजीकरण पूर्णरूप से प्रतिबन्धित कर दिया गया है। पंजीयन एवं योजनाओं के हितलाभ हेतु आवेदन मात्र जनसेवा केन्द्र अथवा श्रमिक द्वारा बोर्ड के पोर्टल पर स्वयं अपने मोबाइल से किया जा सकता है। बोर्ड पोर्टल के अनुसार अब तक कटरा/खुदागंज में 9484, जैतीपुर में 5318, मदनापुर में 5167 एवं कलान में 5190 श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है। साथ ही दिनांक 01-01-2018 से 16-02-2023 तक बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में कटरा खुदागंज में 212, जैतीपुर में 275, मदनापुर में 272 एवं कलान में 274 श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है। निर्माण श्रमिकों के सम्बन्ध में योजनाओं से सम्बन्धित डाटा उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की वेबसाईट (upbocw.in) पर उपलब्ध है।

जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा बाल श्रम चिन्हीकरण/अवमुक्तिकरण हेतु टीम गठित की गयी है। वितीय वर्ष 2020-21 में 14, 2021-22 मे 23, 2022-23 में 121 बाल किशोर श्रमिक चिन्हित/अवमुक्त किये गये हैं।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम/महिला शोषण से सम्बन्धित किसी प्रतिष्ठान विशेष की शिकायत विगत 03 वर्षों में कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी है।

प्रश्न ही नही उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ढाबों, होटलों, दुकानों पर अभियान चलाकर कर्मचारियों का शोषण रोकने की कार्रवाई विषयक

28-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 24-09-21 पत्र सं0-377833 तथा दि0-22-06-21 पत्रांक 1698106 जो जनपद शाहजहांपुर

के ढाबों, होटलों, दुकानों पर अभियान चलाकर कर्मचारियों का शोषण रोकने विषयक प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर

जी हां।

शाहजहांपुर के अन्तर्गत आवर्त 04 विकास खण्डों यथा कटरा/खुदागंज, कलान, जैतीपुर एवं मदनापुर में वित्तीय वर्ष 2020-2021 में 10429 एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में 880 श्रमिक पंजीयन किये गये हैं। साथ ही श्रमिक पंजीयन हेतु जनपद शाहजहांपुर को आवंटित लक्ष्य 27720 के सापेक्ष 61221 श्रमिकों का पंजीयन करते हुए 220 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गयी है। शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत श्रमिक पंजीयन कैम्प लगाये गये हैं साथ ही श्रमिकों को जन सुविधा केन्द्रों से पंजीयन कराये जाने हेतु प्रेरित किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 9541 श्रमिकों का पंजीयन किया गया है।

क्षेत्रान्तर्गत होटलों/ढाबों पर बाल श्रम नियोजन की शिकायत के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निरीक्षण अभियान चलाते हुए होटलों/ढाबों पर 02 प्रतिष्ठानों पर 03 बाल श्रमिक चिन्हित किये गये हैं, जिनके सेवायोजक के विरुद्ध नोटिस जारी किये गये हैं। साथ ही श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को प्रभारी एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट शाहजहांपुर एवं चाइल्ड लाइन, शाहजहांपुर से समन्वय स्थापित कर निरन्तर बाल श्रम निरीक्षण हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रश्न ही नही उठता।

प्रदेश में खनन विभाग द्वारा ई-टेण्डरिंग व्यवस्था के तहत मार्च, 2017 से 10 फरवरी, 2023 तक जारी खनन पट्टों से गत वर्ष की तुलना में कम राजस्व प्राप्त होने विषयक

29-श्री जगदीश नारायण-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खनन विभाग द्वारा ई-टेण्डरिंग व्यवस्था के तह मार्च, 2017 से 10 फरवरी, 2023 तक कितने खनन पट्टे जारी किए गये हैं तथा उससे कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है ? क्या सरकार को जानकारी है कि प्राप्त राजस्व गत वर्ष की तुलना में कम हैं ? यदि हां, तो उसके क्या कारण है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि खनन प्रभावित होने से नागरिकों को अपने आवास बनाने में असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के निराकरण हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में ई-टेण्डरिंग के माध्यम से 915 खनन पट्टे स्वीकृत हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक खनिजों से कुल रु0 14372.13 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई है।

प्राप्त राजस्व गत वर्ष की तुलना में कम नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खनन संक्रियाएं निरन्तर प्रचलित हैं तथा प्रदेश में काफी संख्या में स्वीकृत खनन पट्टों से आम नागरिकों को पर्याप्त बालू, मोरम, गिट्टी आदि की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, आप तारांकित प्रश्न संख्या-7 पढ़ लीजिए, जिसमें मैंने साफ-साफ प्रश्न किया है कि क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आपातकाल में बंद राजनैतिक बन्दी जिन्हें प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र सेनानी माना है।

श्री अध्यक्ष-

उसमें क्या प्राब्लम है ?

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, ये प्रश्न परिवहन मंत्री से है और ये बसों का सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

मेहरोत्रा जी आपका प्रश्न तीसरे सोमवार के तारांकित प्र0सं0-08 के अन्तर्गत स्थानान्तरित हो गया है। अब आप बैठिये।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जब प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान राशि दी थी।

श्री अध्यक्ष-

श्री रविदास मेहरोत्रा जी, बैठिये।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसके बाद सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

अभी सुनने का इश्यू नहीं है, हम नहीं सुनेंगें। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण बात आने वाली है। रविदास जी बैठ जाईये। माननीय सदस्य, आप बताईये, क्या कहना चाह रहे थे ?

श्री तुफानी सरोज-

माननीय अध्यक्ष जी, तारांकित प्रश्न सं0-11 जो होमगार्डस से सम्बन्धित प्रश्न था उसमें श्री पंकज जी के साथ मैं मूल प्रश्नकर्ता था। मेरा सिर्फ यही कहना था कि जो मूल

प्रश्नकर्ता है, उसको सुन लीजिए। मुझे बगैर सुने आप सप्लीमेंटरी के लिए अन्य सदस्यों को अवसर दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

कोई बात नहीं, फिर लगा देना, ले लेंगे। आप कितने महत्वपूर्ण सदस्य हैं कि आपके प्रश्न के ऊपर जिन्होंने प्रश्न नहीं लगाया वो भी पूछना चाहते हैं।

[12:16] समाजवाद के सम्बन्ध में नेता सदन द्वारा की गयी टिप्पणी से सम्बन्धित औचित्य के प्रश्न को उठाये जाने का प्रयास

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

अध्यक्ष जी, मैंने नियम 300 में एक सूचना दी थी और बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। आपके कार्य-मंत्रणा समिति में यह बात आती नहीं और बहुत महत्वपूर्ण सवाल था।

श्री अध्यक्ष-

मैं उसको देख लूंगा। एक महत्वपूर्ण सवाल है और पूरा सदन उसके लिए सहमत है, मेरे ख्याल से पहले उसको ले लें।

नेता विरोधी दल (श्री अखिलेश यादव)-

अध्यक्ष जी, पाण्डेय जी जो बात कह रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है, वह आ जाये।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

भारत के संविधान में।

श्री अध्यक्ष-

आदरणीय माता प्रसाद जी मैं आपके लिए कुछ कहूँ यह मुझे शोभा नहीं देता।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

आप दो मिनट सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपके लिए कोई भी बात कहूँ न तो मेरे स्वभाव में हो सकता है, न मेरे विचार में हो सकता है, न मेरी इच्छा में हो सकता है।

श्री अखिलेश यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, बात संविधान की है।

श्री अध्यक्ष-

पहले एक संविधान की बात कर लें फिर दूसरे की बात करते हैं। आपको मैं बाद में सुनुंगा। पहले यह विषय ले लें। आदरणीय माता प्रसाद जी बड़े भारी मन से आपको कह रहा हूँ, मेरी प्रार्थना है, कृपया बैठ जायें।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, संविधान की प्रस्तावना को अगर आप देखें तो उसमें समाजवाद शब्द आया है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

मुझे लगता है कि जो विषय आ रहा है उसको डायल्यूट करना चाहते हैं, आप सदस्यों के अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण कर रहे हैं, मुझे इस बात को कहना पड़ रहा है।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने प्रस्तावना में इस बात को लिखा है।

श्री अध्यक्ष-

इस प्रकार से ऊँचा बोलने से आपकी बात सही नहीं हो जायेगी। मैं उसको अभी नहीं सुनूँगा।

***श्री अखिलेश यादव-**

अध्यक्ष महोदय, हमारे देश को आजादी मिली और न जाने कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। इस मुल्क में जो अंग्रेज आये, उन्होंने न जाने कितनों को फाँसी पर चढ़ा दिया। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि नेता सदन ने किस स्पीच का, किसकी स्पीच का जो हिन्दी में यहाँ समाजवाद को समझाने की कोशिश की थी क्योंकि नेता सदन नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो नेता सदन ने समाजवाद का पहाड़ा इस सदन में पढ़ाया, वह किसकी स्पीच थी ? क्या हम अंग्रेजों से, और आप तो (मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी) उस शहर शाहजहाँपुर से हैं जो बलिदानी रहे, जिन्होंने जीवन दे दिया।

मान्यवर, एक देश के किसी एक प्राइम मिनिस्टर का किस रूप में किस वजह से भाषण दिया था उसका हिन्दी कर करके आप हमें समाजवाद समझा रहे हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान का जो प्रिएंबल है, जो उसमें समाजवाद है, जिसकी हम आप सब शपथ लेते हैं और उसके बारे में आपके यह शब्द हैं यह विचार हैं।

श्री अध्यक्ष-

चलिए, वह उस समय कहना चाहिए था ना उस समय डिबेट थी तो उनको भी डिबेट में अवसर था, वह उस बात को कह सकते थे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अखिलेश यादव-

मान्यवर, बात शुरू होने से पहले यह जो अंग्रेजी में कहां से सीख करके समाजवाद आए थे मुझे याद है एक बार नेता सदन जब दूसरे सदन में थे तो कहां से समाजवाद की परिभाषा लेकर के आए थे। इस सदन में तो फिर एक और परिभाषा लेकर आए। अगर आप अनुमति दें तो मैं वह अंग्रेजी जो है जिसकी आपने हिन्दी की है मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि किसकी अंग्रेजी हिन्दी कर दी उन्होंने।

श्री अध्यक्ष-

वह विषय उस समय आया था तो उस समय उसके बाद भी चर्चा के लिए स्रोत खुला था तो उस समय उस बात को ले आते। उस समय इस बात को कह देते, मैंने रोका तो नहीं था। अपनी बात कहने का आपके पास अधिकार था, आप उस समय पूरी बात कहते, आपको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। अभी आपने पूरी बात कही है। जिस समय मा0 नेता सदन ने कोई बात कहीं, उसके बाद भी बहुत सारे मा0 सदस्यों को अवसर मिला और उन्होंने अपनी बात कही भी। उस समय मा0 पाण्डेय जी भी उपस्थित थे वह खड़े होकर अपनी बात कह रहे थे मैंने उनको रोका तो था नही।

श्री अखिलेश यादव-

मान्यवर, वह स्पीच किसकी थी जो हिन्दी में नेता सदन ने पढ़ी है वह मैं समझता हूँ कि मा0 संसदीय मंत्री जी क्लीयर कर देंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, आज नेता सदन नहीं हैं। जो मा0 नेता प्रतिपक्ष जानना चाहते हैं। जो संविधान 26 जनवरी 1949 को आत्मार्पित किया गया था उसमें यह शब्द नहीं था। 3 जनवरी 1977 को एक संविधान संशोधन जोड़ा गया संविधान में उसमें यह शब्द बाद में आया। यह सही है कि संविधान में यह शब्द दिया गया है। जो कुछ भी मा0 नेता सदन ने कहा है, बहुत सी जगह पर हम अपने-अपने विचारों को अलग-अलग प्रस्तुत करते हैं। साम्यवाद पर, समाजवाद पर, पूंजीवाद पर, हमने समय-समय के ऊपर अपने-अपने लोगों ने समय-समय पर हर तरीके की स्पीचेज दी अपने विचार व्यक्त किए। संविधान के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ भी नही कहा। संविधान का नाम भी नही लिया। कोई भी व्यक्ति किस परिप्रेक्ष्य में कौन सी बात कहता है उनका किस विषय पर क्या-क्या विचार आया है यह एक अलग बात है। संविधान के प्रति पूरा आदर है पूरा सम्मान है हमने संविधान की शपथ ली है और हम उसको निभायेंगे भी। लेकिन उसको उस परिप्रेक्ष्य में जोड़ा नही जाना चाहिए। हमारा किस विषय के ऊपर क्या विचार है उन दोनो चीजों को क्लब मत करिये। संविधान को कोट नही किया संविधान को उन्होंने किसी प्रकार से उद्धृत नही किया। इसलिए यह लाना नही चाहिए और यह नियम-300 में नही आता इसको अग्राह्य किया जाए।

श्री सलिल विश्नोई, तत्कालीन मा0 सदस्य, विधान सभा, उ0 प्र0 द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना पर मा0 विशेषाधिकार समिति (2022-2023) द्वारा की गयी संस्तुतियों पर विचार

श्री अध्यक्ष-

नही, मैंने स्वीकार ही नही किया। सदन में कल दिनांक 02 मार्च को यह बात आई थी कि उत्तर प्रदेश द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना पर मा0 विशेषाधिकार समिति (2022-2023) द्वारा की गयी संस्तुतियों पर विचार। सदन द्वारा यह आदेशित किया जाता है कि विशेषाधिकार हनन के दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सदन के समक्ष पेश किया जाए। मार्शल इस बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

समाजवाद के सम्बन्ध में नेता सदन द्वारा की गयी टिप्पणी सम्बन्धित औचित्य के प्रश्न को उठाये जाने का प्रयास (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री अखिलेश यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, पूर्व के मा0 अध्यक्ष अपनी बात रखना चाह रहे थे लेकिन उन्हें किसी ने सुना ही नहीं।

श्री अध्यक्ष-

देखिए पहले विशेषाधिकार का प्रकरण ले लें।

श्री अखिलेश यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैने आपसे यह जानना चाहा कि यह स्पीच जो दी गई थी किसी सदन की वह आपने हिन्दी कर दिया क्या आप समाजवाद को इस तरीके से कहेंगे। मैं सरकार से संतुष्ट नही हूँ हम समाजवादी लोग इस सदन से वॉक आउट करते हैं क्योंकि यह सरकार संविधान के खिलाफ है, यह सरकार बाबा साहब के द्वारा दिये गये संविधान के खिलाफ है, डॉ0 राम मनोहर लोहिया ने जो सिद्धांत दिया उसके खिलाफ है।

(नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गए।)

[12:22] विशेषाधिकार हनन एवं सदन के अवमानना के दोषी समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विधान सभा परिसर में उपस्थिति के सम्बन्ध में सदन को सूचना

श्री अध्यक्ष-

विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के दोषी समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी विधान सभा परिसर में आ चुके हैं। मार्शल द्वारा रिपोर्ट दी गई है।

सदन को सूचना

14वीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति 2005-2006 के प्रथम प्रतिवेदन की, की गयी संस्तुतियाँ एवं 18वीं विधान सभा के विशेषाधिकार समिति 2022-23 की दिनांक 07 फरवरी, 2023 व 27 फरवरी, 2023 की बैठकों में की गयी संस्तुतियों के अनुपालन में (1) श्री अब्दुल समद, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बाबूपुरा कानपुर, (2) श्री ऋषिकांत शुक्ला,

तत्कालीन थानाध्यक्ष, कानपुर नगर, कानपुर (3) श्री त्रिलोकी सिंह, तत्कालीन उपनिरीक्षक, थाना कोतवाली कानपुर नगर, (4) श्री छोटे सिंह यादव, तत्कालीन कॉन्सटेबल, थाना किदवई नगर, कानपुर (5) श्री विनोद मिश्रा, तत्कालीन कॉन्सटेबल, थाना काकादेव, कानपुर तथा (6) श्री मेहरबान सिंह यादव, तत्कालीन कॉन्सटेबल, कानपुर नगर को आदरणीय सदन के दण्ड हेतु उपस्थित किया जायेगा। विशेषाधिकार के अवहेलना एवं आदरणीय सदन की अवमानना के लिए दोषी श्री अब्दुल समद, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, कानपुर, श्री ऋषिकांत शुक्ला, तत्कालीन थानाध्यक्ष, किदवई नगर, श्री त्रिलोकी सिंह, तत्कालीन उपनिरीक्षक, थाना कोतवाली कानपुर नगर, श्री छोटे सिंह यादव, तत्कालीन कॉन्सटेबल, थाना किदवई नगर, कानपुर, श्री विनोद मिश्रा, तत्कालीन कॉन्सटेबल, थाना काकादेव, कानपुर, श्री मेहरबान सिंह यादव, तत्कालीन कॉन्सटेबल, थाना कानपुर नगर को आदरणीय सदन में उपस्थित होने के आदेश निर्गत किए गये थे। मार्शल, विधान सभा की रिपोर्ट के अनुसार उक्त समस्त दोषी विधान सभा भवन में पहुँच गये हैं, इन समस्त दोषी व्यक्तियों को आदरणीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

(उक्त समस्त दोषियों को विधान मण्डप में बने कटघरे में खड़ा किया गया)

[12:33] विशेषाधिकार हनन व सदन की अवमानना के दोषी कर्मियों के दण्ड निर्धारण हेतु माननीय सदन को माननीय न्यायालय के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी।

ससंदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, आज इस सदन के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस घटना के विषय में संक्षेप में हम सभी मा0 सदस्यों को अवगत करा दें कि 15-09-2004 को हमारे एक माननीय तत्कालीन विधायक जो कि वर्तमान में विधान परिषद के सदस्य हैं सम्मानित श्री सलिल विश्नोई जी, उन्होंने बिजली की सप्लाई को लेकर कानुपर में एक धरना प्रदर्शन एवं जुलूस का आयोजन किया था और वह जुलूस निकाल कर जिलाधिकारी को ज्ञापन देना चाहते थे उसी वक्त जुलूस को, जो लोग आज यहां पर मा0 अध्यक्ष जी के द्वारा निर्देशित किए गये है श्री अब्दुल समद, ऋषिकांत शुक्ला, श्री त्रिलोकी सिंह, श्री छोटे सिंह यादव, श्री विनोद मिश्रा एवं श्री मेहरबान सिंह यादव, इन लोगों के पूरे पुलिस फोर्स ने उनको रोका और उनके साथ अभद्रता की, उनको एब्यूज किया, अपमानित भी किया और उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जिससे उनके दाहिने पैर में फैक्चर भी हुआ। यद्यपि सभी लोग बहुत शान्तिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और यह चाहते थे कि हम अपना ज्ञापन जिलाधिकारी को बिजली की सप्लाई बेहतर करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए दें। किसी प्रकार से उस दल ने कोई अभद्रता नहीं की, कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ता और बाद में यह मामला विशेषाधिकार समिति के पास 25-10-2004 को आया। विशेषाधिकार समिति ने पूरी तरह से इसका परीक्षण किया, हर प्रकार से साक्ष्यों का अवलोकन किया और वहां पर एक

वीडियो फिल्म भी बनी थी इस पूरी उनके घटना की वीडियो फिल्म को विशेषाधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उनके समक्ष उनका प्रदर्शन किया गया और विशेषाधिकार समिति ने 28-07-2005 को जो निर्णय दिया उसमें 6 अधिकारियों, जो कि हमारे सामने आज मौजूद हैं, इन लोगों को दोषी करार दिया, और इन लोगों के लिए यह भी कहा गया, संस्तुति दी गयी कि इन लोगों को दण्डित किया जाना चाहिए। इसके सम्बन्ध में 19-08-2021 को पिछली विधान सभा में महाधिवक्ता से राय मांगी गयी, महाधिवक्ता की राय भी इसी पक्ष में थी जो विशेषाधिकार समिति ने संस्तुति दी थी। इसके अतिरिक्त वर्तमान विधान सभा, जो 18वीं विधान सभा है अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में 01-02-2023 और 27-02-2023 को विशेषाधिकार समिति की बैठक में दोषी पाये जाने पर निम्न लोगों को कारावास दण्डित किए जाने के लिए संस्तुति की गयी और यह भी संस्तुति की गयी कि यह प्रकरण विधान सभा के समक्ष लाया जाय और जो लोग आज हमारे समक्ष कटघरे में खड़े हैं उन लोगों को दण्डित किया जाय।

हमारे संविधान में आर्टिकिल 194 में यह अधिकार दिया गया है कि हम इस प्रकार की कार्रवाई को अन्जाम दे सकते है। हम जानते हैं कि भारत ने जो व्यवस्था अपनाई जो संघीय व्यवस्था अपनाई अलग-अलग पावर दी गयी और केन्द्र को अलग पावर दी गयी। दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार से साथ-साथ इस बात की भी व्यवस्था दी गयी कि हमारे यहां कार्यपालिका और व्यवस्थापिका (विधायिका) एक है। जूडिशरी अलग है। लेजिस्लेचर से जो लोग चुनकर आते है,उसी प्रकार से हमारा मंत्रिमण्डल बनता है और मंत्रिमण्डल पूरी व्यवस्था का संचालन करता है। लेकिन हम लोगों का यह दायित्व है कि हम हर तरह से इसमें सामंजस्य बैठाएं। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में एक सामंजस्य रहे और ऐसी व्यवस्था रहे कि संचालन में हमें सुविधा रहे। जब हमने लोकतंत्र की प्रक्रिया अपनाई तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि तन्त्र के ऊपर लोक हैं। संविधान की पहली लाइन भी यह हैं कि वी द पीपुल ऑफ इण्डिया यानी हम लोग सभी लोग देश के सब लोग उसमें सबसे ऊपर हैं। जो भी तंत्र बना हुआ है। इस तंत्र के ऊपर हम हैं अर्थात यह व्यवस्थापिका, हमारी विधान सभा और लोक सभा यह सब सारी व्यवस्थाओं के ऊपर है। इसका ही निर्णय सुप्रीम है। यह सही हैं कि न्यायपालिका को हमारी बात को इण्टरप्रेट करने का अधिकार है, उसकी व्याख्या करने का अधिकार है हर परिस्थिति को देखकर। लेकिन सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेन्ट और सुप्रीमेसी ऑफ द लेजिसलेचर। जिन लोगों ने संविधान बनाया है उनके मन मस्तिष्क में था। इसीलिए यही व्यवस्था अभी तक चली आ रही है। मान्यवर, कभी-कभी ऐसी घटनायें होती हैं जिसमें इस प्रकार के निर्णय हमारे लिए लेना अवश्यम्भावी हो जाता है। हम चाहते हैं कि हर तरीके से सामंजस्य बना रहे। लेकिन उसके बाद भी कोई एक दूसरे के अधिकारों में अतिक्रमण न करे। अगर शान्तिपूर्ण तरीके से धरना और प्रदर्शन होने पर इस प्रकार की घटना हुई तो निश्चित रूप से सारे साक्ष्यों को देखकर विशेषाधिकार समिति ने जो हमारे सामने रिपोर्ट प्रस्तुत की और महाधिवक्ता द्वारा न्यायिक परीक्षण करके उसके सम्बन्ध में संस्तुति दी है और वर्तमान

विधान सभा में हमारे वर्तमान अध्यक्ष के द्वारा यहां पर 27-02-2023 को विशेषाधिकार समिति ने अपनी सर्वसम्मति निर्णय में यह निर्धारित किया कि जो लोग दोषी हैं उन लोगों को कारावास से दण्डित किया जाये। आज यह सदन के समक्ष प्रस्ताव इसलिए लाया गया कि हम उस कारावास की अवधि निर्धारित करें। अभी मैं जो प्रस्ताव करूंगा वह केवल इस बात के लिए कि यह पूरा सदन एक न्यायालय में परिवर्तित हो जाये। जिस तरीके से कोर्ट व्यवस्था करता है उसी तरीके से आगे का संचालन होगा इसलिए अध्यक्ष जी ''मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि श्री सलिल विश्नोई, तत्कालीन माननीय सदस्य, विधान सभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा, श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बाबू पुरवा, कानपुर नगर तथा अन्य पांच पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मियों को कारावास का दण्ड प्रदान करने का प्रकरण जो माननीय सदन के संज्ञान में है पर दण्ड का निर्धारण करने हेतु माननीय सदन को माननीय न्यायालय के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि श्री सलिल विश्नोई, तत्कालीन माननीय सदस्य, विधान सभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा, श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बाबू पुरवा, कानपुर नगर तथा अन्य पांच पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मियों को कारावास का दण्ड प्रदान करने का प्रकरण जो माननीय सदन के संज्ञान में है पर दण्ड का निर्धारण करने हेतु माननीय सदन को माननीय न्यायालय के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ एवं सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ)

[12:34] श्री सलिल विश्नोई, तत्कालीन सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के दोषी कर्मियों को कारावास का दण्ड दिये जाने हेतु विचार का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इन सभी लोगों को सदन के विशेषाधिकार का दोषी पाया गया है इसलिए आज यह प्रस्ताव आया है और दूसरा प्रस्ताव मेरा यह है। श्री सलिल विश्नोई, तत्कालीन मा0 सदस्य, विधान सभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा, श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बाबू पुरवा, कानपुर नगर तथा अन्य पांच पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मियों श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बाबू पुरवा, कानपुर नगर, श्री ऋषिकांत शुक्ला तत्कालीन थानाध्यक्ष किदवई नगर कानपुर, श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर, श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल

थाना काकादेव, कानपुर नगर, श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर, को कारावास का दण्ड प्रदान करने पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि श्री सलिल विश्नोई तत्कालीन मा0 सदस्य, विधान सभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा, श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबू पुरवा कानपुर व अन्य पांच पुलिस कर्मचारी अभिसूचित विशेषाधिकार हनन व सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मियों श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबू पुरवा कानपुर नगर, श्री ऋषिकांत शुक्ला तत्कालीन थानाध्यक्ष किदवई नगर कानपुर, श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई कानपुर नगर, श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर, श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर, को कारावास का दण्ड प्रदान हेतु विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ एवं सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, आज जो प्रस्ताव आया है जैसा कि अवगत है विशेषाधिकार समिति में भी और तत्कालीन विशेषाधिकार समिति में भी और उसके बाद जो परिस्थतियां बनी थीं उसी के आधार के ऊपर लोगों को कारावास का दण्ड प्रदान करने की स्थिति आयी है और हम जरूर चाहेंगे कि बाकी हमारे अन्य दल के नेता अगर अपना विचार रखना चाहें तो वह रख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी अनुपस्थित हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से और कोई बोलना चाहता है तो वह बोल सकता है। ठीक है कोई नहीं बोलना चाहता है।

प्रविधिक शिक्षा मंत्री (श्री आशीष पटेल)-

मा0 अध्यक्ष जी, आज हम सभी लोग यहां पर इसलिए उपस्थित है कि विधान सभा के पूर्व सदस्य आदरणीय सलिल विश्नोई जी के विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए इकट्ठा हुए है। मेरा इस प्रकरण पर सिर्फ इतना कहना है कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से आपको निर्णय लेने के लिए अधिकृत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता राष्ट्रीय लोकदल श्री बालियान जी अनुपस्थित हैं। उनके दल का कोई सदस्य बोलना चाहता है। नहीं बोलना चाहते हैं, इसका मतलब वह समर्थन में नहीं हैं।

मत्स्य मंत्री (श्री संजय निषाद)-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारा दल हमारी पार्टी हमारे दल के सभी सदस्य इस तरह की घटना आगे न हो और विशेषाधिकार संविधान में मिला हुआ है और जनता ने दिया है और हम जनता के प्रतिनिधित्व और सदन के सदस्य की रक्षा नहीं कर पाये तो ऐसे अधिकारी/ कर्मचारी जनता की क्या रक्षा करेंगे इनके खिलाफ जो भी हो सकता है उसके लिए मैं और मेरी पार्टी आपको अधिकृत करती है।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी हमारे सभी विधायक यह निर्णय आपके उपर छोड़ते हैं जो भी निर्णय आप लेंगे उसका हम समर्थन करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना जी', माननीय नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'

माननीय अध्यक्ष जी, संविधान के इस मन्दिर में सदस्यों और संविधान की सुरक्षा के लिए जो निर्णय आज आप लेंगे उससे मैं और मेरा दल पूरी तरह सहमत है। हमें पूरा विश्वास है कि आप हम सबकी बात को समझते हुए उस पर निर्णय ले लें। हमें आप पर पूरा विश्वास है।

श्री अध्यक्ष-

श्री रघुराज प्रताप सिंह, माननीय नेता, जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक)।

श्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया'-

माननीय अध्यक्ष जी, आप हम सभी लोगों के संरक्षक हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे उससे मैं और मेरा जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) पूरी तरह से सहमत हैं।

श्री अध्यक्ष-

श्री उमाशंकर सिंह, माननीय नेता, बहुजन समाज पार्टी।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, इस मण्डप में आप हम सबके अभिभावक हैं और संरक्षक हैं। इसलिए इस सम्बन्ध में मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो भी निर्णय लेंगे हम सबके हित में लेंगे। मैं अपनी तरफ से आपको अधिकृत करता हूँ कि आप अपना निर्णय दें। हम आपके निर्णय के साथ है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, न्याय के ऊपर संवेदनशीलता को महत्व दिया गया है और संवेदनशीलता उसके ऊपर मानी गई है। हम भी उसी परम्परा के निवर्हन के एक प्रकार से

आदी हैं इसलिऐ हम जरूर चाहेंगे कि इस दृष्टि से इसे देखा जाये। चूंकि इन सभी लोगों को दोषी करार दिया गया है इसलिये हम चाहते हैं कि इन लोगों का भी पक्ष भी, जैसा कि व्यवस्था है, उसमें सुन लिया जाये। कम से कम इनको अपनी सजा के बारे में क्या कहना है यह जान लिया जाना चाहिये। लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं वह जनता के हितों के लिए बराबर काम करते हैं। जब वह सत्ता में रहते हैं तो संसाधन जुटाकर और जब विपक्ष में रहते हैं तो अपनी आवाज बुलन्द करके यह कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जनहित हो सके और जनहित के किसी काम के लिए जब वह शांतिपूर्ण तरीके से किसी प्रकार से अपना ज्ञापन या अपना प्रतिवेदन देने जिलाधिकारी के वहां जा रहे हों तो जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है वह अपने आपमें अशोभनीय भी है, निन्दनीय भी हैं और सजा योग्य भी है इसीलिये आपने यहां पर यह व्यवस्था की है और पूरी विधान सभा कोर्ट में परिवर्तित हुई है। किसी निर्णय या प्रस्ताव से पहले यह जानना चाहेंगे कि इन लोगों का पक्ष क्या है। कन्विक्शन के मामले में इन लोगों के लिए कितना दण्ड हो इसलिये इनको भी सुन लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

यहां पर उपस्थित श्री अब्दुल समद, श्री ऋषिकान्त शुक्ला, श्री त्रिलोकी सिंह, श्री छोटे सिंह यादव, श्री विनोद मिश्रा और श्री मेहरबान सिंह यादव, मैं आपको एक-एक करके इस बात के लिए प्रिविलेज देता हूँ कि आप अपनी बात कुछ कहना चाहते हों, तो कहिये।

श्री अब्दुल समद-

परम् आदरणीय सम्मानीय अध्यक्ष जी, परम् आदरणीय माननीय सदस्यगण, परम् आदरणीय तत्कालीन विधायक माननीय श्री सलिल विश्नोई जी, मैं आप सभी लोगों को सादर चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम करता हूँ। राजकीय दायित्वों के निवर्हन में जो भी त्रुटियाँ हुई हों और जाने-अनजाने जो भी गलती हुई हो मैं उसके लिए माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय सदस्यगण से और माननीय श्री सलिल विश्नोई साहब से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ कि जो भी गलती हुई हो जाने-अनजाने में उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिये। बस इतना ही हमारा कहना है कि हम लोग पूरे सदन से माफी मांगते हैं।

श्री अध्यक्ष-

इनमें कोई अन्य सदस्य अपनी बात कहना चाहता हो तो उसको अवसर है। आप पूछ लीजिये सबसे।

श्री अब्दुल समद-

नहीं, सर।

श्री अध्यक्ष-

अब्दुल समद जी की बात आ गई है और सभी का वही कहना है। आप बोलेंगे कुछ, आप बोलिये।

श्री ऋषिकान्त शुक्ला-

परम् आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायकगण और माननीय श्री विश्नोई जी, हम लोगों में से अगर किसी प्रकार से अपने शासकीय दायित्वों को पूरा करने में त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दें। भविष्य में हम लोगों से कोई त्रुटि नहीं होगी। हम लोग माननीय विधायकगणों का सम्मान करते हैं और सदैव करते रहेंगे।

श्री अध्यक्ष-

और कोई भी बोलना चाहता है।

श्री ऋषिकान्त शुक्ला-

नहीं सर।

श्री सलिल विश्नोई, तत्कालीन सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के दोषी कार्मिकों के लिए दण्ड को निर्धारण का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से सभी सदस्य यह महसूस करते हैं, आज जो कटघरे में खड़े हैं अब्दुल समद के साथ जो पांचों लोग कटघरे में खड़े है। उन सभी लोगों ने विनम्रतापूर्वक माफी का प्रस्ताव किया है। लेकिन लोकतंत्र में इस विधायिका का सम्मान बचा रहना बहुत जरूरी है। जैसाकि मैंने प्रारम्भ में कहा था कि यह 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख और 10-10 लाख लोगों से यहाँ पर चुनकर लोग आये, वह लोग केवल जनता के हितों में काम करते हैं। यह भी सही है कि यह अधिकारी लोग शासन के निर्देशों का पालन करते हैं लेकिन मान्यवर, इन लोगों को यह अधिकार नहीं मिल जाता कि यह लोग किसी को नाजायज तरीके से किसी को गाली दें, किसी को अपमानित करें या डण्डा चलायें। वहाँ पर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी कि इस प्रकार का बल प्रयोग करें या किसी प्रकार से गाली दें। इस प्रकार की स्थिति बाकायदा वीडियोग्राफी में आयी है। यह सही है कि हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि संवेदनशीलता तो जरूरी है, निभाना भी चाहिए लेकिन मान्यवर, चूंकि यह सदन कोर्ट में परिवर्तित हुआ है और आपको हर तरह से सर्वाधिकार है और इसके सम्बन्ध में भी कई प्रकरण यहाँ विधान सभा में चाहे उन्नीस सौ उनसठ हो चाहे उसके बाद सन् नवासी हो इसके बीच में भी एक-दो प्रकरण ऐसे आये। लगातार इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी मेजेरिटी जजमेंट से इस बात को परिभाषित किया है कि किसी भी तरीके से ज्यूडिशियरी और जो व्यवस्थापिका है वह किसी प्रकार से एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करें और हम समझते हैं कि आपका यह फैसला किसी भी कोर्ट आफ लॉ में चेलेंजेबल नहीं है। इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक यह प्रस्ताव करूंगा कि चूंकि इन्होंने जो कुछ कहा हैं उसके ऊपर हम चाहते हैं कि इनको मिनिमम सजा दी जाये। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि श्री सलित विश्नोई, तत्कालीन मा0 सदस्य, विधान सभा, उ0प्र0, कानपुर नगर द्वारा श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी,

बाबूपुरवा कानपुर नगर पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के लिय दोषी कर्मियों श्री अब्दुल समद, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बाबूपुरवा, कानपुर नगर, श्री ऋषिकांत शुक्ला, तत्कालीन थानाध्यक्ष, किदवई नगर, कानपुर नगर, श्री त्रिलोकी सिंह, तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर, श्री छोटे सिंह यादव, तत्कालीन कांस्टेबल, थाना-किदवई नगर, कानपुर नगर, श्री विनोद मिश्र, तत्कालीन कांस्टेबल, थाना-काकादेव, कानपुर नगर, श्री मेहरबान सिंह यादव, तत्कालीन कांस्टेबल, थाना-काकादेव, कानपुर नगर को एक दिन यानी आज रात के 12 बजे तक का कारावास की सजा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

संविधान की उद्देशिका निम्न प्रकार से प्रारम्भ होती है:-

हम भारत के लोग, भारत को, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके नागरिकों .....

इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।''

''हम भारत के लोग'' सर्वोपरि हैं एवं इस आदरणीय सदन के सदस्य भारत के लोगों के प्रतिनिधि हैं। अतः उनकी मर्यादा एवं गरिमा को संरक्षित रखना हम सबका दायित्व है।

संविधान के अनुच्छेद-194 में विधान मण्डल के सदनों की तथा उसके सदस्य और समितियों की शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार प्रावधानित किये गये हैं।

यह एक स्थापित सिद्धान्त है कि संविधान के अनुच्छेद-194(3) के अन्तर्गत सदन विशेषाधिकार एवं अवमानना के मामलों में निर्णय लेने हेतु सर्वाधिकार धारित करता है तथा सदन का निर्णय इन मामलों में अंतिम होता हम सबको यह अहसास है कि हमारा यह निर्णय महत्वपूर्ण होगा और इसके दूरगामी परिणाम एवं संदेश होंगे। संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका की शक्तियों को पृथक-पृथक रूप से परिभाषित किया गया है।

इन शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त हमारे संविधान की जीवन रेखा है। यदि इन तीनों संवैधानिक संस्थाओं द्वारा एक-दूसरे के अधिकारों एवं शक्तियों में अतिक्रमण किया जायेगा, तो उसके परिणाम नकारात्मक होंगे और यह संस्थाएं शनैः शनैः समाप्त हो जायेगीं। हमारा यह दायित्व है कि संविधान निर्माताओं ने जो योजना बनायी है, उसका हम लोग सम्मान करें और अपने अधिकारों का प्रयोग अपनी सीमा के अंदर करें। जनप्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक अधिकारों को कार्यपालिका द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से विधायिका द्वारा भी कार्यपालिका की सीमा में अनाधिकृत हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। विधायिका तथा न्यायपालिका के परस्पर सम्बन्ध भी अपने दायरे में रहने चाहिए। विशेषाधिकार एवं सदस्यों की अवमानना की जो शक्ति सदन को प्रदत्त की गयी है, वह इसी उद्देश्य से प्रदान की गयी है कि सदन अपनी कार्रवाई सम्मानपूर्वक एवं मर्यादित ढंग से कर सके तथा सदन के सदस्य अपने अधिकारों का शांतिपूर्ण प्रयोग कर सकें। आज हमारे समक्ष कतिपय सरकारी कर्मचारियों के दोष

के आधार पर उनको दण्ड देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। सदनों और सदस्यों के विशेषाधिकार तथा अवमानना के प्रावधानों को अधिनियमित नहीं किया गया है क्योंकि उनका प्रयोग परिस्थितियों एवं विभिन्न मामलों के अनुसार किये जाने का मन्तव्य है। कई बार इस पर चर्चा की गयी है कि विशेषाधिकार एवं अवमानना के बिन्दुओं को अधिनियमित कर दिया जाए परन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक मतैक्य नहीं हो पाया है। सदन के सभी मा0 सदस्य जनता के प्रतिनिधि हैं एवं हमारे संविधान की उद्देशिका में यह स्पष्ट रूप से प्राविधानित है कि संविधान के अन्तर्गत हम भारत के लोग सर्वोपरि हैं।

यदि जनता या उसके प्रतिनिधियों के विरुद्ध लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रयोग में कोई बाधा आती हैं तो उसको रोकने के लिए विशेषाधिकार एवं अवमानना की शक्तियाँ प्रदत्त की गयी है अन्यथा यह संस्था महत्वहीन हो जायेगी। उपरोक्त वर्णित संवैधानिक योजना के अन्तर्गत वर्तमान प्रकरण में भी इस आदरणीय सदन को आज विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों से यह स्पष्ट है कि ये प्रकरण चिंतनीय है और इस सदन के आदरणीय सदस्यों के विरुद्ध जिस प्रकार का बर्ताव दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया गया है वह उनके अधिकारों से परे था एवं संवैधानिक अनुशासन के विपरीत था। दोषी अधिकारियों के आचरण के कारण ही विशेषाधिकार समिति द्वारा यह संस्तुति की गयी है कि उनको दण्ड दिया जाये। विशेषाधिकार एवं सदन के सदस्यों की अवमानना की शक्तियाँ विशिष्ट एवं वृहद हैं। हम इस बात से पूरी तरह भिज्ञ हैं कि इन शक्तियों का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाना चाहिए, परन्तु यह हमारा दायित्व है कि विधायिका की मर्यादा को संरक्षित करने हेतु इन शक्तियों का आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जाए। विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच ऐसा व्यवहार होना चाहिए, जिससे कि इन संस्थाओं की गरिमा बनी रहे एवं परस्पर सम्मान बना रहे। इन शक्तियों का प्रयोग जनहित के उद्देश्य से ही किया जाना चाहिए। श्री सलिल विश्नोई के साथ जो आचरण उनके शान्तिपूर्ण प्रतिवाद के सापेक्ष किया गया है, वह निन्दनीय है एवं उस सम्बन्ध में निश्चित रूप से एक संदेश जाना चाहिए कि विधायिका एवं उसके सदस्यों के लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रयोग में इस प्रकार का आचरण न किया जाय, अन्यथा यह संस्थाएं समाप्त हो जायेंगी एवं संसदीय लोकतंत्र भी खतरे में रहेगा। यह हम सबका दायित्व है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण पेश हो एवं इन संवैधानिक संस्थाओं को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने के उपाय करें। सरकारी नौकरियों में जो लोग कार्य करते हैं, उन्हें भी इस बात का अहसास होना चाहिए कि उनके भी संवैधानिक दायित्व हैं, जिनकी लक्ष्मण रेखा है और वह उसके पार नहीं जा सकते, अन्यथा सीमाओं का उल्लंघन होता रहेगा एवं विधायिका कमजोर होती रहेगी। हमको यह याद रखना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने त्याग एवं बलिदान करके स्वतंत्रता प्राप्त की है एवं संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली को अपनाया है। यदि इसी प्रकार से जनता के प्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जाता रहेगा, तो यह संस्थाएं बहुत आगे तक नहीं जा पायेंगी एवं हमारी स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं

रह जायेगा। सदन एवं उसके सदस्यों की यह शक्तियाँ किसी को डराने, धमकाने एवं दण्डित करने के उद्देश्य से नहीं बनाई गयी हैं, परन्तु इस कारणवश अस्तित्व में आयीं कि सदनों की गरिमा, मर्यादा एवं उसका संवैधानिक महत्व बना रहे तथा संसदीय लोकतंत्र सुदृढ़ हो। शासकीय अधिकारियों को संविधान के अनुच्छेद-311 में कतिपय संरक्षण प्रदान किया गया है, जिसके अन्तर्गत यह प्राविधानित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो संघ या सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है, उसको सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए एवं विधिवत् जाँच के उपरांत ही सेवा से हटाया जा सकता है अथवा पदच्युत किया जा सकता है।

संविधान के अनुच्छेद-311 के खण्ड-2 में यह प्राविधानित है कि यदि सशक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि किसी कारण से ऐसी जाँच कराया जाना युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है, तो उसके बिना भी अधिकारी को सेवा से हटाया जा सकता है। इसके साथ ही अनुच्छेद-194 के अन्तर्गत विधान मण्डलों, सदनों तथा उनके विशेषाधिकार एवं अवमानना की शक्तियां प्राविधानित की गयी है। अनुच्छेद-194 (3) के अन्तर्गत यह स्पष्ट रूप से प्राविधानित किया गाया हैं कि विधान मण्डल के किसी सदन अथवा सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी, जो वह विधान मण्डल समय-समय पर परिनिश्चित करे। वर्णित स्थिति में यह स्पष्ट है कि संविधान की विशेषाधिकार की एवं अवमानना की शक्तियां वृहद हैं। मेरा यह समाधान है कि अनुच्छेद-194 एवं 311 में आपस में द्वंद नहीं है। अनुच्छेद-311(2) के अन्तर्गत बिना जाँच के भी अधिकारी को सेवा से अवमुक्त किया जा सकता है तथा-194 के अन्तर्गत जो शक्तियां विधान मण्डल को प्रदत्त है, उनके तहत सेवा संबंधी जो दण्ड उनको कारावास अथवा सेवा संबंधी दण्ड विधान मण्डल द्वारा दिये जाते है, उनको-311 (2) के अन्तर्गत माना जायेगा। इसके अतिरिक्त यह भी अवलोकनीय है कि विशेषाधिकार समिति द्वारा दोषी अधिकारियों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि इस मामले में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन नहीं किया गया है। चूंकि विशेषाधिकार समिति द्वारा वृहद जाँच की जा चुकी है, अतः अनुच्छेद-311 में निहित नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जा चुका है। अनुच्छेद-311, अनुच्छेद-199 का निर्वचन सामंजस्यपूर्ण नीति से किया जायेगा। शासकीय अधिकारियों के दायित्वों तथा सदन की विशेषाधिकार समिति व सदस्यों की अवमानना की शक्तियों के मध्य में कोई द्वंद नहीं है वरन् उनका एक-दूसरे का परस्पर सम्मान एवं उनकी सीमाओं का आदर किया जाना चाहिए। उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार सदन द्वारा विशेषाधिकार हनन हेतु अथवा सदस्य की अवमानना हेतु निम्नलिखित दण्ड दिये जा सकते हैं, नियम 73-दण्ड-(1) सदन स्वयं अथवा विशेषाधिकार समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित दण्ड दे सकता है-भर्त्सना, शास्ति, सदस्य का निलम्बन, जुर्माना, सदस्य का निष्कासन, कारावास, जिसकी अवधि

सदन के प्रस्ताव पर निर्भर है, परंतु सत्रावसान या विघटन के उपरांत आगे नहीं बढ़ सकती है, और अन्य कोई दण्ड जिसे सदन अनुच्छेद-194 के उपबन्धों के अन्तर्गत उचित और ठीक समझे। उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों में यह स्पष्ट है कि प्रकरण में कारावास के दण्ड का भी प्रावधान है, जिसकी अवधि अधिकतम सभी के विघटन तक हो सकती है। विशेषाधिकार के उल्लंघन एवं अवमानना के सम्बन्ध में जो शक्ति प्रदत्त की गयी है, उनका उद्देश्य गम्भीर दण्ड देने का नहीं है, वरन उन संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा एवं गरिमा का संरक्षण करने का है।

संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसे अवसर आये हैं, जबकि जनप्रतिनिधियों द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रयोग में विरोध उत्पन्न हुए हैं। ऐसी बातों की पुनरावृत्ति न हो तथा जनप्रतिनिधियों के अधिकारों एवं दायित्वों का निर्वहन सुचारू रूप से हो सके, इसी उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद-194 की योजना विरचित है। वर्णित स्थिति तथ्यों एवं विधिक संविधान में प्राविधानों की स्थिति में तथा सभी मा0 सदस्यों के मंतव्य को दृष्टिगत रखते हुए मेरा यह मानना है कि प्रस्तुत प्रकरण में विशेषाधिकार समिति द्वारा सभी पाये गये दोषी अधिकारी/कर्मियों को कारावास की सजा दी जाय। मैं संसदीय कार्यमंत्री द्वारा जो प्रस्ताव किया गया है कि प्रायः एक दिन का मतलब 24 घंटे होता है लेकिन उन्होंने जो प्रस्ताव किया है, मैं उससे सहमत हूँ और आज भर के लिए (एक दिन का) इम्प्रीजेन्मेंट की कार्रवाई होगी। यहां पर ऊपर विधान सभा परिसर के अंदर ही, शुरू से ही जिस समय विधान सभा बनी थी, कानून की यह व्यवस्था बनी थी उस समय इस बात का ध्यान रखा गया था कि अगर कभी ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो यहां पर ऊपर एक सैल है, जहां पर जेल का प्रावधान है, वहां पर इन लोगों को भेज दिया जाएगा। सारे लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं चूंकि इन्होंने माफी मांगी है और उदारतापूर्वक अपनाते हुए, नहीं तो जो पुरानी समिति थी उसने इनके निलंबन का भी प्रस्ताव किया था और बहुत गम्भीर दण्डों का प्रस्ताव किया था लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री और इस सदन का मन्तव्य है, देखते हुए और इन्होंने क्षमा चाही है, क्योंकि इनके आचरण, इनके व्यवहार को देखते हुए और इन्होनें क्षमा चाही है इसीलिए इनको एक दिन का दण्ड दिया जाता है।

प्रश्न यह है कि श्री सलिल विश्नोई, तत्कालीन मा0 सदस्य, विधान सभा, प्रदेश कानपुर नगर द्वारा।

कृषि मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। विशेषाधिकार समिति की संस्तुतियों के अनुसार इनको तलब किया गया है। यहाँ पर प्रताड़ना भी एक तरीके से आने के बाद वह महसूस कर रहे होंगे। हमारी संसदीय परिपाटी बहुत गरिमामयी है और उदारतापूर्वक उसका संचालन होता है, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन्हें सायंकाल की जगह पर कुछ घण्टे बैठने के लिए कह दें।

(सदस्य नहीं-नहीं कहने लगे)

मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। मेरा यह अनुरोध होगा कि सदन की गरिमा बहुत ही उदारतापूर्वक संचालित होती रही है और लोकतंत्र के भीतर उदारता बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। लेकिन जो आप लोग कहेंगे, वही होगा। माननीय अध्यक्ष जी, इस पर आप एक बार पुनर्विचार कर लें।

(सदस्य पुनः नहीं-नहीं कहने लगे)

श्री अध्यक्ष-

सब लोग शान्त रहें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष पीठ से निर्णय होने के बाद अब उस पर विचारण या पुनर्विचार होने की आवश्यकता नहीं हैं। (सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) लेकिन मान्यवर, आप संवेदनशील है और आपने बड़ी उदारतापूर्वक इसको दिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि, जो आज कटघरे में खड़े हैं, इन लोगों के साथ व्यवहार ठीक हो और पानी तथा भोजन की व्यवस्था मान्यवर, करवा देंगे तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि श्री सलिल विश्नोई, तत्कालीन मा0 सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा श्री अब्दुल समद, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बाबूपुरवा, कानपुर नगर तथा पाँच पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन इस सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मचारियों श्री अब्दुल समद, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बाबूपुरवा, कानपुर नगर, श्री ऋषिकांत शुक्ला, तत्कालीन थानाध्यक्ष, किदवई नगर, कानपुर नगर, त्रिलोकी सिंह, तत्कालीन उप निरीक्षक, थाना-कोतवाली, कानपुर नगर, श्री छोटे सिंह यादव, तत्कालीन कान्स्टेबल, थाना-किदवई नगर, कानपुर नगर, श्री विनोद मिश्र, तत्कालीन कान्स्टेबल, थाना-काकादेव, कानपुर नगर तथा श्री मेहरबान सिंह यादव, तत्कालीन कान्स्टेबल, थाना-काकादेव, कानपुर नगर एक दिन के कारावास की सजा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री सलिल विश्नाई, तत्कालीन सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं आदरणीय सदन की अवमानना के दोषी कार्मियों को सजा सम्बन्धी आदेश

श्री अध्यक्ष-

अब मैं आदेश देता हूँ। लेकिन मैं आदेश के पहले यह कह देना चाहता हूँ कि हमारा किसी इन्डिविजुअल के प्रति, किसी एक व्यक्ति के प्रति कोई दुराभाव नहीं है, न ही किसी के

प्रति कोई बात है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना यह हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है और ''वी द प्यूपल ऑफ इण्डिया'', जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनका सम्मान होना ही चाहिए। (सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) क्योंकि इस बात को सभी सम्मानित सदस्यों ने कहा है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसको सदन स्वीकृति दे चुका है। उसके आधार पर यह आदेश है कि चूंकि उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 03 मार्च, 2023 की बैठक में यह निर्णय लिया है कि- (1) श्री अब्दुल समद, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बाबूपुरवा कानपुर नगर, (2) श्री ऋषिकांत शुक्ला, तत्कालीन थानाध्यक्ष, किदवई नगर, कानपुर नगर, (3) श्री त्रिलोकी सिंह, तत्कालीन उप निरीक्षक, थाना कोतवाली कानपुर नगर, (4) श्री छोटे सिंह यादव, तत्कालीन कान्स्टेबल, थाना किदवई नगर, कानपुर नगर, (5) श्री विनोद मिश्र, तत्कालीन कान्स्टेबल, थाना काकादेव, कानपुर नगर एवं (6) श्री मेहरबान सिंह यादव, तत्कालीन कान्स्टेबल, थाना काकादेव, कानपुर नगर को श्री सलिल विश्नोई तत्कालीन मा0 सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश, कानपुर नगर के विशेषाधिकार हनन एवं आदरणीय सदन की अवमानना करने के दोष में एक दिन के लिए साधारण कारावास का दण्ड दिया जाए।

अतः आदरणीय सदन के उक्त निर्णय के अनुसार आदेश दिया जाता है कि उक्त (1) श्री अब्दुल समद, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बाबूपुरवा कानपुर नगर, (2) श्री ऋषिकांत शुक्ला, तत्कालीन थानाध्यक्ष, किदवई नगर, कानपुर नगर, (3) श्री त्रिलोकी सिंह, तत्कालीन उप निरीक्षक, थाना कोतवाली, कानपुर नगर, (4) श्री छोटे सिंह यादव, तत्कालीन कान्स्टेबल, थाना किदवई नगर, कानपुर नगर, (5) श्री विनोद मिश्र, तत्कालीन कान्स्टेबल, थाना काकादेव, कानपुर नगर एवं (6) श्री मेहरबान सिंह यादव, तत्कालीन कान्स्टेबल, थाना काकादेव, कानपुर नगर को एक दिन के लिए तारीख बदलने तक विधान सभा के लॉक-अप में रखा जाए।

मार्शल, विधान सभा, उ0प्र0 उक्त समस्त अभियुक्तगण को सजा भुगतने हेतु लॉक-अप में ले जाएंगे।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर व मोहर से आज दिनांक 03 मार्च, 2023 को जारी किया गया।

मार्शल विधान सभा, उत्तर प्रदेश उक्त समस्त अभियुक्तगणों को सजा भुगतने हेतु लॉक-अप में ले जाएंगे। मेरा यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर से आज दिनांक 03-03-2023 को पारित किया जाए। वहां पर कारावास में किसी भी प्रकार का कोई उत्पीड़न नहीं होगा और सारी प्रकार की सुविधाएं जो अनुमन्य हैं जैसे संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि भोजन इत्यादि की सारी व्यवस्थाएं रहेंगी वह होगा। अब मार्शल को आदेश है कि इन सभी लोगों को यहां से ले जाएं।

[01:02] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 03 मार्च, 2023 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 127 सूचनाएँ प्राप्त हुईं। सभी सूचनाएँ ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकार की गयीं :-

पहली सूचना श्री विनोद सिंह की जनपद सुल्तानपुर की तहसील सदर, विकास खण्ड कुरेभार के अन्तर्गत ग्राम कनौली में बाबा रामकरन कुटी नामक मंदिर की मरम्मत तथा सौन्दर्यीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री अजय कुमार की जनपद बागपत के छपरौली विधान सभा क्षेत्र में राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज में पठन-पाठन का कार्य आरम्भ कराए जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री रमेश की जनपद जौनपुर की शाहगंज विधान सभा क्षेत्र में कतिपय मार्गों का चौड़ीकरण तथा सौन्दर्यीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र आर्यनगर नवीन मार्केट, कानपुर नगर में अवैधानिक वाहन स्टैंड के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री संदीप सिंह की जनपद प्रयागराज की विधान सभा क्षेत्र मेजा के अन्तर्गत रामनगर में अतिक्रमण हटाए जाने के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना श्री आशुतोष शुक्ला की जनपद उन्नाव के भगवन्तनगर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा पहाड़पुर सुबस में श्री दिगम्बरनाथ स्वामी मंदिर परिसर के तालाब को अमृत सरोवर योजना में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री राकेश कुमार गोस्वामी की जनपद महोबा में 250 फीट से ज्यादा गहरे पहाड़ों के अत्यधिक दोहन पर रोक लगाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा की जनपद फिरोजाबाद के स्वशासी मेडिकल कॉलेज में छात्र-छात्राओं का शोषण एवं भ्रष्टाचार की जाँच कराए जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना डॉ0 विमलेश पासवास की जनपद गोरखपुर की विधान सभा क्षेत्र बांसगांव के अन्तर्गत सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त बस स्टॉपेज सहित बस स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्रीमती विजमा यादव की जनपद प्रयागराज की प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में महिला डिग्री कॉलेज एवं राजकीय इण्टर कॉलेज बनवाए जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री प्रकाश द्विवेदी की जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ के खुरहंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया की जनपद बदायूं की विधान सभा क्षेत्र दातागंज में नव निर्मित कन्या इण्टर कॉलेज ठहरपुर कलां में स्टाफ की नियुक्ति के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री रमा शंकर सिंह की जनपद मिर्जापुर के मड़िहान विधान सभा क्षेत्र में रोडवेज बस स्टेशन मड़िहान एवं अहरौरा पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्रीमती अंजुला सिंह माहौर की जनपद हाथरस में एक प्रदूषण कार्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री प्रदीप कुमार चौधरी की जनपद बुलन्दशहर के नगर पालिका क्षेत्र में स्थित महापुरुषों के नाम पर निर्मित पार्कों का सौन्दर्यीकरण किये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री हरेन्द्र सिंह की जनपद हापुड़ की विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के अन्तर्गत

ग्राम जमालपुर में हरड़ा पुल से ग्राम सिगनपुर तक सड़क निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री हरिओम की जनपद कासगंज के अन्तर्गत अमांपुर में रजबाहों की सफाई कराए जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना डॉ0 पल्लवी पटेल की लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के विज्ञापन सं0-2/2020-21, विभाग सं0 एस-3/14 की भर्ती में पिछड़ा वर्ग के एक भी पद न भरे जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री राजीव गुम्बर की जनपद सहारनपुर की नगर विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री अनिल कुमार की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के ग्राम रेत्ता नगला में माइनर को पक्का कराए जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत रसड़ा शहर में लोक निर्माण विभाग का गेस्ट हाउस बनवाए जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री राजेश्वर सिंह की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के अन्तर्गत विकास खण्ड काकोरी में लखनऊ विश्वविद्यालय की शाखा खोले जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री रवि शर्मा की जनपद झाँसी की सदर विधान सभा क्षेत्र के प्रेमनगर क्षेत्र में राजकीय अस्पताल स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री सत्यपाल सिंह राठौर की जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज खोले जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री धीरेन्द्र सिंह की ग्रेटर नोएडा (वेस्ट) में मेट्रो का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्रीमती सलोना कुशवाहा की जनपद शाहजहांपुर की निगोही के ग्राम पंचायत ढकिया तिवारी में एक विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री लालजी वर्मा की जनपद अम्बेडकरनगर की कटेहरी के ग्राम रामपुर गिरट में एक विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के ग्राम सभा दाउदपुर बुधवा बाबा देव स्थान एवं तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक) की जनपद कुशीनगर में एक मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री शहजिल इस्लाम अंसारी की जनपद बरेली के भोजीपुरा विधान सभा क्षेत्र बरेली-नैनीताल हाई-वे से धौरा-टांडा मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकतीसवीं सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर की रामपुर मनिहारन में हिंडन नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बध में है, बत्तीसवीं सूचना पंकज गुप्ता की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर के ग्राम दुबेपुर में बच्चों के खेल की सुविधा हेतु स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतीसवीं सूचना श्री सुरेन्द चौरसिया की जनपद मिर्जापुर के औराई मिर्जापुर से मुजेहरा खुर्द सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौंतीसवीं सूचना श्री प्रेम नरायण्न पाण्डेय की जनपद गोण्डा के तरबगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चांदीपुर में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्री महेन्द्र नाथ यादव की बस्ती मण्डल के समस्त सरकारी अस्पतालों में जाँच की सुविधा को उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना श्री जगदीश नारायण की जनपद

जौनपुर के जाफराबाद विधान सभा क्षेत्र में होम्योपैथिक चिकित्सालय का भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना प्रो0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली की फरीदपुर विधान सभा क्षेत्र में दो ओवरहेड टैंक बनवाए जाने के सम्बन्ध में हैं, अड़तीसवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी की जनपद एटा के मारहरा विधान सभा क्षेत्र में रतिभानपुर सम्पर्क मार्ग से लालपुर तक विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तालीसवीं सूचना श्री कैलाश नाथ की जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम विनोहनी चौराहा से रनीयापुर तक मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने सम्बध में है, चालीसवीं सूचना श्री बेदी की जनपद गाजीपुर के जखनियां विधान सभा क्षेत्र में कतिपय मार्गों एवं पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्तालासवीं सूचना श्री मुकेश चौधरी की जनपद सहारनपुर के नकुड़ विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीणों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में है, बयालीसवीं सूचना श्री राजेश त्रिपाठी की जनपद गोरखपुर के चिल्लूपार विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक गोला के अन्तर्गत सरयू नदी पर बन रहे आजमगढ़ के रौनापार को जोड़ने के लिए पुल का कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतालीसवीं सूचना श्री विनोद चतुर्वेदी की विधान सभा क्षेत्र कालपी में हमीरपुर शाखा नहर के किनारे की पटरी काटने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौवालीसवीं सूचना श्री बावन सिंह की जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत रुपईडीह मुख्यालय पर एक नया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतालीसवीं सूचना डॉ0 सुरभी की जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत कायमगंज विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड शमसाबाद व अन्य स्थानों में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में है, छियालीसवीं सूचना डॉ0 आर0 के0 पटेल की जनपद जौनपुर के समस्त तहसीलों में गोंड जाति के प्रमाण-पत्र को स्क्रूटिनी कमेटी द्वारा निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतालीसवीं सूचना श्री रत्नाकर मिश्र की जनपद मिर्जापुर के सीमावर्ती जनपद भदोही से निकल रहे प्रदूषित जल निकासी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, अड़तालीसवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के बदलापुर विधान सभा में कतिपय ग्रामों में प्राइमरी विद्यालय का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है, उन्चासीवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झाँसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र में लखेरी नदी पर गोरपुरा के पास लघु सेतु का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में, पचासीवीं सूचना श्री रविदास मेहरोत्रा की आर0टी0आई0 प्रयोगकर्ताओं की समस्याओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इक्यावनवीं सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डाक्टरों के आवास की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, बावनवीं सूचना श्री राजीव कुमार की जनपद अमरोहा के धनौरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव पपसरी में राजकीय इण्टर कॉलेज खोले जाने के सम्बन्ध में है, तिरपनवीं सूचना श्री प्रसन्न कुमार की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत मेरठ-करनाल राष्ट्रीय मार्ग पर ग्राम झाल में रोडवेज बसों का ठहराव कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवनवीं सूचना श्री रमेश जायसवाल की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर में एक चिल्ड्रेन पार्क बनवाए जाने के सम्बन्ध में है,

पचपनवीं सूचना श्री ब्रज भूषण राजपूत की जनपद फतेहपुर के तहसील खागा में अवैध तरीके से आवंटित भूमि की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, छप्पनवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव के अन्तर्गत राय रिसर्च फार्म की भूमि को अनियमित कब्जा से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तावनवीं सूचना श्री देवेन्द्र सिंह की जनपद कासगंज के ग्राम नदरई नहर से लेकर भगवन्तपुर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठावनवीं सूचना श्री अशोक कुमार की जनपद हरदोई के स्वास्थ्य विभाग में हुए भ्रष्टाचार की जाँच बेहतर तरीके से कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्सठवीं सूचना श्री विवेक कुमार वर्मा की जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत टूटे मार्गों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, साठवीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की जनपद प्रतापगढ़ में अवैध तरीके से भेद-भाव करके जाति प्रमाण-पत्र निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में है, इकसठवीं सूचना डॉ0 अमित सिंह चौहान की जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों को बाढ़ के कटान से रोकने के सम्बन्ध में है, बासठवीं सूचना श्री निर्मल वर्मा की जनपद सीतापुर के अन्तर्गत बिसवां में सामुदायिक केंद्र को उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरसठवीं सूचना श्रीमती जय देवी की जनपद लखनऊ की विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड मलिहाबाद के लोधौसी में बेहता नाला पर पुल निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है, चौंसठवीं सूचना श्री प्रेमसागर पटेल की जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सिसवां के अन्तर्गत सोहगीबरवा में गण्डक नदी पर बड़े पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंसठवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार की जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत कतिपय जर्जर रोडों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियासठवीं सूचना श्री राम सिंह की जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत थाना कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक श्री संतोष कुमार द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, सरसठवीं सूचना श्री संजय कुमार की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर में स्थित अवंतिका देवी मंदिर को जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़सठवीं सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली के शुभ इण्टर प्राईजेज के प्रोपराइटर के साथ हुए अमानवीय व्यवहार के सम्बन्ध में है, उनहत्तरवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास के संग्रामगढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सराय निर्भय में निर्माणाधीन स्कूल का कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तरवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर में विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से संचालित किये जाने हेतु ट्रान्सफार्मरों की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, इकहत्तरवीं सूचना श्रीमती गीता शास्त्री (पासी) की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरावं के थाना मऊआइमा के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में है, बहत्तरवीं सूचना श्रीमती ऊषा मौर्या की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र हुसैनगंज में कतिपय स्थानों पर नलकूप व्यवस्था सही कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिहत्तरवीं सूचना श्री नाहिद हसन की जनपद शामली के कैराना में विडौली यमुना पुल से पानीपत कैराना यमुना पुल तक तटबन्ध

मार्ग के मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौहत्तरवीं सूचना श्री अवधेश प्रसाद की जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर विधान सभा क्षेत्र में बन रही पानी की टंकियों के सप्लाई में बिछाए जा रहे पाइप की जाँच के सम्बन्ध में है, पचहत्तरवीं सूचना डॉ0 शिव प्रताप यादव की जनपद बलरामपुर के गैसड़ी में निर्माणाधीन महिला महाविद्यालय का कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियत्तरवीं सूचना श्री अनिल प्रधान की जनपद चित्रकूट के भरतकूप में खनन माफियाओं द्वारा एन0जी0टी0 के नियमों का उल्लंघन कर अवैध ब्लास्टिंग के सम्बन्ध में है, सतहत्तरवीं सूचना श्री वीरेन्द्र कुमार यादव की विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के विकास खण्ड बिरनो के अन्तर्गत कतिपय इण्टरलॉकिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, अठहत्तरवीं सूचना श्री बेचई सरोज की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-23 लिंक कुडिहर माइनर का निर्माण कराये जाने के सम्बध में है, उन्यासीवीं सूचना श्री तस्लीम अहमद की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के पलोमल कालोनी के अन्तर्गत स्थित गौशाला के समीप मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अस्सीवीं सूचना श्री अताउररहमान की जनपद बरेली के बहेड़ी विधान सभा क्षेत्र रिछा-जहानाबाद मार्ग से मुलियानादी बक्श मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यासीवीं सूचना डॉ0 मनोज कुमार प्रजापति की जनपद हमीरपुर के नगर पंचायत कुरारा में मगही नाले की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, बयासीवीं सूचना श्री रामपाल वर्मा की जनपद हरदोई में संडीला तहसील के ब्लाक कछौना की ग्राम सभा गौसगंज को नगर पंचायत का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, तिरासीवीं सूचना श्री वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहांपुर में गलत तरीके से शस्त्र लाइसेंस बनवाए जाने के सम्बन्ध में है, चौरासीवीं सूचना श्री सुभाष त्रिपाठी की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत कटका धाम भंगहा व भग्गड़वा तट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचासीवीं सूचना श्री अमरेश कुमार की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज में एक राजकीय महिला विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में है, छियासीवीं सूचना डॉ0 जी0एस0 धर्मेश की बचत खाते में हुए फर्जीवाड़े के सम्बन्ध में है, सत्तासीवीं सूचना श्री विवेकानन्द पाण्डेय जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के अन्तर्गत कतिपय स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठासीवीं सूचना डॉ0 राघवेन्द्र शर्मा की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र-123 के अन्तर्गत बल्लिया सोसायटी से रामपुर काकर तक पक्के सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में है, नवासीवीं सूचना श्री आलमबदी जनपद आजमगढ़ के अधिशाषी अभियन्ता के पद भरे जाने के सम्बन्ध में है, नब्बेवीं सूचना श्री सचिन यादव की जनपद फिरोजाबाद के कस्बा जसराना बाईपास मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यानबेवीं सूचना श्री राम अवतार सिंह की जनपद बिजनौर के विकास खण्ड बुधनपुर ग्राम गल्लाखेडी से मुदाखेडी मार्ग पर कन्दुला नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बानबेवीं सूचना श्री मोहित सोनकर उर्फ राहुल बच्चा की जनपद उन्नाव के दुबेपुर में तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरानबेवीं सूचना श्री नन्द किशोर की जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र लोनी के अन्तर्गत मीरपुर हिन्दू में एक मेडिकल कॉलेज बनवाए

जाने के सम्बन्ध में है, चौरानबेवीं सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा में भूपौली मुख्य नहर से सिकरौरा सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बध में है, पंचानबेवीं सूचना श्री जय प्रकाश अंचल जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में ट्रामा सेंटर की स्थापना कराये जाने के में है, छियानबेवीं सूचना श्री राज प्रसाद उपाध्याय की जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत कतिपय जर्जर मार्गों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तानबेवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत माँ कामाख्या भवानी मन्दिर स्थल का विकास कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठानबेवीं सूचना श्री पंकज की जनपद जौनपुर के बेलवार घाट तिराहा से सई नदी तक पुल के सड़क की मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध है, निन्यानबेवीं सूचना श्रीमती केतकी सिंह की जनपद बलिया के बांसडीह विधान सभा क्षेत्र में डुमरिया से सहतावर रेलवे क्रासिंग पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, सौवीं सूचना डॉ0 नीरज बोरा की जनपद लखनऊ के काल्विन इण्टर कॉलेज सेरिटायर्ड प्रवक्ता को पेंशन दिलाये के सम्बन्ध में है, एक सौ एकवीं सूचना श्री वीरेन्द्र चौधारी जनपद महराजगंज के फरेंदा शहर में बस स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ दोवीं सूचना श्री बाबूलाल की जनपद आगरा की फतेहपुर सीकरी की ग्राम रायमा, संधान तथा रूनकता को नगर पंचायत का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ तीनवीं सूचना श्री विजय पाल (आढ़ती) की जनपद हापुड़ की नगर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम नूरपुर में इण्टर कॉलेज का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ चारवीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की जनपद अमेठी की गौरीगंज विधान सभा क्षेत्र CRF के अन्तर्गत रामगंज से भुसियावा वाया शाहगढ़ सड़क के अधूरे पड़े सड़क निर्माण कार्य के सम्बन्ध में है, एक सौ पाँचवीं सूचना श्री स्वामी ओउ्मवेश की सैदपुर जागीर खसरा संख्या-36 (स) निकट भुइयन देवी तिराहा सब-स्टेशन न्यू कैम्पस, लखनऊ के समीप श्रीमती राम बेटी देवी के प्लाट से लगे सार्वजनिक रोड पर प्राइवेट बिल्डर द्वारा बिजली विभाग के कर्मचारियों के शह पर रखे ट्रांसफार्मर वहाई एक्सटेंशन लाइन के जरिये बिजली देने की जाँच के सम्बन्ध में है, एक सौ छवीं सूचना श्री उमर अली खान की जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र बेहट की फुल कॉलोनी व इंदिरा कॉलोनी को कस्बा बेहटा अन्य ग्राम पंचायत में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में हैं, एक सौ सातवीं सूचना श्री बृजेश कुमार की ग्राम सभा सिधियावां में 7 वर्ष से कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी (अंजुम) की मिलीभगत से बिना इण्टरलॉकिंग लगाये लाखों रुपये हड़प कर बन्दरबांट किये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ आठवीं सूचना श्री आशु मालिक की उद्यान एवं खाद्य प्रंस्करण विभाग द्वारा नए उद्यमियों को सब्सिडी न दिए जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ नौवीं सूचना श्री अतुल प्रधान की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र में कस्बा लावड में स्थायी किसान मण्डी बनाये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ दसवीं सूचना श्री मोहम्मद फहीम इरफान की जनपद मुरादाबाद की बिलारी तहसील के अन्तर्गत ग्राम जरगांव और नमैनी गद्दी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का पुनः निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ ग्यारहवीं सूचना श्री समरपाल सिंह की जनपद अमरोहा के

विधान सभा क्षेत्र नौगावां में तहसील बिल्डिंग बनवाए जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ बारहवीं सूचना श्री हंसुराम की जनपद बलिया के तहसील रसड़ा के ग्राम जेठवार याकूबपुर के कन्हैया पुत्र गौरी की जमीन को हड़पने के सम्बन्ध में है, एक सौ तेरहवीं सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की जनपद बुलन्दशहर के कैलाश हॉस्पिटल द्वारा बरती गयी लापरवाही के सम्बन्ध में है, एक सौ चौदहवीं सूचना श्री गणेश चन्द्र की जनपद संतकबीरनगर के धनघटा के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग का निरीक्षण भवन बनवाए जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ पन्द्रहवीं सूचना श्री अजय सिंह की जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र करनैलगंज के लखनऊ-गोण्डा हाई-वे पर रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ सोलहवीं सूचना श्री बम्बालाल की विद्युत वितरण प्रथम अन्तर्गत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेंद्र माखी से 11 के0वी0 बिरसिंगपुर, रायपुर गढ़ी, शाहपुर, भादेमू तक लगभग एक किमी0 लाइन बना कर जोड़ने के सम्बन्ध में है, एक सौ सत्रहवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र नगीना के विकास खण्ड कोतवाली के नगीना-अकबराबाद मार्ग से मलकपुर-अब्दुला मार्ग एवं आबादी भाग में सी0सी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा एक सौ अट्ठारहवीं सूचना श्री अभय सिंह की जनपद अयोध्या के गोसाइगंज विधान सभा क्षेत्र के भूमि से कब्जा हटाने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं)

जनपद सुल्तानपुर की तहसील सदर, विकास खण्ड कूरेभार के अन्तर्गत ग्राम कनौली में बाबा रामकरन कुटी नामक मंदिर की मरम्मत तथा सौन्दर्यीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनोद सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद (सुल्तानपुर के तहसील सदर, विकास खण्ड कूरेभार के अन्तर्गत ग्राम कनौली में बाबा रामकरन दास की कुटी के नाम से एक पुराना मन्दिर है, जो क्षेत्रवासियों की आस्था का प्रतीक है। यहां पर दूर-दराज से काफी श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए आते हैं। प्रतिवर्ष मकर संक्रान्ति के शुभ अवसर पर यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। मंदिर तक जाने के लिये कोई समुचित रास्ता नहीं है तथा वर्तमान समय में मन्दिर काफी पुराना होने के कारण जर्जर हो चुका है क्षेत्रवासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये उनकी आस्था के प्रतीक उक्त धार्मिक स्थल की मरम्मत/पुनर्निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण, चारों तरफ चहारदीवारी के साथ-साथ मंदिर तक पहुंच मार्ग का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः उक्त मंदिर की मरम्मत/पुनर्निर्माण, सौन्दर्यीकरण, चहारदीवारी तथा पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।]

जनपद बागपत के छपरौली विधान सभा क्षेत्र में राजकीय कन्या इण्टर कालेज में पठन-पाठन का कार्य आरम्भ कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि छपरौली विधान सभा क्षेत्र के वि0ख0-छपरौली में राजकीय कन्या इण्टर कालेज टाण्डा का भवन लगभग 1 वर्ष से बनकर तैयार है, लेकिन उक्त कालेज में अभी तक पठन-पाठन का कार्य आरम्भ नहीं हो सका है, जिसके फलस्वरूप टाण्डा एवं आस-पास के ग्रामों के अभिभावकों में भारी रोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त इण्टर कालेज में अगामी शैक्षिक सत्र अप्रैल माह से पठन-पाठन का कार्य शुरू कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद जौनपुर की शाहगंज विधान सभा क्षेत्र में कतिपय मार्गों का चौड़ीकरण तथा सौन्दर्यीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद जौनपुर की शाहगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निम्न मार्गों का चौड़ीकरण व सौन्दर्यीकरण कार्य कराया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है।

1-खेतासराय-डोभी मोड़ से डड़सौली होते हुए अरन्द्र चौराहे तक।

2-लखनऊ-बलिया सम्पर्क मार्ग बडौना पानी की टंकी से चम्पानगर बाजार चिलबिली होते हुए उनुर्रखा बार्डर तक।

3-शाहगंज-जौनपुर मार्ग पर सबरहद होते हुए अरन्द चौराहे तक।

4-लखनऊ-बलिया मार्ग से सुइथाकला ब्लाक मुख्यालय कम्मरपुर होते हुए सरपतहां समोधपुर सम्पर्क मार्ग तक।

5-लखनऊ-बलिया मार्ग से बुमकहां होते हुए अर्सिया बाजार तक।

अतः आपसे अपेक्षा है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए शीघ्र कार्रवाई किये जाने की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र आर्यनगर नवीन मार्केट कानपुर नगर में अवैधानिक वाहन स्टैंड के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमिताभ बाजपेई-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। कानपुर नगर में प्रतिष्ठित नवीन मार्केट का सौन्दर्यीकरण एवं वाहन पार्किंग हेतु क्रिस्टल पार्किंग का निर्माण कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 2016 में लगभग रु0 58 करोड़ से किया गया था। क्रिस्टल पार्किंग बन जाने के बाद से नवीन मार्केट को नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया गया था।

कतिपय तत्वों द्वारा अधिकारियों से सांठगांठ करके अवैध रूप से नो पार्किंग जोन घोषित क्षेत्र में वाहन स्टैंड का संचालन एवं (क्योस्क लगाकर उनसे अवैध वसूली करी जाती है। ग्राहक से बदसलूकी भी की जाती है। इस कारण से, के0डी0ए0 द्वारा बनाई गई क्रिस्टल पार्किंग व सौन्दर्यीकरण दोनों बर्बाद हो रहा है।

अतः आपके माध्यम से अवैध पार्किंग बंद करने व ऐसा न हो पाने का कोई कारण होने पर उसको मुफ्त करने की एवं सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद प्रयागराज की विधान सभा क्षेत्र मेजा के अन्तर्गत रामनगर में अतिक्रमण हटाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संदीप सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहूँता हूँ कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा के अन्तर्गत रामनगर बाजार में सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र के आस पास लोक निर्माण विभाग की जमीन (सड़क) पर लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है जिसके कारण क्षेत्रवासियों को अस्पताल तक मरीजों को पहुॅचनें में अत्यधिक कठिनाइयों के साथ-साथ मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उक्त प्रकरण में कई बार अवगत कराया जा चुका है परन्तु अवैध अतिक्रमण आज तक नहीं हटाया गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर ध्यान आकर्षित कराते हुए जनपद प्रयागराज के रामनगर बाजार में सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र के आस-पास लोक निर्माण विभाग की जमीन (सड़क)/सरकारी जमीन पर से अवैध अतिक्रमण हटाते हुए कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद उन्नाव के भगवन्तनगर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा पहाड़पुर सुबस में श्री दिगम्बर नाथ स्वामी मंदिर परिसर के तालाब को अमृत सरोबर योजना में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत

श्री आशुतोष शुक्ला-

[मान्यवर, मैं लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद उन्नाव में मेरे विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर के तहसील सदर के परगना हडहा के ब्लाक सिकन्दरपुर करन के ग्राम दुबेपुर में श्री दिगम्बरनाथ स्वामी मन्दिर परिसर से लगा हुआ एक तालाब जिसका प्रयोग मन्दिर में विभिन्न धर्मिक आयोजनों तथा अन्य सर्वजनिक हित में ग्रामवासियों द्वारा किया जाता है। उक्त तालाब में मनमाने ढंग से (मत्स्य) पालन का आवंटन पूर्व के कई वर्षों से एक ही व्यक्ति के नाम से आवंटित होता चला आ रहा हैं। जिसमें आवंटन की शर्तों का भी पालन नहीं किया गया है। उक्त पट्टेदार के परिवार के हर एक सदस्य के नाम पूरी ग्राम सभा में कई तालाब के घंटों के आवंटन किये गये हैं। उक्त पट्टेदार द्वारा तालाब में मरी हुई मछलियाँ डाल दी जाती हैं जिससे मन्दिर परिसर में दुर्गन्ध फैलती है और तालाब के आवंटित क्षेत्र में गन्दगी फैलने से ग्रामीणों व मन्दिर में आने वाले श्रद्धालुओं को गन्दगी से परेशानी होती है।

अतः आपसे आग्रह है कि लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए उक्त प्रकरण पर ग्राम सभा पहाड़पुर सुबस में श्री दिगम्बरनाथ स्वामी मन्दिर परिसर के तालाब को पट्टा मुक्त कराकर तालाब को अमृत सरोवर योजना में सम्मलित करते हुए सौन्दर्यीकरण कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद महोबा में 250 फीट से ज्यादा गहरे पहाड़ों के अत्यधिक दोहन पर रोक लगाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश कुमार गोस्वामी-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन में एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को लाना चाहता हूँ। अवगत कराना हैं कि जनपद-महोबा में अत्यधिक दोहन के कारण पहाड़ 250 फीट से ज्यादा गहरे हो गये है जो 250 फीट से अधिक खनन करना माइनिंग एक्ट के विरुद्ध भी है। जिसके कारण दुर्घटनाएं भी आये दिन होती रहती है। बड़ी-बड़ी खाइयां भी बन चुकी हैं यहां से गुजरने वालों को हमेशा दुर्घटना होने की सम्भावना बनी रहती है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण की जाँच करवाकर जनपद-महोबा में 250 फीट से ज्यादा गहरे पहाड़ों के अत्यधिक दोहन पर रोक लगाने हेतु कार्रवाई कराये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-फिरोजाबाद के स्वशासी मेडिकल कालेज में छात्र-छात्राओं का शोषण एवं भ्रष्टाचार की जाँच कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

[मान्यवर, दिनांक 03/12/2022 को जनपद फिरोजाबाद के स्वशासकीय मेडिकल कॉलेज में MBBS प्रथम वर्ष के छात्र शैलेन्द्र कुमार पुत्र श्री उदय सिंह शंखवार निवासी कौशल्या नगर फिरोजाबाद द्वारा कॉलेज प्राचार्य एवं स्टाफ के शोषण के कारण आत्महत्या की गयी।

मेडिकल कालेज में लगातार हो रहे भ्रष्टाचार एवं छात्र-छात्राओं के शोषण की शिकायत मा0 मुख्य मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री एवं प्रमुख सचिव से करने के बाद भी आज तक कोई भी जाँच अथवा कार्रवाई नहीं करायी गयी है। छात्र के अभिभावक द्वारा करायी गयी एफ0आई0आर0 में प्राचार्य महोदया डॉ0 संगीता अनेजा का नाम है एफ0आई0आर0 में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है मृतक छात्र के परिवार को अभी तक एस0सी0एस0टी0 एक्ट के तहत आर्थिक सहायता नहीं दिलायी गई है।

अतः जनहित मैं मेडिकल कालेज में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं के साथ हो रहे शोषण, मृतक छात्र शैलेन्द्र सिंह की आत्महत्या में शामिल दोषियों की जाँच एवं स्वशासकीय मेडिकल कालेज में प्राचार्य एवं (स्टाफ) द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ टीम गठित कर जाँच कराने की माँग करता हूँ।]

जनपद गोरखपुर की विधान सभा क्षेत्र बांसगांव के अन्तर्गत सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त बस स्टॉप सहित बस स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 विमलेश पासवान-

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र बांसगांव के सबसे महत्वपूर्ण मार्ग एन0एच0-29 जो कि महावीर छपरा से होते हुए क्षेत्र के सभी कस्बों को जाती है जैसे कि कसीहार, कौडिराम, भलुवान, गगहा, हाटा को जोड़ती है। इन सभी जगहों पर यात्रियों को जाने के लिए कोई बस स्टॉपेज न होने के कारण सड़कों पर खड़े होकर यात्री बस का इन्तजार करते हैं, महिलायें एवं बालिकाओं को शौचालय न होने के कारण शर्मिन्दगी का सामना करना पड़ता है। जनहित में एन0एच0-29 पर सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त बस स्टॉपेज बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त स्थान पर बस स्टॉपेज बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद प्रयागराज की प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में महिला डिग्री कालेज एवं राजकीय इण्टर कॉलेज बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विजमा यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व एवं जनहित के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ। मान्यवर मेरे विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर जनपद प्रयागराज बहुत ही पिछड़ा है लड़कियों की शिक्षा हेतु एक भी राजकीय कॉलेज या महिला डिग्री कॉलेज न होने के कारण लड़कियाँ शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। यह हमारी विधान सभा क्षेत्र का जनहित का अति आवश्यक कार्य है जो जनता से जुड़ा कार्य है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से उपरोक्त महिला डिग्री कालेज एवं राजकीय इण्टर कालेज बनवाने की मांग करती हूँ।]

जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ के खुरहण्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रकाश द्विवेदी-

[मान्यवर, कृपया निवेदन पूर्वक सूचित करना है कि खुरहण्ड में अतर्रा 17 किमी0 है तथा आस-पास के 40 गांव निकट है तथा विकास खण्ड महुआ का मुख्य बाजार है तथा बांदा-प्रयागराज राष्ट्रीय राज मार्ग पर स्थित है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बन जाने से ग्रामीणों को बहुत लाभ मिलेगा। जनहित व लोकहित में विकास खण्ड महुआ के खुरहण्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (नया) बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के उपरोक्त विषय-विकास खण्ड महुआ के खुरहण्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बदायूँ की विधान सभा क्षेत्र दातागंज में नव निर्मित कन्या इण्टर कालेज ढहरपुर कलां में स्टाफ की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ ''बब्बू'' भैया-

[मान्यवर, सादर अनुरोध है कि जनपद बदायूँ, विधान सभा क्षेत्र दातागंज में ढहरपुर कलां में कन्या इण्टर कालेज की स्वीकृति हुई थी, जो बनकर तैयार है। स्टाफ न होने के कारण शिक्षण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है। बेटियों की शिक्षा हेतु इस विद्यालय में शिक्षण कार्य अविलम्ब प्रारम्भ होना अति आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः महोदय से अनुरोध है इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए नव निर्मित कन्या इण्टर कालेज, ढहरपुर कलां में स्टाफ की नियुक्ति करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद मिर्जापुर के मड़िहान विधान सभा क्षेत्र में रोडवेज बस स्टेशन मड़िहान एवं अहरौरा पर मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमा शंकर सिंह-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 399-मड़िहान जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत रोडवेज बस स्टेशन मड़िहान एवं अहरौरा काफी पुराना है। विभाग की जमीन पर्याप्त मात्रा में है। इस स्टेशन की चहारदीवारी व आफिस काफी खराब हाल में है। बस स्टेशन संचालित है जिसका सौन्दर्यीकरण कराकर यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। काफी समय से इसके सौन्दर्यीकरण एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की मांग की जा रही है परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई न होने से यात्रियों में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त बस स्टेशन का सौन्दर्यीकरण कराकर यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद हाथरस में एक प्रदूषण कार्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती अंजुला सिंह माहौर-

[अवगत कराना है कि हाथरस सदर, जिला-हाथरस में कोई भारी वाहनों हेतु कोई प्रदूषण बोर्ड का कार्यालय नहीं है जिस कारण से व्यापारियों को वाहनों के प्रदूषण सम्बन्धी कार्य हेतु दूसरे जिले अलीगढ़ में जाना पड़ता है। जिले में प्रदूषण कार्यालय बनाये जाने से वाहनों का प्रदूषण सम्बन्धी कार्य जनपद हाथरस में ही हो सकेगा। ऐसी दशा में जनहित के दृष्टिगत जनपद हाथरस में प्रदूषण कार्यालय की स्थापना कराया जाना आवश्यक है। प्रश्नगत कार्य हेतु स्थानीय व शासन स्तर पर प्रयास किया गया, किन्तु कोई निराकरण नहीं हो सका है। जनहित में जनपद हाथरस में एक प्रदूषण कार्यालय बनाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बुलन्दशहर के नगर पालिका क्षेत्र में स्थित महापुरुषों के नाम पर निर्मित पार्कों का सौन्दर्यीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि बुलन्दशहर के नगर पालिका क्षेत्र में स्थित महापुरुषों के नाम से चौधरी चरण सिंह पार्क भूड़ चौराहा पर, महाराणा प्रताप पार्क बलीपुरा नहर पर सुभाषचन्द्र बोस पार्क, गांधी पार्क चौक बाजार में, बाबू बनारसीदास पार्क स्याना अड्डा आदि पार्कों का सौन्दर्यीकरण कराये जाने का कष्ट करें जिससे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके।

अतः जनहित में उपरोक्त पार्कों का सौन्दर्यीकरण कराया जाना अति आवश्यक है।इस क्षेत्र की जनता आपकी सदैव आभारी रहेगी।]

जनपद हापुड़ की विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के अन्तर्गत ग्राम जमालपुर में हरोड़ा पुल से ग्राम सिगनपुर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरेन्द्र सिंह-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र-60, गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ में ग्राम-जमालपुर में हरौड़ा पुल से ग्राम-सिगनपुर तक सड़क मार्ग लम्बाई लगभग 03 किमी0 अत्यन्त खराब होने के कारण आये दिन अप्रिय घटनायें होती रहती हैं। उक्त मार्ग को बनवाया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद कासगंज के अन्तर्गत अमांपुर में रजबाहों की सफाई कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिओम-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जनपद-कासगंज के अन्तर्गत 101 विधान सभा क्षेत्र अमाँपुर में स्थित निम्नलिखित रजबाहों में पानी अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुँच रहा है जिससे किसानों की फसलों को ससमय पानी नहीं मिल रहा है। रजबाहों की सफाई पूर्व में हो चुकी है लेकिन मानक के अनुसार नहीं की गयी जिससे क्षेत्रीय किसान काफी परेशान है। उक्त गम्भीर समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

1-बाछमई रजबाह।

2-लखमीपुर रजबाह।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3-हाथी नगला रजबाह।

4-जमालपुर रजबाह।

5-राम छितौनी राजबाह।

उपरोक्त कार्य हेतु मेरे द्वारा पूर्व में कई बार शासन व प्रशासन को प्रार्थना-पत्र दिये गये किन्तु अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद कासगंज के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित रजबाहों की अतिशीघ्र सफाई कराये जाने की मांग करता हूँ।]

लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के विज्ञापन संख्या-2/2020-21, विभाग सं0 एस0 3/14 की भर्ती में पिछड़ा वर्ग के एक भी पद न भरे जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 पल्लवी पटेल-

[मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में अतिमहत्वपूर्ण विषय लाना चाहती हूँ कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के विज्ञापन सं0 2/2020-21, विभाग सं0 एस-3/14 के द्वारा विज्ञापित उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान के रिक्त 13 पदों (दस पद अनारक्षित, एक पद उ0प्र0 के आर्थिक रूप से कमजोर लोग, एक पद अनुसूचित जाति एवं एक पद अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित) पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु दिनांक 3 व 4 जनवरी, 2023 को मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार सम्पन्न किया गया। साक्षात्कारोपरान्त सं0 34/(5)/01 डीआर/एस-3/2020-21 टी0सी0-14, प्रयागराज दिनांक 5 जनवरी, 2023 को श्रेष्ठता क्रमानुसार नियुक्ति-पत्र जारी किया गया। किन्तु एक भी पद अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न ही आरक्षित किया गया न ही आरक्षण नियमों का पालन किया गया।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाही की मांग करती हूँ।]

जनपद सहारनपुर की नगर विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव गुम्बर-

[मान्यवर, जनपद सहारनपुर की नगर विधान सभा क्षेत्र की उत्तम विहार, अंशिका विहार, कृष्णाकुंज, कृष्णाधाम, हनुमान नगर, श्यामनगर, ज्ञानागढ़, शाकुम्भरी विहार आदि

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कालोनियों में ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत फीडरों से विद्युत आपूर्ति की जा रही, इस कारण से इस क्षेत्र के निवासियों को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इस क्षेत्र के जनजीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जनहित में नगरीय क्षेत्र की कालोनियों को नगरीय विद्युत आपूर्ति का लाभ दिया जाना चाहिए।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए नगरीय क्षेत्र की कालोनियों को नगरीय विद्युत आपूर्ति का लाभ दिये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के ग्राम रेत्ता नगला में माइनर को पक्का कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल कुमार-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी ग्राम रेत्ता नगला में माइनर गॉव की बस्ती के बीच से गुजर रही है, पूरी तरह से कच्ची है और दोनों ओर की पटरिया कच्ची है। बस्ती के बीच में आने के कारण ग्रामवासियों को आवागमन में बहुत ही परशानी होती है। उक्त माइनर एवं उसकी दोनों साइड की पटरी को पक्का कराये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग को भी अवगत कराया गया लेकिन अभी तक उक्त कार्य नहीं कराया गया है, जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त ग्राम रेत्ता नगला में माइनर एवं दोनों ओर की पटरी को पक्का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत रसड़ा शहर में लोक निर्माण विभाग का गेस्ट हाऊस बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सुचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना है कि जिला मुख्यालय बलिया से आजमगढ़ कमीशनरी जाने एवं गोरखपुर देवरिया से वाराणसी जाने वाले रास्ते के मुख्य मार्ग पर ही रसड़ा पड़ता है। जहाँ पर लोक निर्माण विभाग का कोई गेस्ट हाउस नहीं है। तुर्तीपार गाजीपुर स्टेट हाई-वे पर ही छितौनी में गेस्ट हाउस हेतु भूमि उपलब्ध है, जहाँ पर गेस्ट हाउस बनाया जा सकता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अस्तु इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर के अन्तर्गत विकास खण्ड काकोरी में लखनऊ विश्वविद्यालय की शाखा खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश्वर सिंह

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर, लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम सभा शिवरी, विकास खण्ड-काकोरी में कृषि विभाग की भूमि में से लखनऊ विश्वविद्यालय की नई शाखा स्थापित किए जाने की माँग की जा रही है। इस क्षेत्र में छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विश्वविद्यालय न होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। व्यापक जनहित में लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा जिलाधिकारी, लखनऊ से ग्राम सभा शिवरी, विकास खण्ड काकोरी में कृषि विभाग की भूमि में से अपेक्षित भूमि हस्तान्तरित कराए जाने का अनुरोध किया गया है, किन्तु कृषि विभाग द्वारा अभी तक भूमि हस्तगत नहीं हो पाई है, जिसके कारण लखनऊ विश्वविद्यालय की नई शाखा खोले जाने हेतु अग्रिम कार्रवाई लम्बित है। ऐसी परिस्थिति में स्थानीय जनता में रोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर ध्यान आकृष्ट करते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय की नई शाखा स्थापित किए जाने हेतु भूमि हस्तान्तरित कराए जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद झांसी की सदर विधान सभा क्षेत्र के प्रेम नगर क्षेत्र में राजकीय अस्पताल स्थापित कराये जाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवि शर्मा-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र झाँसी-सदर के प्रेमनगर (नगरा) क्षेत्र एक बड़े भू-भाग में फैला हुआ है, जिसकी आबादी लगभग 01 लाख से ज्यादा है। उक्त क्षेत्र में नगर निगम के 06 वार्ड सम्मिलित हैं, लेकिन महानगर के इतने बड़े क्षेत्र और आबादी के बावजूद यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएँ एकदम अपर्याप्त हैं। यहाँ के निवासियों को अपने इलाज के लिए प्रेमनगर (नगरा) से सीधे शहर के राजकीय जिला अस्पताल आना पड़ता है, जोकि प्रेमनगर (नगरा) से कई किलोमीटर दूर है। आकस्मिक चिकित्सा की स्थिति में इस क्षेत्र के निवासियों के लिए हालात अत्यन्त पीड़ाजनक हो जाते हैं। प्राथमिक एवं आकस्मिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एक अस्पताल अत्यन्त आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में सभी सुविधाओं से युक्त एक राजकीय अस्पताल स्थापित कराये जाने की माँग क्षेत्र की जनता अनेक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वर्षों से कर रही है। जनहित में प्रेमनगर (नगरा) क्षेत्र जोकि एक बड़े भू-भाग में फैला हुआ है, में सभी सुविधाओं से युक्त एक राजकीय अस्पताल स्थापित किया जाना आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की माँग करता हूँ।]

जनपद एटा के अलीगंज विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यपाल सिंह राठौर-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद एटा के अलीगंज विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत तहसील मुख्यालय पर कोई राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज स्थित नहीं है। जिला मुख्यालय लगभग 55 किलोमीटर दूर है जिस कारण से अलीगंज की बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करने एटा मुख्यालय जाना पड़ता है। जनहित में अलीगंज विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

ग्रेटर नोयडा (वेस्ट) में मेट्रो का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धीरेन्द्र सिंह-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि ग्रेटर नोएडा (वेस्ट) में मेट्रो का निर्माण प्रस्तावित है जोकि अभी तक मूर्त रूप नहीं ले सका है और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने के कारण ग्रेटर नोएडा (वेस्ट) में लाखों की संख्या में रहने वाले निवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जनहित में ग्रेटर नोएडा (वेस्ट) में मेट्रो का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद शाहजहांपुर की निगोही के ग्राम पंचायत ढकिया तिवारी में एक विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सलोना कुशवाहा-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अत्यन्त लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर ले जाना चाहती हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र-133, तिलहर जनपद-शाहजहाँपुर के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विकास-खण्ड निगोही के ग्राम पंचायत ढकिया तिवारी में एक विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। उक्त के न होने से उपभोक्ताओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से अविलम्बनीय वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के ग्राम-रामपुर गिरण्ट में एक विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लालजी वर्मा-

[मान्यवर, जनपद-अम्बेडकरनगर विधान सभा क्षेत्र-277, कटेहरी के अन्तर्गत ग्राम सभा रामपुर गिरण्ट सुल्तानपुर बार्डर पर स्थित है जहाँ पर विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है जिससे क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता की मांग है कि सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति हेतु ग्राम सभा रामपुर गिरण्ट में एक विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कराया जाये ताकि निर्बाधि विद्युत आपूर्ति होती रहे।

अस्तु इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए ग्राम सभा रामपुर गिरण्ट में एक विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के ग्राम सभा दाउदपुर बुढ़वा बाबा देव स्थान एवं तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अचल राजभर-

[मान्यवर, जनपद-अम्बेडकरनगर विधान सभा क्षेत्र-281, अकबरपुर विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा दाउदपुर बुढ़वा बाबा देव स्थान एवं तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने की मांग काफी समय से हो रही है। उक्त का सौन्दर्यीकरण न होने के कारण क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त देव स्थान एवं तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कुशीनगर में एक मल्टी स्पेशियलिटी हास्पिटल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक)-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद कुशीनगर महात्मा बुद्ध की पावन महापरिनिर्वाण स्थली है। यहाँ लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष पर्यटक धार्मिक यात्रा के लिये आते हैं। इस स्थल का धार्मिक महत्व अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्मावलम्बियों की आस्था इतनी है कि लगभग सभी बौद्ध देशों की आस्था का केन्द्र है। उपरोक्त महत्व को दृष्टिगत रखते हुये मल्टी स्पेशियलिटी हास्पिटल की स्थापना किया जाना क्षेत्रवासियों की पुरानी माँग है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।]

जनपद बरेली के तहसील बरेली में बरेली नैनीताल हाई-वे से धौरा-टांडा मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शहजिल इस्लाम अंसारी-

[मान्यवर, बरेली जनपद के तहसील बरेली में बरेली-नैनीताल हाई-वे से धौरा-टांडा मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त पड़ा है। उक्त रास्ते पर आटा मांडा इण्टर कालेज है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राइस मिल इसी मार्ग पर स्थित है, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार को करोड़ों की धनराशि का राजस्व प्राप्त होता है। यह मार्ग कई गांवों को जोड़ता है। इस रास्ते के जर्जर होने से जहाँ एक ओर छात्र-छात्राएं परेशान है, तो वहीं ग्रामीण और किसान भी परेशान है। कई बार उक्त सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, परन्तु अभी तक उक्त रास्ते का निर्माण नहीं हो पाया है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए बरेली-नैनीताल हाई-वे से धौरा-टांडा मार्ग टांडा तक सड़क का चौड़ीकरण व सौन्दर्यीकरण निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद रामपुर की रामपुर मनिहारन में हिंडन नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन जनपद रामपुर में हिंडन नदी पर पुल न होने के कारण यहां के निवासियों कृषकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिंडन नदी पर सहारनपुर से ग्राम हसनपुर, भलसवा, कर्पूरी, बेरीजमा, कपासा-कपासी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आदि 30 गांवों का सम्पर्क रास्ता नदी के नीचे से छोटी क्षतिग्रस्त पुलिया से होकर निकलता है जिस कारण से प्रायः यहां पर गम्भीर हादसे एवं जानमाल की क्षति भी होती रहती है। पुल के निर्माण न हो पाने के कारण इन ग्रामवासियों को 7-8 किलोमीटर की लम्बी दूरी तय करके आना पड़ता है जिस कारण से रामपुर मनिहारन में हिंडन नदी पर पुल का निर्माण किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवंत नगर के ग्राम दुबेपुर में बच्चों के खेल की सुविधा हेतु स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज गुप्ता-

[मान्यवर, मैं लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद उन्नाव में तहसील सदर के परगना हड़हा के ब्लाक सिकन्दरपुर करन के ग्राम दुबेपुर में खेल के मैदान के रूप में दर्ज गाटा संख्या-498 रकबा 0-7590 हे0 व गाटा सं0 545 रकबा 0-5190 हे0 दर्ज है। लेकिन वहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए उचित स्थान नहीं बचा है। जबकि माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा प्रदेश सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम का निर्माण करा रही है।

अतः आपसे आग्रह है कि लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए उक्त प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए बच्चों के खेलने के लिए उक्त स्थान पर स्टेडियम का निर्माण कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद मिर्जापुर के औराई मिर्जापुर से मुजेहरा खुर्द सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र चौरसिया-

[मान्यवर, निवेदन है कि मैं आप के माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद-मीरजापुर के औराई-मीरजापुर हाई-वे से मुजेहरा खुर्द (महुअरिया) सम्पर्क मार्ग पर श्री लक्ष्मीचन्द पुत्र स्व0 खिलोधर के घर से श्री शिवगुलाब पाल पुत्र कल्लू पाल के घर तक कुल दुरी (लगभग 200 मीटर) तक की सड़क क्षतिग्रस्त है तथा जगह-जगह गड्ढे होने के कारण आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती है तथा वहां की क्षेत्रीय जनता में काफी रोष व्याप्त है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मा0 अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर जनहित में जनपद-मीरजापुर के औराई-मीरजापुर हाई-वे से मुजेहरा खुर्द (महुअरिया) सम्पर्क मार्ग पर श्री लक्ष्मीचन्द पुत्र स्व0 खिलोधर के घर से श्री शिवगुलाब पाल पुत्र कल्लू पाल के घर तक कुल दुरी (लगभग 200 मीटर) तक की क्षतिग्रस्त सड़क के जीर्णोद्धार कराये जाने हेतु वक्तव्य की माँग करता हूँ।]

जनपद गोंडा के तरबगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चांदीपुर में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेम नरायन पाण्डेय-

[मान्यवर, अगवत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र-299, तरबगंज के अन्तर्गत पूर्व से प्रस्तावित ग्राम पंचायत चंदीपुर विकास खण्ड तरबगंज में विद्युत आपूर्ति हेतु 33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराना अत्यन्त आवश्यक है। ग्राम पंचायत सहित आस-पास में विद्युत उपकेन्द्र न होने के कारण गांव में लो-वोल्टेज की समस्या बनी रहती है एवं विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

बस्ती मण्डल के समस्त सरकारी अस्पतालों में जाँच की सुविधा को उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र नाथ यादव-

[मान्यवर, उपरोक्त विषयक प्रकरण आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना चाहता हूँ की मेरा विधान सभा क्षेत्र बस्ती मण्डल मुख्यालय है और मण्डल में एक मात्र मेडिकल कॉलेज महर्षि वशिष्ठ स्वशासी राजकीय महाविद्यालय स्थित है जिसमें अगल-बगल के जनपदों से लोग इलाज के लिए आते रहते हैं। लेकिन मेडिकल कालेज से लेकर किसी भी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान चाहे वह जिला चिकित्सालय बस्ती हो या जिला महिला चिकित्सालय बस्ती हो या मण्डल का कोई भी अन्य स्वास्थ्य केंद्र हो, कहीं भी सीटी स्कैन एम0आर0आई0 जैसी ज्यादातर अत्यंत आवश्यक जांचें नहीं हो पाती हैं। यह ऐसी महत्वपूर्ण जाँचें हैं जो दुर्घटनाओं के वक्त तत्काल की जानी अत्यन्त आवश्यक होती हैं। अतः इन जाँचों हेतु प्राथमिकता के आधार पर तत्काल आवश्यक मशीनें लगाये जाने व टेक्नीशियन नियुक्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराए जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद जौनपुर के जाफराबाद विधान सभा क्षेत्र में होम्योपैथिक चिकित्सालय का भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र जफराबाद के अन्तर्गत होम्योपैथिक चिकित्सालय पचेवरा में संचालित है, वहाँ मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है, जमीन भी उपलब्ध है,परन्तु आज तक भवन नहीं बन पाया है, चिकित्सालय किराये के मकान में चल रहा है। वहाँ भवन बनना अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्वपूर्ण प्रश्न पर मा0 आयुष चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।]

जनपद बरेली की फरीदपुर विधान सभा क्षेत्र में दो ओवर हेड टैंक बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

प्रो0 श्याम बिहारी लाल-

[मान्यवर, सूच्य है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-122, फरीदपुर जनपद बरेली के फरीदपुर नगर की जनसंख्या वर्तमान में एक लाख से ऊपर है हाउस होल्ड कनेक्शनों की संख्या 7-5 हजार है। एक ओवरहेड वाटर टैंक होने के कारण नगर में अधिकतर हिस्से में पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जनहित में फरीदपुर नगर में दो ओवरहेड टैंक का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद एटा के मारहरा विधान सभा क्षेत्र में रतिभानपुर सम्पर्क मार्ग से लालपुर तक विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-105, मारहरा, जनपद-एटा के मारहरा रतिभानपुर सम्पर्क मार्ग से लालपुर तक मार्ग लम्बाई लगभग 1-5 किमी0 मार्ग क्षतिग्रस्त अवस्था में है जिस कारण से स्थानीय नागरिकों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जनहित में इस मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम विनोहनी चौराहा से रानीयापुर तक मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कैलाश नाथ-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र-291, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत चौधरीडीह मार्ग पर ग्राम विनोहनी चौराहा से रनियापुर (हिडुली कलां) तक लगभग 5 किमी0 मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाने अथवा स्थान-स्थान पर कच्चा होने के कारण आवागमन के लायक नहीं रह गया है। जिसका जनहित में विशेष मरम्मत/पुनर्निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद गाजीपुर के जखनियां विधान सभा क्षेत्र में कतिपय मार्गों एवं पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बेदी-

[मान्यवर, अविलम्बनीय अत्यन्त लोक हित के विषय पर मा0 मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जखनियां अति पिछड़ा क्षेत्र है। यहां पर पहुँच मार्गों एवं लघु सेतुओं का अभाव है, जिससे जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

1-घटारो उचौरा के बीच दोना नदी पर लघु सेतु एवं पहुँच मार्ग।

2-धुरेहरा टोडरपुर के बीच मगई नदी पर लघु सेतु एवं पहुँच मार्ग।

3-रायपुर चिरैयाकोट सम्पर्क मार्ग के माधवटांडा में बेसो नदी पर लघु सेतु एवं पहुँच मार्ग

4-रसुलपुर खुटहन के बीच खरारी नदी पर लघु सेतु एवं पहुँच मार्ग 5-N.P. बिजहरी नई बस्ती के पास उदन्ती नदी पर छलका पुल का निर्माण।

अतः इस अविलम्बनीय अत्यन्त लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सहारनपुर के नकुड विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीणों तक शुद्ध पेयजल पहुँचाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकेश चौधरी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ, कि मेरी विधान सभा क्षेत्र नकुड क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिरसका में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में वर्ष 2012 में पानी की टंकी का निर्माण कराया गया था। परन्तु उक्त टंकी की पाईप लाईनों में अति अल्पावधि में छिद्र हो जाने के कारण टंकी के पानी में नालियों/बरसात का पानी मिक्स हो जाने के कारण ग्रामवासी दूषित पानी पीने को विवश है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है। ग्रामीणों के स्वास्थ्य के दृष्टिगत उक्त टंकी पर सुधारात्मक कार्य करके ग्रामीणों तक शुद्ध पेयजल पहुँचाना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अर्न्तगत इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद गोरखपुर के चिल्लूपार विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक गोला के अन्तर्गत सरयू नदी पर बन रहे आजमगढ़ के रौनापार को जोड़ने के लिए पुल का कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश त्रिपाठी-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार जनपद गोरखपुर के ब्लाक गोला अन्तर्गत सरयू नदी आजमगढ़ के रौनापार को जोड़ने के लिए एक बड़े पुल का निर्माण गत 6 वर्ष से चल रहा था जो अभी 3 महीने से पूरी तरह बन्द हो गया है। इस पुल के 80 प्रतिशत पीलर नदी में ढाले जा चुके हैं। इस समय सारा सामान भी कार्यदायी संस्था उठाकर ले जा चुकी है, जबकि गोरखपुर और आजमगढ़ की लाखों की आबादी वाले क्षेत्र को जोड़ने वाले इस पुल का निर्माण शीघ्र पूरा कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त पुल के अवशेष निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराकर चालू कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

विधान सभा क्षेत्र कालपी में हमीरपुर शाखा नहर के किनारे की पटरी काटने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनोद चतुर्वेदी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कालपी में हमीरपुर शाखा नहर है, जिसकी पटरी एवं किनारे बहुत ही

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जीर्ण-शीर्ण हालात में हैं। जिस वजह से नहर के किनारे की पटरी के कटने की वजह से पानी हमेशा बर्बाद होता रहता है। जिसे ठीक कराने हेतु कई बार जिला प्रशासन के अनुरोध किया जा चुका है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उक्त कार्य न होने के कारण सरकार के प्रति क्षेत्रीय जनता में काफी रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से जनता की परेशानी को देखते हुए यथाशीघ्र उक्त नहर की पटरी की मरम्मत कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद गोंडा के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत रुपईडीह मुख्यालय पर एक नया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बावन सिंह-

[मान्यवर, जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार विकास खण्ड-रुपईडीह में जब से ब्लाक बना तब से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है। नया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र वर्ष 2012-13 में पूर्ववर्ती सरकार में खरगूपुर में स्थापित कर दिया गया जो ब्लाक मुख्यालय रुपईडीह से 30 किमी0 दूर है। मेरे क्षेत्र के पचास ग्रामों की जनता को खरगूपुर इलाज हेतु एवं पुलिस मेडिकल कराने 30 किमी0 दूर जाना पड़ता है। वि0खं0-रुपईडीह बड़ा ब्लाक है इस ब्लाक को तोड़कर दूसरा ब्लाक खरगूपुर के नाम से बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जनहित में प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र रुपईडीह को उच्चीकृत करते हुये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद फर्रूखाबाद के अन्तर्गत कायमगंज विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड शमसाबाद व अन्य स्थानों में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 सुरभी-

[मान्यवर, जनहित एवं लोक महत्व के विषय आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कायमगंज में 96000 विद्युत उपभोक्ता है जिसके सापेक्ष केवल आठ विद्युत उपकेंद्र हैं। विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कम से कम तीन विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना करना अति आवश्यक है। जिसमें विकास खण्ड शमसाबाद में शुकुरलापुर, नवाबगंज विकास खण्ड में अचरा बाकरपुर तथा कायमगंज विकास खण्ड में मेंदपुर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में किया जाना अति आवश्यक है जिससे वोल्टेज ड्राप जैसे समस्याओं से निजात पाया जा सके जिससे कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बिना अवरोध सिंचाई व्यस्था सुचारु रूप से चल सके।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल जनपद फर्रूखाबाद के अन्तर्गत कायमगंज विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड शमसाबाद में शुकुरलापुर, नवाबगंज विकास खण्ड में अचरा बाकरपुर तथा कायमगंज विकास खण्ड में मेंदपुर विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना किये जाने हेतु शीघ्र कार्यवाही की माँग करती हूँ।]

जनपद जौनपुर के समस्त तहसीलों में गोंड जाति का प्रमाण-पत्र को स्क्रूटिनी कमेटी द्वारा निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 आर0के0 पटेल-

[मान्यवर, जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है जनपद जौनपुर के समस्त तहसील में गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति में भारत सरकार द्वारा राजज्ञा जारी किया गया हैं, परन्तु जनपद जौनपुर में गोंड धुरिया जाति का प्रमाण-पत्र सुगमता पूर्वक जारी नहीं हो पा रहे है, एवं जिन पात्र व्यक्तियों के प्रमाण-पत्र बने है उन्हें भी स्क्रूटनी कमेटी के द्वारा अवैध तरीकों से निरस्त किये जा रहे हैं। जबकि समाज कल्याण अनुभाग द्वारा गोंड़ जाति के जाति प्रमाण-पत्र जारी करते समय यदि आवेदक के पास शैक्षणिक संस्थान टी0सी0 356 फ0 एवं 1359 फ0, कुटुम्ब रजिस्टर में दर्ज है तो, उसे जारी करने का आदेश दिया गया तथा जिसके पास अभिलेख नहीं है तो निर्विवाद गोंड परिवार से जांच-पड़ताल कर जारी किया जाए।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल जनपद जौनपुर के समस्त तहसीलों में गोंड जाति का प्रमाण-पत्र सुगमता पूर्वक जारी किये जाने हेतु शीघ्र कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद मिर्जापुर के सीमावर्ती जनपद भदोही से निकल रहे प्रदूषित जल निकासी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रत्नाकर मिश्रा-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद मिर्जापुर का विकास खण्ड कोन (चिल्ह) जो जनपद भदोही की नगर पंचायत खमरिया के समीप बसा हुआ है। जनपद भदोही की नगर पंचायत खमरिया में कालीन धुलाई के कारखाने स्थित होने के कारण धुलाई से उत्सर्जित प्रदूषित जल से ग्राम पंचायत जगापट्टी की सैकड़ों एकड़ भूमि बंजर होती जा रही है और भू-गर्भ जल भी प्रदूषित हो गया है। जिसके कारण जलजनित

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अनेकों बीमारियों से ग्रामीण ग्रसित हो रहे हैं। जनता की माँग को दृष्टिगत रखते हुए नगर पंचायत खमरिया जनपद भदोही में स्थित कालीन धुलाई कारखाने से निकलने वाले प्रदूषित जल का समाधान कराया जाना जनहित में होगा।

अतः आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हए सरकार द्वारा उचित कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद जौनपुर के बदलापुर विधान सभा क्षेत्र में कतिपय ग्रामों में प्राइमरी विद्यालय का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत वि0ख-बदलापुर में ग्राम बहुर, लच्छीपट्टी, सिंगरामऊ, कुमारपट्टी, शाहपुर विकास खण्ड निषाद बस्ती में प्रा0 विद्यालय का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उक्त ग्रामों में विद्यालय न होने की वजह से बच्चों को 10 से 15 किमी0 की दूरी तय करनी पड़ती है जिससे बच्चों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही किये जाने को मांग करता हूँ।]

जनपद झाँसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र में लखेरी नदी पर गोरपुरा के पास लघु सेतु का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जवाहर लाल राजपूत-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लोक महत्व के विषय को लाना चाहता हूँ। सादर अनुरोध है कि जनपद-झांसी में लखेरी नदी पर गोरपुरा, विकास खण्ड गुरसराय में 25-25 गांवों को नदी के आर-पार आने-जाने में कठिनाई होती है। गुरसराय व गरौठा पहुँचने के लिए अनावश्यक रूप से घूमकर जाना पड़ता है। लोगों को नदी पार कर के जाना पड़ता है। स्थानीय लोगों सहित आस-पास के अन्य लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। यदि उक्त जगह लघु सेतु बन जाय तो क्षेत्र की असिंचित भूमि के लिए पानी मिल जाएगा और किसानों की स्थिति मजबूत हो जाएगी। उक्त स्थान पर लघु सेतु बनवाया जाना आवश्यक है। लगभग 2 वर्षों से लगातार अधिकारियों से अनुरोध करने के बाद भी कोई प्रगति नहीं हुयी है, जिससे स्थानीय लोगों में निराशा है।

गरौठा विधान सभा क्षेत्र में लखेरी नदी पर गोरपुरा के पास लघु सेतु पर पुल का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आर0टी0आई0 प्रयोगकर्ताओं की समस्यों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविदास मेहरोत्रा-

[मान्यवर, मैं आप के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ जो राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित है।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 के पत्र संख्या-रा0प0 131/43-2-2017, दिनांक/ मार्च, 2017 की ओर मा0 सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। जो राज्यपाल सचिवालय उ0प्र0 से प्राप्त शिकायती पत्रों पर कार्रवाई के विषयक में था। उक्त पत्रों के माध्यम से कार्रवाई हेतु राज्यपाल सचिवालय ने 10 पत्र लिखे हैं इसके बाद भी विभाग ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की हैं जिस कारण से आर0टी0आई प्रयोगकर्ताओं व जन मानस में शासन, प्रशासन व सूचना आयोग के प्रति भारी रोष व्याप्त है।

अतः आर0टी0आई प्रयोगकर्ताओं/जनहित में प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 के पत्र संख्या/132/43-2-2017, दिनांक 22 मार्च, 2017 के तहत जल्द से जल्द कार्यवाही कराये जाने की कृपा करें।]

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डाक्टरों के आवास की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

[मान्यवर, जनपद सिद्धार्थनगर के मेरे विधान सभा क्षेत्र इटवा मे एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण वर्ष 1980-81 में हुआ यह पहले 20 बेड का था, अब बढ़ाकर 60 बेड का कर दिया गया है। परन्तु इसका जो पुराना 30 बेड का भवन तथा डाक्टर व कम्पाउण्डर का निवास आदि जर्जर स्थिति में होने के कारण कभी भी गिर सकता है। इसके प्लास्टर टूट गये हैं, पी0डब्लू0डी0 के अभियंताओं से इसकी जाँच करायी गयी है तो उन लोगों ने बताया कि इस पर अगर दीवालों और छतों पर प्लास्टर कर दिया जाये तो यह अभी 10 साल चलेगा। परन्तु अभी तक शासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मान्यवर, यह बहुत पुराना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है और यहां इटवा भनवापुर, खुनियांव तथा दूर-दूर के मरीज यहां आते हैं, इसमें अल्ट्रासाउण्ड मशीन तथा ऑपरेशन थियेटर सहित आपरेशन के सभी सामान उपलब्ध हैं। अगर इस भवन का रख-रखाव नहीं किया जायेगा तो बड़े पैमाने पर जो इन्स्ट्रूमेण्ट हैं वह सब खराब हो जायेंगे।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतएव मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि इस भवन का शीघ्र से शीघ्र मरम्मत करायें।]

जनपद अमरोहा के धनौरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव पपसरी में राजकीय इण्टर कॉलेज खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव कुमार-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-39, धनौरा जनपद अमरोहा के अन्तर्गत धनौरा ब्लाक के गांव पपसरी खादर अथवा आस-पास के क्षेत्र में कोई भी राजकीय इण्टर कालेज नहीं है। ये गांव खादर क्षेत्र में आता है एवं शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ हं। 8वीं के बाद विशेष रूप से बालिकाएं हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट की पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। जनहित में बालिका शिक्षा को ध्यान में रखते हुए पपसरी खादर में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत मेरठ-करनाल राष्ट्रीय मार्ग पर ग्राम झाल में रोडवेज बसों का ठहराव कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रसन्न कुमार-

[मान्यवर, आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान मेरी आकृष्ट कराना चाहता विधान सभा क्षेत्र-10, सदर, शामली के अन्तर्गत मेरठ करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ग्राम-झाल में पूर्व में रोडवेज बसों का ठहराव होता था लेकिन कई वर्षों से वहाँ पर बसे नहीं रुकती झाल यात्री शेड से अनेकों यात्रियों का मेरठ व शामली आवागमन रहता है। ठहराव न होने के कारण क्षेत्रीय जनता व छात्र-छात्राओं को तरह-तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिसके लिए अनेकों बार ग्राम-झाल में रोडवेज बस के ठहराव हेतु विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया गया है जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में ग्राम-झाल में रोडवेज बसों का ठहराव किये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद चंदौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर में एक चिल्ड्रेन पार्क बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश जायसवाल-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर (मुगलसराय) व नगर पंचायत चन्दौली में चिल्ड्रेन पार्क की अति आवश्यकता है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने भी प्रत्येक जिले में बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये चिल्ड्रेन पार्क स्थापित करने की बात कही थी। पत्र द्वारा चिल्ड्रेन पार्क हेतु शासन को भी अवगत कराया गया है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व/जनहित के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद फतेहपुर के तहसील खागा में अवैध तरीके से आवंटित भूमि की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ब्रजभूषण राजपूत-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद-फतेहपुर के मौजा मलौनी जलालपुर, तहसील खागा, जिला फतेहपुर के आराजी नं0-21 रकबा 0-0570 हैक्टेयर भूमि उसर के खाते में दर्ज है तथा इसी आराजी नम्बर का कुछ अंश दोष मौहम्मद व नूर मौहम्मद के नाम जोत जमीन हेतु गलत व अवैध तरीके से आवंटित की गयी है। उक्त दोष मौहम्मद आदि अपात्र व्यक्ति है तथा सरकारी अध्यापक व व्यवसायी है। उक्त आराजी नम्बर रोड के किनारे स्थित है। उक्त आराजी नम्बर-21 का कुछ भू-भाग नूर मौहम्मद आदि ने बिना जमीन की नौइयत बदलाये गलत व अवैध तरीके से विक्रय कर दिया है। इस अवैध पूर्ण कार्य की शिकायत कलेक्टर फतेहपुर व अन्य अधिकारियों के यहां कई बार स्थानीय नागरिकों ने किया है। कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में जिले के सक्षम अधिकारियों को आदेशित किया जावे कि वे इस आराजी नम्बर के समस्त राजस्व अभिलेखों का अवलोकन कराते हुए उक्त नूर मौहम्मद आदि के विरुद्ध विधिक व दण्डात्क कार्रवाई कराये, जिससे गांव सभा की सम्पत्ति को क्षति पहुंची है, उसकी भरपाई हो सके। जनहित में उपरोक्त तथ्यों पर गौर करते हुए आराजी नम्बर-21, स्थित मौजा मलौनी जलालपुर, तहसील खागा, जिला फतेहपुर पर जो अवैध व गलत तरीके से निर्माण किया जा रहा है उस पर रोक लगायी जाये तथा जो भी मौके पर अवैध निर्माण करवा दिया गया है, उसे ध्वस्त कराकर पूर्व की भांति गांव सभा के खाते में इन्द्राज कराये जाने के आदेश दिया जाना आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मै आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बलदेव के अन्तर्गत राया रिसर्च फार्म की भूमि को अनियमित कब्जा से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि विधान सभा क्षेत्र बलदेव, जनपद-मथुरा में राया रिसर्च फार्म की 8/82 हेक्टेयर भूमि जिस पर एक्सप्रेस-वे बना है। आज तक शासनादेश के अनुरूप जिलाधिकारी मथुरा द्वारा एक्सप्रेस-वे को हस्तांतरित नहीं की गयी है तथा यह अभी तक राजस्व अभिलेखों में कृषि विभाग के नाम से यथावत दर्ज है। इस प्रकार यह भूमि नियम के अनुसार एक्सप्रेस-वे के अनाधिकृत कब्जे में है। यमुना एक्सप्रेस-वे के द्वारा इसके बदले में दी जाने वाली 8-82 हैक्टेयर भूमि का हस्तांतरण प्रलेख (ट्रांसफर डीड) अभी तक कृषि विभाग को नहीं किया गया है जबकि उसका अनियमित कब्जा कागज पर दर्शा दिया गया है जो किसी भी दृष्टि से विधिमान्य नहीं है। जब अभी तक अभिलेख हस्तांतरण प्रलेख ही एक्जीक्यूट नहीं हुआ है तो कब्जा किस नियम के अन्तर्गत दर्शाया जा सकता है यही कारण है कि अभी तक जितने भी वाद किसानों के द्वारा इस भूमि के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में किये गये हैं उन सभी में यमुना एक्सप्रेस-वे तथा जिला प्रशासन को पार्टी बनाया गया है, क्योंकि अभी तक इस भूमि का हस्तांतरण विधि सम्मत तरीके से कृषि विभाग को नहीं हुआ है। इस प्रकार राजकीय कृषि शोध परिक्षेत्र, राया की भूमि के एवज में शासन के आदेशों के अनुरूप नोएडा-आगरा एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण द्वारा अभी तक कृषि विभाग को भूमि का विधिवत् स्थानांतरण नहीं किया गया है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते तत्सम्बन्ध में यथाशीघ्र सम्भव अग्रेतर सकारात्मक कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद कासगंज के ग्राम नदरई के नहर पुल से लेकर भगवन्तपुर पुल तक नहरों के बीच के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र सिंह-

[मान्यवर, मैं, आपके माध्यम से जनपद-कासगंज के अन्तर्गत 100-सदर कासगंज के ब्लाक कासगंज के ग्राम-नदरई के नहर के पुल पर एक्वाडक्ट का सौन्दर्यीकरण व नदरई नहर से लेकर भगवन्तपुर पुल तक नहरों के बीच का मार्ग अति जर्जर अवस्था में है, एक्वाडक्ट पर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हजारों की संख्या में पर्यटक प्रतिदिन आते हैं, जिसका निर्माण कार्य सिंचाई विभाग के माध्यम से कराया गया था, उक्त गम्भीर समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र कासगंज के ब्लाक कासगंज के ग्राम-नदरई के नहर पुल पर एक्वाडक्ट का सौन्दर्यीकरण व नदरई नहर से लेकर भगवन्तपुर पुल तक नहरों के बीच का मार्ग अति जर्जर अवस्था में है जिसका निर्माण कार्य सिंचाई विभाग द्वारा कराया जाना अति आवश्यक है। क्षेत्रीय जनता पिछले कई वर्षों से इस समस्या का समाधान कराये जाने की मांग करती आ रही है, लेकिन आज तक उक्त समस्या यथावत बनी हुई है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कासगंज के ब्लाक कासगंज के ग्राम-नदरई के नहर पुल पर एक्वाडक्ट का सौन्दर्यीकरण व नदरई नहर से लेकर भगवन्तपुर पुल तक नहरों के बीच का मार्ग अति जर्जर अवस्था में है जिसका निर्माण कार्य सिंचाई विभाग द्वारा कराया जाना अति आवश्यक है। मैं उक्त एक्वाडक्ट का सौन्दर्यीकरण व नहरों के बीच मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद हरदोई के स्वास्थ्य विभाग में हुए भ्रष्टाचार की जाँच बेहतर तरीके से कराये जाने सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अशोक कुमार-

[मान्यवर, मैं एक अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। प्रदेश सरकार जहाँ एक ओर भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस की नीति अपना कर अंकुश लगा रही है वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के कतिपय अधिकारी/कर्मचारी अपनी मनमानी व अनियमितताएं कर सरकार एवं विभाग की छवि धूमिल कर रहे हैं। जिसका एक उदाहरण जनपद हरदोई में एन0एच0एम0 के अन्तर्गत सामु0स्वा0केन्द्र बिलग्राम के अन्तर्गत उपकेन्द्र म्यौना पर कार्यरत ए0एन0एम0 (संविदा) को जानबूझकर कम मानदेय भुगतान करने का है। उल्लेखनीय है कि उक्त ए0एन0एम0 (संविदा) ने जनपद शाहजहाँपुर से स्थानान्तरित होकर दिनांक 23-09-2019 को सी0एम0ओ0 हरदोई व दिनांक 28-09-2019 को सामु0स्वा0 केन्द्र बिलग्राम के अधीन योगदान किया था। सी0एम0ओ0 शाहजहाँपुर द्वारा माह अगस्त, 2019 को वेतन भुगतान करते हुए एल0पी0सी0 उपलब्ध करायी गयी थी, जिसमें उक्त ए0एन0एम0 को कुल मानदेय 13,889 रुपये में से 1667/-रुपये ई0पी0एफ0 काटकर 12,222 /-रुपये खाते में भुगतान किये गये थे, किन्तु जनपद हरदोई में उक्त ए0एन0एम0 को एल0पी0सी0 के विपरीत मनमाने तरीके से 10,673 /-रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जाना प्रारम्भ कर दिया गया। उक्त ए0एन0एम0 द्वारा कई प्रार्थना पत्र दिनांक 30-12-2019, 22-01-2020 एवं 18-02-2020 देने पर सी0एम0ओ0 हरदोई द्वारा अपने पत्र दिनांक 22-02-2020 के माध्यम से एल0पी0सी0 के अनुसार मानदेय 12,222/-रुपये देना प्रारम्भ किया गया, किन्तु अवशेष मानदेय का भुगतान नहीं किया गया तथा तब से अब तक 12,222/-रुपये प्रतिमाह ही भुगतान

किया जा रहा है। इस प्रकार मानदेय भुगतान करने से सम्बन्धित कर्मचारियों /अधिकारियों द्वारा जानबूझकर परेशान करने के उद्देश्य से विगत तीन वर्षों में कोई भी वेतन/मानदेय वृद्धि नहीं लगायी गयी है। जबकि उक्त ए0एन0एम0 के साथ एक ही दिन नियुक्त अन्य ए0एन0एम0 को कुल मानदेय से ई0पी0एफ0 काटकर 14,228/-रुपये प्रतिमाह खाते में भुगतान किया जा रहा है। उक्त ए0एन0एम0 वेतन/मानदेय विसंगति को सुधरवाने हेतु विगत तीन वर्ष से अधिक समय से सामु0स्वा0 केन्द्र बिलग्राम व सी0एम0ओ0 हरदोई कार्यालय में चक्कर लगा रही है किन्तु एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर उसका मानसिक व आर्थिक शोषण किया जा रहा है।

अस्तु महोदय जनहित एवं लोक महत्व के इस विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त संविदा ए0एन0एम0 की वेतन/मानदेय विसंगति को तत्काल सुधरवाकर अवशेष मानदेय भुगतान कराने तथा प्रकरण की जांच कमेटी से जांच कराकर दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत टूटे मार्गों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध नियम-301 अन्तर्गत सूचना

श्री विवेक कुमार वर्मा-

[मान्यवर, जल जीवन मिशन (हर घर नल योजना) के अन्तर्गत स्वीकृत डी0पी0आर0 के अनुसार जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र-130, बीसलपुर की क्षेत्र पंचायत बीसलपुर में फेज-II की 26 गांव पंचायत (सम्मिलित 44 राजस्व गांव) तथा फेज-III की 48 गांव पंचायत (सम्मिलित 88 राजस्व गांव साथ ही साथ क्षेत्र पंचायत विलसण्डा में फेज-II की 54 गांव पंचायत (सम्मिलित 86 राजस्व गांव) तथा फेज-III की 44 गांव पंचायत (सम्मिलित 80 राजस्व गांव) एवं क्षेत्र पंचायत बरखेड़ाकलां के भी 32 गांव पंचायतों को आच्छादित किया जाना योजित है अनेक कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कतिपय निर्माणाधीन भी हैं। प्रत्येक गांव में पक्की गलियाँ तक पाइप डालने के लिये तोड़ी जा चुकी है। गाँवों में आवागमन दुष्कर है परन्तु पुनर्निर्माण का कार्य नहीं किया गया है। उपयुक्त होगा कि पुनर्निर्माण की लागत का धन सम्बन्धित गांव पंचायत में जमा कराकर टूटे मार्गों का पुनर्निर्माण गांव पंचायत को समर्पित कर दिया जाये। दिनांक 21-09-2022 को नियम-51 के अन्तर्गत तथा दिनांक 20 जुलाई, 2022 एवं 30 जुलाई, 2022 को पत्राचार भी किया जा चुका है परन्तु अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुयी है। गाँवों में भारी आक्रोश मार्ग तोड़े जाने तथा सिरोपरि क्रियाशील न होने के कारण है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित कर वक्तव्य दिलवाये जाने तथा चर्चा कराये जाने की कृपा की जाये।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद प्रतापगढ़ में अवैध तरीके से भेदभाव करके जाति प्रमाण-पत्र निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान लोक महत्व एवं गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। उ0प्र0 अल्पसंख्यक आयोग ने अपने पत्र संख्या-849 (4)/अ0सं0आ0/21/ सा0-41/21 दिनांक 30-09-2022 को अपने आदेश में जिलाधिकारी प्रतापगढ़ से आवेदकों के एक माह में पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की संस्तुति की गयी थी। इतना समय बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी जिससे क्षेत्रीय जनता में शासन/प्रशासन के विरुद्ध रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सम्पूर्ण प्रकरण पर कार्रवाई कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों को बाढ़ के कटान से रोकने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 अमित सिंह चौहान-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र-274, बीकापुर जनपद अयोध्या के अन्तर्गत विकास खण्ड सोहावल में ग्राम रग्घूपुर, कलाफरपुर, सनाहा, सफीपुर इस्माइल नगर सिहोरा के पास घाघरा/सरयू नदी के किनारे बाढ़ व कटान को रोकने हेतु नदी में बोल्डर डालकर नदी के कटान से उपरोक्त ग्रामों के बचाव हेतु लगभग 15 ठोकर 16 वर्ष पहले सिंचाई विभाग के बाढ़ कार्य खण्ड द्वारा बनाया गया था, किन्तु लम्बे समय के अंतराल के बाद मरम्मत/पुनर्निर्माण न होने के कारण काफी कमजोर पड़ गये हैं जिससे तटीय ग्रामों के कटान का खतरा बाढ़ के समय बना रहता है उपरोक्त पांचों ग्रामों की कटान से सुरक्षा हेतु इन ठोकरों के मरम्मत/पुनर्निर्माण की आवश्यकता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए सोहावल विकास खण्ड जनपद अयोध्या के ग्राम रग्घूपुर, इस्माइल नगर सिहांरा, कलाफरपुर, सनाहा, सफीपुर के पास निर्मित बोल्डर के ठोकरों के मरम्मत/पुनर्निर्माण की कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद सीतापुर के अन्तर्गत बिसवा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री निर्मल वर्मा-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र-149, के बिसवां जनपद सीतापुर के अन्तर्गत नगर बिसवां में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जोकि जनपद मुख्यालय से काफी दूर है स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण कराया जाना जनहित में अत्यन्त

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आवश्यक है। उक्त स्वास्थ्य केन्द्र से विधान सभा क्षेत्र बिसवां के साथ-साथ विधान सभा क्षेत्र सेउता एवं विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के ग्रामीणों को भी स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी लाभ मिलेगा।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ की विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड मलिहाबाद के लोधौसी में बेहता नाला पर पुल निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती जय देवी-

[मान्यवर, आदरणीय अध्यक्ष जी सदन के माध्यम से सादर अनुरोध करना चाहूंगी कि मेरी विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड मलिहाबाद के लोधौसी में बेहता नाला पर लकड़ी का पुल पना है जिस पर जन मानस के अधिक आवागमन से दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है इसलिए एक पुल का निर्माण जनहित में अति आवश्यक है। क्षेत्र की जनता का आवागमन इस मार्ग से अधिक रहता है। पुल निर्माण हेतु सर्वे भी हो चुका है लेकिन अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। जनहित को देखते हुए मलिहाबाद में लोधौसी बेहता नाला पर एक पुल निर्माण कराने की कृपा करें।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व/जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करती हूँ।]

जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सिसवा के अन्तर्गत सोहगी बरवा में गण्डक नदी पर बड़े पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेम सागर पटेल-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सिसवा अन्तर्गत सोहगी बरवा (गण्डक नदी पर) बड़े पुल की मांग 75 वर्ष से हो रही है परन्तु अभी तक नहीं बना है। यह भारत-नेपाल सीमा पर है तथा दुनिया की सबसे खतरनाक नदी है। जनहित में बड़ा पुल बनना आवश्यक है। इसका स्टीमेट ब्रिज कार्पोरेशन द्वारा बनाया गया है जो स्वीकृति की प्रत्याशा में है। यह गण्डक नदी नेपाल से महराजगंज जिले में आती है। जनपद महराजगंज में कोई पुल नहीं है। यह पुल मेरे विधान सभा क्षेत्र सिसवा में आयेगी इसी जगह से मण्डक नदी बिहार में प्रवेश करती है। सोहगी रिवां प्रमुख स्थान है यहॉ आने-जाने का अन्य कोई साधन नहीं है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सोहगीबरवा (गण्डक नदी पर) बड़े पुल निर्माण हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत कतिपय जर्जर रोडों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार-

[मान्यवर मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्वनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-248, प्रतापगढ़ के जनपद प्रतापगढ़ अन्तर्गत चौड़ीकरण ओडियार निर्माण रतनमई से अमेठी बार्डर वाया महुली मकूनपुर लौलीपोख्ताखाम अमेठी बार्डर तक अन्य जिला मार्ग पर आम जनमानस को चलना दूभर हो गया है। वर्षा के समय सड़क पर कीचड़ हो जाता है जिससे आस-पास की हजारों आम जनमानस को आने-जाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह एक बाईपास के रूप में कार्य करेगा, जबकि उक्त सड़क को जनहित में बनवाया जाना महत्वपूर्ण है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत थाना कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक श्री संतोष कुमार द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सिंह पटेल-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व एवं गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मान्यवर, जनपद-प्रतापगढ़ के अन्तर्गत थाना कोतवाली पट्टी में तैनात उप निरीक्षक श्री संतोष कुमार मिश्रा के सम्बन्ध में प्रतापगढ़ से प्रकाशित ''वॉयस ऑफ दोआबा'' समाचार-पत्र के मुताबिक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा-7, धारा-13 (1डी) और धारा-13 (2) की गम्भीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। शासन-प्रशासन स्तर पर इनके कारनामों की शिकायत की गयी परन्तु 2015 से लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और यह इसी जनपद में लगभग पिछले 8 वर्षों से तैनात हैं। झूठे मुकदमों में बेकसूर लोगों को फंसाकर धन उगाही कर रहे हैं जिसके कारण आम जनमानस में सरकार के प्रति रोष है। अधिकारियों से सांठ-गांठ करके स्थानान्तरण नीति का उल्लंघन कर रहे हैं। इनके द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किया जा रहा है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सम्पूर्ण प्रकरण पर कार्रवाई कराये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर में स्थित अवंतिका देवी मंदिर को जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कुमार शर्मा-

[मान्यवर, कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-67, अनूपशहर, जिला-बुलन्दशहर में अवन्तिका देवी का मन्दिर गंगा किनारे स्थित है। यह अत्यन्त प्राचीन ऐतिहासिक सिद्धपीठ है तथा यहां मन्दिर के साथ-साथ एक संस्कृत महाविद्यालय व कई आश्रम स्थित है। यहां पर नवरात्रों में विशाल मेले लगते है जिसमें लाखों लोग गंगा स्नान व दर्शन के लिए आते हैं। इसके साथ-साथ अनेकों पर्वों पर पूर्णिमा तथा अमवस्या पर भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर को जोड़ने वाली सड़क मात्र 03 मीटर चौड़ी है जिससे आये दिन वहां पर जाम की स्थिति बनी रहती है जिससे न सिर्फ श्रद्धालुओं को बल्कि मार्ग में पड़ने वाले गांव के नागरिकों को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस मार्ग पर आये दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती है। इस मंदिर को जोड़ने वाली सड़क सफीनगर, दरावल, मौहम्मदपुर, अवन्तिका देवी का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण अत्यन्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद रायबरेली के शुभ इण्टर प्राईजेज के प्रोपराइटर के साथ हुए अमानवीय व्यवहार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि प्रार्थी अमिताभ पाण्डेय प्रोप्राइटर अधिकृत डीलर शुभ इण्टर प्राइजेज रायबरेली जोकि सन् 2018 में स्कार्ट पावर ट्रैक कम्पनी 18/4 Escorts Ltd, Plant/1 Sec/15] Near Thomson press, Mathura Road, Faridabad, Haryana 121007 की तरफ से अधिकृत हुआ था एवं प्रार्थी ने लगभग बैंक से 55 लाख रुपये व अपना व्यक्तिगत 45 लाख रुपये कम्पनी को भुगतान कर दिया एवं कम्पनी की लगभग 220 गाड़ियां बिक्री किया, जब सन् 2020 में कोरोना महामारी के कारण गाड़ी की बिक्री प्रभावित हुई एवं साथ-साथ प्रार्थी की काफी पूंजी मार्केट में फंस गयी, इसी दौरान कम्पनी ने भी प्रार्थी पर धीरे-धीरे 22 लाख रुपये का अतिरिक्त ब्याज लगा दिया, ब्याज माफी को लेकर प्रार्थी ने कम्पनी के शीर्ष अधिकारियों से मेल पत्राचार व टेलीफोन से काफी प्रयास किया कि ब्याज माफ कर दिया जाये लेकिन वह छूट प्रदान करने के लिए तैयार नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा बार-बार प्रयास करने के उपरान्त भी उन्होंने ट्रैक्टर की सप्लाई बिना किसी लिखित व मौखिक सूचना के रोक दी एवं उसी के कुछ दिनों बाद प्रार्थी की डीलरशिप को समाप्त करके किसी दूसरे को डीलर बना दिये,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिसके कारण प्रार्थी की व बैंक की सम्पूर्ण पूंजी मार्केट में फंस गयी है एवं प्रार्थी द्वारा टैक्टर के शोरूम व वर्कशाप हेतु लगभग 40 लाख रुपये लगाया गया था वह भी व्यर्थ हो गया, उक्त कम्पनी के द्वारा प्रार्थी की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सम्पूर्ण पूंजी को नुकसान पहुंचाया गया। उक्त प्रकरण का मुकदमा थाना मिल एरिया जनपद रायबरेली में दर्ज है परन्तु अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गयी।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न हेतु शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये नियम-301 वक्तव्य में स्वीकार करने की कृपा करें।]

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर ख़ास के संग्रामगढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सराय निर्भय में निर्माणाधीन स्कूल का कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आराधना मिश्र 'मोना'-

[मान्यवर, बच्चे देश का भविष्य होते हैं, समाज के नवनिर्माण में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड रामपुर संग्रामगढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सराय निर्भय में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत मॉडल स्कूल सराय निर्भय स्वीकृत हुआ था जिसका दिनांक 11-11-2012 को शिलान्यास भी कर दिया गया था। शिक्षण संस्थान का निर्माण राजकीय निर्माण निगम द्वारा किया जा रहा है। किन्तु लगभग 9 वर्ष का एक लम्बा समय बीत जाने के उपरांत भी अभी तक लगभग 60 प्रतिशत ही विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य हो सका है जबकि उक्त शिक्षण संस्थान के निर्माण के लिए स्वीकृत धनराशि का 90 प्रतिशत धन अवमुक्त भी कर दिया गया है। यही नहीं जो निर्माण किया भी गया है उसमें अत्यन्त घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है, चाहे सरिया हो, ईंट हो, चाहे मोरंग हो सभी सामग्री मानक के अनुरूप नहीं है, यही नहीं अभी तक शिक्षण संस्थान के भवन का निर्माण कार्य तो पूरा नहीं हुआ है किन्तु घटिया सामग्री का इस्तेमाल होने के कारण जो निर्माण हुआ भी है वह क्षतिग्रस्त हो रहा है, गिर रहा है, शिक्षण संस्थान के अधिकांश हिस्से का प्लास्टर नहीं हुआ है, जिस हिस्से में प्लास्टर हुआ है वह क्षतिग्रस्त हो रहा है, फर्श भी क्षतिग्रस्त हो रही है। इस तरह जहाँ एक तरफ बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ सरकारी धन में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बंदरबाँट की जा रही है और शिक्षण संस्थान पूरी तरह से निरर्थक साबित हो रहा है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की माँग करती हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर में विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मान्यवर मेरे विधान सभा क्षेत्र सदर जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत अधिकतर ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि कम होने के कारण विद्युत आपूर्ति सही रूप से नहीं हो पा रही है तथा तार पुराने होने के कारण भी विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है। विद्युत आपूर्ति सही न होने के कारण किसान, व्यापारी तथा अध्ययन करने वाले बच्चों को काफी दिक्कत हो रही है। विद्युत के तार पुराने तारों की जगह नये तार लगाये जाने तथा जिन-जिन फीडरों पर लोड अधिक है उन-उन ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि किया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से उपरोक्त विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए पुराने तार की जगह नये तार लगवाये जाने तथा ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि बढ़ाये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरावं के थाना मऊआइमा के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाये जाने हेतु के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती गीता शास्त्री (पासी)-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ कि दिनांक 01-01-2023 को सायंकाल लगभग 5 बजे श्री दीपक कुमार तिलई बाजार के शारदा स्वीट हाउस से मिठाई खरीदने गये थे मिठाई खरीदने के पश्चात् दुकानदार से पैसे के लेन-देन में (50 रू0 की नोट खराब होने के कारण) कहा-सुनी होने पर खरीददार ने मिठाई वापस करने की बात कही। इतनी सी बात पर दुकानदार श्री शारदा सिंह द्वारा श्री दीपक कुमार को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली देते हुये कहा गया कि साले नववर्ष पर चिक-चिक कर रहे हो उसी समय दीपक पुत्र छेदी लाल, निवासी मोहन का पूरा, थाना मऊआइमा, श्री गुलशन पुत्र छेदी लाल, निवासी महमतपुर, थाना मऊआइमा व महेन्द्र पुत्र दुखीराम, निवासी खजुरहा पहुचे बीच-बचाव करने लगे। उसी समय दुकान पर बैठे श्री बृजेश पुत्र उदित तिवारी ने ललकारा कि-पासी सालों को जान से मार दो, जो होगा देखा जायेगा। इतना सुनते ही बृजेश सिंह पुत्र राम लखन, शुभम सिंह पुत्र बृजेश सिंह, मनजीत सिंह उर्फ मन्जय सिंह पुत्र अज्ञात आदि लोगों द्वारा लाठी, डंडे, सारिया से गुलशन तथा महेन्द्र को बुरी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तरह मारा गया, पीड़ितों द्वारा थाना प्रभारी मऊआइमा को सूचना देने गये तो थाना प्रभारी द्वारा तहरीर लेकर अगले दिन मेडिकल जाँच हेतु बुलाया गया। अगले दिन मेडिकल जाँच हेतु गये तो थाना प्रभारी मऊआइमा द्वारा जाँच कराने के बाद भी इनका मुकदमा दर्ज नहीं किया बल्कि दीपक, राहुल, महेन्द्र, गुलशन के नाम से तथा 80-90 अज्ञात व्यक्तियों के नाम एफ0आई0आर0 दर्ज कर दीपक व गुलशन को जेल भेज दिया जबकि जिन लोगों को मारा गया है (जैसा कि मेड़िकल रिपोट से स्पष्ट है का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया)।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये अनुरोध है कि फर्जी रूप से दर्ज मुकदमें/प्रकरण की जाँच कराते हुये दोषियों के विरुद्ध सख्त रूप से कार्रवाई करने की मांग करती हूँ।]

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र हुसैनगंज में कतिपय स्थानों पर नलकूप व्यवस्था सही कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती ऊषा मौर्या-

[मान्यवर, सादर अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र हुसैनगंज अन्तर्गत ग्राम असनी, जमरावा, सिठौरा, पट्टीशाह, नौबस्ता एवं एकौनागढ़ के इर्द-गिर्द में नलकूपों की विकराल समस्या है। उपरोक्त गांवों में गंगा के तलहटी क्षेत्र के निचले इलाकों में नलकूप की कोई सुविधा ना होने के कारण वहां के ग्रामवासियों को अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है व समय पर पानी ना मिलने के कारण सैकड़ों किसानों की फसल हर साल बर्बाद हो जाती है। इन सभी ग्रामों के निवासी पिछले 20 वर्षों से इन्हीं समस्याओं से पीड़ित हैं।

अतः महोदय से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर उक्त स्थानों पर जल शक्ति की टीम से जाँच कराये जाने तथा नलकूपों की स्थापना कराये जाने की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ।]

जनपद शामली के कैराना में विडौली यमुना पुल से पानीपत कैराना यमुना पुल तक तटबंध मार्ग के मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नाहिद हसन-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र-08, कैराना जनपद शामली में विडौली-यमुना पुल से वाया बिडौली-बसेड़ा-चोहरा-फतेहपुर-मंडावर-रामड़ा होकर पानीपत कैराना यमुना पुल/यमुना नदी के तटबंध पर बना मार्ग जीर्ण-शीर्ण हो गया है। उपरोक्त तटबंध से होकर जिन ग्रामों का मार्ग

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जाता है वहां के ग्रामीणों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व में विभाग द्वारा मरम्मत/निर्माण का प्राक्कलन तैयार करवाया गया परन्तु अभी तक कार्य नहीं हो सका है। यह मेरी विधान सभा क्षेत्र का अति आवश्यक जनहित का कार्य है जो जनता से जुड़ा कार्य है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हेतु सरकार से उपरोक्त तटबंध के नव निर्माण/मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर विधान सभा क्षेत्र में बन रही पानी टंकियों के सप्लाई में बिछाए जा रहे पाइप की जाँच के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवधेश प्रसाद-

[मान्यवर, मेरे जनपद अयोध्या में मेरे निर्वाचन क्षेत्र मिल्कीपुर की बहुत ही गम्भीर और तत्कालीन समस्या पर सदन का ध्यान आकृर्षित करते हुए उसके निदान के लिए शासन से मांग करता हूँ। इस समय यों तो पूरे प्रदेश में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत टंकियाँ बन रही हैं। मेरे क्षेत्र के गाँव में भी इसकी शुरूआत है परन्तु मैंने देखा है कि टंकियों के द्वारा पानी जाने के लिए जो पाइप बिछाये जा रहे है वो बहुत ही घटिया एवं निम्न स्तर के हैं। जिसके कारण किसी भी कीमत में इस योजना के द्वारा घर-घर में और सभी मजरों में पानी पहुंचाना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। इन टंकियों के द्वारा पानी पहुंचाने में कम से कम 10 वर्ष लगेगा। पानी की जरूरत आज है। गर्मी की शुरुआत है। घरों के नल छोटे हैं पानी का स्तर नीचे चला गया है। पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में इण्डिया मार्का-II लगाकर इस समस्या का निदान किया जा सकता है।

आप से अनुरोध है कि इस मामले को सदन के माध्यम से मांग करता हूँ कि जो पाइप बिछाये जा रहे है घटिया किस्म के हैं जाँच कराकर उसे रोका जाय। अच्छी किस्म का पाइप लगाया जाय और जब तक टंकियों का पानी न पहुंच पावे, तत्काल प्रभाव से प्रत्येक गांव में इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प लगाया जाय।]

जनपद बलरामपुर के गैसड़ी में निर्माणा महिला महाविद्यालय का कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 शिव प्रताप यादव-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी, जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बिलोहा बनकसिया, विकास खण्ड गैसड़ी में निर्माणाधीन महिला महाविद्यालय का निर्माण कार्य

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधूरा पड़ा है जिससे इस पिछड़े क्षेत्र की लड़कियों को शिक्षा की सुविधा नहीं मिल पा रही है। पिछड़े क्षेत्र की लड़कियों को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उक्त महिला महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर शिक्षण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। उक्त महिला महाविद्यालय का अधूरा निर्माण कार्य पूर्ण न कराये जाने से जनता में सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त महिला महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर शिक्षण कार्य प्रारम्भ कराये जाने की मांग करता हूँ।

जनपद चित्रकूट के भरतकूप में खनन माफियाओं द्वारा एन0जी0टी0 के नियमों का उल्लंघन कर अवैध ब्लास्टिंग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल प्रधान-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि जनपद चित्रकूट के भरतकूप में खनन माफियाओं द्वारा एन0जी0टी0 के नियमों का उल्लघंन कर अवैध ब्लास्टिंग किया जा रहा है तथा 4 इंच चौड़ा और 80 फिट गहरायी के बोरवेल कर डायनामाइट का प्रयोग किया जाता है। जिससे भयंकर विस्फोट और पर्यावरण को क्षति होती है। आस-पास के इलाकों में विस्फोट के कारण आये दिन दुर्घटनाएँ घटित होती हैं। लोगों में टी0बी0, अस्थमा जैसी घातक बीमारियों का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है जो पर्यावरण के लिये घातक संकेत हैं। पहाड़ों के आस-पास में निवास करने वाले श्रमिक और पिछड़े वंचित समाज के बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। कई बार शासन-प्रशासन को पत्राचार करने के बाद भी अवैध ब्लास्टिंग को रोकने हेतु कोई भी उपाय नहीं किये जा रहे हैं जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये तत्काल कार्रवाई कराये जाने की मांग करता हूँ।]

विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के विकास खण्ड विरनो के अन्तर्गत कतिपय मार्गों पर इण्टरलॉकिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विरेन्द्र कुमार यादव-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरी विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर गाजीपुर, विकास खण्ड विरनों के अन्तर्गत ग्राम सभा केलही में रामबिलास कुशवाहा के घर से राकेश सिंह के घर होते हुए महेन्द्र कुशवाहा के घर तक इण्टरलॉकिंग का कार्य कराया जाना बहुत ही आवश्यक है। इस क्षेत्र को बरसात के मौसम में आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जनहित में उक्त सड़क को बनवाये जाने की कृपा करें।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस महत्वपूर्ण विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उक्त सड़क के निर्माण हेतु सरकार से मांग करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड 23 से लिंक कुड़िहर माइनर का निर्माण कराये जाने नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बेचई सरोज-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-23 से लिंक कुड़िहर माईनर का पूर्ण निर्माण कराकर गया पानी गांगी नदी तक पहुंचाने के लिए पहली बार मेरे द्वारा वर्ष 2015 में सदन में नियम-51/301 के द्वारा प्रकरण उठाया था, उसके बाद कई मा0 सदस्यों ने भी उक्त शाखा के निर्माण के लिए सदन में प्रकरण उठाया था, जिसके जवाब में तत्कालीन सिंचाई विभाग के मंत्री जी का हर बार जवाब रहता है कि कुड़िहर माईनर के निर्माण की परियोजना प्रक्रियाधीन हैं, लेकिन मैं सदन के माध्यम से पुनः किसानों की पानी की गम्भीर समस्या को देखते हुए मा0 सदन से प्रबल अनुरोध कर रहा हूँ कि कुड़िहर-कम माईनर के पूर्ण निर्माण में आने वाली किसानों की जमीन का उचित मुआवजा दिया जाय तथा विभाग के कार्मिकों की मिलीभगत के कारण कुड़िहर माईनर के संरक्षण में अवैध पक्का मकान व अवैध कब्जा दिलवा दिया गया है, जिस पर कार्रवाई करते-हुए ग्रामसभा असवनियां, कुड़िहर, खरगीपुर व गोड़हरा के किसानों की सिचाई सुविधा बहाल किये जाने हेतु उक्त माइनर की परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया जाय। कई वर्षों से लंबित अधूरी पड़ी नहर की शाखा का निर्माण नहीं होने के कारण शासन/प्रशासन के खिलाफ जनता में रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से जनता की परेशानी को देखते हुए यथाशीघ्र उक्त कुड़िहर माईनर का पूर्ण निर्माण कराकर पानी टेल तक गांगी नदी तक पहुंचाये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के पॉलोमल कालोनी के अन्तर्गत स्थित गौशाला के समीप मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तसलीम अहमद-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अत्यन्त लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र-17 नजीबाबाद बिजनौर में कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशुआश्रय योजना के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद नजीबाबाद के पॉलोमल

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कालोनी में गौशाला निर्माण हेतु 397.60 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। जिसके सापेक्ष में 23.00 लाख व्यय हो चुका है। शेष धनराशि 166.00 लाख रुपये से गौशाला सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण होना था परन्तु जन सामान्य विरोध के कारण उपरोक्त कार्य नहीं कराया जा सका था। जिलाधिकारी बिजनौर द्वारा लोक निर्माण विभाग की एक कमेटी गठित की गयी और तकनीकी जाँच कराई गयी समिति द्वारा उपरोक्त सम्पर्क मार्ग के निर्माण की आवश्यकता बतायी गयी है। समिति द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट को भी एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है और अब यह सम्पर्क मार्ग पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुका है। गौवंश लाने हेतु भी वाहन ठीक प्रकार से नहीं आ पा रहे हैं। सम्पर्क मार्ग की बेहद खराब स्थिति को देखते हुए जनता का विरोध भी समाप्त हो चुका है। वर्तमान में 530 मीटर रोड का निर्माण होना अति आवश्यक है।

आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि उपरोक्त सम्पर्क मार्ग के निर्माण की स्वीकृति आपके कार्यकाल में लम्बित है। शीघ्र ही वित्तीय वर्ष 2022-23 समाप्त होने वाला है। शेष धनराशि से उपरोक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

जनहित में 530 मीटर गौशाला सम्पर्क मार्ग के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बरेली के बहेड़ी विधान सभा क्षेत्र रिछा-जहानाबाद मार्ग से मुलियानवी बक्श मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अताउर रहमान-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अत्यन्त लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र-118 बहेड़ी, जनपद-बरेली के रिछा जहानाबाद मार्ग से बहेड़ी मुलियानवी बक्श मार्ग की जर्जर सड़क की विशेष मरम्मत न होने के कारण जनता को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद हमीरपुर के नगर पंचायत कुरारा में मगही नाले की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 मनोज कुमार प्रजापति-

[मान्यवर, जनपद-हमीरपुर में मेरे विधान सभा क्षेत्र-हमीरपुर सदर के अन्तर्गत नगर पंचायत कुरारा में मगही नाला स्थित है। गत वर्ष नाले की सफाई न होने के कारण कुरारा के लोगों को बरसात में बाढ़ की स्थिति का सामना करते हुए सैकड़ों परिवारों को घर छोड़कर

जाना पड़ा था। न्याय पंचायत कुरारा में मगही नाले की सफाई कराना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बिनीय लोक महत्व के विषय कार्यवाही पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद हरदोई से संडीला तहसील के ब्लाक कछौना की ग्राम सभा गौसगंज को नगर पंचायत का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामपाल वर्मा-

[मान्यवर, मैं सदन का ध्यान जनहित में जनपद हरदोई की संडीला तहसील के अन्तर्गत विकास खण्ड कछौना की ग्राम सभा गौसगंज की जनसंख्या 12000 से अधिक हो गई है, और ग्राम सभा सरकार की लाभकारी योजनाओं और ग्रामवासियों के उन्नत प्रयासों से विकसित हो रही है। ग्राम का विकास होने के साथ-साथ ग्राम सभा की सीमाएं भी बढ़ी तो ग्राम सभा तेरवा दहिगवा और बघौड़ा को शामिल करते हुए नगर पंचायत बनाया जाए जो आबादी की संख्या-25000 से अधिक हो जायेगी। जिससे ग्रामवासियों को नगर पंचायत की सुविधाएं मिल सकेंगी। उक्त ग्राम को नगर पंचायतों का दर्जा दिलाए जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण करती है, जिसकी समस्त सूचना जिला प्रशासन/शासन में उपलब्ध है, जो काफी समय से लंबित है किन्तु अभी तक उक्त ग्राम सभा को नगर पंचायत का दर्जा नहीं दिया गया है। जिसके कारण जनहित के कई कार्य बाधित हो रहे हैं। उक्त ग्राम सभा को नगर पंचायत का दर्जा न दिए जाने के कारण क्षेत्रीय जनता में काफी रोष एवं आक्रोष व्याप्त है।

अस्तु लोक महत्व के सुनिश्चित विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनहित में जनपद हरदोई की सण्डीला तहसील की ग्राम सभा गौसगंज में ग्राम सभा तेरवा दहिगवा और बघौड़ा को शामिल करते हुए नगर पंचायत का दर्जा दिलाये जाने की स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही किए जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद शाहजहांपुर में गलत तरीके से शस्त्र लाइसेंस बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीर विक्रम सिंह-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर की 131-कटरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विकास खण्ड जैतीपुर थाना जैतीपुर के ग्राम अलीअकबरपुर नवादा निवासी मुन्ना सिंह पुत्र हरिश्चन्द्र सिंह ने वर्ष 1999 में गलत नाम व पते से मुन्ना सिंह पुत्र हरिश्चन्द्र पता मोहल्ला पचासा कस्वा व थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर से शस्त्र लाइसेंस संख 5836

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

एन0पी0 बोर 315 रायफल नम्बर-995332 फर्जी प्रपत्र तैयार कर शस्त्र लाइसेंस जारी करवा लिया था। उस समय मुन्ना सिंह के खिलाफ थाना जैतीपुर में चार मुकदमे पंजीकृत थे। उक्त शस्त्र लाइसेंस की जाँच वर्ष 2022 में जिलाधिकारी शाहजहाँपुर द्वारा करायी गयी जिसमें लाइसेंस को फर्जी मानते हुए निरस्त किया गया। उक्त लाइसेंस वर्ष 1999 से 2022-तक रिन्यूवल होता रहा और कारतूस खरीदे जाते रहे जिनकी जाँच नहीं करायी गयी वर्तमान में मुन्ना सिंह के खिलाफ लगभग 20 मुकदमें पंजीकृत हैं परन्तु फर्जी लाइसेंस का मुकदमा न पंजीकृत कराते हुए लाइसेंस निरस्त किया गया। ऐसी स्थिति में उपरोक्त मुन्ना सिंह के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कराया जाना अति आवश्यक है।

अंतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व के इस प्रकरण पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत कटका धाम भंगहा व भग्गड़वा तट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष त्रिपाठी-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत प्रमुख दो नदियों सरयू (पुरानी) व टेढ़ी का पुनरूद्धार कराये जाने की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सरयू नदी के तट पर मुख्य रूप से कटका धाम, भंगहा व भग्गड़वा के तट पर प्रसिद्ध मन्दिर स्थित है, जहां पर प्रायः मेले लगते हैं व हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। जगह-जगह नदियों के पट जाने से पानी का बहाव कम होता जा रहा है तथा वर्षा में इसका विकराल रूप भी हो जाता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर सरयू (पुरानी) व टेढ़ी नदियों के व्यापक सफाई कराते हुये इसके पुनरुद्धार कराए जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज में एक राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरेश कुमार-

[मान्यवर, सदन के माध्यम से अनुरोध करना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के विकास खण्ड मोहनलालगंज में बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिये कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है, जिसके कारण छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिये बहुत परेशानियों

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

का सामना करना पड़ता है तथा निजी महाविद्यालयों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिये मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-176 मोहनलालगंज के विकास खण्ड मोहनलालगंज में राजकीय कन्या महाविद्यालय बनवाने की कृपा करें।]

बचत खाते में हुए फर्जीवाड़ा के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 जी0 एस0 धर्मेश-

[मान्यवर, आपको अवगत कराते हुये यह कहना है कि सुश्री आराधना सिंह के पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा दशमेश गुरूद्वारा सी ब्लाक, राजाजीपुरम, लखनऊ के बचत खाता संख्या-07791000014391 में है, किसी मनोज कुमार नाम के व्यक्ति ने दिनांक 06-11-2022 को अपरान्ह 12:20 बजे फोन किया और आराधना सिंह को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर ओ0टी0पी0 ज्ञात कर 10 ट्रान्जेक्शन करके रु0 90 हजार 901 का अपहरण कर लिया गया है। इस अपहरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट स्थानीय साइबर क्राइम थाना हजरतगंज में अपराध संख्या 456 / 2022 पर दिनांक 10-11-2022 को तथा स्थानीय पारा कोतवाली लखनऊ में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या-0541, दिनांक 14-11-2022 दर्ज करायी जा चुकी है परन्तु अपहरण की गयी धनराशि की बरामदगी के सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व / जनहित के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के अन्तर्गत कतिपय स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विवेकानन्द पाण्डेय-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र-329 खड्डा, जनपद कुशीनगर अन्तर्गत ग्राम नौरंगिया, कटाई भरपुरवा, मड़ार विंवलिया, कान्ती चौराहा और रायपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिये लगभग 05 से 10 किमी0 दूर जाना पड़ता है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र-123 के अन्तर्गत बल्लिया सोसायटी से रामपुर काकर तक पक्की सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 राघवेन्द्र शर्मा-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र-123 के अन्तर्गत बल्लिया सोसायटी से रामपुर काँकर तक लगभग 2.5 किलोमीटर तक की पक्की सड़क का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक हैं, इस मार्ग पर प्रतिदिन लोगों का तथा गाड़ियों का आवागमन रहता है। मार्ग सही न होने के कारण प्रतिदिन समस्या का सामना करना पड़ता है, आये दिन दुर्घटनायें घटित होती रहती हैं, जनहित में इस मार्ग का निर्माण कार्य कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की कार्यवाही सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ के अधिशाषी अभियंता के पद भरे जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आलम बदी-

[मान्यवर, उपरोक्त विषय के सम्बन्ध मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। कि इस समय आजमगढ़ में इस पद पर कार्यरत अधिशाषी अभियन्ता वाराणसी डिवीजन में पोस्ट हैं। इनके पास चन्दौली और आजमगढ़ डिवीजन का अतिरिक्त प्रभार है। जिसके कारण आजमगढ़ डिवीजन को पर्याप्त समय नहीं दे पाने के कारण विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है।

अतः आपसे जनहित में अनुरोध है कि आजमगढ़ में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में अधिशाषी अभियन्ता की शीघ्र नियुक्ति की जाय।]

जनपद फिरोजाबाद के कस्बा जसराना में बाईपास मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सचिन यादव-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनपद फिरोजाबाद के कस्बा जसराना में बाईपास मार्ग (अनुमानित लम्बाई लगभग 04 कि0मी0) का निमार्ण कार्य 05 वर्ष से भी अधिक समय से लम्बित होने की वजह से कस्बे में आये दिन भीषण जाम की स्थिति बनी रहती है। इस वजह से लोगों को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस जन-सुरक्षा एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये तत्काल सड़क निर्माण कार्य शुरू कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद बिजनौर के विकास खण्ड बूढ़नपुर में ग्राम गल्ली खेड़ी से मुडाखेड़ी मार्ग पर कण्डूला नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अवतार सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अत्यन्त लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-24 नूरपुर, जनपद-बिजनौर के विकास खण्ड-बूढनपुर में ग्राम गल्लाखेड़ी से मुडाखेड़ी मार्ग पर कण्डूला नदी पर राम गंगा मुख्य नहर के चौनेज KM-14 के पास 110 मीटर लम्बे पुल का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। उक्त पुल न होने से लगभग 20 गाँवों की 15 हजार आबादी प्रभावित हो रही है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार से वक्तव्य कराने की मांग करता हूँ।]

जनपद उन्नाव के दुबेपुर में तालाब के सौन्दर्यीकरण कराये जाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहित सोनकर उर्फ 'राहुल बच्चा'-

[मान्यवर, आपसे निवेदन है कि जनपद उन्नाव के ग्राम दुबेपुर में श्री दिगम्बरनाथ स्वामी मंन्दिर के तालाब के सौंदर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 31-05-2022 को मेरे द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत सूचना पर जिला मुख्य विकास अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट में ब्लाक सिकन्दरपुर करन के खण्ड विकास अधिकारी जी ने केवल तालाब के पट्टेदार के पट्टे के कागज के अधार पर शासन को आख्या भेजी हैं। जबकी माननीय श्री मोदी जी एवं माननीय श्री योगी जी के द्वारा सरोवर योजना के अर्न्तगत पूरे प्रदेश में गाँव के तालाबों का सौंदर्यीकरण के द्वारा कायाकल्प हो रहा है। तालाब पट्टेदार द्वारा सौंदर्यीकरण कराये जाने पर आपत्ति जताकर सरकार की इस योजना के लिए चुनौती सी प्रतीत हो रही हैं। तालाब के परिसर में गाटा सं0-492 पर पट्टेदार द्वारा पक्का आवास एवं अतिक्रमण फैलाये हुए हैं। और तालाब में आवारा/पालतु पशुओं के जल पीने पर रोक लगा दी है जिससे ग्रामीणों को अपने पालतु पशुओं के पानी के लिए परेशानी बनी हुई हैं।

अतः आपसे विनम्र आग्रह है कि उक्त प्रकरण को ध्यान में रखते हुए पट्टेदार के इस पट्टे को गाँव में अन्य स्थान पर दे दिया जाय या निरस्त करा कर सरकार द्वारा जारी अमृत सरोवर योजना के अन्तर्गत श्री दिगम्बरनाथ स्वामी मंन्दिर के तालाब के सौंदर्यीकरण कराये जाने को लेकर सम्बन्धित विभाग को उचित आदेश देने कि कृपा करें।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र लोनी के अन्तर्गत मीरपुर हिन्दू में एक मेडिकल कॉलेज बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नन्द किशोर-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र लोनी जनपद गाजियाबाद में एक भी मेडिकल कालेज नहीं है। यह दिल्ली की सीमा से लगा हुआ है। एक जनपद एक मेडिकल कालेज सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। जनपद गाजियाबाद के महत्व को देखते हुए जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र लोनी के अन्तर्गत मीरपुर हिन्दू गॉव में उपलब्ध सरकारी जमीन पर मेडिकल कालेज की स्थापना किया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त दोनों पुलिस चौकियों को थाना का दर्जा दिये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद चंदौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा में भूपौली मुख्य नहर से सिकरौरा सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत मुख्य नहर से सिकरौरा मार्ग जिसकी लम्बाई लगभग 2.00 किमी0 है। वर्तमान समय में उक्त सम्पर्क मार्ग बहुत ही खराब स्थिति में है, पूरी तरह से गड्ढा युक्त हो चुका है। आवागमन पूरी तरह से बाधित है। जनहित व किसान हित में उपरोक्त सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत कार्य कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। मेरे द्वारा कई बार विभाग को अवगत कराया गया परन्तु आज तक भूपौली मुख्य नहर से सिकरौरा सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में ट्रामा सेंटर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश अंचल-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के अन्तिम छोर पर स्थित व शहीदी धरती बागी बलिया की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि जहां ट्रामा सेन्टर की स्थापना हुई है जो सिर्फ कागजों पर है वहाँ डाक्टरों का बेड, बिस्तर, कर्मचारियों का घोर अभाव है। दुर्घटना या

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कोई गम्भीर रोग होने पर जब मरीज जिला चिकित्सालय के ट्रामा सेन्टर में पहुँचता है तो उसे तुरन्त लगभग 130 किमी0 दूर वाराणसी के लिए रिफर कर दिया जाता है। मान्यवर अगर बलिया ट्रामा सेन्टर को सुसज्जित व सुव्यवस्थित कर दिया जाता तो बलिया के लोगों को रिफर होने के बाद रास्ते में दम नहीं तोड़ना पड़ता।

अतः इस स्थित में जनहित के लिए आवश्यक है कि ट्रामा सेन्टर बलिया के विषय पर सदन की कार्रवाई रोक कर चर्चा कराते हुए जीवन रक्षा हेतु अति शीघ्र ट्रामा सेन्टर को सुव्यवस्थित करने का निर्देश सरकार को देने की कृपा करें।]

जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत कतिपय जर्जर मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज प्रसाद उपाध्याय-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लोक महत्व के गम्भीर विषय को लाना चाहता हूँ, जो मेरी विधान सभा क्षेत्र-189, सदर के अधिकांश हिस्से से जनपद सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण हुआ जिसके निर्माण के दौरान लोडेड ट्रकों व डम्फरों के चलने के कारण कई रोड बिल्कुल ध्वस्त हो गयी हैं, परन्तु अभी तक मरम्मत नहीं कराई गयी है, जिससे स्कूली बच्चों तथा आम जनमानस को आने-जाने में बड़ी कठिनाई हो रही है। उक्त मार्ग जर्जर होने के कारण आये दिन एक्सीडेंट होता रहता है, जिससे ग्रामीणों एवं आम जनमानस में काफी आक्रोश व्याप्त है।

अतः जनहित के इस गम्भीर विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये तत्काल मेरी विधान सभा क्षेत्र की वे सभी सड़कें जो पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण के दौरान ध्वस्त हो गयी थी उनके पुनर्निर्माण की सरकार से माँग करता हूँ।]

जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत माँ कामाख्या भवानी मंदिर स्थल का विकास कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र यादव-

[मान्यवर, जनपद अयोध्या विधान सभा क्षेत्र रूदौली के अन्तर्गत माँ कामाख्या भवानी मंदिर के ऐतिहासिक महत्व एवं प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु आते हैं एवं चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग से लिंक होने एवं पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जुडे होने के कारण यहां पर सोमवार एवं शुक्रवार के दिन लाखों की संख्या में दर्शन, पूजन एवं अनुष्ठान हेतु श्रद्धालु आते है। अयोध्या जनपद की सबसे प्रसिद्ध पीठ माँ कामाख्या धाम पर पूरे प्रदेश से श्रद्धालु आते हैं यहां पर श्रद्धालुओं की सुविधा के विस्तार के लिए सरकार द्वारा नगर पंचायत का दर्जा भी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदान कर दिया गया है। माँ कामाख्या धाम मंदिर सहित अन्य स्थल विकास के लिए दिये गये प्रस्ताव पर जिलाधिकारी एवं कार्यालय परियोजना प्रबन्धक निर्माण इकाई अयोध्या, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अयोध्या द्वारा आगणन बनाकर स्वीकृति हेतु अपर मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य विभाग/पर्यटन विभाग उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया है। परन्तु अभी तक स्वीकृति प्रदान न किये जाने से कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद जौनपुर के बेलवार घाट तिराहा से सईं नदी तक पुल की सड़क की मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ मान्यवर मेरे विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर जनपद जौनपुर के अन्तर्गत बेलवार घाट तिराहा से सई नदी के पुल तक लगभग 2.50 किमी0 की सड़क जर्जर स्थिति में है। उक्त सड़क जिला पंचायत की सड़क है, सड़क जर्जर होने के कारण स्थानीय जनता को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सड़क जर्जर होने के कारण प्रायः दुर्घटनायें भी होती रहती हैं तथा दो जनपदों को जोड़ने के कारण अधिक संख्या में लोगों का आवागमन बना रहता है। सड़क की स्थिति ठीक न होने से आम जनमानस में सरकार के प्रति घोर निराशा है।

अतः मैं आपके माध्यम से इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त सड़क का तत्काल मरम्मत / निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बलिया के बांसडीह विधान सभा क्षेत्र में डुमरिया से सहतावर रेलवे क्रासिंग पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती केतकी सिंह-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-362, बांसडीह जनपद-बलिया, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत डुमरिया से सहतवार रेलवे क्रासिंग पर आए दिन लम्बी जाम लगी रहती है। जिससे आए दिन एक्सीडेंट की घटना होती रहती है तथा घंटों जाम में खड़ा रहना पड़ता है जिससे जनहित में अंडरपास/उपरिगामी सेतु बनवाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करती हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखनऊ के काल्विन इण्टर कॉलेज से रिटायर्ड प्रवक्ता को पेंशन दिलाये जाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 नीरज बोरा-

[मान्यवर, जनपद लखनऊ के काल्विन ताल्लुकेदार्स इण्टर कालेज, लखनऊ से दिनांक 01-04-2016 को सेवानिवृत्त प्रवक्ता डॉ0 प्रमोद कुमार गंगवार की पेंशन का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में शासन के न्याय एवं वित्त अनुभाग की सहमति तथा माननीय मुख्य मंत्री जी के अनुमोदन से जारी शासनादेश संख्या-276/15—8-13-3009(2)/13, दिनांक 03-03-2015 का अनुपालन समस्त अधीनस्थों के लिए बाध्यकारी है। परन्तु खेद के साथ सूच्य है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 के अधिकारियों द्वारा भ्रामक एवं असत्य कथनों के सहारे डॉ0 प्रमोद कुमार गंगवार को शासनादेश दिनांक 03-03-2015 द्वारा अनुमन्य अवशेष देयकों के भुगतान से गत् 07 वर्षों से वंचित रखा जा रहा है। सेवानिवृत्त प्रवक्ता डॉ0 प्रमोद कुमार गंगवार, दिनांक 31-7-2003 से दिनांक 08-03-2015 तक की अवधि का पूरा बकाया वेतन, भत्ता आदि पाने के विधिक अधिकारी हैं। इनके देयकों के भुगतान में अवरोध उत्पन्न किया जाना सर्वथा अनुचित है।

मैं लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद महाराजगंज के फरेंदा शहर में बस स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र चौधरी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद महाराजगंज का फरेन्दा शहर जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा व राज्य मार्ग पर स्थित है। यहाँ से मण्डल मुख्यालय, जिला मुख्यालय जाने हेतु कोई स्थाई बस स्टेशन न होने के कारण जनमानस को काफी परेशानियाँ होती हैं। जनहित में जनपद महाराजगंज के फरेन्दा शहर में एक राजकीय बस स्टेशन को स्थापित किया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद आगरा की फतेहपुर सीकरी की ग्राम रायभा, संधान तथा रुनकता को नगर पंचायत का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबूलाल-

[मान्यवर, अवगत कराना है जनपद आगरा के ब्लाक अछनेरा ग्राम रायभा ग्राम सांधन तथा रूनकता ग्राम सभाओं को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रत्येक तीनों गाँवों की आबादी लगभग एक-एक लाख के करीब है जिससे विकास कार्य नहीं हो पाते है तथा विकास के लिये धनराशि भी कम आती हैं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही किये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद हापुड़ की नगर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम नूरपुर में इण्टर कॉलेज का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजयपाल (आढ़ती)-

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र-59, हापुड़ ग्राम नूरपूर में इण्टर कालेज की बिल्डिंग प्रस्तावित है। इस स्कूल की जमीन ग्राम नूरपूर में चिन्हित है। जबकि इस स्कूल का अध्ययन कार्य दूसरे ग्राम ककौड़ी के प्राथमिक विद्यालय में चल रहा है जो ग्राम नूरपूर से कई किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिससे इण्टर कालेज का प्रबंधन सुचारू रूप से नही हो पा रहा है, जिस वजह से विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में कठिनाई हो रही है।

ग्राम नूरपूर हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 चौधरी चरण सिंह जी की जन्मस्थली भी है। जनहित में यहां स्कूल का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार से कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद अमेठी की विधान सभा क्षेत्र गौरीगंज में CRF के अन्तर्गत रामगंज से भुसियावा वाया शाहगढ़ सड़क के अधूरे पड़े निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश प्रताप सिंह-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र गौरीगंज, जनपद-अमेठी के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग रामगंज से भुसियावा वाया शाहगढ़ सड़क को खोद कर गढ्ढा कर दिया गया है। उच्च न्यायालय का बहाना देकर उक्त सड़क मार्ग का काम रोक दिया गया था जो अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। जिससे वहाँ की जनमानस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उक्त मार्ग पर बरसात के दिनों में निकलना दूभर हो जाता है जिससे वहाँ के जनमानस में काफी रोष व्याप्त हो गया है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त CRF के अन्तर्गत रामगंज से भुसियावा वाया शाहगढ़ सड़क अधूरे पड़े सम्पर्क मार्ग पूरा कराये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सैदपुर जागीर खसरा संख्या-36 (स) निकट भुइयन देवी तिराहा सब-स्टेशन न्यू कैंपस लखनऊ के समीप श्रीमती राम बेटी देवी के प्लाट से लगे सार्वजनिक रोड पर प्राइवेट बिल्डर द्वारा बिजली विभाग के कर्मचारियों के शह पर रखे ट्रांसफार्मर व हाई एक्सटेंशन लाइन के जरिये बिजली देने की जाँच के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि श्रीमती रामबेटी देवी के प्लाट से लगे सार्वजनिक रास्ते पर ट्रांसफॉर्मर रखवा कर हाई एक्सटेंशन लाइन खींच कर प्राईवेट बिल्डर को लाभान्वित किया गया जबकि नियमतः बिल्डर को अपनी जमीन पर ट्रांसफॉर्मर रखवाना चाहिए था, हाई एक्सटेंशन लाइन के लिए भी पहले से मौजूद तारों के ऊपर से लाना चाहिए था। महोदय जब श्रीमती रामबेटी देवी ने ट्रांसफॉर्मर व हाई एक्सटेंशन लाइन हटाने की शिकायत एमडी, यूपीपीसीएल को की तो निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा एमडी महोदय से बताया गया कि ट्रांसफॉर्मर और एक्सटेंशन लाइन दोनों ही शिफ्ट हो सकती हैं परंतु इसके लिए एस्टीमेट प्रार्थिनी रामबेटी देवी को ही देना होगा। महोदय कृपया इस बात की जाँच करवाने का कष्ट करें कि जब प्राईवेट कॉलोनाइजर को लाभ देने के लिए सरकारी जमीन का प्रयोग किया गया तो एस्टीमेट की लागत पीड़ित पक्ष क्यों चुकाएगा। इसके अतिरिक्त इस बात की जाँच भी करवाने का कष्ट करें कि सरकारी जमीन पर प्राइवेट बिल्डर किस प्रकार ट्रांसफॉर्मर रख सकता है और इस तरह की घटनाओं में वसूली जिम्मेदार अधिकारियों से न करने के बजाय पीड़ित पक्ष से किस आधार पर की जा रही है। महोदय जब भी कोई अपनी जमा पूंजी से जमीन खरीदता है तो सार्वजनिक रास्ता इत्यादि देख कर खरीदता है लेकिन आए दिन इस तरह से प्राइवेट बिल्डर्स को लाभ पहुंचाने के मकसद से नियम विरुद्ध तरीके से तार खींच दिए जाते हैं साथ ही ट्रांसफॉर्मर रखकर सार्वजनिक रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, और शिकायत करने पर पीड़ित पक्ष को ही दोष दिया जाता है।]

जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र बेहट की फुल कॉलोनी व इंदिरा कॉलोनी को कस्बा बेहट या अन्य ग्राम पंचायत में सम्मलित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301के अन्तर्गत सूचना

श्री उमर अली खान-

[मान्यवर, फुल कालोनी व इन्दिरा कालोनी कस्बा बेहट से सटी हुई है परन्तु दोनों कॉलोनियाँ ना तो कस्बा बेहट नगर पंचायत में सम्मिलित हैं और ना ही किसी अन्य ग्राम पंचायत में सम्मिलित हैं। यहां के निवासियों को मृत्यु प्रमाण-पत्र तथा जन्म प्रमाण पत्र की सुविधा नहीं मिलती, इन दोनों कॉलोनियों की एक बड़ी आबादी है जोकि काफी सुविधाओं से वंचित है।

अतः उक्त समस्या का निराकरण नियम 301 के माध्यम से कराना चाहता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ग्राम सभा सिधियावां में 7 वर्ष से कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी अंजुम की मिलीभगत से बिना इण्टरलॉकिंग लगाये लाखों रुपये हड़प कर बंदरबांट किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृजेश कुमार-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मोहम्मद समीउल्लाह पुत्र कयूम निवासी ग्राम सिंधियांवा थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी के दरवाजे से मोहम्मद जफर के दरवाजे तक इण्टरलॉकिंग के कार्य के लिए ग्राम विकास अधिकारी को आवेदन देने पर बताया गया कि वहां तो पहले से ही इण्टरलॉकिंग लगी हुई है, जबकि उक्त मार्ग पर आज तक कभी भी इण्टरलॉकिंग का कार्य नहीं हुआ। जब ग्रामीणों ने ग्राम विकास अधिकारी से इसकी शिकायत करना चाहा तो उन्होंने कहा कि यह कार्य अभिलेखों में कराया जा चुका है और सभी उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी है और सभी ने उसमें अपना हिस्सा लिया है, आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे जहां शिकायत कर लो जाँच मुझे या उन्हीं अधिकारियों को ही करनी है। ग्राम विकास अधिकारी सुश्री अंजुम लगभग 7 वर्षों से लगातार इसी ग्राम पंचायत में कार्यरत हैं तथा सभी अधिकारियों और क्षेत्र में इनका काफी रसूख है-जिसके चलते इनके विरुद्ध कोई शिकायत भी नहीं कर पाता।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय से मोहम्मद समीउल्लाह पुत्र कयूम निवासी ग्राम सिंधियांवा थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी के दरवाजे से मोहम्मद जफर के दरवाजे तक इण्टरलॉकिंग के कार्य कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने तथा सुश्री अंजुम, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम सभा सिंधियावा की जाँच कराने व इण्टरलॉकिंग लगाने के भ्रष्टाचार में सम्मिलित सभी अधिकारियों की जाँच कराने व दोषी पाये जाने पर दंडित करने की मांग करता हूं।]

उद्यान एवं खाद्य प्रस्करण विभाग द्वारा नए उद्यमियों को सब्सिडी न दिए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आशु मलिक-

[मान्यवर, इस लोक महत्व के अविलम्बतीय विषय पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि प्रदेश में कृषि उत्पादों की खपत बढ़ाने एवं औद्योगिकरण तथा रोजगार को बढ़ावा देने हेतु शासन द्वारा इन्वैस्टर समिट के माध्यम से नई-2 घोषणायें कर उद्यमियों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। जब कि शासन की पहली घोषणायें जमीनी स्तर पर अपना दम तोड़ रही है। उ0प्र खाद्य प्रसंस्करण इण्डस्ट्रियल पॉलिसी-2017 के अन्तर्गत तीन

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वित्तीय वर्षों 2020-21, 2021-22, एवं 2022-23 में लगभग 254 उद्यमियों ने अपने आवेदन की सभी पत्रावली पूर्ण करने के पश्चात भी कैपिटल सब्सिडी एवं ब्याज सब्सिडी न मिलने के कारण मरणासन है। उनका सरकार की घोषणाओं पर विश्वास उठता जा रहा है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन को निर्देशित करने का कष्ट करे कि उपरोक्त उद्यमियों को उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक पालिसी-2017 के अन्तर्गत कैपिटल एवं ब्याज सब्सिडी तुरन्त आवंटित करते हुए, वक्तव्य देने हेतु निर्देश देने का कष्ट करें।]

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र में कस्बा लावड में स्थायी किसान मंडी बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अतुल प्रधान-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र के कस्बा लावड़ में एवं उसके आस-पास के किसान फल, फूल एवं सब्जी की खेती करते हैं। लावड में सुबह के समय एक अस्थाई मण्ड़ी सड़क के किनारे लगायी जाती है। जिससे मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। जिसके कारण किसान, मण्ड़ी के क्रय-विक्रेता एवं राहगीर सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कस्बा लावड में मण्ड़ी की नितान्त आवश्यकता है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद मुरादाबाद की बिलारी तहसील के अन्तर्गत ग्राम जरगांव और नमैनी गद्दी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का पुनर्निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

[मान्यवर जनपद-मुरादाबाद के बिलारी तहसील अन्तर्गत ग्राम जरगांव और नमैनी गद्दी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेहद ही जर्जर अवस्था में है। उक्त दोनों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन इतने जर्जर है कि वह कभी भी गिर सकते हैं। उक्त दोनों भवन पहले जनपद-संभल अन्तर्गत आते थे, मगर अब वह मुरादाबाद जनपद में स्थान्तरित हो गये हैं। इन भवनों का पुनः निर्माण होना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये जनपद-मुरादाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जरगांव और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नमैनी गद्दी के भवनों को जनहित में पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगावां में तहसील बिल्डिंग बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री समरपाल सिंह-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जनपद अमरोहा, विधान सभा क्षेत्र-40, नौगावां सादात में नौगावां सादात को तहसील का दर्जा दिये कई वर्ष हो गये किन्तु अभी तक तहसील की बिल्डिंग नहीं बनी है व नौगावां सादात तहसील में ब्लाक बनना था जो अभी तक नहीं बनवाया गया है। उक्त कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में शासन-प्रशासन से कई बार अनुरोध किया गया, परन्तु इस कार्य को कराने हेतु शासन-प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया। उक्त कार्य न होने के कारण सरकार के प्रति क्षेत्रीय जनता में काफी रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से जनपद अमरोहा, विधान सभा क्षेत्र-40, नौगावां सादात में जनता की परेशानी को देखते हुए तहसील की बिल्डिंग एवं ब्लाक बनवाये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद बलिया के तहसील रसड़ा के ग्राम जेठवार याकूबपुर के कन्हैया पुत्र गौरी की जमीन को हड़पने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हंसुराम-

[मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में अति महत्वपूर्ण विषय लाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र संख्या-357, बेल्थरा रोड जनपद-बलिया के ग्राम जेठवार याकूबपुर तहसील-रसड़ा जनपद-बलिया के निवासी कन्हैया पुत्र गौरी की जमीन खाता संख्या-100/1 रकबा 0.0466 हे0 पर ग्राम के निवासी श्री कन्हैया पुत्र भगवान ने फर्जी तरीके से अपना नाम चढ़ा कर उसे श्रीमती सरोज पत्नी विजय प्रकाश को बेंच दिया। कन्हैया पुत्र भगवान ने फर्जी तरीके से परिवार रजिस्टर में अपना व अपने परिवार का नाम भी दर्ज करा लिया। खतौनी में नाम दर्ज कराने में तात्कालीन लेखपाल की भूमिका रही। कन्हैया पुत्र गौरी की तहरीर पर थाना नगरा में एफ0आई0आर0 दर्ज हुआ। उसके आवेदन पर जिलाधिकारी बलिया ने तहसीलदार रसड़ा को इसे निस्तारित करने का आदेश दिया किन्तु अभी तक उसका नाम खतौनी में दर्ज नहीं हुआ।

अतः इस अविलम्बनीय अत्यन्त लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बुलंदशहर के कैलाश हॉस्पिटल द्वारा बरती गयी लापरवाही के सम्बन्ध में लियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज कुमार मलिक-

[मान्यवर, अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि कुशल पाल गौड़ ने दिनांक 11-02-2023 को हल्के बुखार से पीड़ित अपने पुत्र को बुलन्दशहर में डॉ0 नीरज कुमार, एम0डी0, खुर्जा क्लीनिक में ले गया जहाँ पर उसके परीक्षण के बाद दवा दी गयी। आराम न होने पर फिर उक्त डॉ0 के द्वारा अल्ट्रासाउण्ड कराया गया। सेक्टर 27 कैलाश अस्पताल नोएडा में दिनांक 14-02-2023 डॉ0 नीरज के द्वारा किये गये गलत इलाज और गलत सलाह के कारण एवं कैलाश हॉस्पिटल में कार्यरत प्रेम प्रकाश अरोरा द्वारा एम्बुलेंस न देने से एवं बिगड़ती स्थिति के बारे में सही जानकारी न देने के कारण कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर-27 समय पर ना पहुँचने के कारण कुशलपाल गौड़ के 19 वर्षीय पुत्र की मृत्यु हो गयी।

अतः इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद संतकबीरनगर के धनघटा के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग का निरीक्षण भवन बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गणेश चन्द्र-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र धनघटा के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग का निरीक्षण भवन निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि यह जिला गोरखपुर बस्ती, अम्बेडकरनगर से सटा हुआ है अयोध्या से बनारस को जाने वाली राम जानकी मार्ग यही से होकर गुजरता है निरीक्षण भवन न होने के कारण आये हुये अतिथियों को ठहरने में असुविधा होती है। क्योंकि यह विधान सभा अति पिछड़ा हुआ है। जबकि निरीक्षण भवन के लिए ग्राम पंचायत गागरगाड़ (धनघटा) में लोक निर्माण विभाग की भूमि उपलब्ध है। निरीक्षण भवन का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद गोंडा के विधान सभा क्षेत्र करनैलगंज के लखनऊ गोंडा हाईवे पर रेलवे क्रॉसिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय सिंह-

[मान्यवर, जनपद के विधान सभा क्षेत्र करनैलगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड करनैलगंज के लखनऊ गोण्डा हाइ-वे पर दो रेलवे क्रांसिग स्थित हैं। जब भी रेलगाड़ी का

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आवागमन होता है तब रेलवे क्रांसिंग की वजह से बहुत लम्बा जाम लग जाता है जिससे आम जनमास को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उक्त दोनों रेलवे क्रांसिगों पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग कार्रवाई करता हूँ।]

विद्युत वितरण प्रथम अन्तर्गत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र मॉखी से 11 के0वी0 बिरसिंगपुर रायपुर गढ़ी शाहपुर, भादेमू तक लगभग एक किमी0 लाइन बनाकर जोड़ने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बम्बा लाल-

[महोदय, कृपया उप खण्ड अधिकारी विद्युत वितरण खण्ड अजगैन उन्नाव कार्यालय के पत्र सं0 346 दिनांक 29-08-2022 के संदर्भ में आपको सादर अवगत कराना है कि 33/11 के0वी0 विद्युत उप केन्द्र अजगैन से निकलने वाली 11के0वी0 की विद्युत लाइन बिरसिंहपुर, रायपुरगढ़ी की दूरी से लगभग 50 किमी0 मीटर अत्यधिक दूरी है तथा फीडर में जी0आई0 वॉयर भी प्रयुक्त है एवं फीडर पर पीक आवर्स लोड 225 के आस पास रहता है जिसकी वजह से 11 के0वी0 रायपुरगढी की विद्युत लाइन में अक्सर फाल्ट रहती है तथा लो-वोल्टेज भी रहता है, जिसके कारण उस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय उप खण्ड अधिकारी अजगैन द्वारा यह भी प्रस्तावित किया है कि विद्युत वितरण प्रथम अन्तर्गत 33/11 के0वी0 विद्युत उप केन्द्र मॉखी से लगभग एक किमी0 लाइन बना कर जोड़ा जा सकता जिससे 11 के0वी0 बिरसिंहपुर रायपुरगढी भदेमू, शाहपुर की अत्यधिक दूरी कम की जा सकती है तथा फाल्ट एवं लो वोल्टेज की समस्या से निजात पाया जा सकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए उप खण्ड अधिकारी अजगैन द्वारा प्रस्तावित विद्युत वितरण प्रथम अन्तर्गत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र मॉखी से 11 के0वी0 बिरसिंहपुर रायपुरगढ़ी भदेमू, शाहपुर तक लगभग एक किमी0 लाइन बना कर जोड़ने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद-बिजनौर को विधान सभा क्षेत्र नगीना के विकास खण्ड कोतवाली के नगीना अकबराबाद मार्ग से मलकपुर अब्दुल्ला मार्ग एवं आबादी भाग में सी-सी रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पारस-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हुँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना जनपद बिजनौर के अन्तर्गत विकास खण्ड कोतवाली के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नगीना-अकबराबाद मार्ग पर से मलकपुर अब्दुल्ला खुशहालपुर मठेरी, परमानन्दपुर गावडी मार्ग की मरम्मत एवं आबादी भाग में सी0सी0 रोड बनवाये जाने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस सम्बन्ध में शासन को मेरे द्वारा इसका प्रस्ताव भी दिया गया। परन्तु आज तक इस रोड का निर्माण नहीं हो पाया जिस कारण क्षेत्र की जनता में बहुत आक्रोश है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए नगीना-अकबराबाद मार्ग पर से मलकपुर अब्दुल्ला खुशहालपुर मठेरी, परमानन्दपुर गावड़ी मार्ग की मरम्मत एवं आबादी भाग में सी0सी0 रोड बनवाने की माँग करता हूँ।]

जनपद अयोध्या के गोसाईंगंज विधान सभा क्षेत्र में भूमि से कब्जा हटाने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अभय सिंह-

[महोदय, मैं आपका ध्यान जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र गोसाईगंज की अति लोक महत्व सूचना की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि ग्राम-चाँदपुर मु0 पोस्ट घूरीटीकर परगना-पश्चिम राठ जनपद-अयोध्या की सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि गाटा संख्या-64, रक्बा 0.885 हे0 भूमि जो पशुचर के लिए आरक्षित है उस पर श्री जंग बहादुर पुत्र श्री शिव प्रसाद द्वारा तहसील के अधिकारियों से दुरभिसन्धि करके अवैध कब्जा कर लिया है। उक्त भूमि से कब्जा हटाने हेतु ग्राम प्रधान द्वारा पूर्व में तहसीलदार के यहाँ शिकायत की गयी जिस पर तहसीलदार ने कब्जा हटाने का आदेश भी दिया है परन्तु तहसील प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई न करके अवैध कब्जेदार को बचाने के लिए 122बी की कार्रवाई की जा रही है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ जिससे उक्त भूमि पर से अवैध कब्जा हटवाने व दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की माँग करता हूँ।]

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

श्री अध्यक्ष-

मा0 कृषि मंत्री जी, अपना बजट प्रस्तुत करें।

कृषि मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों की चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1890,62,10,000 रुपये (एक हजार आठ सौ नब्बे करोड बासठ लाख दस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्यय को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 8079,98,57,000 रुपये (आठ हजार उन्नयासी करोड़ अट्ठानबे लाख सत्तावन हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, देश के लोक प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदार दास मोदी जी के दिशा-निर्देशन और प्रदेश में यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में आज मुझे कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट पर चर्चा करते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है। कृषि क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मेरुदण्ड है। प्रदेश की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या परोक्ष रूप से कृषि एवं उससे सम्बन्धित कार्यो पर निर्भर करती है इसलिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदार दास मोदी जी की और मा0 मुख्य मंत्री जी की किसानों की समृद्धि और कृषि क्षेत्र (शीर्ष) प्राथमिकता पर रही हैं। मा0 अध्यक्ष महोदय मा0 योगी आदित्यनाथ जी के सरकार गठन होने के तुरंत उपरान्त प्राथमिकता के आधार पर जो वर्ष 2017 में हमारी पहली मन्त्रि-मण्डल/मंत्रि-परिषद की बैठक हुई उसमें पहले और दूसरे प्रस्ताव किसानों और कृषि समृद्धि के लिए किए गए थे। पहले निर्णय के भीतर प्रदेश के वर्ष 2016 के पहले के किसान जिनके ऊपर बैंकों के ऋण के0सी0सी0 के माध्यम से। ऐसे 86 लाख किसानों का 36 हजार करोड़ रुपये का ऋण मोचन करने का क्रान्तिकारी फैसला योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को पूरा करने की दृष्टि से किया था और उसी के साथ एक दूसरा फैसला किया था कि राज्य के भीतर कृषि उत्पादों की खरीदारी की दृष्टि से हम व्यापक पैमाने पर पारदर्शी तरीके से खरीदारी करेंगे और उस वर्ष 50 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीददारी करने का फैसला किया जिसमें 43 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद करके उत्तर प्रदेश के किसानों को सुखी और समृद्ध बनाए जाने के लिए जो कदम उठाए, के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसका परिणाम यह हुआ कि जो उत्तर प्रदेश का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 241.70 लाख हेक्टेयर है और खेती योग्य भूमि 165 लाख 38 हजार हेक्टेयर है, उसके भीतर किसान भाईयों ने चिन्ता से मुक्त होकर अपनी खेती को करना शुरू किया। उसका परिणाम यह रहा कि वर्ष 2012 से 2017 तक पूरे प्रदेश का कुल कृषि उत्पादन जो 2413 लाख 99 हजार मीट्रिक टन था, वह अब बढ़ करके 2994 लाख 10 हजार मीट्रिक टन हुआ है। इस प्रकार से खाद्यान्न उत्पादन में 581 लाख 10 हजार मीट्रिक टन का अधिक उत्पादन बढ़ा। ऐसे ही उत्तर

प्रदेश में वर्ष 2020-21 में 618 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा। जो आज देश के लिए एक कीर्तिमान है।

मैं चाहूँगा कि जो हमारे विपक्ष के मित्र हैं, वे एक बार इसको भी देखने का काम करें कि किस तरीके से किसानों की खुशहाली के लिए हम लोगों ने पिछले पाँच वर्षों के भीतर ये प्रयत्न किए कि किसानों को सही समय पर पानी मिल जाए, किसानों को सही समय पर बीज मिल जाए, किसानों के लिए सही समय पर उर्वरक की व्यवस्था हो जाए और साथ ही साथ जब वे उत्पादन करते हैं तो उसकी खरीद की भी समुचित व्यवस्था करके उनका भुगतान हो जाए। इसके कारण हमारे राज्य का जो उत्पादन बढ़ा, जैसा मैने आपको बताया कि हम लोगों ने 581 लाख 10 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा लगभग सवा लाख करोड़ रुपये से ऊपर का खाद्यान्न उत्पादन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के प्रयासों के माध्यम से राज्य के भीतर हुआ है। दूसरी तरफ जो राज्य की उत्पादकता इनपुट के अभाव में घटती चली जा रही थी, जी की सरकार के प्रयासों की वजह से हमारे उत्तर प्रदेश की उत्पादकता भी 24 कुण्टल 02 के0जी0 से बढ़कर 29 कुण्टल 81 के0जी0 तक पहुँची है। आज गेहूँ के क्षेत्र में, धान के भीतर, तिहलन और दलहन में, सभी प्रकार के उत्पादन में हमारे राज्य की उत्पादकता बढ़ी है। उसके परिणाम स्वरूप राज्य के भीतर किसानों की खुशहाली हुई है और आज 02 कुण्टल 88 के0जी0 प्रति हेक्टेयर तिलहन के भीतर हमारी उत्पादकता बढ़ी है। इसी तरीके से 05 कुण्टल 97 के0जी0 प्रति हेक्टेयर हमारा खाद्यान्न के भीतर भी उत्पादन बढ़ा है। इस प्रकार से यह प्रयास किया गया है कि किसान भाईयों को हम सुख और समृद्धि की दृष्टि से आगे बढ़ा सकें। मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्ष 2016 और 2017 के बीच में जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने कुल सात लाख मीट्रिक टन की खरीदारी की थी, उस समय उत्तर प्रदेश का किसान परेशान था, उस समय प्रदेश में वातावरण क्या था, हमारे बुन्देलखण्ड के किसान भाई आत्म हत्या कर रहे थे इसलिए कि उनको उत्पादन की सही कीमतें नहीं मिल रही थीं। उनको सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा था, उनका कोई पुरसान-ए-हाल नहीं था, ये केवल घड़ियाली आँसू बहा रहे थे लेकिन योगी जी की सरकार ने आ करके जो प्रयास किया, उसके कारण आज प्रदेश के भीतर किसानों की आत्म हत्या ठहर गई, रुक गई और हमें तो प्रसन्नता है कि पिछले छः वर्षों के भीतर किसान आत्म हत्या से विमुख हो करके अपनी खेती की ओर गया है।

उसका कारण रहा है कि हमने उनको कर्जे के बोझ से मुक्त किया, हमने उनको समय पर उर्वरक प्रदान किए, पर्याप्त मात्रा में उनको उर्वरक दिए, कीमतों को स्थिर बना करके रखा, जिसकी वजह से उनके ऊपर महंगाई की मार का असर नहीं हुआ और उसका परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2012 से 2017 तक के इनके पूरे पाँच साल के कार्यकाल में जो खरीफ का उत्पादन था, जो धान का उत्पादन 123 लाख मीट्रिक टन था, वह हमारे प्रयासों की वजह से, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के प्रयासों से वर्ष 2017 से 2022 के बीच में बढ़ करके 345 लाख मीट्रिक टन हुआ है।

(इस समय अपराह्न 01 बजकर 08 मिनट पर पर अधिष्ठाता श्री रवि शर्मा पीठासीन हुए)

और जो हम लोगों ने खरीद की व्यवस्था की, वह 345 लाख मीट्रिक टन हम लोगों ने खरीदा है और इसी प्रकार से गेहूँ की खरीद जो आपने 5 साल के भीतर 94 लाख मीट्रिक टन किया था हम लोगों ने 219 लाख 12 हजार मीट्रिक टन किया है और मैं यह भी कह सकता हूँ कि आपकी कुल खाद्यान्न की खरीद जो एम0एस0पी0 पर हुई थी। आप कहा करते थे कि हम धरती पुत्र हैं। आप कहा करते थे कि हम किसानों के मसीहा है लेकिन मसीहा के जमाने में पूरे प्रदेश के भीतर जो धान और गेहूँ की खरीद हुई वह मात्र 217 लाख मीट्रिक टन हुई, दोनों को मिलाकर और कुल 33,89,670 किसानों से हुई थी और किसानों को 29 हजार 999 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ था। मा0 अधिष्ठाता महोदय, 217 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर, योगी जी की सरकार ने पाँच वर्षों के भीतर 567 लाख 14 हजार मीट्रिक टन खाद्यान्न की खरीददारी की और 40 हजार करोड़ रुपये के स्थान पर 99,95,481 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इनके जमाने में 33,89,670 किसानों से खरीदी है और हमारे जमाने में 99, 95,481 से खरीद हुई है। इन्होंने किसानों को 29 हजार 999 करोड़ रुपये और मा0 योगी जी की सरकार ने भुगतान 1,02,980 करोड़ रुपये तीन गुना से ज्यादा खरीददारी, तीन गुना से ज्यादा किसानों को लाभान्वित किया गया और दलालों से मुक्त करके सीधे उनके खातों में पैसा भेजा जाना, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश का किसान खुशहाल हुआ है और उनकी कठिनाइयों का समाधान हुआ है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, हम लोगों ने प्रदेश के भीतर फसलों का विविधीकरण हो सके, इस दृष्टि से हम लोगों ने यह प्रयास किये और उस प्रयास के परिणामस्वरूप राज्य के भीतर हम लोगों ने मक्के की खरीददारी शुरू करायी। हमने चना और मसूर की खरीददारी की, सरसों की खरीददारी की और खरीददारी करके किसानों को उसका भुगतान किया। इस साल बाजरे की खरीद हम लोगों ने यहाँ 45000 मीट्रिक टन से ज्यादा हमने खरीददारी की है और 99 करोड़ रुपये का भुगतान किसान भाइयों के खातों में हम लोग बाजरे की खरीद करके कर रहे हैं। यह साल 'अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आज 'अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष' श्री अन्न के महत्व को देखते हुए हम लोगों ने इस बात का प्रयास किया है कि अपने राज्य योजना के भीतर अगले चार साल के लिए 186 लाख करोड़ रुपये की योजना हमने उसके भीतर रखी है जिसमें इस साल 65 करोड़ 55 लाख रुपये की जिसके माध्यम से हम प्रदेश के भीतर उस योजना को आगे की ओर सम्पादित करेंगे। श्री अन्न, मान्यवर, यह मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गुणकारी है और स्वास्थ्यवर्धक है इसके भीतर इतने तत्व पाये जाते हैं कि बहुत विटामिन्स खाने की आवश्यकता नहीं होगी। स्वयं पोषण, श्री अन्न के माध्यम से किया जा सकता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष को 'अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष' के रूप में मनाये जाने का फैसला किया है और इसीलिए आज कृषि विभाग के बजट के अवसर पर दोनों

ही सदनों के मा0 सदस्यों को श्री अन्न से बना हुआ भोजन आज उनको परोसा जाएगा। जिसके माध्यम से हमारा यह कार्यक्रम लोगों के बीच पहुँच सके। मान्यवर, पिछले वर्षों में किसानों को यंत्रीकरण की दृष्टि से, उनकी खेती को आसान और सरल बनाये जाने का काम हम लोगों की सरकार ने किया है और उसके भीतर 1,65,135 कृषि यंत्र 50 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत तक अनुदान पर दिये गये और 1289 करोड़ 22 लाख 45 हजार रुपया हम लोगों ने खर्च किया है। इस साल भी हमने प्रयास किया है मान्यवर, कि इस साल के बजट में भी इस बात की हम लोगों ने व्यवस्था की है कि अपने कृषि यंत्रों की योजना को हम चलाएंगे और लगभग 400 करोड़ की विभिन्न योजनाओं के भीतर हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है। मान्यवर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं इस सदन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए, किसानों के खेत की गिरती हुई उर्वरा शक्ति और उसके भीतर कॉर्बन मैटर की कमी को देखते हुए, पूरे देश के किसानों की मिट्टी की जाँच करायी और इस बात की अनुशंसा की गयी कि रसायनिक खादों का इस्तेमाल कम किया जाए और विषयुक्त खेती से प्रदेश को मुक्त किया जाए।

इस कृषि से भी हम लोगों ने बुंदेलखण्ड के भीतर बुंदेलखण्ड प्राकृतिक कृषि योजना के माध्यम से रवी योजना की शुरूआत की, जिसके ऊपर 78 करोड़ रुपये की धनराशि हम अगले वर्षों में व्यय करेंगे, वजट के भीतर हम लोगों ने इसका प्राविधान किया है। नमामि गंगे कार्यक्रम के भीतर गंगा जी के किनारे के सभी 22 जनपदों में 05 किलोमीटर के दायरे से रबी की खेती के माध्यम से विषमुक्त खेती किये जाने का एक प्रयास हुआ है। इस साल लगभग 52 जनपदों के भीतर प्राकृतिक खेती की योजना आयी है, इन तीनों के लिए हम लोगों ने बजट के अंदर प्राविधान रखा है जिस पर गौ आधारित हमारी खेती होगी और पेस्टीसाईड कैमिकल फर्टीलाइजर से मुक्त खेती करके अन्न की किस तरीके से पौष्टिकता बढ़ायें, उस दिशा में हम किसान प्रयास करेंगे। उसके लिए हम अपनी योजना के भीतर इस बात की व्यवस्था किए हैं। जो हमारी सी0एन0ए0 योजना है इसके भीतर हम 25 विज्ञान केन्द्रों पर अपने प्रोसेसिंग सेण्टर लगायेंगे और जो एफ0पी0ओ0 कृषि उत्पादन संगठन देश के भीतर बन रहे हैं उन एफ0पी0ओ0 को भी ताकत दिये जाने के लिए 20 ऐसे श्रीखण्ड के आधार पर चलने वाले हमारे एफ0पी0ओ0 होंगे उनके यहां हम रु0 60 लाख की लागत से वहां पर अपनी प्रसंस्करण इकाई लगाये जाने के लिए हम उनको स्थान देंगे। राज्य के भीतर किसान अन्न उपजाने की जगह पर वो वीज उत्पादक भी हो सके इसलिए वीज ग्राम्य योजना हम लोगों ने चलाई और केन्द्र से मिलने वाली 1400 रुपये एवं 1600 रुपये की योजना पर 400 रुपया टॉपअप राज्य के भीतर हमने दिया, जिससे आज रु0 2000 उनको प्राप्त हो रहा है और बीज उत्पादन की दृष्टि से भी राज्य के भीतर काम हो रहा है उसके लिए भी हमने अपने कार्यक्रमों के भीतर उसको शामिल किया है। मान्यवर, हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि किसानों को भ्रष्टाचार मुक्त योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचे इसके लिए राज्य के भीतर डी0वी0टी0 व्यवस्था हम लोगों

ने शुरू की और उस व्यवस्था पर प्रधानमंत्री जी का बल था कि पैसे को एकाउण्ट में ट्रांसफर किया जाय और वर्ष 2015 से 2017 तक जब इनकी सरकार थी तो मात्र 22,74,000 किसानों को डी0बी0टी0 के माध्यम से पैसा उनके खातों में गये थे और उस समय 276 करोड़ रुपये का अनुदान उन्होंने दिया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने मुख्य मंत्री जी को कि उन्होंने सबसे पहले कृषि क्षेत्र के भीतर डी0बी0टी0 योजना को लागू किया और उसके माध्यम से आज हम 1,21,58,000 किसानों को एक निश्चित धनराशि जो हमारी विभिन्न योजना बीज अनुदान के रूप में कृषि यंत्रों के अनुदान के रूप में या नमामि गंगे कार्यक्रम के भीतर या प्राकृतिक खेती के माध्यम से या आर0ए0डी0 के माध्यम से जा रही हैं उन सारी योजनाओं का पैसा आज किसान भाइयों के खाते में पहुंच रहा है। जिससे बीच के बिचौलिये खत्म हो गये और भ्रष्टाचार मुक्त करने का हम लोगों ने प्रयास किया है।

हम लोगों ने इस प्रमाणिक बीज को बांटने का काम प्रारम्भ किया। इनकी उत्पादकता की कमी का एक कारण यह भी था कि ये गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध नहीं कराया करते थे। हम लोगों ने इसके ऊपर प्रयास किया और इस पर काम किया और जो बीज 2016-17 में 5,25,306 कुण्टल सरकारी और अर्ध सरकारी कृषि विभाग और अन्य विभागों के माध्यम से बटता था। योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रयासों से 2020-21 में हम लोगों ने 8,51,363 कुण्टल तक और 2021-22 में 8,01,854 कुण्टल तक यानि इस प्रकार से लगभग 3 लाख कुण्टल बीज हम लोगों ने 3 लाख से ज्यादा किसानों को प्रमाणिक और सत्यापित बीज दे करके वह बीज उत्पादन कर सकें और अच्छा उत्पादन कर सकें। जब बीज में परिवर्तन होता है तो 10 से ले करके 15 परसेंट उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और इसको फोकस करते हुए हम लोगों ने कार्य योजना बनायी जिसके माध्यम से उनको ये हम लोगों ने प्रदान की है। मान्यवर, और उसका परिणाम कि राज्य में कृषि का विकास दर बढ़ करके आज जो योगी जी की सरकार बनी थी 5-3 प्रतिशत उस समय विकास दर थी जो वर्ष 2021-22 के आकड़े है उसके मुताबिक 7.9 परसेंट कृषि विकास की दर हैं और हम लोगों ने यह तय किया है कि अगले 02-03 वर्षों के भीतर हम डबल डिजिट पर पहुँचाएंगे। और उत्तर प्रदेश के भीतर कृषि क्षेत्र को भी समृद्धशाली बना करके रखेंगे। प्रधानमंत्री जी की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में, आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के योगदान को 1 ट्रिलियन डालर की इकोनॉमी के लिए जो घोषणा की है, उसमें कृषि विभाग अपनी कार्य-योजना बना करके एक पूरा रोडमैप तैयार कर रहा है, जिसके माध्यम से हम किसानों को कृषि के साथ-साथ उनको अन्य संसाधनों के माध्यम से, उनको पशुपालन की ओर प्रोत्साहित करके, फलों और सब्जियों की खेती की तरफ प्रोत्साहित करके, साथ-साथ उसके प्रसंस्करण की दृष्टि से अभी जो ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट हुई, बड़े पैमाने पर खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयों के प्रसार हेतु उसके एम0ओ0यू0 हुए है। उत्तर प्रदेश के भीतर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी हमारी 2023 में एक बहुत बड़ी नीति आई है। उस नीति के परिणाम स्वरूप बहुत सारी सहूलियतें हम लोगों ने निवेशकर्ताओं को प्रदान किया

है। उनको आने वाले रॉ मैटेरियल पर मण्डी शुल्क से हमने छूट प्रदान की है। सीधा किसान उन तक ले जाकर उसको पहुँचा सकता है। यदि वह खाद्य प्रसंस्करण इकाई के लिए रजिस्ट्री कराते हैं तो उसका स्टॉम्प ड्यूटी से भी उनको छूट दिये जाने का प्राविधान किया गया है। यदि उनका लैण्ड यूज परिवर्तन होता है तो उसके लिए 50 हजार रुपये के टोकेन एमाउण्ट के माध्यम से लैण्ड यूज परिवर्तन करके उनको सहूलियत दी जा सकती है। राज्य के भीतर बड़े पैमाने पर खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयाँ लगाई जायें, इस दिशा में प्रयास हो रहे है। पिछले 5 वर्षों के भीतर 200 से ज्यादा खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयाँ राज्य के भीतर लगी है, जिसके माध्यम से मूल्य संवर्धन तेजी से बढ़ रहा है।

मैं आदणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने किसानों की कठिनाइयों को देखते हुए पूरे देश भर के लिए पी0एम0 किसान सम्मान निधि योजना लागू किया और पी0एम0 किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 24 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश से ही उस योजना का शुभारम्भ गोरखपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था और मैं यह कह सकता हूँ कि हमारा यह उत्तर प्रदेश राज्य, मुख्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में देश में सबसे ज्यादा त्वरित गति से उस योजना का क्रियान्वयन करने वाला राज्य बना, जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेंगलुरू में उत्तर प्रदेश को प्रशंसा-पत्र दिया था और उसको सम्मानित करने का काम किया था। आज राज्य के भीतर 2 करोड़ 60 लाख किसानों को हम लोगों ने 12वीं किश्त तक लगभग 52 हजार 500 करोड़ रुपये की धनराशि पहुँचाई। अभी 13वीं किश्त जारी हुई है। 1 करोड़ 75 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 3500 करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि आज उनके खातों में पहुँची है। इस प्रकार से लगभग 55 हजार करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों के खातों में बिना धान, गेहूँ और बिना किसी चीज को बेचे हुए, इतना बड़ा लाभ यदि किसी ने दिया है तो वह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ही दे सकते थे और किसानों का कर्जा यदि कोई माफ कर सकता था तो योगी आदित्यनाथ जी ही कर सकते थे। इस कारण प्रदेश के किसान तनाव से मुक्त हुए है। वह खुशहाली के रास्ते पर जा रहे है। वह अपनी खेती को ठीक प्रकार से कर रहे है। उद्यान के क्षेत्र में भी प्रयास हुए हैं। पहले मैं कृषि शिक्षा पर आता हूँ कि कृषि शिक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कृषि शिक्षा को बहुत महत्व दिया और हमने यह प्रयास किया है कि जो आपके द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र उपेक्षित थे, उन कृषि विज्ञान केन्द्रों को हम कैसे क्रियाशील बनायें और किसानों के बीच में उनकी भूमिका को निर्धारित करें। मै यह प्रसन्नता के साथ कह सकता हूँ कि जिन 20 विज्ञान केन्द्रों को प्रधानमंत्री जी ने आपको दिया था, लेकिन आप उसके लिए जमीन नहीं दे पाये थे। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 2 वर्षों के भीतर 20 कृषि विज्ञान केन्द्रों को भूमि दे करके और आज 69 की जगह राज्य के भीतर 89 कृषि विज्ञान केन्द्र हमारे संचालित हैं और उन सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों को हम लोगों ने पुनरुद्धार योजना चला करके, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से किया है। हम लोगों ने 170 करोड़ 67 लाख

85 हजार रुपये कृषि विज्ञान केन्द्रों को दिये हैं। आज वह कृषि विज्ञान केन्द्र जीवंत हो गये हैं। कृषि क्षेत्र की जो नई तकनीक है, जो हरित कान्ति प्रदर्शन है, जो शोध और रिसर्च है।

मान्यवर, वह सारा आज हमारे उन कृषि विज्ञान केन्द्रों पर हो रहा है। खेती के सभी आयामों को उनके भीतर शामिल किया गया है। इसी तरीके से अपने चारों कृषि विश्वविद्यालयों को आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या, चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ और कृषि विश्वविद्यालय बांदा। इन चारों कृषि विद्यालयों में परियोजनाओं को बढ़ा करके हम अपने नये महाविद्यालय उसके भीतर संचालित कर सकें। शोध और अन्वेषण वहाँ पर कर सकें। इसके लिए हम लोगों ने 204 करोड़ 66 लाख रुपये उनको उपलब्ध करवाया है। इस तरीके से कृषि क्षेत्र के भीतर 322 करोड़ 44 लाख रुपया आर0के0वाई0 योजना के माध्यम से हम लोगों ने उनको सशक्त करने के लिए इस पर खर्च किया है। मैं यह प्रसन्नतापूर्वक कह सकता हूँ कि जब मैने वर्ष 2017 में कृषि मंत्री के रूप में बांदा विश्वविद्यालय का दौरा किया था तो उस समय बांदा विश्वविद्यालय के भीतर सिर्फ दो महा विद्यालय चलते थे। आज वहाँ पर हमारे चार महा विद्यालय चल रहे हैं। कुल 100 एकड़ के भीतर वहाँ पर खेती होती थी। कल प्रश्नकाल के बाद मैं बांदा विश्वविद्यालय गया था उनका फाउंडेशन देखा मैं प्रसन्नता के साथ कह सकता हूँ कि आज 100 की जगह पर 600 एकड़ के भीतर बांदा कृषि विश्वविद्यालय अपने उत्थान के माध्यम से प्रमाणित और सत्यापित बीज किसानों को उपलब्ध करा सके, इस दिशा में उन्होंने प्रयास किया है। गाइड लाइन एरिया के भीतर जिन फसलों की खेती हो सकती है उनके ऊपर शोध कर रहे हैं। जो वहाँ पर धारणा थी कि वहाँ पर फलों की खेती नहीं हो सकती है। आज बड़े पैमाने पर ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है। वहाँ पर बड़े पैमाने पर कीनू की खेती हो रही है, नींबू की अनेक प्रजातियाँ वहाँ पर लगाई गई हैं। इसके साथ-साथ हमने संगृहीत खेती की दृष्टि से भी एक्सीलेंट कर दिया है। जहाँ पर सब्जियों का उत्पादन और बांदा जैसी जगहों पर आज प्याज का उत्पादन किया जा रहा है और टीसू कल्चर केले का हमारा विश्वविद्यालय संचालित कर रहा है। हमारे दिल्ली के साइंटिस्ट कहते थे कि बुन्देलखण्ड में टीसू कल्चर नहीं शुरू किया जा सकता है। कैसे केले की खेती होगी। उसको भी संभव कर दिखाने का काम बांदा कृषि विश्वविद्यालय ने किया है। इसी तरीके से पशुओं के नस्ल को ठीक किये जाने के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमेन के माध्यम से यह प्रयास किया गया है। हमारे पशुपालन मंत्री जी बैठे हुये हैं लगभग 45 करोड़ रुपया हम लोगों ने मथुरा विश्वविद्यालय को इस धनराशि के आलावा दिया है। जिसके माध्यम से बकरियों की प्रजाति का सुधार किया जा रहा है। देशी गायों की प्रजातियों को सुधार करके उसके दूध की उत्पादकता को बढ़ाया जा रहा है। नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय को सेक्स सॉर्टेड सीमेन के लिए पैसा दिया। मथुरा विश्वविद्यालय को हमने पैसा दिया। लगभग 12 करोड़ रुपया उनको दिया और लगभग इतनी ही धनराशि उस काम के लिए इनको दिया। हम लोगों ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को भी यह माना है

कि यह हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर हैं और उनको भी उनके साउथ कैम्पस मिर्जापुर के लिए 26 करोड़ रुपये से ऊपर की धनराशि दे करके उनको भी एम0यू0 टेक्नीक और सेक्स सॉर्टेड सीमेन के माध्यम से कैसे पशुओं की नस्ल को सुधारा जा सके और दूध उत्पादन को बढ़ाया जा सके। इस पर हमारे तीन विश्वविद्यालयों ने अपना काम शुरू कर दिया है। इसके लिए जो उदारतापूर्वक धनराशि दी गई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। सदन के माध्यम से यह लोग छुट्टा पशुओं की समस्या बार-बार उठाते हैं। यह नस्ल किसने खराब किया था। नस्ल खराब करने वाले तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। जिन्होंने विदेशी नस्लों का ए0आई0 करा करके ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दिया है जिससे कि उन विदेशी बछड़ों जिसको आगे जा करके यह सांड़ कहते हैं। यह सब सांड़ आपके ही छोड़े हुये है। जिनको ठीक करने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है। यह नस्ल बिगाड़ने का काम करते हैं हम नस्ल सुधारने का काम करते हैं और इस दिशा में हमारा प्रयास पशुपालन के क्षेत्र में हुआ है और हमारे विश्वविद्यालय यह काम कर रहे हैं। हम लोगों ने सभी विश्वविद्यालयों के भीतर सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस बनाये हैं। कहीं पर धान के लिए, बासमती चावल के लिए मेरठ के भीतर। आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय ने कानपुर को गेहूँ और सब्जियों के ऊपर और डायलेंट एरिया में काम करने के लिए बांदा विश्वविद्यालय को 5-5 करोड़ रुपये की अलग से अतिरिक्त धनराशि दी है। और मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस बजट के भीतर उन्होंने इसकी व्यवस्था की है कि 35 करोड़ रुपये इन 5 विश्वविद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए और दिया जायेगा। इसी प्रकार से सभी विश्वविद्यालयों के भीतर एग्री स्टार्टअप शुरू किये जाने थे, तब 4 विश्वविद्यालयों के लिए 5-5 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बजट के भीतर की गयी है। पिछली सरकार का कृषि शिक्षा के लिए कोई ध्यान ही नहीं था वह उपेक्षित था, वह रद्दी की टोकरी में पड़ा हुआ था। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद जो प्रयास हुये, उन प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह सम्भव हुआ है। एक दिन मुझे नेता विरोधी दल के साथ हवाई जहाज में दिल्ली से लखनऊ आने का मौका मिला था, तब इन्होंने पूछा कि हमारे एक्सीलेंस सेंटर कन्नौज की क्या स्थिति है, तब मैंने कहा कि आपने केवल उसका शिलान्यास कर दिया था, आधारशिला रख दी थी लेकिन उसको पूरा कराने का काम व उसके बाद उसको और बेहतर तरीके से कैसे संचालन करें इसके लिए हमने 5-5 करोड़ रुपये पिछले साल के बजट में व्यवस्था की थी।

इसलिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो आपकी एक अवधारणा बन गयी है जैसे कि आपने चुनाव आते-आते कहीं शिलान्यास कर दिया है और पूरा नहीं कर सके तो उसको पूरा करने का काम भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है और कन्नौज का एक्सीलेंस सेंटर जो, इजराइल तकनीकी के आधार पर बना है, वह उसका प्रतीक है। उसी तरह से बस्ती जनपद के भीतर भी हमने समानता रखी है और बस्ती के भीतर भी 5 करोड़ रुपये दिये, आज वहां पर छात्रावास बन गया है, आपके जमाने में एक पोली हाउस किसी तरीके से

लगाया गया था, आज कन्नौज के भीतर हमारे 5-5 हैं और उन पोली हाउस के भीतर नर्सरी तैयार करके 45 हजार किसानों को उस नर्सरी से जोड़ा गया है। यह सौभाग्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को मिला है। इसी तरीके से बागवानी के क्षेत्र में हम लोगों ने यह प्रयास किया हैं कि बस्ती जनपद के भीतर हम उन दो एक्सीलेंस सेन्टर के अलावा हम 6 एक्सीलेंस सेन्टर बना रहे हैं। सहारनपुर में उद्यान विभाग के माध्यम से हम लोगों ने फलों और सब्जियों के लिए एक एक्सीलेंस सेन्टर तैयार कराया है और वह अपना काम शुरू कर रहा है। आलू की दृष्टि से भी हमारे 2 सेन्टर बन रहे हैं, जो कि एक हापुड़ जनपद में और दूसरा कुशीनगर में है, उनको भी हमने 11-11 करोड़ रुपये देकर उसके ऊपर काम प्रारम्भ करा दिया है तथा वह काम संचालित हो रहा है। अभी 2 और एक्सीलेंस सेन्टरों को हमारी सरकार ने मंजूर किया है, एक कौशाम्बी जनपद के भीतर और दूसरा सेन्टर चंदौली जनपद के भीतर हम भारत सरकार के सहयोग से और राज्य सरकार के सहयोग से हम 12-12 करोड़ रुपये से एक्सीलेंस सेन्टर बना रहे हैं, जिससे राज्य के भीतर सब्जियों और फलों की खेती को भी बढ़ावा मिलेगा और उसके लिए प्रसंस्करण की इकाइयां भी लगायी जा सकेंगी इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि लगभग 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जियों और फलों की खेती का विस्तार राज्य में हुआ है। आपके जमाने में यह 16 लाख कुछ हजार हेक्टेयर के भीतर कार्य चल रहा था और आज वह 19 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर वहां सब्जियां और फलों की खेती हो रही है और इसके लिए हमने यह व्यवस्था की है।

आपके जमाने में मण्डी शुल्क लगता था, जब किसान अपनी सब्जी लेकर जाता था तो मण्डी के भीतर उसको मण्डी शुल्क देना पड़ता था। 46 आइटमों से हमने मण्डी शुल्क हटाया था और अब तो यह व्यवस्था हो गयी है कि यदि किसान कहीं पर भी जाकर अपना माल बेचे तो वह बेच सकता है, उसके लिए हम किसी भी प्रकार की कठिनाई पैदा नहीं कर रहे हैं और किसान प्रसंस्करण इकाइयों तक भी अपना माल बेचता है तो किसी भी प्रकार का उसे मण्डी शुल्क नहीं देना होगा, एक्ट में संशोधन करके यह कार्य सरकार ने किया है। राज्य सरकार किसानों के हित में लगातार यह प्रयास कर रही है। हम लोगों ने किसान भाइयों को उपलब्ध करवाया है। हम इस बात की कोशिश कर रहें है कि अब फर्टिलाइजर की जगह पर एक जागरूकता मिलकर हम पैदा करें कि फर्टिलाइजर का उपयोग विशेष रूप से जो स्वास्थ्य का बहुत बड़ा नुकासन हो रहा है। इसलिए प्राकृतिक खेती की ओर कैसे बढ़ा जाए ? मैं चाहूँगा कि आप सब भी उसमें सहयोग करते, तो एक विषमुक्त खेती की ओर हम बढ़ सकते हैं। इस दिशा में हमारा प्रयास होगा। किसानों की आय, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ने के साथ-साथ हम लोग इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि किस तरीके से सामूहिक और क्लस्टर में खेती करा करके उनके उत्पाद को व्यवस्थित रूप से किसानों की ही कंपनियाँ खरीद सकें।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक सम्बोधन में कहा था कि किसान अन्नदाता ही नहीं, ऊर्जादाता और व्यापार करने वाला सक्षम किसान के रूप में खड़ा होगा, व्यापारी के रूप में

खड़ा होगा, व्यवसाय करेगा, आज उस दिशा में हम लोगों ने कृषि उत्पादक संगठन बनाने का काम शुरू किया है। भारत सरकार ने एक हजार के लक्ष्य रखे थे, मा0 योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने अगले 4-5 साल के लिए दो हजार और लक्ष्य राज्य की योजना से बना करके दिया है और उसी पैटर्न पर जिस पैटर्न पर भारत सरकार ने तय किया है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से राज्य के भीतर बनने वाले नोडल एजेंसियों के माध्यम से हम उन एफ0पी0ओ0 को, किसानों को, किसान व्यापार की ओर आगे बढ़ सके, सामूहिक खेती की ओर बढ़ सके, सामूहिक खेती के कारण ही लागत को घटाया जा सकता है, उसके माध्यम से ही इनपुट को सस्ता किया जाया जा सकता है और इनपुट को उनके नजदीक तक पहुँचाया जा सकता है। इस दिशा में हम लोंगों ने प्रयास किया है और राज्य के भीतर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड पर जो भारत सरकार ने तीन प्रतिशत का ब्याज दिया, देश के भीतर ब्याज अनुदान दिया है, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार मा0 योगी आदित्यनाथ जी सरकार, यह पहली सरकार है देश के भीतर, आज तक पहली सरकार है, जो अपनी तरफ से उसके ऊपर 3 प्रतिशत योगदान इंट्रेस्ट सब्सिडी दे करके, सहूलियत दे करके एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड की धनराशि से किस तरीके से हम खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को, खाद्य आधारित इकाइयों को खड़ा कर सकें और अपने पैक सोसाइटियों को भी सक्षम बना सकें, उस दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया है।

मान्यवर, किसानों को उर्वरक सही समय पर मिल सके, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से उनको सौ करोड़ रुपये दिये गये थे। इस साल के बजट में भण्डारण की दृष्टि से 175 करोड़ रुपया उसके अतिरिक्त राज्य बजट से देने का प्रावधान किया है। जिससे किसी भी प्रकार की कोई असुविधा किसान भाइयों को न हो सके और प्री पोजिसनिंग के माध्यम से हम अपने भण्डारण को सुनिश्चित कर सकें, उस दिशा में ये प्रयास हुए हैं।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, राज्य के भीतर हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हमारे जो कृषि ग्रेजुएट हैं। उन कृषि ग्रेजुएट को भी हम 'एग्री जंक्शन स्कीम' के माध्यम से उनको और सक्षम बना सकें, लगभग पिछले पाँच साल में 42 सौ के करीब हम लोगों ने 'एग्री जंक्शन' खड़े किए हैं। अभी तक उनको हम 60 हजार रुपये का अनुदान देते थे। इस बजट के भीतर उनको अगले पाँच साल के भीतर कृषि ग्रेजुएट अपने ही क्षेत्र के भीतर यदि उनको रोजगार नहीं मिलता है, तो उनको 85 हजार 500 के करीब अनुदान दे करके, वहाँ पर कैसे वे व्यवसाय कर सकें ? खाद्य-बीज के लाइसेंस के लिए हम उनको लाइसेंस फीस दे रहे हैं, हम उनके दुकानों के लिए लाइसेंस फीस दे रहे है और साथ-साथ में यदि वे अपनी दुकान को संचालित करने के लिए यदि पाँच लाख रुपये तक का ऋण लेता है, तो उसको 60 हजार रुपये की अनुदान की व्यवस्था, 20 हजार रुपया प्रतिवर्ष तीन सालों के लिए हम लोगों ने किया है, जिससे वह एक सक्षम ग्रेजुएट उस क्षेत्र के भीतर अपना इनपुट की दुकान भी चला सके और किसानों को जागरूक भी कर सके, कृषि तकनीकी को उन तक पहुँचा सके, इस दिशा में हम लोगों ने यह प्रयास किया।

मान्यवर, हम लोग लगातार इस बात के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं कि सभी योजनाओं को ठीक प्रकार से किसान भाइयों तक पहुँचाया जाए और यही वजह है कि उसकी वजह से, राज्य का जैसा मैंने बताया कि कृषि उत्पादन साढ़े पाँच सौ लाख क्विंटल से ज्यादा आपके रिजीम की तुलना में ज्यादा हुआ है। आज उसी का कारण है कि ठीक प्रकार से गन्ना मूल्य के भुगतान किये जाने की वजह से आदरणीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बराबर पुरजोर कोशिश रही है कि हम समय से भुगतान करें और उस भुगतान का परिणाम आज यह है कि आज 22 लाख हेक्टेयर से गन्ने की खेती बढ़ करके 28 लाख हेक्टेयर के करीब पहुँच रही है और भुगतान दो लाख करोड़ रुपये का हुआ है। मैं यह समझता हूँ कि लगभग एक लाख पाँच हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान मा0 योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। आपको एक बात सोचना चाहिए कि आप डॉ0 राम मनोहर लोहिया जी के सिपाही थे। और आप किसान का 07 लाख मीट्रिक टन ही गेहूँ खरीदते थे। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 56 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीदने का रिकॉर्ड बनाया है। कोविड-19 काल के भीतर हम लोगों ने 08 गुना खरीद किया। इसी वजह से राज्य का कृषि विकास दर, विभिन्न सेक्टर्स चाहे सर्विस सेक्टर का हो, सेकेण्डरी सेक्टर का हो, औद्योगिक सेक्टर का हो, उत्तर प्रदेश ने अपने उस विकास दर को मेनटेन ही नहीं किया है बल्कि उससे आगे बढ़ गया है। यह हमारी किसान हितैषी योजनाओं का परिणाम है। इसलिए आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं चाहूँगा कि हमने कृषि एवं उद्यान के ऊपर जो प्रस्ताव रखे हैं उन दोनों बजट को यह सदन किसानों के हित में बिना किसी कटौती के, सर्व सम्मति से पास करता है तो यह माना जायेगा कि आप भी (विपक्ष) किसानों के साथ खड़े हैं, नहीं तो यह माना जायेगा कि आप किसानों के साथ नहीं हैं और आप सिर्फ उनके लिए घड़ियाली आँसू बहाते हैं। यही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री ओम प्रकाश-

अधिष्ठाता महोदय, भारतीय जनता पार्टी कब से किसानों की हितैषी हो गयी है ?

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, आज मैं समझता हूँ कि प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी व प्रदेश को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले कृषि विभाग का यह बजट उन लोगों के लिए है जिनको हम इस देश में अन्नदाता कहते हैं और देश के भाग्य विधाता के रूप में जानते हैं। हमारे देश में 'जय

जवान, जय किसान' का नारा लगता रहा है। उत्तर प्रदेश की 65 फीसदी से ज्यादा आबादी आज कहीं न कहीं कृषि पर आधारित है और हम यह कह सकते हैं कि देश में आज रोजगार देने का अगर कोई सबसे बड़ा साधन है तो एग्रीकल्चर है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि 25.304 लाख हेक्टेयर है जो देश की कुल कृषि भूमि का 12 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश देश की कृषि उपज में सबसे बड़ा योगदान देता है। मान्यवर, हमारे यहाँ तीन तरह के मुख्य किसान हैं।

सीमान्त कृषक, लघु कृषक और वृहद कृषक। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अगर कृषि का स्थान देखें तो राज्य की कुल आय में कृषि तथा पशुपालन द्वारा 41.5 प्रतिशत का योगदान प्राप्त होता है। यह कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि आज कृषि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मान्यवर, कृषि विभाग ने जो बजट रखा है, आज एक बड़ा सवाल है कि हम इस बजट पर चर्चा करें कि एक बजट ठीक एक वर्ष पूर्व इसी सदन में लाया गया था उसकी क्या स्थिति है। इसे जरूर हम आपके माध्यम से रखना चाहेंगे। माननीय मंत्री जी वरिष्ठ हैं और बड़े विस्तार से अपने कार्यों के बारे में चर्चा की। हम इन्हें धन्यवाद देंगे कि जितनी चर्चा इन्होंने की उसमें 80 प्रतिशत उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यों का चर्चा किया, मैं आपका आभार प्रकट करूँगा।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने मेजें थपथपायी।)

अगर हम चर्चा करें जो बजट इसके पूर्व स्वीकृत हुआ था, बड़ा चौकानें वाला था। कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग में आपने व्यय किया 36.9 प्रतिशत, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) 29.41 प्रतिशत, कृषि विभाग जो ग्राम्य विकास के लिए काम करता है 42 प्रतिशत। दुग्ध में अगर हम देखें, कृषि का सम्बद्ध विभाग है तो 49.87 प्रतिशत और मान्यवर, जिस सहकारिता आन्दोलन की बात मान्यवर, इस देश में लोहिया ने किया, जय प्रकाश नारायण ने किया, और महात्मा गांधी बापू ने कहा था कि सहकारिता के बिना इस देश को आगे नही बढ़ाया जा सकता है। उसमें सरकार ने जो बजट खर्च किया है वह 20.55 है यह कितना दुःखद भी है इतने बड़े बजट की बात आप करते हैं और आपने व्यय किया केवल 25 प्रतिशत और अगर हम और चर्चा करें तो ऐसे तमाम अन्य विभाग हैं जिनमें आपने बजट भारी भरकम दिखाया कि हम इतने लाख करोड़ का बजट लाये हैं लेकिन आप उसमें 25 प्रतिशत, 27 प्रतिशत, 29 प्रतिशत व्यय कर पा रहे हैं। आज हम मा0 मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि आज किसान बड़े संकट में हैं। आज तीन बड़े संकट है एक संकट है फसल को बोना, दूसरा संकट है कि जब फसल तैयार हो गई तो उसे बचाना, और तीसरी बड़ी चुनौती उसके सामने है कि वह मार्केट में कैसे फसल को बेचेगा। जब बोने का समय आता है और मैंने कहा कि किसान पर राजनीति नही होनी चाहिए और किसान पर असत्य नही होना चाहिए। जब बोने का नम्बर आता है अभी उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी डीएपी और यूरिया के लिए किसान लाठियां खा रहे थे और नकली खाद बिक रही थी और महंगी एवं नकली खाद खरीदने के लिए किसान इसी उत्तर प्रदेश में मजबूर रहा। यह मैं नही कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश

के समाचार-पत्र इससे रंगे हुए थे नकली खाद डालकर जब उसने फसल को थोड़ा तैयार किया तो हम लोगों ने भी और हमसे बहुत सीनियर यहां जो सदस्य बैठे हुए हैं शायद कभी यह सपना नही देखा होगा कि देश के अन्नदाता में एक ऐसा संकट आएगा कि जब उसे अपनी फसल को बचाने के लिए केवल चौकीदारी नहीं करनी होगी बल्कि साड़ों से युद्ध लड़ना होगा।।

जब हम नारा देते हैं जय जवान जय किसान, तो जिस तरह आज जवान टकटकी लगाकर के विरोधी देश की सीमा के ऊपर उसकी निगाहें रहती है कि दुश्मन अंदर ना आ जाए। आज किसान का पूरा परिवार पत्नी, बच्चे, बहू, बेटे, आज उस ठिठुरती हुई रात में जिसमें हम और आप कम्बल से नही निकलना चाहते आज यह बेसहारा किसान खेतों में खड़ा होकर के साड़ों से अपनी खेती को बचाने के लिए संघर्ष करने का काम करता है। उसके बाद भी खेती बचती नही है। उसके बाद भी सरकार ने कोई सर्वे नही कराया। कितनी बड़ी मात्रा में किसान की खेती उसके बाद भी बरबाद हो जाती है और जब अगर थोड़ी बहुत खेती बची तो जब वह बाजार में लेकर के जाता है मा0 मंत्री जी ने कहा कि हमने समाजवादी पार्टी की सरकार से इतने ज्यादा गुना हमने सरकारी केन्द्रों में हमने गेहूँ और धान खरीदा मा0 मंत्री जी अगर एक दिन चले जाएं बिना बताए और किसी क्रय केन्द्र पर चले जाएं तो स्थिति यह है कि पिछले छः सालों से चाहे धान का क्रय केन्द्र रहा हो, चाहे गेहूँ का क्रय केन्द्र रहा हो, वहां किसान नही रहे दलालों और बिचौलियों का कब्जा रहा और कोई सामान्य किसान अपनी खेती का उपज बेच नही पाये यह परिस्थितियां रही हैं। इतने संघर्ष के बाद आज किसान जब संघर्ष कर रहा है तो मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि आकड़े सुनने में अच्छे लगते है, टी0वी0 चैनलों में देखने में अच्छे लगते हैं, जब उनके विज्ञापन निकलते हैं वह भी बहुत अच्छे हैं, और जब किसानों के लिए अच्छे-अच्छे भाषण दिए जाते हैं वह भी बहुत अच्छे लगते है। लेकिन देखने और सुनने के बाद उस वास्तविकता में जब हम जायेंगे तो आज क्या स्थिति है इसी स्वतंत्र भारत में 1978 में डीजल बिकता था दो रु0 अस्सी पैसे प्रति लीटर, और गेहूँ बिकता था दो रु0 चालीस पैसे प्रति किलो में, आज जब हम 2023 में इस सदन में इस बजट पर चर्चा कर रहे हैं तो सत्तानबे रु0 का डीजल हैं, लेकिन देश के अन्नदाता का गेहूँ आज भी मार्केट में 23 रु0 24 रु0 मारा-मारा फिर रहा हैं कोई लेने को नही तैयार है। मैं वास्तविकता की बात कर रहा हूँ आज सरकार बात करती है कि किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे।

मान्यवर, मैं एक फसल की बात कर लेता हूँ और एक फसल पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ, मा0 मंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसे नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आलू की अगर हम बात करें तो डी0ए0पी0 के क्या रेट हैं ? यूरिया कितने में बिक रही हैं ? डीजल 100 रुपये में बिक रहा है। जुताई के क्या रेट हैं ? खुदाई के क्या रेट हैं ? अगर हम किसान के परिवार की सांड़ों से चौकीदारी फ्री में कर दें, उसको हम नहीं जोड़ रहे हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में आज आलू का कृषक मण्डियों में 3 रुपये और 4 रुपये में आलू बेचने के लिए मजबूर है। कोल्ड स्टोरेज रख नहीं रहे है। आज

बिजली के क्या रेट हो गये है ? किसान 3 रुपये और 4 रुपये में आलू बेच रहा है और लागत 4.70 पैसे प्रति किलो आ रही है। कई बार इसी सदन में कहने के बाद भी आलू का कोई भी समर्थन मूल्य राज्य सरकार ने तय नहीं किया है। आप किस मिशन की बात करते हैं ? और आपका बजट 1 हजार करोड़ का है। आज किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा ? इसी सदन में हम आंकड़ों की बात करेंगे तो एकदम सही करेंगे और मेरे नेचर में है कि हम बाहर जाकर कभी बात नहीं करते हैं। आपने कहा कि हम किसानों की आमदनी को दुगना कर देंगे लेकिन फिर इन्कार कर दिया। यह कौन सी आपकी इकनॉमी है ? यह कौन सी इकनॉमी पॉलिसी है ? यह अर्थशास्त्र आप कहां से सीख कर आए हैं ? 2017 तक उत्तर प्रदेश में किसान के पुत्र आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी। आपने अपने तारांकित प्रश्न संख्या-34 में लिखा है, आपके हस्ताक्षर से जवाब दिया गया है कि यू0पी0 में एग्रीकल्चर की ग्रोथ 10.2 थी और 2022-23 में 7.9 प्रतिशत बची है, जिससे राज्य में ढ़ाई प्रतिशत एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ जायेंगी। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यह कौन सी मैथमैटिक्स है जिससे उत्तर प्रदेश के किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। हमें भी एग्रीकल्चर के कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करने का सौभाग्य मिला है। हम आज यह जानना चाहते हैं और इस पूरे सदन से कहना चाहते हैं कि राज्य में किसान और मजदूर की एक जैसी स्थिति है। इसमें बस थोड़ा सा अन्तर है। जब मजदूर कल कारखानों में काम करता है तो उसके शरीर से निकला हुआ पसीना जब गरम लोहे पर पड़ता है तो छन्न की आवाज होती है और उस छन्न की आवाज से आंदोलन प्रज्वलित होता है और अपनी लड़ाई लड़ लेता है लेकिन जब किसान का पसीना जुते हुए खेत में पड़ता है तो उसी में विलुप्त हो जाता है।

किसान को गाय की तरह दरवाजे पर बिना खाना और पानी के बांधे हुए हैं वह उफ भी नहीं कर रहा है। आज गाय जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश के किसान की हो गयी है आज लागत का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, अपनी आवाज भी वह नहीं उठा सकता है। सरकार आंकड़े दे देती है, सरकार बड़ी-बड़ी बात से केवल संतुष्ट करना चाहती है। उत्तर प्रदेश के अन्नदाता की अगर हम बात करें तो आपने बड़ी-बड़ी बातें कहीं हैं, कुछ जिक्र आपने रिपोर्टों का भी किया है। यह बड़े अखबार क्या लिख रहे हैं, रबी, गेहूँ और गन्ने की खेती महंगी हुई, किसान घाटे में, विभाग के आका ही डलवा रहे हैं किसानों की जेब में डाका, डी0ए0पी0 और यूरिया खाद का संकट, किसान परेशान, क्षुब्ध किसान ने धनतौल में खाया जहर, हालत गम्भीर, बेजुबान पशु कर रहे ताकतवर इंसान का उत्पीड़न, नहरों में पानी का इंतजार करते-करते जहर खा लिया किसान ने, जानवरों से फसल बचाने के लिए रात में किसान लगा रहे हैं आवाज, फसल को ताकते हुए किसान और किसान की पत्नी को काटा सांप, दोनों की मृत्यु, खाद की किल्लत से परेशान किसान, खाई सल्फास की गोलियाँ, आवारा पशुओं का आहार बनती जा रही रबी की फसल, मचान पर बैठा किसान जवान की तरह कर रहा है खेत की सुरक्षा, कीटों ने दिया दर्द

क्या करे किसान, किसान फसल नष्ट होने की नहीं सह सका पीड़ा और लगा लिया फांसी का फंदा, टाईम्स ऑफ इंडिया।

मान्यवर, मैं बात करूं तो किसान क्या कह रहा है ? मत मारो मुझे मैं पहले से एक दुःखी इन्सान हूं, मेरी मौत की वजह यही है कि मैं पेशे से एक किसान हूँ वहीं किसान कहता है कि मुफ्त की कोई चीज बाजार में नहीं मिलती, किसान के मरने की सुर्खियां अखबार में मिलती है यह स्थितियां हैं आज किसान की। जो आपने कहा और बहुत प्रचार भी हुआ वह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। मान्यवर, क्या पोजीशन हुई ? आपने कहा कि किसानों के खाते में हमने इतना पैसा दे दिया। न जाने कितने करोड़ रुपये आपने दे दिये जब लोक सभा के चुनाव चल रहे थे। चुनाव खत्म हो गये। एक दिन मैं जा रहा था तो रास्ते में दो किसान दौड़ते हुए आये, हमको पकड़ा और बोले कि जान बचाईये। हमने कहा क्यू ? क्या हो गया। वे बोले कि दरोगा जी दौड़ाये हुए हैं, चार सिपाही घर में नहीं रहने दे रहे हैं। वे बोले कि लोक सभा के चुनाव के पहले पैसा खाते में दिया था और अब वसूली कर रहे हैं। बताईये हम पैसा कहां से दें ? इसी सदन में हमारे तारांकित प्रश्न संख्या-39 पर सरकार ने जवाब दिया। आपने माना कि उत्तर प्रदेश में 32834 किसान अपात्र पाये गये और किसानों से थोड़ी बहुत रकम नहीं चुनाव के बाद 28.65 करोड़ रुपये वसूली करने का काम किया। केवल आपने सपना दिखाया। मैं पढ़ रहा था गीता के अध्याय-11 में लिखा हुआ है कि झूठा सपना दिखाना और सपना दिखा कर तोड़ देना महापाप है। ऐसा सपना आपने दिखाया आखिर अपात्र किसानों का और उसको आपने यहीं पर तोड़ देने का काम किया। चयन किसने किया ? किसान ने तो फार्म भर कर आपको नहीं दिया था कि हमें दे दीजिए। आपने उन अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जिन्होंने अपात्र किसानों को पैसा देने का काम किया ? साहब आपका तो दिल इतना बड़ा है। कितनी योजनायें आप लोग लाये हैं। आपने किसानों को ही दिया था तो आप इतना बड़ा दिल करते कि जो आपने दे दिया था उन 32 हजार किसानों से वसूली करने का काम न करते। काफी लोग हैं हम सूची दे रहे हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मैं आपकी बात को साफ कर दूं कि जो अर्ह नहीं थे, वे जन प्रतिनिधि थे।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

आ रहे है सर हम उस पर एक सूची भी पढ़ देंगे। उसमें आपके काफी प्रिय लोग हैं। आपका जो बजट हैं, मैं उस पर बात करूंगा। मैं आपसे यह जरूर कहना चाहता हूँ कि जिस बजट की आपने बात की 25 प्रतिशत 28 प्रतिशत 34 प्रतिशत आपने खर्च किया है। आज जो बजट की बात कर रहे है क्या उत्तर प्रदेश के किसानों की संख्या, उनकी समस्या और क्षेत्रफल जो देश के लगभग 12 फीसदी में आता है। जो कृषि योग्य भूमि है। मान्यवर, यह जो बजट हैं यह ऊंट के मुंह में जीरा है। अगर हम आपसे कहें कि किसान की पीड़ा है और किसान के

दिल से निकलती है 'चीर के जमीन को मैं खेतों में उम्मीद बोता हूं, मैं किसान हूँ मान्यवर आपकी सरकार में चैन से कहां सोता हूँ' आज यह स्थिति है किसानों की। आपने यू0पी0 स्टेट एग्रो की बात की। आपने यू0पी0 स्टेट एग्रो को क्या दे दिया ? इतनी बड़ी संस्था है, एक बहुत बड़ा टैक्निकल स्टाफ है यू0पी0 एग्रो में। आज कितना और क्या सामान बना रहा है। संदूक, छोटे बक्से, छोटे-छोटे टब थोड़े से विधायक निधि के हैण्डपम्प। अगर आज माननीय मंत्री जी की एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के सब डिपार्टमेन्ट्स को बढ़ाने की मंशा होती तो मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत कार्यकारी संस्था यू0पी0 एग्रो बन सकती थी। लेकिन इस बजट में यू0पी0 एग्रो के लिए कुछ नहीं है। इतना बड़ा विभाग, यू0पी0 एग्रो इतनी बड़ी संख्या, टैक्निकल स्टाफ भी मौजूद है लेकिन इसका आपने कोई भी इस्तेमाल नहीं किया। आपने यह बहुत बढ़िया बात कही मैने भी इसमें बहुत काम किया था।

मान्यवर, आपने कहा कि मिट्टी पहचानो लेकिन यह योजना कौन लाया था और इस योजना को ऐतिहासिक बनाने का काम अगर किसी ने किया था तो वह हमारे आदरणीय नेता श्री अखिलेश यादव जी ने किया था और रिकार्ड कायम कराने का भी कार्य किया था। आपने कुछ डाटा नहीं पढ़ा तो कुछ डाटा मैं आपके विभाग से ले आया हूँ कि आपका 6 लाख 18 हजार का लक्ष्य था 5 लाख 12 हजार मिट्टी के नमूने आपने एकत्रित किये और इसमें बहुत ही बड़ी रकम व्यय हुई है उस रकम को भी हम बताते हैं लेकिन आज मिट्टी पहचाननें का कार्य क्यों किया जाता हैं कि हम मिट्टी पहचानें और हमारे वैज्ञानिक मिट्टी को पहचानें और एग्रीकल्चर के कर्मचारी किसान को प्रोत्साहित कर उसे बताए कि उसकी मिट्टी चाहती क्या है लेकिन आज बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने यह आंकड़े तो दे दिये कि 5 लाख 12 हजार लेकिन मान्यवर बड़े दुःख के साथ कहना चाहते हैं कि 2.9 प्रतिशत किसानों ने आपके उस सुझाव को माना और बाकी सभी किसानों ने उसे नकार दिया अगर किसान ने उसे नहीं माना है तो इसका मतलब मिट्टी के नमूने गलत लिये गये और याद रखिए मैं कहना चाहता हूँ जो हमारे कर्मचारी और अधिकारी हैं और हम बात करते हैं जय जवान और जय किसान की और हम बात करते हैं बिना एग्रीकल्चर के देश को हम कभी आगे रास्ते पर नहीं ले जा सकते हैं और यह बात केवल मैं नहीं कह रहा हूँ यह बात मा0 चौधरी चरण सिंह जी ने कही थी और देश की पार्लियामेंट में आदरणीय स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने 22 मिनट के अपने भाषण में कहा कि अगर देशों यह सपना देख रहा है कि हम अर्थव्यवस्था में मजबूत होंगे और विश्व के अग्रणी देशों में शामिल होंगे तो मान्यवर बिना किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य दिये और जब तक किसान की आंखो में और चेहरे पर खुशी नहीं आयेगी तब तक हम देश समृद्धशाली नहीं बना सकते। आज हमें खुशी है-और गर्व से कह सकता हूँ कि अगर यह काम किसी ने उत्तर प्रदेश में किया है तो वह हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वर्ष 2012 से 2017 तक करके दिखाया है।

किसान दुर्घटना बीमा योजना पर जो काम हमारे नेता ने किया और आपने कहा कि उपकरण हमने समाजवादी पार्टी की सरकार से देने का कार्य किया है लेकिन हमारे पास अपने और आपके भी आंकड़े हैं और आज उपकरणों की क्या स्थिति है और याद रखिए मैं जरूर कहना चाहता हूँ अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से कि हमें घरेलू कृषि से बाहर आना पड़ेगा और जब तक हम व्यवसायिक कृषि पर नहीं जायेंगे तो तब तक हम यही आकड़े दिखाते रहेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 10.5 प्रतिशत एग्रीकल्चर ग्रोथ आपको दी और आपने 7.7 प्रतिशत करने का काम किया। आज मत्स्य पालन, बागवानी और आलू की क्या स्थिति है और गन्ने की उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है जिसका एक पैसे का भी रेट नहीं बढ़ाया गया और अगर हम कहें जो सरकार ने सब डिविजनल और जिससे हम एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट बढ़ा सकते थे उस पर आपने क्या काम किया। आपने बुदेलखण्ड की चर्चा की ठीक बात है सम्भावनाएं हैं एग्रीकल्चर पर बुन्देलखण्ड में काम करने की शायद बुन्देलखण्ड पर आपने कहा और हमे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार में हमारे नेता और आदरणीय तत्कालीन मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी ने बुन्देलखण्ड को दलहन का हब बनाये जाने की घोषणा की थी और उस पर कार्य भी किया गया था।

जितने तालाबों का काम सिंचाई विभाग ने किया वहां पर कि पानी बर्बाद न हो उस पर काम किया गया नहरों की ज्यादा कैसे खुदाई हो और कैसे किसान को उसका उत्पादन मूल्य मिले और कैसे वहां पर उद्योग पनपे और सोलर एनर्जी पर कितना बड़ा काम हमारे नेता जी ने किया और 36 नई सड़कों का सृजन किया गया और किसान को सवा तीन लाख की लोहिया कालोनी देने का काम किया और समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम किया गया और बुन्देलखण्ड पर एक अलग योजना बनाकर ऐतिहासिक काम करते हुए एक पैकेज बनाकर जिसमें न केवल अरहर की दाल बल्कि देशी घी भी देने का काम किया गया। हम सहमत हैं कि बुन्देलखण्ड कई तरीकों से संघर्षों में है और वहां का किसान संकट में है और अन्ना पशु वहां एक लंबे समय से चुनौती है लेकिन आज वहां के एग्रीकल्चर पर और लोगों की इनकम के सोर्सेस बढ़े इस पर आपने क्या किया पिछले 6 साल से। आपने अपनी बजट पुस्तिका में इस पर कुछ नहीं लिखा है इसलिये हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब हम और आप मिलकर बात करते हैं तो हम सहमत होते हैं कि किसान की आमदनी दोगुनी करिये। इस देश में अगर चौधरी चरण सिंह जी के बाद अगर किसी ने किसानों के सम्मान की बात करने और सत्ता में रहने पर उनकी भलाई के लिए काम किया है तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है। सच को सच मानना चाहिये और इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि आज यह चिंता का विषय है कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ कैसे हो। आपने कहा कि हम दोगुना करेंगे, लेकिन जब आपकी जी0डी0पी0 डाऊन रहेगी तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। आप उसकी इकोनामिकल ग्रोथ कैसे दिखा सकते हैं और जब कृषि की ग्रोथ दर डाउन होना शुरू होगी तो आप कैसे कह सकते हैं किसान की आमदनी दोगुना हो गई है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम अपनी कटौती के इस प्रस्ताव पर बल देते हुए कहना चाहते हैं कि सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष का नहीं है, सवाल किसान का है। सवाल देश के अन्नदाता का है और जब हम यह स्वीकार करते हैं कि बिना किसान को मजबूर किए हुए और एग्रीकल्चर क्षेत्र में काम किए बिना हम देश को समृद्धशाली और मजबूत बनाने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमें इस पर काम करना होगा। टी0वी0 और पेपरों में विज्ञापन दिखाकर आप हमें संतुष्ट कर दें और हम आपको संतुष्ट कर दें इससे किसान का भला नहीं होने वाला है। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे और आपको सुझाव भी देंगे कि आज बाकी विभागों में जो खेल हो रहा है चाहे वह होता रहे लेकिन सरकार को किसानों के साथ खेल नहीं करना चाहिये। यह हमारी विनती भी है, हमारा निवेदन भी है और हमारा सुझाव भी है। हमने अच्छे मन से यह बात कही है कि किसान को मजबूत और समृद्धशाली बनाना होगा, झूठे आंकड़ों से बचना होगा और देश को आगे ले जाना होगा इसीलिए 'जय जवान, जय किसान' के नारे के साथ 'जय किसान' को समृद्धशाली बनाने के लिए काम करना होगा। मैं अंत में यही कहूँगा कि अगर ना हो किसान तो खेतों में कौन फसल उपजायेगा, फिर सोचो कैसे बिना किसान यह भारत देश महान कहलायेगा। जिसकी आंखों के आगे किसान पेड़ पर झूल गया, देख आईना तू भी बंदे कल जो वायदा किया था वह भूल गया।

ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास तथा ग्रामीण अभियंत्रण राज्य मंत्री (श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे कृषि विभाग के बजट पर सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया। कृषि उद्योगों का आधार है क्योंकि कई उद्योगों को कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। देश एवं प्रदेश की अधिकांश आबादी कृषि से संलग्न कार्यों में लगी हुई है इसलिये कृषि क्षेत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब तक देश और प्रदेश के किसान खुशहाल नहीं होंगे तब तक देश भी खुशहाल नहीं हो सकता। कृषि के समुचित विकास के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है तथा इस क्षेत्र में पर्याप्त पूंजी निवेश कर रही है। भले ही आर्थिक विकास अन्य क्षेत्रों में कृषि से अधिक हो परन्तु प्रदेश की अधिकांश जनता की आय में कृषि मेरूदण्ड का कार्य करती है। हमारी सरकार कृषि को और अधिक विकसित करने के लिए तथा किसानों को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है। सरकार द्वारा 'द मिलियन फार्मस स्कूल' कार्यक्रम का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है तथा वर्ष 2023-2024 में 17000 किसान पाठशालाओं का आयोजन प्रस्तावित है। साथ ही राष्ट्रीय फसल बीमा योजना हेतु 753 करोड़ से भी अधिक की व्यवस्था प्रस्तावित है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी तथा मुख्य मंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किसानों की आय को बढ़ाने एवं उनका जीवन स्तर सुधारने हेतु अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। यह हमारी सरकार का ही प्रयास है कि आज बिचौलियों का

हस्तक्षेप बंद हो गया है। पूर्ववर्ती सरकारों में कृषि उपज का एक बड़ा भाग बिचौलिये ही खा जाते थे और किसानों को अपनी उपज का बहुत मूल्य नहीं प्राप्त हो पाता था।

मान्यवर, आज किसानों को कृषि ऋण के माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे किसान आधुनिक तकनीक से कृषि कार्य कर सकें। उन्नत किस्मों की फसल उगा सकें तथा मण्डी तक पहुंच हेतु आवश्यक संसाधन जुटा सकें। साथ ही सरकार द्वारा प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाकर कृषि उपजों को मण्डी तक पहुंचाने हेतु महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। हमारी सरकार द्वारा गन्ना किसानों को त्वरित गति से भुगतान किये जाने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। वर्तमान में किसान सम्मान निधि से भी किसानों को आर्थिक लाभ हो रहा है। यदि पूर्व में ऐसी कोई योजना चलायी भी जाती थी तो वह भ्रष्टाचार की भेंट ही चढ़ जाती थी। परंतु इस योजना के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे धनराशि ट्रांसफर की जाती है और एक रुपये की भी हेराफेरी सम्भव नहीं है। लगातार सरकार द्वारा किसानों से अधिक मात्रा में अनाज खरीदा जा रहा है जिससे किसान और अधिक लाभान्वित हो रहे हैं तथा इसी अनाज को सरकार गरीबों और किसानों को निःशुल्क बॉट रही है। जिससे किसानों को दोहरा लाभ हो रहा है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का अंश बढ़ाने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं तथा हरित क्रांति को आगे बढ़ाया जा रहा है। कृषि में नई किस्मों का विकास किया जा रहा है। जैविक खेती को बढ़ाने पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। जैविक खेती में कम लागत आती है तथा इससे उत्पन्न फसलें भी मानव स्वास्थ्य के लिए हितकर हैं। मोटे अनाज के उत्पादन पर भी अधिक बल दिया जा रहा है। यह होते हैं तथा इनकी बाजारों में अत्यधिक मांग हैं। कृषि क्षेत्र में आधुनिक डिजिटल प्लेटफार्म उपलब्ध कराकर किसानों को विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनायें सरकार द्वारा समय-समय पर उपलब्ध करायी जा रही है तथा कृषकों को डिजिटल डाटा बेस हेतु एग्रीस्टेग योजना भी प्रस्तावित है। कृषकों की आय में वृद्धि हेतु कृषि शिक्षा शोध एवं अनुसंधान के साथ-साथ प्रसार कार्यक्रमों की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं। कृषि विद्यालयों में आधारभूत संरचना को विकसित किये जाने हेतु सरकार द्वारा पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषकों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध करायी जा रही है। सामाजिक वानिकी योजना एवं पौधशाला प्रबन्धन योजना हेतु भी इस बजट में प्राविधान किया गया है। सरकार अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति एवं किसानों की दशा सुधारने हेतु हर सम्भव प्रयास कर रही है। आशा करती हूँ कि यदि हमारी सरकार ऐसे ही किसानों के हित में काम करती रही तो किसानों का जीवनस्तर सुधर जायेगा। मा0 प्रधानमंत्री जी एवं मा0 मुख्य मंत्री जी यही सपना देख रहे हैं कि देश के किसान, मजदूर एवं गाँव का लगातार सुधार एवं समृद्धि हो सके। मा0 अधिष्ठाता महोदय, किसानों के मसीहा कहे जाने वाले लोगों की पूर्ववर्ती सरकार में जब लोग खाद लेने जाया करते थे तो लाठियों की मार खाया करते थे। खाद, बीज उन्हें समय पर नहीं मिलता था जिसके कारण उनको बहुत दिक्कत होती थी। उनको समय पर बिजली नहीं मिलती थी। जिससे रात-रात में जगकर वह

सिंचाई किया करते थे। आज लगातार क्रय केंद्रों की बढ़ोत्तरी हुयी है और किसानों का अनाज लगातार खरीदा जा रहा है। आज व्यवसायिक खेती की बात है। अभी हमारे विपक्ष के महोदय व्यवसायिक खेती की बात कर रहे थे। आज हमारी सरकार द्वारा व्यवसायिक खेती की जा रही है। आज आई0आई0टी0 किये हुये बच्चे भी गाँव में आकर किसानों की जमीनों को लीज पर लेकर व्यवसायिक खेती कर रहे हैं और प्रत्येक महीने बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं। अच्छी सर्विस से भी ज्यादा इनकम वह आज किसानी करके पा रहे हैं। महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि दुग्ध उत्पादन में आज हमारा किसान बहुत आगे बढ़ गया है। हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलायें, मैं झांसी में गयी थी वहाँ एक बलनी संस्था है जिसका आज 7.8 करोड़ का टर्नओवर है। मत्स्य उत्पादन भी हमारा बहुत आगे बढ़ा है। नये-नये फल सब्जियों का उत्पादन भी हमारे किसान कर रहे हैं। हमारी सरकार लगातार परमपूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में हमारे कृषि मंत्री के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है। मैं कुछ ही समय पहले बस्ती गयी थी। कृषि अनुसंधान केंद्र में मैं गयी थी। वहाँ तमाम किस्मों के आम व पौधे उगाये जा रहे हैं और किसानों को एक और दो रुपये में मुहैया कराये जा रहे हैं।

मान्यवर, मैं कहना चाहती हूँ कि जिन पौधों एवं फलों के बारे में हम सोचा नहीं करते थे कि यह भी फल होते हैं जैसे ताइवानी अमरूद, ड्रेगन फल आदि फलों के पौधों को आज हमारे किसान लगा रहे हैं और इससे उन्हें बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है। सरकार की सोच किसानों को मजबूत करने की है और हमारा देश कृषि प्रधान देश हैं और सरकार हमारे किसानों के लिए लगातार काम कर रही है। मैं कहना चाहती हूँ कि विष मुक्त फल एवं सब्जी लगाने के लिए लगातार हमारी सरकार की तरफ से चौपाल लगाकर किसानों के लिए जन-जागरण अभियान चलाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि पहले अपने घरों में लोग आम, अमरूद केले आदि के पौधे स्वयं लगाया करते थे और आप लोग भी पौधे लगायें और अपने बच्चों को फल खिलाएं। खेती के माध्यम से जैविक खेती एवं प्राकृतिक खेती को लगातार बल दिया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के हर जनपद में जाकर हमारे मा0 कृषि मंत्री जी एवं हमारे मा0 मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कृषि के लिए नियमों को बताया जा रहा है और सारी नीतियों से किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। मान्यवर, आपने मुझे कृषि बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ।

श्री समरपाल सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे कृषि बजट पर बोलने का अवसर दिया है उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और किसानों की आज जो दुर्गति है वह इससे पहले कभी नही हुई है। गन्ने की फसल में रोग लग गया है और सदन अधिकतर मा0 सदस्य बैठे है जो गन्ने एवं गेंहू के व्यापारी एवं किसान

हैं। सरकार गन्ने का दूसरा बीज दिलवाये क्योंकि मौजूदा गन्ने की फसल में बहुत ज्यादा रोग लग गया है और इस बार गेंहू की फसल भी बहुत ज्यादा कमजोर हैं क्योंकि इस बार ठण्ड बहुत कम पड़ी है और रबी की फसलें बिना ठण्ड होती ही नहीं हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं जीरे की तरह गेंहू की फसल न हो जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत कृषक को तहसील से कृषि विभाग के बीच फंसाकर रख दिया गया है। वह कभी कृषि विभाग की तरफ दौड़ता है तो कभी राजस्व विभाग की तरफ दौड़ता है। इस योजना का क्रियान्वयन किसी एक विभाग द्वारा ही किया जाए या कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि कृषक को दोनों विभागों की ओर न दौड़ना पड़े। किसानों का रजिस्ट्रेशन 2019 का है परन्तु आज तक भी उन लोगों को किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पाया है उनके स्टेटस पर यह लिखा होता है कि कलेक्शन पेंडिंग है और भुगतान आधार के अनुसार प्रदर्शित होने के बाद भी दो साल से भुगतान के लिए इंतजार कर रहे हैं।

इसी प्रकार जिन कृषकों के दो पंजीकरण हैं या जिन लोगों के आधार या आधार के अनुसार नाम गलत है वह सभी लोग इस योजना के लाभ से वंचित हैं। न तो वह अपना नया पंजीकरण करा सकते हैं और न ही उनके आधार में सुधार हो सकता है क्योंकि वह अनपढ़ व्यक्ति है इसलिए उनको जानकारी भी नही है। कृप्या मा0 कृषि मंत्री जी इस समस्या का समाधान कराने का कष्ट करें। यह समस्या पूरे प्रदेश में सभी के सामने आ रही है। जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें इस समस्या को लेकर रोज दो-चार होना पड़ता है। प्रदेश में कृषि कल्याण केन्द्रों की स्थापना सरकार द्वारा कराई जा रही है जिसमें लगभग 650 स्क्वायर मीटर भूमि की आवश्यकता होती है। इस योजना में भूमि निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है जिस कारण इन केन्द्रों को दूर-दराज के स्थानों पर बना दिया जाता है जिससे किसान इन केन्द्रों पर सुगमता से नहीं पहुंच पाता है। ऐसी फ्री की जमीन जहां पर रास्ता ही नहीं होता है ऐसा एक केन्द्र जनपद मुरादाबाद में भी बना है। वहां कोई अधिकारी भी नहीं जाता है सिर्फ वहां पर एक बाबू बैठा रहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिन जमीनों का क्रय किया जाए वह केन्द्र किसानों की सुविधानुसार बनाये जाएं, वहां पर किसानों के बैठने की उचित व्यवस्था की जाए, वहां पर पेयजल की व्यवस्था की जाए और इन सभी कृषि कल्याण केन्द्रों पर एक संविदाकर्मी कामदार के रूप में नियुक्त किया जाए।

सरकार द्वारा देसी गाय पर विशेष जोर दिया जा रहा है जिसको प्राकृतिक खेती या गो आधारित खेती के रूप में प्रचलित किया जा रहा है, अतः आप देसी गाय पालने के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में कोई व्यवस्था करें जिससे किसान आपके इस अभियान से तेजी से जुड सकें। प्रायः गांव में छुट्टा जानवर आवारा पशुओं की समस्या एक बड़े रूप में देखी जा रही है, दो-चार बीघा जमीन होती है, बेचारा मामूली किसान होता है वह मरने के कगार पर है, जब 20 से 25 छुट्टा जानवर पहुंच जाते हैं उसकी फसल बर्बाद कर देते है। किसानों को उनकी फसल की सुरक्षा को लेकर मन विचलित रहता है, रात्रि को पहरा देना पड़ता है और

दिन में काम करो, ये किसान से आप दोहरा काम ले रहे हैं। इस समस्या के समाधान हेतु आप कलस्टर के रूप में खेतों की तारबंदी के लिए उचित व्यवस्था बनाएं जिससे किसान रात को आराम से सो सकें व अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकें। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह किसानों की फसल की उचित व्यवस्था करे और उसकी फसल नष्ट हो जाए तो उनको इंश्योरेंस का लाभ मिलना चाहिए।

एक कंपनी, पता नहीं कौन-सी कंपनी है उसको अरबों करोड़ों रुपये का फायदा हो जाता है और किसान को इंश्योरेंस का कोई फायदा नही मिलता। एक तो वह अनपढ़ है, जगह-जगह भागता रहता है उसको यह भी नहीं पता कि मेरी फसल का इंश्योरेंस कराया गया है। कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ कृषकों को उनके पंजीकरण के माध्यम से दिया जाता है परंतु गत कई माह से नया पंजीकरण की व्यवस्था कृषि विभाग की साइड पर बंद है, जिस कारण नये कृषक जिनको विरासत के बाद भूमि आई है, अपना पंजीकरण नहीं करा पा रहे हैं, इस कारण उनको किसी भी योजना का लाभ नहीं हो रहा है, कृपया कर इस व्यवस्था को तुरंत शुरू कराया जाये। कृषि विभाग द्वारा बड़े संयंत्रों के साथ-साथ छोटे संयंत्रों पर अधिक-से-अधिक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाए। मैं तो यह कहूंगा कि छोटे किसानों को छोटा ट्रैक्टर सरकार को फ्री में देना चाहिए। वह आपको रोटी दे रहा है, आपका देश पाल रहा है, आपकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। इसको तो सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, आवश्यकता है जिससे सिंचाई हेतु कृषकों के क्षेत्र में पाइप लाइन की सबसे ज्यादा वह अपने नलकूप से सीधे खेत तक पानी ले जाकर सिंचाई कर सके आपके यहां इस योजना पर रु0 50 मीटर ही अनुदान है जो कि काफी कम है कृपया इस अनुदान की धनराशि को बढ़ाते हुए इस योजना का दायरा भी बढ़ाया जाय जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान लाभान्वित हो सकें व साथ ही अनावश्यक पानी की बर्बादी को रोका जा सकें। अभी मुरादाबाद जिले में दो तहसील काठ और नौगांवा सादात, एक हमारे अमरोहा में है और एक मुरादाबाद में है, जिन पर उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी कार्यालय नहीं है, कृपया दोनों तहसीलों पर उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी कार्यालय तुरंत बनवाएं जिससे कृषि कार्य को बिना किसी रुकावट पूरा किया जा सके।

महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि किसानों को जिंदा रखना है तो उनको अच्छा बीज, फ्री बिजली, खाद पर सब्सिडी, देना ही पड़ेगा। किसान अपना बिजनेस नहीं बदल सकता। एक व्यापारी अपना बिजनेस बदल सकता है, जूते की दुकान नहीं चली तो किताबों की दुकान कर ली, वह नहीं चली तो ट्रैक्टर की कर ली, मिठाई की कर ली लेकिन किसान अपना बिजनेस नहीं बदल सकता। किसान को तो वहीं जिंदा रहना है, वहीं मरना है। अगर आप इसको जिंदा रखना चाहते हैं तो इसकी मदद करिए। उसकी मजबूरी का फायदा सरकार न उठाये। उसे पता है कि ये कहीं जा नहीं सकता वही खेतों में ही रहेगा। आने वाली दो फसलों को किसान खाए यही होता हैं। वह अपनी फसलों का, अपने बच्चों का अपने ट्रैक्टर का, अपने

पशुओं का कोई योगदान बताता ही नहीं है, व्यापारी तो अनुमान लगा लेता है कि एक महीने में कितना घटा-कितना बढ़ा।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, आप समाप्त करिए। आपका समय समाप्त हो गया है, श्री महेंद्र पाल सिंह जी,कृपया आप अपनी बात शुरू करिए। सदस्य श्री समरपाल सिंह जी लगातार बोलते रहे, उनका माइक बंद कर दिया गया।

श्री महेन्द्र पाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह देश किसानों का है और किसानों का इस देश की अर्थ-व्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है, किसान इस देश का भगवान है। अगर मैं बात करूँ तो 23 दिसम्बर को हम सब चौ0 चरण सिंह के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। यूँ तो चौ0 चरण सिंह के जन्म दिवस को सब लोग मनाते हैं, लेकिन विपक्ष के लोग चौ0 चरण सिंह जी के आदर्शो पर अगर जरा भी चलने का प्रयास किए होते तो आज विपक्ष में बैठ करके यह झूठी-झूठी बातें नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब केन्द्र में अटल बिहारी बाजपेयी जी की सरकार थी, माननीय राजनाथ सिंह जी कृषि मंत्री थे, उन्हें चिन्ता हुई कि जब हमारे अन्नदाता किसान को बुवाई के लिए बीज की जरूरत होती है, खाद की जरूरत होती है, तब उस समय हमारा अन्नदाता किसान साहूकारों की तरफ देखता है। वह अपनी जमीन गिरवी रखकर कर्ज लेता था, उसके बाद अपनी जमीन की बुवाई करने का वह काम करता था। मैं यह कह सकता हूँ कि यह भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो किसानों की हितैषी है, किसानों के हित में कार्य करती है। माननीय राजनाथ सिंह जी ने किसान क्रेडिट कार्ड देकर किसानों के हित में जो फैसला लिया था, यह आप सबको भी दिख रहा है। अभी हमारे मित्र बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि 6 हजार रुपये पूरे एक साल में उन सभी किसानों को जिनके पास 02 डिसमिल 04 डिसमिल ही जमीन है, सभी किसानों के खातों में यह 6 हजार रुपया डीबीटी के माध्यम से भेजने का काम किया है। जो कांग्रेस की सरकार थी, उसे चिन्ता नहीं थी, हमारे किसानों के बैंक एकाउण्ट नहीं थे।

प्रधानमंत्री जी ने जीरो बैलेन्स पर जनधन योजना में सभी किसानों के खाते खुलवाने का काम किया। इन विपक्ष के लोगों के समय जब किसानों को बीज की जरूरत होती थी, मार्केट से बीज गायब हो जाता था, खाद गायब हो जाती थी। जब बीज पर सब्सिडी की बात हुई, बहुत हल्ला हुआ कि किसान कैसे बीज खरीदेगा। लेकिन जब किसानों के खाते में बीज की सब्सिडी का पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से जाने लगा तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगी। चाहे वह किसान फसल बीमा की बात हो, 18 जून, 2016 को इस योजना को केन्द्र सरकार के द्वारा लागू किया गया। इसे ग्राम पंचायत स्तर तक ले जा करके यदि 33 परसेण्ट नुकसान होता है तो किसान जो बीमा कराता है, उससे उसकी भरपाई की जाती है। मैं अगर आपको

बताऊँ तो खरीफ की फसलों पर 2 परसेण्ट, रबी की फसलों पर डेढ़ परसेण्ट और बागवानी पर 5 परसेण्ट दे करके किसान अपनी फसल का बीमा कराता है, इसे हमारे विपक्ष के लोग इस रिकार्ड में भी देख सकते हैं। अभी यह लोग मृदा स्वास्थ्य परीक्षण की बात कर रहे थे। यह केन्द्र सरकार की योजना हैं। यह कहते हैं कि इसे हमारी सरकार लायी। यह योजना 2015 में आयी थी और किसान अपने खेतों में जो रासायनिक खाद प्रयोग करते हैं, उनको यह पता होना चाहिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारे कृषि मंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश में किसानों की आय को दोगुना करने का कार्य हुआ। किस तरह से हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, किस तरह हमारा अन्नदाता किसान समाज की मुख्यधारा से जुड़े, इस दिशा में हमारी सरकार ने जो कार्य किया है, मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 823 विकास खण्डों में प्रत्येक विकास खण्ड के 02 ग्राम पंचायत, यानी 1646 ग्राम पंचायतों के सम्पूर्ण किसानों का मृदा नमूना एकत्र करके 12 पैरामीटर पर उसका परीक्षण किया जाता है। आज किसान को यह पता है कि हमारे खेत में किस उर्वरक की जरूरत है, कितनी मात्रा में जरूरत है। उसके एकार्डिंग वह कार्य करता है और अपनी फसल से अधिक से अधिक उत्पादन लेने का हमारा अन्नदाता किसान कार्य करता है।

पी0एम0 कुसुम योजना के अन्तर्गत जो सोलर पम्प हैं, चाहे वह 2 से 3 हॉर्सपावर के हों या 5 हॉर्सपावर के हों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आदरणीय मुख्य मंत्री जी को और अपने कृषि मंत्री जी को कि वह 40 परसेण्ट से ले करके 60 परसेण्ट तक सोलर पम्पों पर और कृषि यन्त्रों पर 40 से 50 परसेण्ट का अनुदान दे करके कहीं न कहीं कृषि के क्षेत्र में ताकि किसानों की फसल की उपज अधिक से अधिक हो।

वर्ष 2022-23 में जिस तरह से आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने जो निजी नलकूप थे उनमें सिंचाई के लिए जो 50 परसेण्ट उनकी बिजली माफ की थी आज वर्ष 2023-24 में मुझे कहते हुए यह खुशी हो रही है कि अपने आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने उस 2022-23 में जो 50 परसेण्ट था उसे बढ़ाकर के 100 परसेण्ट करने का कार्य किया है। अब निजी नलकूपों से जो अन्नदाता किसान अपने खेतों में सिंचाई का कार्य करेंगे उन्हें बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। जहां तक ये क्रय केंद्रों की बात करते हैं इनके जमाने में हमारे गांव की जो सहकारी समितियां थी वह बर्बाद हो गयीं सहकारी समितियां कहीं नहीं दिख रही थीं। आज मैं कह सकता हूँ कि अब गॉव में पंचायत स्तर पर समितियां बनाने का जो निर्णय हमारी सरकार ने लिया हैं यह बहुत ही सराहनीय कार्य हैं इससे अपनी उन समितियों की भी आमदनी भी बढ़ेगी और वहां जो हमारे अन्नदाता किसान हैं उनके फसलों को उस स्थान ले जाकर के वहां पर रखने का कार्य होगा। अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यह गन्ना किसानों की बात करते हैं चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा थे, किसानों की लड़ाई लड़ते थे। अभी मा0 मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि रमाला चीनी मिल की स्थिति देखिए पिछली सरकारों में, बसपा की

सरकारों में चीनी मिलों को बेचा है, इनकी सरकारों ने चीनी मिल को बनाने का भी कार्य नहीं किया और न ही उसमें कहीं से भी जीर्णोद्धार करने का काम किया इन्होंने भी उसी कार्य को किया, लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वर्ष 2017 के पहले कैबिनेट की बैठक में मुंडेरवा और पिपराइच की चीनी मिल को देकर के एक तरफ जहां किसानों के जो पूर्वांचल चीनी का कटोरा कहा जाता था उनके चेहरे से जो खुशहाली इन लोगों ने छिनी थी वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने उन चेहरों पर खुशहाली लाने का प्रयास किया था। आज हमारे मुख्य मंत्री जी ने किसानों के लिए मैं कह सकता हूँ कि जितना अधिक से अधिक भुगतान 1 लाख 96 हजार करोड़ रुपया आज पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों का मैक्सिमम 12 हजार करोड़ ही गन्ना का बकाया है और यह गन्ना किसानों की बात करते हैं। हमारी सरकार निरंतर किसानों के हित में काम करना चाहती है कि किसानों की आय दोगुनी हो, किसान समृद्ध हो, शक्तिशाली हो इस विश्वास के साथ एक बार मैं पुनः आय-व्यय की चर्चा पर बोलने के लिए अवसर मिला इसके लिए मैं अधिष्ठाता महोदय आपको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।

श्री पंकज कुमार मलिक-

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे मनोज पाण्डेय जी द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका आभारी हूं। महोदय मा0 सदस्य अभी गन्ने की बात कर रहे थे हम लोगों का मकसद सिर्फ आलोचना करना नहीं है अगर गन्ना किसान खुशहाल होता तो हम इस तरह की बात आपके बीच आकर न करते। अगर आपको किसान के बारे में चाहे गन्ना का किसान हो, चाहे गेहूँ का किसान हो, धान का किसान हो अगर कोई प्रश्नचिन्ह आपके दिमाग में है आप यह सोचते हैं कि किसान खुशहाल है और हम झूठ बोलते हैं तो आप अपने भी क्षेत्र में और हमारे भी क्षेत्र में साथ चलिए। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की लोग बात करते हैं। जनता की बात सुनना और समझना हमारी जिम्मेदारी है और हम सबका दायित्व भी है। मा0 अधिष्ठाता महोदय प्रदेश में लघु एवं सीमांत श्रेणी के जो किसान परिवारों की संख्या है वह 92.5 प्रतिशत है जिसमें सीमांत श्रेणी के 79.5 प्रतिशत, लघु श्रेणी के 13.0 प्रतिशत किसान परिवार सीमांत श्रेणी के 79.5 परसेण्ट में से 73.2 परसेण्ट किसान ऐसे है जिनकी 0.5 हेक्टेअर से कम जोत है और उनकी औसत जोत है 0.27 प्रतिशत यह बात मैंने इसलिए बताई है कि इससे प्रदर्शित होता है और पता चलता है कि किसान आज कितना गरीब है और कितना दुखी है। किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता। कृषि उपकरणों के कई मामले ऐसे हैं एक साल पहले लोगों ने उपकरण के लिए आवेदन दिया दो साल बाद उनका पैसा वापस कर दिया और उसका कोई ब्याज नहीं दिया और उपकरण उन्हें नहीं मिला। बहुत सारे मामले ऐसे हैं मैं अलग से मंत्री जी को लिखकर भी दूंगा।

मान्यवर आज परिस्थितियां ऐसी हैं हमारे बीज निगम को जितना काम करना चाहिए उतना काम नहीं कर पा रहे। सफेद हाथी साबित हो रहे। बाजार में डुप्लीकेट बीज आ गया। क्योंकि हम लोग व्यवस्था कर नहीं पा रहे हैं। मान्यवर, डुप्लीकेट बीज की स्थिति यह है कि हमारे यहाँ जो उड़द की फसल के लिए बीज दिए गए थे, उसके बारे में आप जा करके किसान से पूछिए। मान्यवर, किसान आज बड़ी दिक्कत में है, उसकी मदद हो नहीं पा रही। चूँकि जो सरकार में बैठे हमारे लोग हैं, वे बीजों पर रिसर्च करा नहीं पा रहे बीज पर उनका ध्यान नहीं है। मान्यवर, हम लोगों को सोचना चाहिए कि पैदावार कैसे बढ़े। किसान दुःखी कब तक रहेगा ? हमें उसकी पैदावार पर जोर देना चाहिए। मान्यवर, जो प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियाँ हैं, वे बाजार में अच्छा बीज उपलब्ध करा रही हैं और हम लोग उस पर कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। मान्यवर, मैं लाभकारी मूल्य की बात कर रहा था, उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि जब गेहूँ के किसान की फसल होती है, जब उसकी फसल खड़ी होती है तब तो रेट आता है कम और जैसे ही उसकी फसल कम होनी शुरू होती है तो जो बीच के लोग हैं, वे गड़बड़ करते हैं और रेट उछाल देते हैं। उससे किसान को फायदा नहीं हो पाता। आप बात तो बिचौलियों को खत्म करने की करते हैं लेकिन इसमें सीधा-सीधा लाभ बिचौलियों को है। हम लोगों के सुझाव आप गम्भीरता से ले करके उन पर जाँच भी करवा लीजिएगा।

मान्यवर, आज आलू का किसान खून के आँसू रोने का काम कर रहा है। इस बार आलू की खेती अच्छी हुई है, अच्छी फसल है लेकिन उसे चिन्ता सता रही है कि आने वाले समय में उसका क्या होगा, उसकी फसल का क्या होगा क्योंकि आज 500-600 रुपये प्रति कुण्टल में उसके आलू के बिकने का काम हो रहा है। 250 रुपये प्रति कुण्टल का रेट कोल्ड स्टोरेज का है तो किसान कहाँ से अपने बच्चों के स्कूल की फीस जमा करेगा ? हम लोगों को यह सोचना चाहिए, जो हमारी सरकार में बैठे लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि आलू के किसान के लिए अगर हम प्रोसेसिंग यूनिट लगाएँगे तो उसका कितना लाभ होगा। सरकार में बैठे लोग प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात कागजों में तो खूब करते हैं लेकिन अब तक कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लग पाई है। हम लोगों को आलू को बाहर भेजने का काम भी करना चाहिए। जो आलू पैदा होता है उसका 17 प्रतिशत तो बीज में काम आता है, वह बीज में चला जाता है। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो किसान को सिर्फ 50 फीसदी आलू का ही पैसा मिल पाता है, वह तो नुकसान में जा रहा है। 1000 रुपये प्रति कुण्टल से ज्यादा की उसकी लागत है और मिलता उसे है नहीं। मान्यवर, किसान तो माइनस में जा रहा है।

इस पर विचार करने की आवश्यकता है। एक बात हम सब लोगों को सोचनी चाहिए। यहाँ हम लोग बैठते हैं, हमको सोचना चाहिए कि अगर किसान इतना सम्पन्न होता तो आज किसान अपनी जमीन बेचने में क्यों लगा हुआ है, वह अपनी जमीन बेचने में लगा हुआ है। आज बिल्डर उन पर कब्जा किए हुए हैं। आप देखिए कि जो छोटे-मोटे गाँव हैं, आज वहाँ भी कालोनियाँ कटने लगी है क्योंकि आज किसान को खेती में तो फायदा रहा नहीं। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि सरकार में बैठे लोगों को आलू के किसान पर ध्यान देना चाहिए, उसके लिए

बजट में और वृद्धि करनी चाहिए। मान्यवर, हम अगर खाद की बात करें तो डी0ए0पी0 और पोटाश के रेट सबके सामने हैं। पूरे बढ़े हुए हैं, जैसे कैल्शियम, डाई अमोनियम फॉस्फेट के रेट भी बढ़ गए, पोटाश के रेट भी बढ़ गए।

श्री अधिष्ठाता-

पंकज जी,कृपया अपनी बात एक मिनट में समाप्त करें।

श्री पंकज कुमार मलिक-

साहब, थोड़ी कृपा कर दो।

श्री अधिष्ठाता-

सभी लोगों को बोलना है भाई।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, मैं राब की बात करता हूँ। हमारे यहाँ कुछ लोगों ने, प्रभावशाली लोगों ने राब को 27 रुपये में खरीद करके उसे ही दानेदार बना करके, उसको पैकेट में भर कर उस पर पोटाश लिख करके बेचने का काम किया। उन्होंने किसान की सीधी हानि की, किसान को लूटने और ठगने का काम किया। मैं मा0 मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि आप जनपद मुजफ्फरनगर और उसके आस-पास के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में पता कर लें कि राब जा कहाँ रही है ? किसान को व्यक्ति विशेष को लाभ हो रहा है। लाभ क्यों नहीं हो रहा ? केवल एक-आध अब आगे दुर्भाग्य की बात, किसान आज दुःखी है और हम बातें करते हैं बड़ी-बड़ी। मान्यवर, आप मेरी बात याद रखना कि चाहे कोई भी देश हो, जिस देश का किसान, जिस प्रदेश का किसान सुखी नहीं है, वह देश और प्रदेश कभी भी तरक्की और उन्नति नहीं कर सकता। मान्यवर, आप जरा उन बच्चों की तरफ जा करके देखिएगा जो किसान के घर में पैदा होते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं। मान्यवर, अन्त में आपसे मेरा अनुरोध है कि जो तथ्य मैने जनपद मुजफ्फरनगर के सम्बन्ध में आपके सामने रखे हैं, यह जनहित और किसान हित में होगा कि आप उनकी जाँच करा लें। इसी साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री प्रेम सागर पटेल-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मुझे कृषि के बजट पर बोलने के लिए आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। मा0 अधिष्ठाता महोदय,

''शक्तियाँ सहने के लिए, पत्थर जैसा जिगर पैदा करो'' किसानों की खातिर जो कट सके वह सर पैदा करो।

यह काम करना होगा। लम्बी चौड़ी बात किसानों पर विपक्ष के साथी कर रहे थे। किसान ही एक ऐसा प्राणी है इस देश में, इस मुल्क में जिसके अंदर जज्बा है काम करने का, पत्थर, तूफान, आँधी, सूखा, बाढ़ सबको सहकर आज इस देश में अन्न पैदा करने के लिए वह

आगे आकर पूरे भारत को अन्न खिलाने का काम करता है। इस देश में किसानों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी जव प्रधानमंत्री बने थे तो उसके ऊपर खाद के लिए, बीज के लिए लाठियाँ बरसायीं जाती थीं लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नीम कोटेड यूरिया लाकर उसको समाप्त करने का काम किया है। अब कोई भी किसान खाद गोदामों पर सोता नहीं है, लाठियाँ नहीं खाता है। पहली बार भारतवर्ष में यह दिन आया। इस देश में जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किसानों को लूटने का काम किया गया था। मा0 अधिष्ठाता महोदय, इस देश में पहले, जब हम लोग बच्चे थे एक धान की किस्म ताइचुंग नेटिव नंबर वन नाम का एक धान आता था। वह बहुत टाइट धान था। किसान उसकी मड़ाई नहीं कर पाते थे लेकिन उसकी विदेश से सप्लाई कांग्रेस पार्टी की हुकूमत ने लिया था और उसके साथ ही जिस देश ने बीज की सप्लाई की थी उसके साथ एक रोग भी दिया था और वह रोग था झुलसा। यह झुलसा रोग इस देश में 1960-61 में आया और आज तक नहीं गया। उन्हीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इस देश में कांग्रेस सरकार के साथ साझा करके अपनी एक कंपनी बनाई थी डाईथीन एम-45 जो दवा उस रोग के लिए प्रयोग होती थी। धान में रोग भेजा और फैक्ट्री लगाकर किसानों को लूटने का काम किया था आज उस देश में हम लोग नागरिक है। मा0 अधिष्ठाता महोदय एक गेहूँ आया था जिसका नाम था लर्माराजो, सभी हमारे साथी गेहूँ की पैदावार करते थे, किसान पैदा करता था। पूरब का हो या पश्चिम का हो किसान उसको पैदा करता था, उस गेहूँ में भी विदेशी कंपनियों ने एक कण्डुवा नाम की बीमारी की सप्लाई कर दी थी। इस देश में आज भी गेहूँ का मामा कण्डुवा बीमारी है जो जाने का नाम नहीं ले रही है और यह विदेशी कंपनियाँ आज तक भी इस देश में दवा की फैक्ट्री लगाकर किसानों को लूटने का काम कर रहे है। हमारी सरकार जिस काम के लिए यह जानी जाती है किसान की आय को दोगुना करने के लिए लगातार काम कर रही है। यह सरकार किसानों को संसाधन दे रही है, ट्रैक्टर दे रही है, पम्पिंग सेट दे रही है और सभी कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी दे रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार आज आप लोग नमूना देख रहे हैं हमारे विपक्ष के साथी खूब हलवा खा रहे थे। कई तरह की मिठाई खा रहे थे। ज्वार की रोटी खा रहे थे।

आज मोटे अनाज के उत्पादन में उत्तर प्रदेश आगे आ रहा है। कृषि विभाग बड़े पैमाने पर अभिनव प्रयोग कर रहा है। आज हमारे साथी चाहे पक्ष के होने या विपक्ष के होने सब लोग आज नये-नये व्यजंन का सभा में खाने का काम किये हैं वह भारतीय जनता पार्टी की कृषि मंत्रालय का भोजन था और यह दिखा दिया गया कि किस तरह का खाना हम आज देश में देने जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर मोटे अनाज की बढ़ोत्तरी हो रही है। किसान उसके प्रति लालायित हो रहा है। बीमारियों के लिए वह अनाज खाना जरूरी है। शुगर के पेशेन्टों के लिए जिन-जिन अनाजों की जरूरत है, उन अनाजों को सूर्य प्रताप शाही जी ने कृषि मंत्री की हैसियत से आज उनके व्यंजन परोसने का काम किया था। हमने तो देखा कि विधान सभा में पहली बार इस तरह के व्यंजन की व्यवस्था हुई थी। मा0 अधिष्ठाता महोदय, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा कि इस सदन में 1962 के बाद कटघरे में व्यक्ति देखने को मिले।

आज हम न्यायालय/जज के रूप में बैठे थे और फैसला किया गया। 1962 के बाद आज पहली बार यह दिन आया है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश की विधान सभा में पहली बार, 75 वर्ष के बाद मा0 अध्यक्ष जी, ने जो व्यवस्था दी है कि जो विचार और भाषण हम विधान सभा में देते थे वह पुस्तकालय में जाता था और अब यह उत्तर प्रदेश सरकार के हर विभागों में जाएगा और उस पर क्रियान्वयन किया जाएगा। पहली बार यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश में आयी है। हमारे इस देश में किसान सबसे रिस्की बिजनेस करता है एक बार पत्थर, बाढ़ और प्राकृतिक आपदा आने के बाद उसकी पूँजी नहीं आती है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में सोच रही है। कृषि को आगे करने और बढ़ावा देने के लिए कृषि का टोल फ्री नम्बर भारत सरकार ने जारी किया है। किसान उस टोल फ्री नम्बर को डायल कर नई-नई फसलों की तकनीकियों का अध्ययन करने का काम करता है। सारे प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको लायी है। लगातार कृषि को बढ़ावा देने का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की उपज को हमेशा सही समय पर खरीदने का काम किया है।

(सदस्य श्री प्रेम सागर पटेल लगातार बोलते रहे, उनका माईक बन्द कर दिया गया)

श्री चन्दन चौहान-

अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले हमारे किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को नमन करते हुए आज इस कृषि विभाग में कटौती प्रस्ताव पर बोलने का आपने जो मौका दिया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, वो दिन किसी देश, प्रदेश या घर के लिए सबसे बड़ा दिन होता है जिस दिन उस प्रदेश का बजट सामने आता है। उस बजट में यह देखा जाता है कि प्रत्येक कोने और अन्तिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक सरकार या उस प्रदेश के मुखिया या राजा अपने लोगों के विश्वास पर खरा उतरा है कि नहीं। मान्यवर, बजट 2023-24 जनता की आकांक्षाओं पर पूरा खरा उतर नहीं पाया है। इस बजट को बहुत ही संजीदगी और बेहतर तरीके से बनाया जा सकता था। मान्यवर, मैं कोई आर्थिक नीतियों का बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, पर इतना जानता हूँ कि जब किसान समस्याएं लेकर आता है और वो अपनी समस्याओं से अवगत कराता है तो यह आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि चुप हो जाओ वन ट्रिलियन की इकानॉमी होने वाली है, उसको समाधान करने की आवश्यकता है। मान्यवर जब इस प्रदेश की 62 प्रतिशत आबादी खेती पर आधारित है उस समय अपनी व्यय का 2.9 प्रतिशत कृषि के लिए आवंटित करना जो कि दूसरे राज्यों के मुकाबले औसत 5.8 प्रतिशत से भी कम है, यह बेहद ही निन्दनीय है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि नेता सदन ने मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण की घोषणा 16-12-2021 में शाम 04 बजकर 50 मिनट 55 सेकेण्ड पर यहीं घोषित की थी और आज मेरे ख्याल से उसके बाद लगभग 2-3 बजट आ चुके हैं और आज भी कोई प्राविधान उस मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण के लिए फिलहाल इस बजट में नहीं है। यह भी बेहद दुःखद है।

सरकार जल्द से जल्द उसे अपने प्रस्ताव में ला कर वहां के किसानों की भलाई के लिए काम करेगी तो बहुत धन्यवाद होगा। मान्यवर, धरती पुत्र कहे जाने वाले हमारे माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी और स्वर्गीय अजीत सिंह जी ने मिल करके 28 से 30 शुगर मिल उत्तर प्रदेश में लगायी थी और आज स्थिति यह है कि हमारे किसानों का लगभग 6 हजार करोड़ का गन्ना भुगतान अभी भी शेष है और किसान टकटकी लगाकर बैठा है कि कब तक जल्द से जल्द भुगतान होगा और उसके आने वाले जीवन की समस्याओं का निराकरण होने का काम होगा। वही स्वर्गीय चरण सिंह जी की भूमि पर जहां रवाला मिल की स्थापना की गयी थी। वहां आज भी एक मल्कपुर मिल है जिसका इस साल का ही बकाया नहीं पिछले साल का भी बकाया बहुत अधिक मात्रा में है। सरकार उसके लिए भी बजट का प्राविधान करती तो अच्छा होता क्योंकि अभी नेता प्रतिपक्ष हैं नहीं, उनसे उस समय मांग की गयी थी तो उन्होंने 2800 करोड़ रुपये गन्ना किसान का पहली बार सहकारी और प्राइवेट मिलों का भुगतान करने का काम किया था। मान्यवर, यह चिन्ता बड़ी है कृषि विभाग के माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि क्लाइमेट चेंज एक समस्या आने वाले समय में किसानों के लिए बनेगी। इस क्लाइमेट चेंज से सूखा, ओलावृष्टि, जैसी दैवीय आपदाएं बड़ी संख्या में बढ़ेंगी उसके लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। इस चुनौती से लड़ने के लिए किसानों को ठोस योजना बनाने की आवश्यकता है। इस साल अलनीनो प्रभाव के कारण सूखे की आशंका है, पानी पीने के लिए हमारे विधायकों की नलकों की मांग अलग थी, सिंचाई के लिए भी अलग व्यवस्था करनी चाहिए।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब भी छुट्टा पशुओं की बात होती है तो एक विशेष नाराजगी सामने से आती है। यहाँ सभी ज्ञानी, विद्वान लोग बैठे है, पर मैं सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि जो हम सांड़ों का नाम लेते हैं, बुल्स के नाम से कई देशों में श्वेत क्रान्ति लाई गई है, जिन्होंने अपने देश के अंदर दूध में मिलावट खत्म की। आप मशीनों से संयंत्रों से दूध उत्पादन नहीं कर सकते। आपको पशुओं की वेहतर नस्लों का विकास करना पड़ेगा। आज भी आपका दुग्ध उत्पादन प्रति पशु चार लीटर, साढ़े चार लीटर है, वहीं पंजाब-हरियाणा ने 70-72 लीटर तक देने वाली नस्लों को विकसित कर लिया है। आपको इसका सही समाधान ढूँढ़ना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

चन्दन चौहान जी धन्यवाद। मैने पहले ही कहा था कि आपको 5 मिनट में अपनी बात कहनी है।

श्री चन्दन चौहान-

मान्यवर, कुछ समय और दे दीजिए। पार्टी की तरफ से दो ही लोग बोलने के लिए हैं।

श्री अध्यक्ष-

श्री चन्दन चौहान जी, आप बैठें। श्री प्रकाश द्विवेदी जी आप बोलें।

श्री चन्दन चौहान-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रकाश द्विवेदी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मंत्री, श्री सुरेश खन्ना जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रस्तुत इस बजट पर और कृषि विभाग के बजट पर बोलने का जो अवसर प्रदान किया गया है, उसके लिए मैं आपको अपनी तरफ से और अपनी विधान सभा क्षेत्र की तरफ से बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। साथ ही अपनी विधान सभा क्षेत्र की जनता को भी धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझको लगातार दूसरी बार चुनकर इस सदन में भेजने का अवसर प्रदान किया है। मैं लगातार अपने विपक्षी साथियों की बातों को सुन रहा था, मुस्लिम किसानों की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि मुस्लिम किसानों के साथ भेदभाव होता है। इस पूरे बजट को देखने के बाद खासकर कृषि बजट पर जब हम चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि यह बजट पूरी तरीके से सबका साथ और सबके विकास की तर्ज पर राम चरित मानस की एक चौपाई है कि 'बयरू न कर काहू सन कोई। राम प्रताप विषमता खोई' और भारतीय जनता पार्टी की जब से केन्द्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, किसानों को, अन्नदाता को भगवान का दर्जा अगर किसी ने दिया तो इन दोनों सरकारों ने दिया है और जितने वादे किये, आप 2017 का वादा देखिये, 36 हजार करोड़ रुपये की कर्ज माफी का अपना वादा अगर किसी ने पूरा किया तो योगी सरकार ने किया। सामने वालों को अगर मैं आइना दिखाऊँ, एक छोटा सा नमूना बता दूँ, 2012 में सामने वाले साथियों का घोषणा-पत्र किसान कर्ज माफी का था, लेकिन जब वादा पूरा करने का नम्बर आया तो एक डाट-डाट लगाया कि भूमि विकास बैंक से ऋण लेने वाले कृषकों का अधिकतम 50 हजार रुपया माफ होगा, ठीक है। लेकिन भूमि विकास बैक से जो किसान कर्ज लिए है, केवल उनका ही क्यों ? क्योंकि हमारे उस बैंक के सामने वाले चाचा जी चेयरमैन थे। वह बैंक पारिवारिक बैंक था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो पहली ही कैबिनेट में 36 हजार करोड़ रुपये किसान कर्ज माफी और अधिकतम 01 लाख रुपये तक प्रति किसान कर्ज माफी का निर्णय लिया गया। उसमें किस बैंक से कर्जा लिया है, किससे नहीं लिया है, इस प्रकार की कोई बंदिश नहीं थी।

मान्यवर, मै उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ दुर्गम रास्ते, एक समय प्यास बुझाने की किल्लत थी और किसान भी पूरी तरीके से हताश और निराश था। औद्योगिक शून्यता का वह क्षेत्र था लेकिन इस दुर्गम क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय योगी जी का और अपने केन्द्र के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का

बहुत-बहुत धन्यवाद अपनी तरफ से और बुन्देलखण्ड की जनता की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। कृषि पर बात कर रहे है तो मैं बता दूं पहले चाहे धान की खरीद हो, गेहूँ की खरीद हो तब किसानों को लाठियों की वर्षा मिलती थी। बिना बिचौलियों के कभी कोई खरीद नहीं हुई। पहली बार पारदर्शी ढंग से, ऑन लाइन ढंग से जाईये अपना नम्बर लगाईये अपना अंगूठा लगाईये। अब बिचौलियों का काम खत्म हो गया है। अपने खाते में अपनी उपज का मूल्य लीजिये। डी0बी0टी0 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लीजिये और घर चले आईये। आप कहते हैं कि किसान सम्मान निधि, आप उस किसान से पूछिये जो एक बीघे का किसान है, आधे बीघे का किसान है उसे जब 6000 रुपये की राशि मिलती है तब उसकी छोटी-छोटी आवश्यकताओं में कितनी बड़ी पूर्ति के साधक होते हैं। बांदा में कृषि विश्वविद्यालय था लगभग 800 एकड़ का, वह कृषि विश्वविद्यालय बंजर भूमि के तरीके से पड़ा था जब से माननीय योगी जी मुख्य मंत्री बने तब से लगभग एक दर्जन से अधिक बार हमारे माननीय कृषि मंत्री जी का वहाँ पर दौरा लगा है। उस कृषि विश्वविद्यालय की चिंता की तब आज लगभग साढ़े 6 सौ एकड़ में उन्नतदार प्रजातियों की फसलें लगातार हो रही हैं उसके साथ-साथ जो बन्द की कगार पर वह कृषि विश्वविद्यालय था वहाँ पर उद्यान है, सामाजिक यांत्रणी की भी कक्षायें लगातार चलाने का काम, इस बजट में पशुपालन की कक्षाओं की भी व्यवस्था की गई है। इसके लिए भी मैं अपनी तरफ से माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बजट में बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

अब अपनी बात को समाप्त करें।

श्री प्रकाश द्विवेदी-

ठीक है, मान्यवर। वर्ष 2014, 2017, 2019 और 2022 इस बात का प्रतीक है कि किसान योगी जी और मोदी जी की सरकार से संतुष्ट है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री तुफानी सरोज-

मान्यवर, आपने कृषि बजट के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। आज किसान की हालत उत्तर प्रदेश में देश के किसानों में सबसे बदतर हालत में है। मंहगी खाद, मंहगे बीज से किसान परेशान हो करके कास्तकारी से भाग रहा है। अपने खेतों को परती छोड़ दिया है। अगर पता चल गया कि आज सोसाइटी पर खाद आने वाली है तो खाद के ट्रक के पहले किसानों का डेरा सोसाइटी पर पड़ जाता था। भीड़ को देख करके खाद बाँटने वालों की हिम्मत नहीं पड़ती थी। उनको पुलिस का सहारा लेना पड़ता था। तब जा करके खाद वितरित की जाती थी। व्यापारी पता नहीं कहां से खाद की व्यवस्था कर लेता था। ब्लैक में 1700, 1800 रुपये प्रति बोरी में ब्लैक की जा रही थी और किसान जो खेती करना चाहता था वह मजबूरी में ब्लैक में खाद खरीद रहा था। किसान के बारे में यह सरकार बिल्कुल भी

गम्भीर नहीं है। 6 सालों में इस सरकार ने किसानों को बर्बाद कर दिया है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गयी है। वर्ष 2014 में जिस डी0ए0पी0 खाद का रेट रु0 250 प्रति बोरी था, वही वर्ष 2022 में 1450 रुपया हो गया है। ये किसानों के बहुत बड़े हमदर्द है, बहुत बड़े हितैषी है, बार-बार कहते है कि हम इधर आ गये, हम उधर आ गये, लेकिन जब से हम भाजपा में आये हैं जनता हमारे ऊपर भरोसा करती है। इसका एक मा0 मंत्री जी ने भी जिक्र किया है, लेकिन इन्होंने एक बार भी यह जिक्र नहीं किया कि आपकी पार्टी को बनाने के लिए दूसरी पार्टी ने अपने आप को जीरो टोलरेंस पर खड़ा कर दिया है।

अभी यह यूरिया की बात कर रहे थे, जब 50 किलो यूरिया की बोरी रु0, 176 में मिल रही थी, आज वह 45 किलो की बोरी रु0, 280 में मिल रही है, 5 किलो यूरिया उस बोरी में कम भी कर दिया गया है। भाजपा सरकार में किसानों की घोर उपेक्षा हुयी हैं, आज किसान की जो उपज है उसका उचित मूल्य क्या है ? और क्या सरकार ने यह आंकड़ा निकाला हैं कि प्रति हेक्टेयर कितना क्विंटल धान में खर्चा आता है, तो मैं बता दूं कि प्रति हेक्टेयर धान पैदा करने में रु0 1600 से 1700 की लागत आ रही है। इन्होंने कहा था कि वर्ष 2022 तक किसानों की उपज का दोगुना मूल्य देंगे। मान्यवर, धान व गेहूँ को आज व्यापारी रु0 2400 प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद रहा है। किसान की उपज का रेट दोगुना करने का जो सपना सरकार देख रही है, आप रेट निकालकर देखिये, कम्पनियों में जो लोहा उत्पादन होता है, उसका रेट तय करने का अधिकार मिल मालिकों को होता है और जो किसान के घर माल पैदा होता है, उसका रेट ए0सी0 में बैठकर व्यापारी तय करते हैं। जब तक किसान अपनी उपज का मूल्य निर्धारित नहीं करेगा, जब तक सरकार अधिकार नहीं देगी किसानों को मूल्य निर्धारित करने का, तब तक किसानों का फायदा, किसानों का हित नहीं हो पायेगा। यह सरकार का झूठा वायदा था कि हम इसे वर्ष 2022 में दोगुना कर देंगे।

अभी मा0 मंत्री जी ने कहा कि एक भी किसान की मृत्यु पिछले 6 वर्ष में नहीं हुयी है, तो मान्यवर, आप सुन लीजिए वर्ष 2017 में 110, वर्ष 2019 में 108, वर्ष 2020 में 87 और ललितपुर में खाद न मिलने की वजह से 6 लोगों की मृत्यु हो गयी है। यह एन0सी0आर0बी0 का आंकड़ा है, यह मेरा आंकड़ा नहीं है। पूरे देश में जितने किसानों ने हत्या की है उसमें 7.7 प्रतिशत हत्याएं उत्तर प्रदेश में हुयी हैं और इनके आंकड़े में तथा एन0सी0आर0बी0 के आंकड़ों में पता नहीं क्यों डिफरेंस रहता हैं। यह भाजपा वाले हमेशा शोर मचाते रहते है कि हमने उत्तर प्रदेश को विकास में देश में सबसे आगे कर दिया है और नीति आयोग कहता है कि उत्तर प्रदेश गरीबी की रेखा में दूसरे नम्बर पर है। पहले नम्बर पर बिहार है जिसकी गरीबी दर 51.19 प्रतिशत की है और उत्तर प्रदेश मे 42.19 प्रतिशत की गरीबी दर हैं। आप विकास को कहां लेकर जा रहे हो और मै यह कहना चाहुंगा कि 10 बीघा वाले किसान के बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, लोग शादी विवाह करने से कतरा रहे हैं। वह इसलिए कतरा रहे हैं कि महंगी खाद, महंगी बीज डालकर किसान खेती करता है, वह भी

उसके घर में नहीं आता है। उसको आवारा पशु चर जाते हैं। मा0 मंत्री जी ने कहा कि ये सांड़ समाजवादी पार्टी की देन है, अगर सांड़ समाजवादी पार्टी की देन है तो आप 6 साल से क्या कर रहे हो ? 6 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी एक भी सांड़ सड़कों पर नहीं दिखायी देता था। यह आपकी सरकार की विफलता है।

श्री मुकेश चौधरी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि अपने मुझे कृषि के इस बिल पर बोलने का मौका दिया। मैने किसान मां की कोख से जन्म लिया है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैने खेती और किसानी बहुत लम्बे समय तक की है। मै कहना चाहता हूँ कि ''गंगा की कल-कल सीने में चंदन की महक पसीने में, मन में मुरली के मधुर तान लेकर आगे बढ़ रहा है किसान'' 'जय किसान' मैं तो पहली बार जीतकर सदन में आया हूँ, जूनियर हूँ। मेरे सामने के भाई कह रहे थे कि खेती को बोना, बचाना और बेचना बहुत कठिन हो गया है। खेती को बोने के लिए उत्तम बीज चाहिए, जब से मा0 मोदी जी ने इस देश की कमान संभाली है, उन्होंने पैदावार तो बढ़ाया है, उन्होंने किसान को उचित मूल्य समय पर देने का काम भी किया है, इसलिए आज किसान बोने का काम कर रहा है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, वर्ष 2017 के पहले जब हम लोग अपनी फसल को बोने के लिए खेत पर जाते थे, तो मुझे अच्छे से याद है, दिन में डर लगता था, इकट्ठे होकर पूरे परिवार के लोग जाते थे कि कहीं खेत पर किसान की हत्या न हो जाए, ये माहौल आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देने का काम किया था।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने शेम-शेम कहा)

फसल बचाने के लिए खाद और पानी चाहिए, दवाई चाहिए। रात को बिजली आती थी और जब किसान का बच्चा खेत पर जाता था, तो उसकी माँ का दिल धक-धक करता था कि बेटा खेत पर गया है, समाजवाद का राज है। पता नहीं जिन्दा आयेगा कि नहीं आयेगा, यह गुंडागर्दी आपने प्रदेश के अंदर देने का काम किया था और बिजली नहीं थी। वह किसान अपना इंजन बुग्गी में लादकर अपनी फसल को पानी देता था और डीजल का खर्चा 10 गुना आता था, किसान घाटे में चला जाता था। आज मा0 योगी जी का राज है। 10 घण्टे बिजली देने को कहा है, तो 10 घण्टे बिजली मिलती है। आप बेचने की बात करते हो, जब किसान अपनी फसल काटता था, धान काटता था, तो उसकी रात में पहरी लगती थी, क्योंकि गुण्डागर्दी इतनी थी। किसान का परिवार पूरी रात पहरा देने के लिए भयभीत रहता था। जब वह उसको इकट्ठा करके, तैयार करके मण्डी की तरफ जाता था और मण्डी से जब बेचकर वापस आता था, तो किसान का वह धन लुटेरों के द्वारा लूट लिया जाता था। ये मुझे अच्छे से याद है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, समरपाल भाई माथे पर हाथ मार रहे है। सांड़ की बहुत बात करते हैं। वर्ष 2017 से पहले सड़कों पर सांड़ नहीं था। अरे वो आपके बनाये हुए कत्लखानों में उसे कटवा देते थे। आज मा0 योगी जी की सरकार हैं। कोई कत्लखाने वाले की हैसियत/

औकात नहीं, बाबा का बुलडोजर खड़ा है, गाएं हमारी माँ है, गाएं हमारी पूज्यनीय हैं, किसी की औकात नहीं कि कोई कत्लखाने में गाय को काट दे। हम लोग मुजफरनगर में गाय सेंचुरी बना रहे हैं, अलग-अलग नगरपालिका में, ब्लाक में, गाँवों में गायशाला बना रहे हैं।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, ये बात करते है ''किसान सम्मान निधि'' की। इनको बहुत दर्द है। किसान को छः हजार क्यों मिल रहे हैं ? इनका वश चले तो वह भी लूट लें। व्यापारिक खेती की बात मेरे भाई कर रहे थे। मेरा जनपद सहारनपुर है। वहाँ पर भेड़ी-गुज्जर का एक विपिन किसान है। वह आया, ये नीति है, नियत है। वह बहुत बड़ी नौकरी छोड़कर आया और काले गेहूँ की पैदावार की और उससे बेकरी में बिस्कुट बनाया और आज वह बिस्कुट एक्सपोर्ट हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य अब आप अपनी बात समाप्त कर दें। अभी बहुत मा0 सदस्यों को बोलना है। श्री मनोहर लाल जी।

श्री मुकेश चौधरी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, बारह हजार रुपये क्विंटल उस गेहूँ का मूल्य मिलता है। मछली पालन की बात करते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय चौधरी जी, अब बैठ जाईये। मैने श्री मनोहर लाल जी को बुला लिया है।

श्री मुकेश चौधरी-

मान्यवर, मछली पालन के लिए छोटे किसानों को सरकार के द्वारा आर्थिक मदद दी जा रही है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय।

श्री मनोहर लाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मा0 मुख्य मंत्री योगी जी के मार्गदर्शन में मा0 कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा प्रस्तुत कृषि विभाग के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मै आपका आभारी हूँ। मान्यवर, 2017 में योगी जी की सरकार बनते ही 86 लाख किसानों का ऋण माफ करने का फैसला लिया था जिसमें किसानों का 36 हजार करोड़ रुपये का ऋण माफ किया था। इसके साथ ही किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि विभाग द्वारा टोकेन निकाल करके किसानों को सभी प्रकार के यंत्र मिल रहे हैं, जैसे ट्रैक्टर, बुवाई मशीन, जुताई मशीन, पाइप वगैरह सब मिल रहे हैं जिससे किसान बहुत खुशहाल है। योगी जी की सरकार में किसानों को बीमा भी समय से मिल रहा है। किसान हमारे भाग्य विधाता, अन्नदाता है, 'जय जवान-जय किसान'। 2017 से पहले ललितपुर जनपद को चाहे स0पा0 हो या कोई दूसरी पार्टी हो कोई भी ध्यान नहीं देती थी लेकिन पूज्य महाराज योगी जी के नेतृत्व में

आज ललितपुर किसान विकास की ओर अग्रसर है। किसान सम्मान निधि भी हमें मिल रही है। ललितपुर में योगी सरकार की बहुत सी सौगातें हमें मिली हैं। यूरिया की अवैध बिकी न हो, इसे रोकने के लिए हमारी मोदी सरकार नीम कोटेड यूरिया 2014 के बाद लेकर के आयी है। पहले यूरिया को ले करके सिफारिशें की जाती थीं और यूरिया नहीं मिलता था, लोग प्रदर्शन करते थे। मोदी जी गरीब परिवार से आये हैं, इसलिए गरीब किसान की पीड़ा को समझते हैं और किसानों की आय बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं। फसल बीमा योजना, मृदा परीक्षण, नैनो यूरिया जैसे परिवर्तन कृषि क्षेत्र में ले करके आये हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अपने क्षेत्र के लिए आपके माध्यम से मैं जल शक्ति मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा बालाबहर पठारी क्षेत्र है यहाँ पर एक बाँध की अत्यन्त आवश्यकता है। अगर बाँध बन जाता है तो 2500 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो जायेगी। मैं आग्रह करता हूँ कि जामुनी बाँध पम्प कैनाल द्वारा नाराहट सिंचित हो सकता है एवं राजघाट बाँध से बृधा क्षेत्र सिंचित हो जायेगा जिससे हमारे किसानों को काफी लाभ मिलेगा। महोदय, इन दोनों कैनालों के बनने के लिए आपकी कृपा की आवश्यकता है। मैं मा0 मोदी जी और योगी जी के लिए चार लाइनें कहना चाहता हूँ कि सोई हुई जनता थी, उसको राशन पानी देकर जगा दिया, बन कर मसीहा जख्मों पर मरहम लगा करके आयुष्मान कार्ड दे दिया। गरीब, मजदूर और किसान बन जाता है हाकिम, मोदी जी, योगी जी और 25 करोड़ जनता ने ऐसा करके दिखा दिया।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायी।)

मान्यवर, मै आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं एक गरीब परिवार का छोटा सा व्यक्ति हूँ और इस गरीबी में मैंने खुद ड्राइविंग की है। मैं ड्राइवरी करके आज यहाँ तक आया हूँ।

मान्यवर, मैने पंद्रह-सोलह साल ड्राइविंग की है। यू0पी0, एम0पी0, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बम्बई, दिल्ली, लखनऊ, मैने स्वयं ड्राइविंग करके अपना जीवन व्यापन किया है। मैं गरीबी समझता हूँ कि गरीबी क्या होती है। मैं एक आखिरी कविता कहना चाहता हूँ कि योगी जी के राज्य में हरे भरे हैं फसल खेत खलिहान और खुशी के मारे घूम रहे हर घर-घर गांव का किसान। धन्यवाद।

श्री विरेन्द्र कुमार यादव-

मान्वर, मैं इस कृषि विभाग के कटौती के प्रस्ताव पर अपने नेता आदरणीय श्री मनोज पाण्डेय जी की बातों पर बल देते हुए यह कहना चाहता हूँ कि जो यह कटौती का प्रस्ताव सरकार लेकर आई है निश्चित रूप से पिछले वक्त में जब हमारे मा0 नेता श्री अखिलेश यादव जी थे तो कृषि विभाग में किसानों के खेतों तक कैसे पानी पहुंचे, कैसे उसके खेतों तक खुशहाली लाएं, निश्चित रूप से लगातार उन्होंने इस पर काम करने का काम किया। उसके साथ ही श्रद्धेय नेता मा0 मुलायम सिंह यादव जी भी थे उनकी भी जब सरकार थी तो उस

समय भी उनके खेतों में पानी पहुंचता था, समय से खाद यूरिया पहुंचता था और निश्चित रूप से जितना भी हो सके किसान को उन्होंने खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर आई है डबल इंजन की सरकार है। जनता को उम्मीद थी कि जब डबल इंजन की सरकार है तो किसान खुशहाल होगा लेकिन आज विडम्बना है कि किसानों के खेतों तक पानी नही पहुंच पा रहा है। नहरें आज सूखी हैं, टेल तक पानी नही पहुंच पा रहा है, और कहीं न कहीं जब समय से किसान को जब खाद यूरिया मिलता तो उसका चेहरा कहीं न कहीं प्रफुल्लित होने का काम करता। लेकिन ऐसा नही हो पा रहा है और उसके साथ ही जब मंडियों में किसान अपनी फसल ले जाकर बेचता है तो उसका वाजिब मूल्य मिलने का काम करता, ऐसा नहीं हो रहा। हमारे नेता मा0 अखिलेश यादव जी, मा0 मुलायम सिंह यादव जी, हमेशा किसानों के पक्ष में अपनी बात कहने का काम करते थे जब किसान खुशहाल रहेगा तभी देश खुशहाल होगा किसान को उसकी लागत का जब तक मूल्य नही मिलेगा, उसके परिवार की परवरिश नही हो पाएगी। रातों दिन किसान, उसका पूरा परिवार खेतों में लगा रहता है और उसकी लागत का मूल्य नही मिल पाता है। और जब लागत का मूल्य नही मिल पाता है तो कहीं न कहीं वह परेशान होने का काम करता है किसान आत्महत्या करने का काम करता है तब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश और देश की सरकार जिसका भी भाषण शुरू होता है सबका किसान से ही भाषण शुरू होता है। किसान पर ही जाकर अटक जाता है लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि किसान आत्महत्या कर रहा है उसके लागत का मूल्य नही मिल पा रहा है। आखिरकार प्रदेश का बजट कहा जा रहा है। इसलिए मैं इस कटौती के प्रस्ताव में यह कहना चाहता हूँ कि भारत में 15.74 करोड़ हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। कृषि इस देश में दूसरे स्थान पर है कृषि उत्पादन में 15वें स्थान पर है लेकिन इसके बावजूद भी किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। निश्चित रूप से कहावत है 'उत्तम खेती मध्यम वान, करो चाकरी अधम समान' अर्थात जीविका के श्रेष्ठ साधन कृषि है, व्यापार और नौकरी का स्थान इसके बाद ही आता है लेकिन कहीं न कहीं दुर्भाग्य है। उसके साथ ही जब किसान की फसल बर्बाद हो जाती है। बे मौसम बारिश हो जाती है, और जब वे मौसम बारिश हो जाती है, तो किसान मजबूर हो जाता है, दर-दर भटकने लगता है और कहीं न कहीं जो उसकी लागत है वह नहीं मिल पाती है। जो कर्ज वह पूंजीपतियों से लेता है, वह पूंजीपति लोग उसके दरवाजे पर जाकर उससे कर्ज का पैसा मांगने का काम करते हैं, तब कहीं न कहीं वह किसान जाकर आत्महत्या करने का काम करता है। अगर किसान की स्थिति ठीक होती तो कहीं न कहीं आज किसान सम्पन्न होता, खुश होता तो कहीं न कहीं उसका परिवार भी खुश होता और समाज भी आगे बढ़ता। निश्चित रूप से समय की प्रतिबद्धता है, इसलिए समय के अन्दर ही मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। साथ ही मा0 शिवपाल सिंह यादव जी ने एवं आदरणीय मनोज पाण्डेय जी ने बल देते हुए जो बातें रखी है उनसे अपने आप को सम्बद्ध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामचन्द्र यादव-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मा0 कृषि मंत्री श्री शाही साहब के द्वारा प्रस्तुत कृषि विभाग के इस महत्वपूर्ण बजट के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आपने हमें इस विषय पर अपनी बात रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा प्रदेश है जो पूरे देश में कृषि क्षेत्र में प्रदेश की आर्थिक विकास दर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक राज्य है निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग की उपलब्धियों के नाते ही पूरी तरह से वित्तीय वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक तिलहन उत्पादन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को दो करोड़ रुपये का कृषि कर्मण पुरस्कार तथा देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन हेतु एक करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पुरस्कार मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 02-01-2020 को कर्नाटक में प्रदान किया गया है। वर्ष 2020 और 2021 में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की कृषि विभाग की सभी योजनाओं को नम्बर एक पर आने के लिए और खासतौर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर कृषि विभाग के कार्यों की सराहना की गयी है। कृषि विभाग के अच्छे कार्यों के नाते ही हमारे बाराबंकी जनपद के प्रगतिशील कृषक श्री राम शरण वर्मा और श्री भरत भूषण शर्मा को उत्तर प्रदेश की खेती एवं किसानी का जो ज्ञान है जिसके नाते आज भारत की सरकार ने उनको भी सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित करने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश की जो कृषि नीति है जिसके नाते पूरे देश में उत्तर प्रदेश का किसान नम्बर एक पर अपनी हर तरह की जितनी कृषि की विधाएं हैं उनमें अपना स्थान बनाया है। अभी हमारे विपक्ष के साथी पूर्ववर्ती सरकारों की बहुत सारी उपलब्धियों की चर्चा कर रहे थे। मा0 वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी जब 2012 से 2017 के बीच में नेता विधान मण्डल दल थे तो उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर दैवीय आपदा आई थी और उस दैवीय आपदा के समय देश के प्रधानमंत्री जी ने जब उसका संज्ञान लिया, देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत के कृषि मंत्रियों के एक समूह को उत्तर प्रदेश में खेतों की मेड़ों पर भेजा, उस समय उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने उसको संज्ञान में नहीं लिया।

इसके बाद उत्तर प्रदेश की विधान सभा में ही हम सभी भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकों द्वारा 2015-16 में इसी विधान सभा में जब पूरे एक घण्टे तक उत्तर प्रदेश की विधान सभा की कार्यवाही को ठप करने का काम किया गया, तब जाकर भारत सरकार द्वारा दैवीय आपदा की जो दरें बढ़ाई गयी थीं, उसको लागू करने का काम किया। आज ये बात करते हैं कृषि की। किसानों के ऊपर आने वाली दैवीय आपदा की जो दरें थीं। हमारे विधान सभा क्षेत्र रूदौली, जनपद अयोध्या में ही तत्कालीन सरकार के मंत्री गये थे। 50 और 60 रुपये का चेक बांट कर आये थे। दैवीय आपदा में भी किसानों को छलने का, धोखा देने का काम तत्कालीन सरकार के मंत्री ने किया। जब विधान मण्डल दल बी0जे0पी0 को इस घटना की

जानकारी हुई तो हमारे तत्कालीन प्रदेश के अध्यक्ष श्री लक्ष्मीकांत बाजपेयी जी और हमारे दल के नेता रूदौली, अयोध्या जनपद गये थे और किसानों की उस समय की लड़ाई को लड़ने का काम किया था और उसी मांग पर उत्तर प्रदेश की सरकार को मजबूर होकर भारत सरकार की बढ़ी हुई दरों को लागू करना पड़ा था। फिर वह चेक वापस लेकर 1500/-रुपये किसानों को बांटना पड़ा था। उसी रूदौली में अकेले 45 लाख रुपया आदरणीय खन्ना जी के नेतृत्व में हम लोगों ने किसानों को दिलाने का काम किया था। आज हमारी सरकार पूरी तरह से किसानों की हितैषी सरकार है। जब पहली बार सरकार में योगी जी आते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली कैबिनेट बैठक होती है। किसानों के हितों की हिफाजत के लिए 36 हजार करोड़ रुपये का फैसला होता है, जिसका फायदा 86 लाख किसान पाते है।

(माननीय सदस्य श्री रामचन्द्र यादव का माइक बन्द हो गया)

श्री संजय कुमार शर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे आय-व्ययक 2023-24 में कृषि विभाग के बजट पर हो रही चर्चा में बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी विपक्ष ने किसानों के विषय पर जिस तरह से अपने विचार रखे, वह घड़ियाली आंसू से ज्यादा कुछ भी नहीं थे। विपक्ष के लोग अनेक वर्षों तक सत्ता में रहे और यह अपने आपको किसानों का मसीहा कहने का दावा करते रहे लेकिन सही मायनों में ये किसानों के सौदागर निकले। इन्होंने किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके उनकी वोटों के तो सौदे किये लेकिन किसानों के लिए कभी कुछ नहीं किया। इस देश में अगर किसानों का कोई सच्चा हितैषी हुआ तो 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार देश की गद्दी पर आसीन हुए तो उनकी कैबिनेट से उनकी कलम से पहला निर्णय जो निकला था, वह उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए सात हजार करोड़ रुपये देने का था। ये लोग निरंतर कहते हैं कि बताईये कितना बकाया है ? उस समय प्रदेश का गन्ना किसान कितना परेशान था कि केन्द्र को इनको सात हजार करोड़ की मदद भेजनी पड़ी और जब 2017 में उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार आई तो पहली कैबिनेट का जो पहला निर्णय था, वह छियासी लाख किसानों को छत्तीस हजार करोड़ रुपये की कर्ज माफी का था। यह किसानों के हितैषी होने की बात करते हैं।

अभी तूफानी सरोज जी एन0सी0आर0बी0 के आकड़े बता रहे थे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि 2004 से लेकर 2014 तक पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में जो किसानों ने आत्महत्या की उसके आकड़े भी प्रस्तुत करें। आप यह भूल गये कि इनके समय में किसान किस तरह से परेशान होता था। खाद के लिए उस पर लाठियां पड़तीं थीं। ललितपुर में एक किसान की मृत्यु हुई है। वह खाद लेने गया था। उसको हार्ट अटैक हुआ, उसकी मृत्यु हो गयी। उसका आंकड़ा उन्होंने प्रस्तुत किया कि उसने आत्महत्या कर ली। उस समय खाद के लिए

लाठियां पड़ा करती थीं। महोदय आज मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों को देनी शुरू की। हममें से ज्यादातर किसानों के बेटे हैं और छमाही पर जब किसान की फसल का पैसा आता है उसके बीच में उसके पास कोई पैसा नहीं होता। आज छोटी-छोटी जरूरतों के लिए जब उसके खाते में 2000 रुपये आते हैं तो उसके चेहरे पर खुशी की लहर आती है।

मान्यवर, यह किसानों के बारे में सोचने की बात है आज किसान फसल बीमा योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को दी अभी मनोज पाण्डेय जी कह रहे थे कि पिछली सरकार ने बुंदेलखण्ड के लिए दलहन देने का काम किया क्या आप बुदेलखण्ड में दलहन ही पैदा कर सकते हैं ? आपने बुन्देलखण्ड में ऐसा क्यों नहीं किया कि बुदेलखण्ड में भी किसान गेहूँ पैदा कर सके, गन्ना पैदा कर सके, धान पैदा कर सके और किसानों को अपने खेत तक के लिए पानी नहीं था लेकिन आज बुन्देलखण्ड के किसानों के लिए मा0 मोदी जी की सरकार ने 20 हजार करोड़ रुपये का पैकेज देने का काम किया और वहां का जल सिंचाई के लिए काम आने वाला है। केन बेतवा का प्रोजेक्ट आदरणीय अटल बिहारी बाजपेयी जी का सपना था। बुन्देलखण्ड के चार जिलों में दस लाख हेक्टेयर सिंचाई होनी थी लेकिन 40 हजार करोड़ की परियोजना की किसी ने चिंता नहीं कि लेकिन उसको लागू करने का काम व केन बेतवा प्रोजेक्ट को पास करने का काम किसी ने किया तो वह मा0 मोदी जी व मा0 योगी जी की सरकार ने किया। हमारी सरकार कम पानी से ज्यादा सिंचाई कैसे हो, पर काम कर रही है। हमारी सरकार स्प्रिंग ड्रिप इरिगेशन पर काम कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों की सिंचाई की परेशानी दूर हो। यह लोग किसानों की खेती व मंडी की बात करते हैं। आज ई-नार्म की सुविधा को हमारे केंद्र व प्रदेश की सरकार ने कितना बढ़ाया है, हर मंडी में ई-नार्म की सुविधा है। यू0पी0 के लखनऊ की मंडी में बैठा हुआ किसान केरल में बैठे हुए व्यपारी को माल बेच सकता है। बीच में किसी बिचौलिये व दलाल की आवश्यकता नहीं है। यह लोग किसानों के हितैषी होने की बात करते हैं। इनकी सरकार में दलाल हुआ करते थे। गन्ने में कितने बड़े-बड़े माफिया काम कर रहे थे। गन्ने में जिसके पास दो बीघा जमीन, उसकी सौ पर्ची और जिसके पास सौ बीघा जमीन, उसकी दो पर्ची मिलती थी और यह किसानों के हितैषी होने की बात करते हैं।

आज एम0एस0पी0 की बात करते है लेकिन एम0एस0पी0 की चिंता किसी ने की है तो वह मा0 मोदी जी व मा0 योगी जी ने की है। जब एम0एस0पी0 डिक्लेयर हुई तो यह सुनिश्चित किया गया कि किसान का उसकी लागत का कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफा हो खरीफ की एम0एस0पी0 कभी इन्होंने डिक्लेयर नहीं की थी। पिछले 70 वर्षों में पहली बार खरीफ की फसल की एम0एस0पी0 डिक्लेयर की तो वह मा0 मोदी जी व मा0 योगी जी ने की है। हमने कभी नहीं सुना था कि धान व मक्का के कांटे लगेंगे सिर्फ गेहूँ के कांटे तो सुने थे और उसमें भी इन्ही के लोग दलाल जाकर के किसान से कम रेट में फसल खरीदते थे और जाकर क्रय केंद्रो पर बेचा करते थे। आज धान, गेहूँ का कांटा हो, किसान खुद जाकर के कूपन निकालता है और अपनी फसल को बेचता है। फल व सब्जियों के उत्पादन के वर्ष 2012 से

2017 तक का आकड़ा 17 लाख हेक्टेयर भूमि हमारे प्रदेश में फल व सब्जियां पैदा करती थीं और पिछले पांच वर्ष में 20 मीट्रिक लाख हेक्टेयर भूमि हुई है। 20 प्रतिशत का इजाफा के साथ 380 लाख मीट्रिक टन फल व सब्जियां भी हमारे प्रदेश वर्ष 2012 से 2017 में पैदा होती थी लेकिन आज 450 लाख मीट्रिक टन फल व सब्जियां पैदा हुई हैं। अगर कोई हितैषी किसानों का है तो वह मा0 मोदी जी व मा0 योगी जी हैं और हमारी सरकार है। मैं बजट का पूर्ण समर्थन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वर्षो में किसान सही मायने में अन्नदाता के रूप में इस देश का पेट मेहनत और शिद्दत के साथ भरता रहेगा जो हमेशा से करता आया है। धन्यवाद।

श्री नफीस अहमद-

अधिष्ठाता महोदय, धन्यवाद आपने हमें कृषि बजट पर बोलने का मौका दिया। उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी और किसान खेती पर निर्भर है जिसका घरेलू उत्पादन में 26 प्रतिशत योगदान किसानों का है और 85 प्रतिशत किसान छोटी जोत वाले हैं। आर्थिक उदारीकरण के दौर में कृषि क्षेत्र में निरंतर उपेक्षा हुई है। इस दौरान कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश की मात्रा में गिरावट आयी है और कृषि विद्युतीकरण का अभाव है, इसके लिए सरकार की एम0एस0पी0 नीति जिम्मेदार हैं जिसके कारण किसानों की आय दुगनी नहीं हो सकी बल्कि किसान पहले से ज्यादा परेशान हैं और आज किसान गरीब और मोहताज है और गरीबी गुरबत का शिकार है।

'किसानों से अब कहाँ वो मुलाकात करते हैं, बस रोज नए ख्वाबों की बात करते हैं।'

मान्यवर मैं कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे सत्तापक्ष के तमाम विधायकों ने यह कहा कि दलाली और भ्रष्टाचार बंद हो चुका है तो मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2022 और 2023 में किसानों के धान क्रय केंद्र पर खरीददारी में भ्रष्टाचार हुआ है और किसानों ने मजबूरी में धान 800 रुपये और 1000 रुपये प्रति कुंतल बेचना पड़ा जिसने रामपुर जनपद की मंडी में हुए घोटाले का सबूत सरकार को दिया। जो मंचूरियन धान बिहार और उसके बार्डर के जिलों में पैदा होता है, उसकी एक लाख क्विंटल की खरीद रामपुर में कैसे हो गई। इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे एक भाई ने कहा था कि किसान आज सीना चौड़ा करके घूमने का काम करता है। किसान की रात की नींद हराम हो गई है, उसका पूरा परिवार छुट्टा जानवरों से अपने खेतों को बचाने के लिए लगा रहता है और आयेदिन दुर्घटनाओं का शिकार होता है। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारी पिछली सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने किसान दुर्घटना बीमा को पांच लाख रुपये किया था उसी तरह यह डबल इंजन की सरकार उस दुर्घटना बीमा को 25 लाख रुपये करने का काम करे। दुर्घटना में शारीरिक विकलांगता होने पर 15 लाख रुपये और दुर्घटना के वक्त किसान के इलाज को पूरा निःशुल्क किए जाने की जरूरत है। मैं जनपद आजमगढ़ जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ वहां गोपालपुर और सगड़ी का बाढ़ग्रस्त इलाका है और अभी दिनांक 09 अक्टूबर, 2022 को नेपाल

से पानी छोड़ने के कारण उस पूरे इलाके में बाढ़ आ गईं थी जिसके कारण किसानों की पूरी फसलें बर्बाद हो गई। अभी तक एक रुपया भी मुआवजे के रूप में किसान को नहीं मिला है, बल्कि उनसे कहा जा रहा है कि जो नुकसान हुआ है, वह उनके मानक में नहीं आता है। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से किसानों की उपेक्षा की जा रही है, उससे हमारे प्रदेश की तरक्की नहीं होगी, बल्कि हमारा प्रदेश पीछे जाने का काम करेगा।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात बड़े जोर-शोर से की जाती है तो सरकार यह बताये कि किसानों को जो सम्मान निधि इन्होंने चुनाव से पहले दी थी और तमाम लोगों को नोटिस जारी करके रिकवरी करने का काम किया है। क्या सरकार यह बतायेगी कि जिन अधिकारियों ने गलती की थी, उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है ? साथ ही साथ सरकार बताये कि नलकूपों के क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों कों कितने दिन के अंदर बदलने का प्राविधान है जिससे किसान अच्छे से सिंचाई कर सके। इन्होंने 'मिलिनियम फारमर्स स्कूल' की बात की है तो इस योजना से किसानों की आय कैसे बढ़ेगी, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है और ना ही इसकी कोई प्रस्तावित जानकारी है। नेशनल मिशन फॉर स्टेनेबल एग्रीकल्चरल योजना के सम्बन्ध में किसी किसान को जानकारी नहीं है और यह भी जानकारी नहीं है। कि भारत सरकार की इस योजना का बजट कितना है। नेशनल मिशन फॉर फार्मिंग योजना में किसान की जमीन को नेचुरल फार्मिग में बदलने के लिए लगभग सात से दस वर्ष लगते हैं। सरकार बताये कि इससे किसानों को जो हानि होगी उस हानि को वहन करने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भी केन्द्र सरकार की योजना है और केन्द्र की धनराशि का इसमें उल्लेख नहीं है। नेशनल कृषि बीमा योजना की बहुत बात करते हैं, किसान की फसल बीमा योजना का पैसा बीमा कंपनियाँ नहीं देती, यह किसानों के साथ सीधे-सीधे लूट है। उत्तर प्रदेश सरकार की पंडित दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना का कोई लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है, बल्कि यह योजना केवल कागजों पर है। जो किसानों को उपकरण देने चाहिये और जो प्रचार-प्रसार होना चाहिये, उसके सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी जब विधान सभा क्षेत्रवार या ब्लाकवार या तहसीलवार कार्यक्रम हो तो आप वहां के अधिकारियों से कहिये कि वह उस कार्यक्रम में वहां के माननीय सदस्यों को बुलाया करें जिससे कम से कम यह पता तो चल सके कि जमीन पर क्या काम हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा क्षेत्र गन्ना किसानों का क्षेत्र है जहां पर बड़ी तादाद में गन्ना किसान खेती करते हैं। सरकार ने कहा था कि 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों को बकाये के भुगतान का वायदा किया था लेकिन सरकार ने बजट में यह नहीं बताया कि वर्तमान सीजन में पांच माह से जो गन्ना जिलों में जा रहा है उसका कब तक भुगतान किया जायेगा। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि लखनऊ से बलिया तक जो पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे बना है, वह हमारी विधान सभा से गुजरकर जाता है। मैं चाहता हूँ कि उसमें लाजिस्टिक पार्क बनाया जाये जिससे किसान अपनी उपज को पूरे देश में सही वक्त पर पहुँचाकर लाभ पा सके।

(इस समय अपराह्न 03 बजकर 43 मिनट पर अधिष्ठाता श्री जय प्रताप सिंह पीठासीन हुए)

साथ ही साथ में एक शेर के साथ अपनी बात को समाप्त करूँगा।

जिस खेत से दहका को मयस्सर न हो रोजी,
उस खेत के हरखोशा-ए-गंदुम को जला दो।

इसलिए मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि कृषि विभाग के बजट की कटौती करके एक रुपया कर दी जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जवाहर लाल राजपूत-

मा0 अधिष्ठाता जी, आपने मुझे मा0 कृषि मंत्री जी के बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया। उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। वास्तव में अगर आज हम लोग खेती को देखें और लम्बे समय से जो खेती करते आ रहे हैं। किसी समय हरितक्रांति चली थी उस समय रसायनिक खादों का और कीटनाशक दवाओं का भरपूर उपयोग किया गया। लेकिन अगर आज देखें तो कैंसर, किडनी और अत्यधिक घातक बीमारियाँ केवल और केवल कीटनाशक दवाओं और रसायनिक खादों के उपयोग के कारण हो रही हैं। इसके लिए मा0 शाही जी ने प्राकृतिक खेती का जो प्रस्ताव रखा है, वास्तव में आज प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलना चाहिए। मैं बहुत-बहुत बधायी देता हूँ कि आपने बुन्देलखण्ड को प्राकृतिक खेती का हब बनाने का प्रयास किया है। आज हम कह सकते हैं कि पश्चिम, मध्य या पूरब हो सभी जगह खेती की उर्वराशक्ति कम हुयी है बल्कि जलसंचयन की शक्ति भी कम हुयी है। खाद के अधिक प्रयोग से जल संचयन की क्षमता कमजोर हुयी है, इसको बरकरार रखने के लिए हमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। आज हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक खेती में जो जीवांश रहते थे, जो केचुए रहते थे तो जलशक्ति का संचयन बहुत ज्यादा था। आज वास्तव में खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा तमाम ऐसे आयोजन किये जा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक खेती के लिए जो सवाजपालेकर जी है उनकी पद्धति के आधार पर खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार पाठशालाओं का क्रियान्वयन आदरणीय शाही जी ने कृषि मंत्रालय ने पाठशालायें चलाने का जो प्रयास किया है उसके लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि प्राकृतिक खेती के लिए आज एक गाय के गोमूत्र से वास्तव में खेती होगी तो दस एकड़ की खेती हो सकती है। उससे उपज भी बढ़ती है। आज फल, सब्जी, अनाज में हम विषाक्त भोजन कर रहे हैं। उस विषाक्त भोजन से छुटकारा पाने के लिए प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना होगा। इससे हमारी निर्यात की क्षमता बढ़ेगी। आज विदेशी लोगों ने हमारा अनाज लेने से मना कर दिया है। एक उदाहरण के तौर पर मैं कहूँगा कि धान जो विदेश में खरीदा जाता था और आज रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग होने से उन्होंने धान लेने से मना कर दिया है। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश की जो डबरा धान की सबसे बड़ी मण्डी कहलाती थी, उसको स्वीकार न करके आज वोर मण्डी जो हमारे क्षेत्र में आता है, इस इलाके में इतनी जबरदस्त मण्डी चली-हो सकता है कि प्रदेश में पहले नम्बर या

नम्बर दो पर आ गयी हो। उसका कारण यह है कि अराजकता का जो पहले माहौल था वह दूर हुआ, व्यापारी अपने आपको सुरक्षित महसूस करता है। चाहे वह गोरखपुर का हो, मेरठ का हो, सभी व्यापारी वहाँ पर माल खरीदने को तैयार हुए। वहाँ पर प्राकृतिक तरीके से जो धान पैदा की जा रही है वह अच्छी धान है। इसलिए उन्होंने खरीदा है।

मा0 अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शाही जी ने जो बजट रखा है, उसमें बुन्देलखण्ड को हब बनाने का प्रयास किया है। लेकिन पूरे किसानों के लिए जो बायोगैस दिया गया है उसे और भी सब्सिडी के आधार पर अगर यह हर किसान पर लागू किया जाय, हर ब्लाक में यह पहली बार में दिया जाये, उसके बाद उसको और बढ़ाया जाय। यह बढ़ने से कम से कम लोग प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ेंगे। तो हम समझते हैं कि आज जो कैंसर और किडनी जैसी जो बीमारी हो रही हैं, उनसे निजात मिलेगी। दूसरा आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो मोटे अनाज चाहे जो हो, मक्का हो, ज्वार हो, इनको बढ़ावा देने के लिए जो लगातार प्रयास चल रहा है, उसमें भी सफलता मिलेगी। बाकी मैं कह सकता हूँ कि वास्तव में चना, मसूर, राई, आज पहली बार है समर्थन मूल्य तो बहुत पहले से घोषित होता आ रहा है लेकिन किसी ने क्रय केंद्र खोलने का प्रयास किया है। तो केवल योगी जी की सरकार और शाही जी ने किया है।

(इस समय 03 बजकर 47 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री जवाहर लाल राजपूत-

मान्यवर, हम कह सकते हैं कि उरद एवं मूंगफली के बाजार में एक से डेढ़ रुपये का अंतर रहता था लेकिन अगर किसी ने उरद एवं मूंगफली के क्रय केन्द्रों को चलाने का काम किया है तो केवल इस सरकार ने किया है। आज हम कह सकते हैं कि वास्तव में किसानों की फसलों का नुकसान होता है और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे थे लेकिन आपको बता दें कि बुन्देलखण्ड में सबसे ज्यादा दैवीय आपदाएं आती हैं और वर्ष 2014-15 में सैकड़ों किसानों ने खेतों पर ही आत्महत्या कर ली थी लेकिन वर्ष 2017 के बाद जब से मा0 योगी जी की सरकार आई तो हम देखें कि वास्तव में हर किसान ने धान की उपज को कम लागत में ज्यादा पैदावार करके कम-से-कम पांच हजार रुपये प्रति क्विंटल बेचा है क्योंकि किसानों ने सुगन्धित एवं अच्छी धान की पैदावार की है। सरकार का लगातार प्रयास है कि हम आगे कैसे बढ़ सकते है। हमारी दूध खरीदने वाली जो बलनी कम्पनी है वह आज इतनी बड़ी कम्पनी बन गयी है कि वास्तव में 60-70 रुपये लीटर दूध खरीदती है। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

श्री सर्वेश सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे कृषि के बजट पर मा0 सदस्य मनोज पाण्डेय जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। बजट बहुत लम्बा है परन्तु इस बजट में अन्नदाता किसान के लिए कुछ नहीं है, न बुआई के समय पर खाद मिल पाती है, न बीज मिल पाता है, न सिंचाई की व्यवस्था हो पाती है, हद तो

तब हो जाती है जब ट्रांसफार्मर को सही कराने के लिए चार-चार दिन भटकना पड़ता है। मेरी विधान सभा सिरसागंज एवं अन्य आसपास की विधान सभाओं में आलू का उत्पादन भारी मात्रा में किया जाता है। बजट में आलू के लिए अतिरिक्त कोई भी व्यवस्था नहीं की गयी है। सहकारी समितियों पर आलू की बुआई के समय खाद के लिए किसानों को चार-चार दिन लाईन लगानी पड़ती है और वह लाईन इतनी लम्बी होती है कि पुलिस द्वारा व्यवस्था की जाती है तब किसानों को खाद मिल पाती है और यदि किसानों को खाद नहीं मिल पाती है तो उन्हें अतिरिक्त रेट देकर बाजार से खाद खरीदनी पड़ती है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आवारा गोवंश की वजह से किसानों की फसलों का अत्यधिक नुकसान होता है, गोवंश जिस खेत में चले जाते हैं, उस खेत की सारी फसल नष्ट हो जाती है। किसान की पूरी तरह बर्बाद फसल को देखकर किसान को रात-रात भर परिवार का साथ छोड़कर फसल की निगरानी के लिए खेतों में रहना पड़ता है। फसल की सुरक्षा को देखते हुए आपसे निवेदन करना चाहते है कि किसानों के हितों को देखते हुए गुढ़ा लाजपुर, सिरसरा भदान के आसपास गौशाला की व्यवस्था करा दी जाए तो इस समस्या से कुछ निदान हो सकता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में अधिकांश क्षेत्र की भूमि बेहड़ी भूमि है जो जमुना नदी के किनारे है। उसमें बारिश के समय में कटान हो जाता है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 कृषि मंत्री जी क्या आपने अनुदान संख्या-10 नहीं रखी थी ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, हमने अनुदान संख्या-10 रखी थी।

(सदस्य श्री सर्वेश सिंह लगातार बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य श्री महबूब जी मा0 मंत्री जी ने उस समय अनुदान संख्या-10 रखी थी लेकिन आपने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा था।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने अनुदान संख्या-11 रखी थी उन्होंने अनुदान संख्या-10 नहीं रखी थी, आप चाहें तो कार्रवाई निकलवाकर देख ले।

श्री अध्यक्ष-

कार्रवाई दिखाई जाए।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, हमने सबसे पहले अनुदान संख्या-10 को ही रखा था।

(सदस्य श्री सर्वेश सिंह लगातार बोलते रहे)

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने अनुदान संख्या-10 नहीं रखा है।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, मा0 सदस्य आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं रखा है। आप सुनेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने दोनों पर अपनी बात कही थी और मैं दोनों अनुदान संख्या-10 व अनुदान संख्या-11 रखवाकर गया था।

श्री सर्वेश सिंह-

किसान और नौजवान खुशहाल होगा तो प्रदेश की खुशहाली के रास्ते खुलेंगे। मान्यवर, बड़ा बजट है, बड़ी चर्चा है। अगर कोई विधायक अपनी विधान सभा क्षेत्र में किसी अधिकारी से बात करे, चाहे वह इधर का हो या उधर का। इस नलकूप को ठीक करा दो या बिगड़ी जमीन को समतल करा दो। एक ही बात आती है कि बजट नहीं है तो क्या यह बजट सिर्फ हवा-हवाई है। मान्यवर, कृषि बजट पर बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और अपनी बात को माननीय मनोज जी की बात से जोड़ते हुए समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र चौधरी-

मान्यवर, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पर बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय महबूब जी, अनुदान संख्या-10 रखी गयी थी, आपको कटौती पर बोलना चाहिए था।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, अनुदान संख्या-11 पर कटौती रखी गयी है, आप मनोज पाण्डेय जी का भाषण निकलवाकर देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने दोनों मद रखे थे, आपको भी कटौती रखनी चाहिए थी।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, केवल अनुदान संख्या-11 पर कटौती रखी गयी है, अनुदान संख्या-10 पर कटौती नहीं रखी गयी है।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, विशेषाधिकार समिति की संस्तुति पर मतदान के तुरंत बाद जब आपने पुकारा था कि मद संख्या-4 पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान, उसके तुरंत बाद मैंने इस बात को रखा था।

श्री अध्यक्ष-

हां, मैं दोनों मदों को रखाकर गया था।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, मैने अपने भाषण में उद्यान पर भी चर्चा की थी।

श्री अध्यक्ष-

अपने भाषण में भी आपने चर्चा की थी।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, मैने पूरा उल्लेख किया था कि उस पर क्या-क्या योजनाएं चल रही है।

(विपक्ष के किसी सदस्य ने कहा कि दोबारा रखा दीजिए।)

श्री अध्यक्ष-

अरे, दोबारा कैसे रखा दें, उस पर सारे सदस्य बोल चुके हैं। चंदन चौहान बोल चुके हैं ?

(विपक्ष के किसी सदस्य ने कहा कि जी, अध्यक्ष जी)

श्री अध्यक्ष-

हां, देखिए उनका उसी में नाम है और वे उसी पर बोले भी हैं। आपने ही नामों की लिस्ट भेजी है। परिसर में मैं था नहीं लेकिन मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं रखाकर गया था। मैंने ही कहा था कि दोनों मदें रख दीजिए। मा0 सदस्य की बात हो जाए, फिर महबूब जी को पांच मिनट बुला देते हैं।

श्री वीरेंद्र चौधरी-

मैं कल सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों को सुन रहा था कि किसानों की आय पांच गुनी हो गयी है। मैं आपकी पीठ के माध्यम से जानना चाहता हूं, हो सकता है कि उन्होंने किसानी ज्यादा सीखी हो या किसानी के बारे में ज्यादा जानते हों। मैं भी किसान का बेटा हूँ और एक किसान परिवार से आता हूं। मुझे अच्छी तरह पता है कि किसानी कैसे होती है ? जैसे हम लोग जब बचपन में पैदा हुए थे, तब हम लोगों से एक कहावत सुनी थी, कहा जाता था कि

उत्तम खेती, मध्यम बान।

निकृष्ट चाकरी, भीख निदान।।

और आज यह हालत है कि शायद मुझे लगता है कि जिन्होंने यह कहावत लिखी होगी, उन्हें दोबारा इस पर विचार करना पड़ेगा। कोई भी किसान आज अपने बेटे को यह समझाता है कि तुम पढ़ो, लिखो, नौकरी करो। मुझे बहुत खेद एवं कष्ट होता है जब मैं सोचता हूँ कि किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता है। अगर इस देश का किसान खुशहाल होता तो अपने बेटे को किसानी की तरफ आकर्षित करता।

मान्यवर, आज ये हालात यह है कि किसानों को उनका उचित मूल्य नहीं मिल रहा और आज यह सरकार ढिंढोरा पीटती है कि किसान की आय हम वर्ष 2022 तक दोगुनी कर देंगे। आज पांच सालों में गन्ने का मूल्य मात्र 35 रुपये एम0एस0पी0 बढ़ा है, मैं देख रहा था कि वर्ष 2014 में जिस तरह से गेहूँ का समर्थन मूल्य 1450 रुपया हुआ करता था और जब 2023-24 में गेहूँ का समर्थन मूल्य सरकार घोषित कर रही है तो 2125 रु0 समर्थन मूल्य है और आज मेरे साथी बार-बार कांग्रेस का जिक कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों के लिए कांग्रेस ने जिस तरह से कर्जमाफी का कार्य इस देश में किया है शायद आज तक किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया है।

और समर्थन मूल्य के बारे में मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूँ कि गेहूँ का मूल्य 2125 रुपये अगर है तो 2014 में जब समर्थन मूल्य 1450 हुआ करता था, तब यूरिया का दाम कितना था, तब डीएपी का दाम कितना था, डीजल का दाम कितना था ? आज इस दौर में डीजल का दाम 100 रुपये पार हो चुका है, डीएपी का दाम 1360 रुपये हो चुका है, यूरिया का दाम 280 रुपये प्रति बोरी है, जिसमें 5 किलो की कटौती भी हो गयी है। जब उत्पादन के लिए किसानों की लागत मूल्य बढ़ती जा रही है और एमएसपी इस देश में उस तरह से बढ़ाई नहीं जा रही है तो किसानों की आय मान्यवर, दोगुनी कैसे हो सकती है ? आज इस देश का किसान जिस हालत में खड़ा है, उसे आए दिन आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अगर आज आत्महत्या की दर आप आँकड़ों में देख लें तो उसमें किसानों की संख्या सबसे ज्यादा होगी।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाइये, आपकी बात आ गयी।

अब महबूब भाई आप। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप 05 मिनट में अपनी बात कह लें, क्योंकि इसे विधान परिषद में भी जाना है और वहाँ से पास होना है।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मेरा अनुरोध था कि अनुदान सं0-10 पर कटौती रख दें।

श्री अध्यक्ष-

वह आ गया था।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, अनुदान सं0-10 और 11 माननीय मंत्री जी ने रख दिया होगा, लेकिन माननीय मनोज पाण्डेय जी ने केवल अनुदान सं0-11 पर कटौती रखी है।

श्री अध्यक्ष-

वह तो आपके आपस का मामला है, आपको पहले रख देनी चाहिए थी। उसके ऊपर चर्चा भी हो चुकी है, उन्होंने उसके ऊपर पूरा बता भी दिया है।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान सं0-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अधीन सम्पूर्ण माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की जलवायु, वातावरण और पर्यावरण देश ही नहीं दुनिया में सबसे अच्छा है। लेकिन लम्बी-लम्बी बातें इधर की उधर और उधर की इधर, किसान की आय दोगुनी और क्या-क्या बातें हुई, मैं उस पर विचार करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। कुछ सुझाव देने के लिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। आज अगर देख लिया जाए, आम, अमरूद, ऑवला, केला, मौसमी, सेब, यदि इनकी बात हम कर लें। शादी-विवाह यदि कोई हम करते हैं तो अमरूद का टोकरा जब आयेगा, उसे देखेंगे, कहाँ का है ? मलेशिया का। अगर सेब का टोकरा देखेंगे, कहाँ का है ? चाइना का। विदेशी फलों के टोकरे आयेंगे तो उसमें विदेशी फल ही होंगे, हिन्दुस्तान, हमारे देश के फल नहीं होंगे, जहाँ की सबसे अच्छी जलवायु हो, हमें इस नीति पर काम करना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से सरकार यह नहीं कर रही है। हमारा अनुरोध लगातार पैदावार बढ़ाने के लिए है। प्रदेश को आगे बढ़ाने और किसान की बात तो हम बहुत लम्बी-चौड़ी कर लेते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा क्या कोई कीटनाशक दवाई ऐसी है, जिसे आप फलों के किसान को देते हैं ? आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद, विदेश न जा सकते हों तो कर्नाटक आप चले जाइये, आप अपने देश के फलों की स्थिति देख लीजिए। आज हमारे मलिहाबाद का आम महकउवा, लंगड़ा और चौसा उत्तर प्रदेश और देश में ही नहीं दुनिया में लंगड़ा और चौसा के नाम से जाना जाता है। मेरे ख्याल से अधिकारियों द्वारा यदि प्रोत्साहित किया जाए तो हम निर्यात के क्षेत्र में अपने प्रदेश को अग्रणी बना सकते हैं। अगर हम बजट की बात कर लें, जो बजट हमारे सामने है, 1890 करोड़ 62 लाख 10 हजार इसे निकाल कर देख लीजिएगा, हो सकता है आधा धन उनकी तनख्वाहों और अन्य भुगतानों में चला जाता होगा। विभाग की नीति, उसका सिस्टम और क्या करना है, इस पर आप विचार कर लें। अगर आप रेशम की बात कर लें। अभी एक दिन मैं सीतापुर की एक रेशम की बाग में गया था, जो सरकारी बाग है।

अगर बात रेशम की कर लें तो मै एक दिन सीतापुर में रेशम के बाग गया था जो कम से कम 100 हेक्टेअर में फैला हुआ है और मैंने वहां पर पूरे में घूमने का प्रयास किया कि मैं देखूं इसमें हो क्या रहा है वहां पर पूरा घूमने के बाद एक भी कर्मचारी नहीं मिला था, उसके अंदर की स्थिति क्या होगी उसे बताने की जरूरत नहीं है। आप हिन्दुस्तान के बाहर जाइये आपको कहीं ड्रेन सिस्टम नहीं मिलेगा। जितनी वह फसल बोते हैं, जितने वह फल उगाते हैं 12 महीने वह फसलों को पैदा करते हैं और हमारे यहां समय है सीजन है, आम का सीजन है, धान का सीजन है, आलू का सीजन है, लेकिन उनकी अपनी तकनीक है उस पर हमें काम करना चाहिए। ड्रेन सिस्टम से किसी भी दूसरे देश में भराई नहीं होती है। डिबैरीगेशन का समय है और तमाम प्रदेश पानी की कमी की वजह से ऐरीगेशन में आगे निकल गए हैं। वहां कम्प्यूटराज्ड सिस्टम होने की वजह से उनको लाभ यह मिला कि फल का आकार अच्छा हुआ और फल की क्वालिटी इम्प्रूव हुई। हमारे यहां तो पानी के ट्यूबवेल चल रहे हैं और कहीं पानी का स्तर एक फीट है तो कहीं पानी एक इंच भी नहीं है तो इसलिए हमें हर हालात में उस सिस्टम को बनाना पड़ेगा।

मा0 अध्यक्ष जी अगर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आलू बड़ी तादाद में पैदा होता है और पैदा होने के साथ हम उस पर कितना ध्यान दे रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज में रखने की व्यवस्था उचित है नहीं और विदेश नीति उसकी कोई है नहीं। जब आलू पैदा होता है तो एक झुलसा नाम की बीमारी उसको खा जाती है और बड़े पैमाने पर किसानों का नुकसान हो जाता है और हमारे पास सही समय पर फसल हमारे घर पर आ जाए, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इलाहाबाद के अमरूद पर अगर हम लोग काम करें तो उसके आयात-निर्यात पर विचार कर सकते हैं और हम मलेशिया की तरह उसको उगाने का काम कर सकते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा अगर बात वर्ष 2016-17 की करें तो बुंदेलखण्ड और विंध्य क्षेत्र में लाभार्थी कृषकों के नए बागों को उनके खेतों की स्थापना और प्रोत्साहन देने के लिए 2 हेक्टेअर, 1 हेक्टेअर तक बाग की फेंसिंग सुविधा के लिए 3 हजार रूपए प्रतिमाह देने की शुरूआत की थी। आज अगर प्रशंसनीय बात कर लें तो बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी की सरकार भी वर्ष 2015-16 में 30 प्रशिक्षार्थियों को प्रति वर्ष के आधार पर सामान्य 31, अनुसूचित जाति के 15 कुल 46 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए थे, लेकिन वर्ष 2016-17 में 77 कार्यक्रम कराए गए थे।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

इन्होंने बजट को एक रुपए करने का प्रस्ताव किया है, इससे यह पता चलता है कि यह किसानों के कितने हितैषी है। गुलजार साहब कहा करते थे कि-

उमर जाया कर दी, औरों के वजूद में नुक्स निकालते-निकालते,
इतना खुद को तराशा होता तो फरिश्ते बन जाते।

यह हालत इनकी न होती। 2017 में कैसे पराभूत हुए और यदि यह किसानों के हित में कार्यक्रम चलाए होते तो 2017 में आपकी यह हालत न हुई होती। बुंदेलखण्ड के भीतर ही किसानों ने किस तरीके से आपको पराजित किया कि सारी की सारी सीटें हमारे भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई, इसी से आप अंदाजा लगा सकते है। जिस तरीके से आपने सताया किसानों को, उस सताने के परिणाम से ही किसान आत्महत्या कर रहा था। आज यह प्रक्रिया बदली है। आपने बहुत उकसाने का प्रयास किया।

आपने वर्ष 2021 में किसानों को उकसाने का प्रयास किया लेकिन आपके झांसे में कोई किसान नहीं आया और जनता ने फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को जनादेश देकर हमें दोबारा अवसर दिया। इसलिए क्योंकि हम लोगों ने किसानों के हित में जो कार्यक्रम चलाए, यह उसी का परिणाम है और आपने जो कुछ भी कहा, यदि उसे किया होता तो आपके साथ ऐसा न हुआ होता।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, इनके जो सुझाव हैं, आप उन्हें लिख लीजिएगा। इनकी ओर से अच्छे सुझाव आए हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 सदस्य से अनुरोध करना चाहता हूँ कि यदि आप किसानों के हितैषी है तो आपने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसे वापस ले लें। आलोचना करना आपका धर्म था, आपने आलोचना की। लेकिन बिना तथ्यों के आधार पर जो आप आलोचना करते हैं, उसका कोई वजूद नहीं होता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कम से कम उत्तर प्रदेश के 02 करोड़ 60 लाख किसानों के हित में आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस कर लें। मेरा आपसे यही अनुरोध है।

श्री महबूब अली-

अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने बुन्देलखण्ड की बात की है तो मैं यह कहूँगा कि मैं समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त की और वर्तमान सरकार के वक्त की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आपके सामने पेश कर देता हूँ। आप मुझे दो मिनट सुन लीजिए। श्री अध्यक्ष-मेरा निवेदन है कि अब यह सम्भव नहीं है। आपकी इच्छा पर जो आपने कहा, वह मैंने किया।

श्री महबूब अली-

ठीक है, मैं अपनी कटौती और सुझावों पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1890,62,10,000 रुपये (एक हजार आठ सौ नब्बे करोड़ बासठ लाख दस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 8079,98,57,000 रुपये (आठ हजार उन्नयासी करोड़ अट्ठानवे लाख सत्तावन हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, आप अन्य सभी प्रस्ताव रख दें।

[04:12] वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक की शेष अनुदानों की मांग को आज ही लिए जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि आज दिनांक 03 मार्च, 2023 उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक की शेष अनुदानों की मांग पर विचार एवं मतदान करा लिया जाए तथा उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2023 के विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें आज ही ले ली जाएँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि आज दिनांक 03 मार्च, 2023 को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए वित्तीय वर्ष

2023-2024 के आय-व्ययक की शेष अनुदानों की मांग पर विचार एवं मतदान करा लिया जाए तथा उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2023 के विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें आज ही ले ली जाएँ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांग पर मतदान, अनुदान सं0-01 लगायत 06, 08 लगायत 09, 13 लगायत 28, 30 लगायत 34, 36, 38 लगायत 55, 57 लगायत 63, 65 लगायत 87, 89 तथा 91 लगायत 92

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं राज्यपाल जी की-सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 01 लगायत 06, 08 लगायत 09, 13 लगायत 28, 30, 33 लगायत 34, 36, 38 लगायत 55, 57 लगायत 63, 65 लगायत 87, 89 तथा 91 लगायत 92 के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये पाँच लाख पन्द्रह हजार छः सौ उन्नासी करोड़ छियासी लाख पचास हजार (रुपये 5,15,679,86,50,000) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 01 लगायत 06, 08 लगायत 09, 13 लगायत 28, 30, 33 लगायत 34, 36, 38 लगायत 55, 57 लगायत 63, 65 लगायत 87, 89 तथा 91 लगायत 92 के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये पाँच लाख पन्द्रह हजार छः सौ उन्नासी करोड़ छियासी लाख पचास हजार (रुपये 5,15,679,86,50,000) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2023

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करता हूँ।

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2023 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2023 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्डशः विचार

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2023

31 मार्च, 2024 ई. को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1- यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2023 कहा जायेगा । — संक्षिप्त नाम

2- ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित जो 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 733723,39,84,000 रुपये (रुपये सात लाख तैंतीस हजार सात सौ तेईस करोड़ उनतालीस लाख चौरासी हजार मात्र) होता है, अधिक न हो । — उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2023-2024 के लिए 733723,39,84,000 रुपये का निकाला जाना

3- इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये गये हैं । — विनियोग

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
01	आबकारी विभाग	राजस्व :	58588.36	--	58588.36
		पूंजी :	4235.00	--	4235.00
02	आवास विभाग	राजस्व :	44004.60	--	44004.60
		पूंजी :	653853.40	--	653853.40
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	104725.09	6.00	104731.09
		पूंजी :	87071.75	--	87071.75
04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व :	7802.20	--	7802.20
		पूंजी :	310.00	--	310.00
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व :	14264.82	--	14264.82
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	76039.68	--	76039.68
		पूंजी :	1500.00	--	1500.00
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	1075958.93	--	1075958.93
		पूंजी :	982695.17	--	982695.17
08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	राजस्व :	24833.70	--	24833.70
		पूंजी :	1080.95	--	1080.95
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	3051171.36	289506.43	3340677.79
		पूंजी :	1645160.72	440583.56	2085744.28
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व :	178610.52	320.14	178930.66
		पूंजी :	10451.58	--	10451.58
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	736836.73	20.05	736856.78
		पूंजी :	71161.84	--	71161.84
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व :	68610.14	--	68610.14

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	578973.36	17.50	578990.86
		पूंजी :	2330227.40	--	2330227.40
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	1401581.32	--	1401581.32
		पूंजी :	57182.50	--	57182.50
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	271100.49	13.79	271114.28
		पूंजी :	26655.14	--	26655.14
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व :	19862.99	--	19862.99
		पूंजी :	6950.00	--	6950.00
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व :	45103.02	9.50	45112.52
		पूंजी :	50.00	--	50.00
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	109514.90	1800.00	111314.90
		पूंजी :	19750.00	2495.28	22245.28
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	1370.21	--	1370.21
		पूंजी :	1943.00	--	1943.00
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	13358.25	12412.17	25770.42
		पूंजी :	600.00	154.00	754.00
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	368480.24	6.00	368486.24
		पूंजी :	2206400.10	0.50	2206400.60
22	खेल विभाग	राजस्व :	26551.79	--	26551.79
		पूंजी :	69165.62	--	69165.62
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	31114.85	2.00	31116.85
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व :	6925.86	--	6925.86
		पूंजी :	149850.00	--	149850.00

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व :	129849.71	–	129849.71
		पूंजी :	73888.09	–	73888.09
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	3277872.05	400.00	3278272.05
		पूंजी :	438727.28	–	438727.28
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व :	2740.96	–	2740.96
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	39083.60	–	39083.60
		पूंजी :	705.06	–	705.06
*29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व :	–	2704.42	2704.42
		पूंजी :	–	50.01	50.01
30	गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	995.84	–	995.84
		पूंजी :	0.01	–	0.01
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	538833.60	–	538833.60
		पूंजी :	375715.85	–	375715.85
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	977648.76	20.00	977668.76
		पूंजी :	117970.97	–	117970.97
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व :	176634.67	–	176634.67
		पूंजी :	8567.04	–	8567.04
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	66913.95	–	66913.95
		पूंजी :	4000.01	–	4000.01
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	1610669.16	45.00	1610714.16
		पूंजी :	249898.74	–	249898.74
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व :	109117.38	2.00	109119.38
		पूंजी :	21737.31	–	21737.31

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	2266972.53	--	2266972.53
		पूंजी :	267738.04	--	267738.04
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व :	10795.27	--	10795.27
		पूंजी :	178275.00	--	178275.00
39	भाषा विभाग	राजस्व :	5429.73	--	5429.73
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	30647.36	--	30647.36
		पूंजी :	342925.88	--	342925.88
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व :	58277.50	--	58277.50
		पूंजी :	1040.00	--	1040.00
42	न्याय विभाग	राजस्व :	357916.85	81014.69	438931.54
		पूंजी :	347920.00	750.00	348670.00
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	62795.08	0.01	62795.09
		पूंजी :	54676.91	--	54676.91
44	पर्यटन विभाग	राजस्व :	17990.11	--	17990.11
		पूंजी :	140803.01	--	140803.01
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व :	1963.76	--	1963.76
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व :	2610.38	--	2610.38
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	76853.84	--	76853.84
		पूंजी :	20046.81	--	20046.81
48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व :	160993.37	1.80	160995.17
		पूंजी :	78977.78	--	78977.78
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	1242454.98	--	1242454.98
		पूंजी :	22110.00	--	22110.00

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व :	136051.76	27.00	136078.76
		पूंजी :	12697.55	--	12697.55
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व :	420404.51	--	420404.51
		पूंजी :	61090.00	--	61090.00
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	474434.27	22.50	474456.77
		पूंजी :	6246.85	7.88	6254.73
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व :	168.40	--	168.40
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	323832.15	4.00	323836.15
		पूंजी :	55.00	--	55.00
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व :	14348.50	671.50	15020.00
		पूंजी :	13096.00	505.00	13601.00
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	राजस्व :	12500.00	--	12500.00
		पूंजी :	412433.00	--	412433.00
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	राजस्व :	913260.82	5011.18	918272.00
		पूंजी :	1758252.00	3000.00	1761252.00
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	38278.03	--	38278.03
		पूंजी :	23132.25	--	23132.25
60	वन विभाग	राजस्व :	91788.39	13.70	91802.09
		पूंजी :	99049.29	--	99049.29
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	2587531.65	4962277.15	7549808.80
		पूंजी :	16500.00	2675056.30	2691556.30
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व :	7475368.31	76.31	7475444.62
		पूंजी :	20000.00	--	20000.00

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रूपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व :	34912.77	--	34912.77
		पूंजी :	157.00	--	157.00
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	राजस्व :	40709.39	--	40709.39
		पूंजी :	1340.91	--	1340.91
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व :	4173.04	22091.37	26264.41
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व :	7830.25	116.05	7946.30
		पूंजी :	251.42	--	251.42
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	26027.38	385.39	26412.77
		पूंजी :	5400.30	55.00	5455.30
69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	145949.50	--	145949.50
		पूंजी :	58321.00	--	58321.00
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व :	82990.97	--	82990.97
		पूंजी :	13100.00	--	13100.00
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	7044151.78	--	7044151.78
		पूंजी :	317253.47	--	317253.47
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	1564580.42	--	1564580.42
		पूंजी :	143717.86	--	143717.86
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	400353.24	--	400353.24
		पूंजी :	61664.49	--	61664.49
74	गृह विभाग (होमगार्डस)	राजस्व :	287078.64	--	287078.64
		पूंजी :	3342.42	--	3342.42
75	शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व :	26953.87	--	26953.87
		पूंजी :	4237.06	--	4237.06

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
			(लाख रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	58142.49	--	58142.49
		पूंजी :	11518.26	--	11518.26
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	15160.81	--	15160.81
		पूंजी :	459.26	--	459.26
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	172455.47	--	172455.47
		पूंजी :	500.20	--	500.20
79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	372885.28	--	372885.28
		पूंजी :	15210.14	--	15210.14
80	समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व :	975980.01	--	975980.01
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	99829.77	--	99829.77
		पूंजी :	79936.22	--	79936.22
82	सतर्कता विभाग	राजस्व :	7786.85	1286.30	9073.15
		पूंजी :	115.50	26.00	141.50
83	समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व :	1751986.59	--	1751986.59
		पूंजी :	1310686.71	--	1310686.71
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व :	9529.94	--	9529.94
		पूंजी :	77519.00	--	77519.00
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व :	934.96	--	934.96
86	सूचना विभाग	राजस्व :	97153.14	--	97153.14
		पूंजी :	1650.00	--	1650.00
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व :	6897.38	--	6897.38
		पूंजी :	1580.00	--	1580.00

अनुसूची

(समाप्त):

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
			(लाख रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
89	राज्य कर विभाग	राजस्व :	124838.55	10.50	124849.05
		पूंजी :	4275.58	--	4275.58
91	स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग	राजस्व :	54473.63	0.02	54473.65
		पूंजी :	7100.00	--	7100.00
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	12972.89	0.60	12973.49
		पूंजी :	27702.71	--	27702.71
93	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग	राजस्व :	121276.18	--	121276.18
		पूंजी :	1676517.90	--	1676517.90
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	470002.03	--	470002.03
		पूंजी :	895925.09	500.00	896425.09
95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	607330.98	50.00	607380.98
	योग :	राजस्व :	46654758.84	5380345.07	52035103.91
		पूंजी :	18214052.40	3123183.53	21337235.93
	महायोग :		64868811.24	8503528.60	73372339.84

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2023 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2023 को पारित किया जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष-

आज के एजेण्डे में जितनी भी याचिकाएँ हैं, सब स्वीकृत कर ली गई हैं।

इंजी0 बृजेश कठेरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद मैनपुरी से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

इंजी0 बृजेश कठेरिया, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद मैनपुरी के ब्लाक जागीर के अन्तर्गत दिवन्नपुर मार्ग से बीरमपुर तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहन लाल व अन्य निवासीगण जनपद मैनपुरी की याचिका,

2-जनपद मैनपुरी के ब्लाक किशनी के अन्तर्गत ग्राम कुतुबपुर से कन्हुपुर तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश पाल व अन्य निवासीगण जनपद मैनपुरी की याचिका,

3-जनपद मैनपुरी के ब्लाक जागीर के अन्तर्गत भोगांव-जागीर-कुर्रा मार्ग से फरीदपुर तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मैनपुरी की याचिका,

---

†छापी नहीं गईं।

4-जनपद मैनपुरी के ब्लाक करहल के अन्तर्गत सहन घूसपुर मार्ग से टीकराहार तक मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फूल सिंह यादव व अन्य निवासीगण जनपद मैनपुरी की याचिका तथा

5-जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र-109, किशनी में बखतपुर बिजलीघर से नगला जसी मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्विजय सिंह यादव व अन्य निवासीगण जनपद मैनपुरी की याचिका।

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित चार याचिकाएँ†

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के विकास खण्ड एका के ग्राम गोपालपुर पुल से ग्राम सिंहपुर तक नहर की पटरी पर सड़क निर्माण कार्य (ल0 लगभग 02 कि0मी0) करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुनेश व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

2-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के विकास खण्ड एका के न0 जोरी-कताना मार्ग से कपी तक सड़क निर्माण कार्य (ल0 लगभग 1.5 कि0मी0) करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्नेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

3-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के विकास खण्ड एका के ग्राम न0 गवे से न0 जईया होकर दाया एटा-शिकोहाबाद मुख्य मार्ग तक सड़क निर्माण कार्य (ल0 लगभग 02 कि0मी0) करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सोने लाल व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका तथा

4-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के विकास खण्ड हाथवंत के ग्राम न0 सदिया से न0 कल्याण तक छूटे हुये भाग का सड़क निर्माण कार्य (ल0 लगभग 400 मी0) करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहन लाल व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका।

श्री रवेन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री रवेन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद अलीगढ़ के कस्बा ग्राम गंगीरी को नगर पंचायत का दर्जा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्यारेलाल बघेल व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ की याचिका,

---

†छापी नहीं गईं।

2-जनपद अलीगढ़ के कस्बा ग्राम अकराबाद को नगर पंचायत का दर्जा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में डा0 रामप्रकाश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ की याचिका,

3-जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड गंगीरी के अन्तर्गत नानऊ-छर्रा रोड से छोटी बाई तक लगभग 800 मी0 सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री विजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ की याचिका,

4-जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड धनीपुर के अन्तर्गत ग्राम खेम से निधौला तक लगभग 1.6 किमी0 सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री गिरीश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ की याचिका तथा

5-जनपद अलीगढ़ के अकराबाद के अन्तर्गत छठवीं नई तहसील सृजित कराने के सम्बन्ध में श्री संजीव सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ की याचिका।

डा0 अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

डा0 अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद अयोध्या की तहसील सोहावल, विकास खण्ड सोहावल की ग्राम पंचायत कलाफरपुर में सरयू/घाघरा नदी के तट पर शवदाह हेतु शेड निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री उत्तम प्रसाद वर्मा एवं अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका,

2-जनपद अयोध्या की तहसील सोहावल के नगर पंचायत खिरौनी (सुचित्तागंज) में पक्की सड़क से कामता सदन के पास लगभग 25 घरों की आबादी में कामता सदन तक विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री गंगाराम गुप्ता एवं अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका,

3-जनपद अयोध्या की तहसील सोहावल में सम्पर्क मार्ग हरबन्धनपुर में शोभाराम की ट्यूबवेल से थरेरू सम्पर्क मार्ग के पिचरोड निर्माण के सम्बन्ध में श्री विनय पाण्डेय एवं अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका,

4-जनपद अयोध्या की तहसील बीकापुर की ग्राम मुकीमपुर पहाड़पुर में नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालय बीकापुर शाहगंज की जाने वाली मार्ग बीकापुर शाहगंज मार्ग से राजकीय महाविद्यालय बीकापुर शाहगंज के सम्पर्क मार्ग को पिच मार्ग बनाने के सन्दर्भ में श्री गिरीश चंद्र तिवारी एवं अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका तथा

5-जनपद अयोध्या की तहसील बीकापुर अन्तर्गत रामपुर भगन से सोनखरी होते हुए सूल्हेपुर तक सम्पर्क मार्ग (ग्रा0अ0वि0 द्वारा 18 वर्ष पूर्व निर्मित) के पुनर्निर्माण/मरम्मत के सम्बन्ध में श्री बलवन्त सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका।

---

†छापी नहीं गईं।

डा0 असीम कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

डा0 असीम कुमार, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत सिसवा नाहर अहिरौलीदान मार्ग से सिसवा दीगर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश निषाद व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

2-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत बासगांव सरगटिया चौराहे से खैरवा तक मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

3-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत बासगांव टोला घुरपट्टी में प्राथमिक विद्यालय से लेकर सतीश मिश्रा के घर होते हुए जयराम के पास छठ घाट तक सी0सी0 नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरू गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

4-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत विशुनपुरा से बासगांव होते हुए जमुआन रोड तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुमरेश शाह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका तथा

5-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत तमकुही वरवा पट्टी मार्ग से नरायन टोला होते हुए दरोगा डीह तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिषेक गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका।

डा0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएँ†

डा0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मडियाहुं के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मडियाहुं में 50 शैय्या का मैटरनिटी विंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील पटेल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका तथा

2-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मडियाहुं के अन्तर्गत रामपुर कस्बे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मडियाहुं में 50 शैय्या का मैटरनिटी विंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका।

---

†छापी नहीं गईं।

डा0 आर0 के0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित चार याचिकाएँ†

डा0 आर0 के0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद प्रतापगढ़ की तहसील-पट्टी, विकास खण्ड-बाबा बेलखरनाथ धाम के ग्राम खभोर में प्रतापगढ़ी पट्टी मार्ग से ताज ढाबा से ठाकुर बस्ती की ओर जाने वाला लम्बाई लगभग 500 मी0 सम्पर्क मार्ग तक का चौड़ीकरण एवं पुनः निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इनाम उल्ला एवं अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका,

2-जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम खभोर में स्थित तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशफाक उल्ला खान व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका,

3-जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी, ग्राम खभोर जिरियामऊ से सई नदी पर पुल से उत्तर की ओर पाल एवं वर्मा बस्ती से होकर ग्राम खभोर के गाटा संख्या 1012,1013 व अन्य कतिपय गाटा संख्या तक सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री इनाम उल्ला व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका तथा

4-जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम खभोर में प्रतापगढ़ पट्टी मार्ग से सिद्दीक नेता की दुकान के बगल से इनाम उल्ला, शाहिद, नईम व अशफाक के घर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशफाक उल्ला खान व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका।

डा0 डी0 सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

डा0 डी0 सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम दाड़ा से लालपुर के बीच मिट्टी खड़न्जा एवं नहर पर पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोमपाल वर्मा एवं अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

2-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम पंचायत लोहार नगला में ग्राम से कब्रिस्तान वाले मार्ग में गोरा नदी नाला पर पुलिया एवं सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र साहू एवं अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

3-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम सिमरावा से केसरपुर तक खड़न्जा का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेमपाल एवं अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

---

†छापी नहीं गईं।

4-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम दौली गौटिया में देवस्थान से गौटिया मरघट तक सी0सी0रोड/खड़न्जा का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चमन सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका तथा

5-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम तुरसा पट्टी से ग्राम महिमा नगला तक चकरोड पर खड़न्जा का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रपाल वर्मा एवं अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका।

डा0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

डा0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सिराथू में ग्राम सभा उदिहीन बुजुर्ग (कलुआपुर) में सुभाष आचार्य के घर से डामर रोड बनवाने के सम्बन्ध में श्री आकाश सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी की याचिका,

2-जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सिराथू में ग्राम सभा जुबरा में चन्द्रपाल सिंह के ट्यूबवेल से प्राथमिक विद्यालय जनकपुर तक रोड बनवाने के सम्बन्ध में श्री विमल सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी की याचिका,

3-जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड-कड़ा में ग्राम नादेमई में नहर के पुलिया से शाबिर के दुकान तक रोड बनवाने के सम्बन्ध में श्री रफीक अहमद एवं अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी की याचिका,

4-जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड-कड़ा में ग्राम नादेमई में जामा मस्जिद के पास नवाब अली (सट्टा नदी) तक रोड बनवाने के सम्बन्ध में श्री रफीक अहमद एवं अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी की याचिका तथा

5-जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सिराथू के रूपनारायणपुर गोरियों में सुन्दर साहू के घर से काली माता मन्दिर तक रोड बनवाने के सम्बन्ध में श्री सुन्दर साहू एवं अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी की याचिका।

डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित चार याचिकाएँ†

डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत दरिगापुर में स्कूल से लेकर राजेन्द्र प्रसाद तिवारी के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण के सम्बन्ध में श्री निर्मल कठेरिया व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

---

†छापी नहीं गईं।

2-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम रूपसपुर में सत्यवीर सिंह के खेत से मुरारी लाल के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण के सम्बन्ध में श्री विमलेश व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

3-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम घाघऊ में डावर रोड से रामचन्द्र के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण के सम्बन्ध में श्री विनीत कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका तथा

4-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के आशफाबाद मटसैना मार्ग से तालाब होकर ग्राम नगला मुल्ला तक जर्जर सम्पर्क मार्ग तक सी0सी0 निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कामरान व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका।

डा0 विरेन्द्र कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित चार याचिकाएँ†

डा0 विरेन्द्र कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-बिरनों, ग्राम सभा चकताजुददीन में महेन्द्र यादव के घर से सोबरन यादव के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य ल0 लगभग 300 मी0 का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

2-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-बिरनों ग्राम सभा तारनपुर सदरी यादव के घर से अवधेश सिंह के खेत तक मिट्टी खड़न्जा कार्य ल0 लगभग 250 मी0 का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अपरवल यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

3-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा कोड़री (गुलहरा बस्ती) विकास खण्ड-बिरनों मुख्य रोड कैलाश राम के घर से सुभाष चन्द्र के घर तक राजबली के गुमटी से गुलहरा बाबा तक ल0 लगभग 250 मी0 मिट्टी खड़न्जा का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष राम व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका तथा

4-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-बिरनों, ग्राम सभा बहलालपुर (अडडिया) में विजय यादव के घर से मुर्गी फार्म तक सी0सी0 कार्य ल0 लगभग 250 मी0 करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका।

---

†छापी नहीं गईं।

डा0 शिव प्रताप यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित चार याचिकाएँ†

डा0 शिव प्रताप यादव, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी के अन्तर्गत ग्राम रतनपुर-बिचलाडीह-रतनपुर पूरबडीह सम्पर्क मार्ग पर स्थित स्थानीय नाले पर लघु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बद्री चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका,

2-जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी के अन्तर्गत ग्राम सेमरहवा के उत्तर पूर्व में स्थित मार्ग पर स्थानीय नाले पर लघु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव पूजन (पूर्व प्रधान) व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका,

3-जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी के अन्तर्गत ग्राम केवलपुर-पकड़ी पटोहा सम्पर्क मार्ग का जीरो से लेपन स्तर तक निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सहजराम कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका तथा

4-जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी के अन्तर्गत उतरौला पम्प कैनाल के नहर में ग्राम बीरपुर के पास सायफन के निर्माण के सम्बन्ध में श्री दूधनाथ यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका।

श्री हृदय नारायण सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री हृदय नारायण सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र-सगड़ी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नरहन खास, विकास खण्ड-अजमतगढ़ तहसील सगड़ी के पोखरी (गाटा संख्या-399) से अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में श्री सुधाकर एवं अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

प्रो0 श्याम बिहारी लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

प्रो0 श्याम बिहारी लाल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर के अन्तर्गत एन0एच0-24 से ग्राम रसुईया तक सड़क का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरसिंह यादव व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

2-जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर के ग्राम बरूआ हुसैनपुर से ग्राम नगीरामपुर तक काली सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

---

†छापी नहीं गईं।

3-जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर के ग्राम पढेरा से ग्राम कादरगंज तक सड़क का पुनःनिर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजवीर दिवाकर व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

4-जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड फरीदपुर एन0एच0-24 से पुरानी चुंगी तक सड़क का पुनः निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमिताभ सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका तथा

5-जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड फरीदपुर ग्राम खल्लपुर से ग्राम हृदयपुर तक सड़क का पुनर्निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री डोरीलाल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका।

श्री अंकुर तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सन्तकबीरनगर से सम्बन्धित चार याचिकाएँ†

श्री अंकुर तिवारी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद सन्तकबीरनगर में स्थित थुरंडा इस्लामपुर सगरवा गड़ही के नाले पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय चौधरी एवं अन्य निवासीगण जनपद सन्तकबीरनगर की याचिका,

2-जनपद सन्तकबीरनगर में स्थित ग्राम देवरिया लाल अमला में हिन्दू श्मशान के बगल में नाले पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम नयन शर्मा एवं अन्य निवासीगण जनपद सन्तकबीरनगर की याचिका,

3-जनपद सन्तकबीरनगर में स्थित जिगना नौरंगिया मार्ग के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद सन्तकबीर नगर की याचिका तथा

4-जनपद सन्तकबीरनगर में स्थित बंसडिला चौराहे से मुशरद चौराहे तक नहर की पटरी पर पिच रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण मिश्रा एवं अन्य निवासीगण जनपद सन्तकबीरनगर की याचिका।

श्री अखिलेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ†

श्री अखिलेश, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र-मुबारकपुर में विद्युतीकरण से वंचित गांव सिकंदरपुर बगिहवा में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बहादुर यादव एवं अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

---

†छापी नहीं गईं।

2-जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र-मुबारकपुर के अन्तर्गत ग्राम रावत मऊ में सी0सी0 रोड व कवर्ड नाली के निर्माण के सम्बन्ध में श्री गोविंद एवं अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका तथा

3-जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र-मुबारकपुर के अन्तर्गत हरैया से असोना तक क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कैलाश यादव एवं अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका।

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र हर्रैया के अन्तर्गत लजघटा से रजवापुर से चौविसवा तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

2-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र हर्रैया के अन्तर्गत कुशमौरा डीह से महादेवा-मदनापुर नेवादा मार्ग तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

3-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र हर्रैया के अन्तर्गत एन0एच0-28 छावनी से धेमराजपुर-अर्जुनपुर 10 नं0 ठोकर मार्ग तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

4-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र हर्रैया के अन्तर्गत लमती लोलपुर से सहजौर पाठक, हतौना से कलकारी तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द यादव व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका तथा

5-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र हर्रैया के अन्तर्गत खतमसराय एन0 एच0-28 से नेवरी से नधैड़ा धाम तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोहीत कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका।

---

†छापी नहीं गईं।

श्री अजीत पाल त्यागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद से सम्बन्धित दो याचिकाएँ†

श्री अजीत पाल त्यागी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद गाजियाबाद के वार्ड नं0-16 के ग्राम मोरटा में तालाब की सफाई में पानी की निकासी के लिए पाइप लाइन की व्यवस्था के सम्बन्ध में श्री टीटू मैनेजर एवं अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद की याचिका तथा

2-जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड रजापुर के ग्राम शहपुर निज मोरटा में तालाब की सफाई में पानी की निकासी की व्यवस्था के सम्बन्ध में श्री सुरेश प्रधान एवं अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद की याचिका।

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना में ग्राम-बटजेवरा-रामपाल पुत्र मोमराज के मकान से लगभग 30 घरों के ऊपर 11 हजार के0वी0 की लाइन स्थानान्तरित बिजली घर-बटजेवरा विद्युत वितरण खण्ड ग्रामीण द्वितीय एवं अन्य कतिपय समस्याओं के निदान के सम्बन्ध में श्री शेखर एवं अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

2-जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना में ग्राम-जुल्हैड़ा पीर वाली बस्ती में 10-10 के0वी0 ट्रांसफार्मर के स्थान पर 100 के0वी0 का एक ही ट्रांसफार्मर लगाये जाने एवं अन्य कतिपय समस्याओं के निदान के सम्बन्ध में श्री राहुल शर्मा एवं अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

3-जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र-44, सरधना के अन्तर्गत लोईया बाईपास शाहपुर मढ़ियाई मार्ग एवं कतिपय सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र एवं अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

4-जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र-44, सरधना के अन्तर्गत गड़ीना जमालपुर मार्ग से कुण्डा 800 मीटर कच्ची सड़क के खड़न्जा निर्माण एवं कतिपय सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र एवं अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका तथा

5-जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र-44, सरधना के अन्तर्गत दौराला पानी की टंकी से मछरी मार्ग निर्माण एवं कतिपय सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में श्री शावेज एवं अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका।

---

†छापी नहीं गईं।

श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सन्तकबीरनगर से सम्बन्धित चार याचिकाएँ†

श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद सन्तकबीरनगर के ग्राम केचुआ खोर की छोटी नहर पर पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजलाल यादव व अन्य निवासीगण जनपद सन्तकबीरनगर की याचिका,

2-जनपद सन्तकबीरनगर की विधान सभा क्षेत्र मेंहदावल के ग्राम थरौली में राम जानकी मंदिर व परिसर का जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमितेश त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद सन्तकबीरनगर की याचिका,

3-जनपद सन्तकबीरनगर की विधान सभा क्षेत्र मेंहदावल स्थित क्षतिग्रस्त लोक निर्माण विभाग के डाकबंगला को तोड़कर नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण मिश्रा एवं अन्य निवासीगण जनपद सन्तकबीरनगर की याचिका तथा

4-जनपद सन्तकबीरनगर की विधान सभा क्षेत्र मेंहदावल के ग्राम कांटी (ककटही) में श्री बाबा दुखहरण नाथ चिन्ताहरण नाथ मंदिर व पोखरा का जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रिन्कू त्रिपाठी एवं अन्य निवासीगण जनपद सन्तकबीरनगर की याचिका।

श्री अनिल कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री अनिल कुमार, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद मुजफ्फरनगर के वि0 ख0 सदर के अन्तर्गत ग्राम कल्लरपुर कछौली से शहाबुद्दीन तक लम्बाई लगभग 04 किमी0 तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ठाकुर राहुल व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

2-जनपद मुजफ्फरनगर के वि0 ख0 पुरकाजी के अन्तर्गत ग्राम धमात के राजबाहे की पुलिया एन0 एच0-58 मार्ग लम्बाई लगभग 02 किमी0 तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेंद्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

3-जनपद मुजफ्फरनगर के वि0 ख0 पुरकाजी के अन्तर्गत ग्राम शेरपुर नगला से रामनगर तक लम्बाई लगभग 1.5 किमी0 तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटे प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

---

†छापी नहीं गईं।

4-जनपद मुजफ्फरनगर के वि0 ख0 चरथावल के अन्तर्गत एन0 एच0-59 से रोहाना कला खुर्द लम्बाई लगभग 02 किमी0 तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतबीर त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका तथा

5-जनपद मुजफ्फरनगर के वि0 ख0 चरथावल के अन्तर्गत रोहाना छापर मार्ग से ग्राम रोहान खुर्द सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लोकेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका।

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद चित्रकूट के वि0 ख0 पहाड़ी के ग्राम पंचायत पचोखर, मजरा-मझियार में छत्रपाल वर्मा के दरवाजे से रघुराज यादव के घर तक नाला नव निर्माण लम्बाई लगभग 890 मी0 के सम्बन्ध में श्रीमती सविता देवी एवं अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

2-जनपद चित्रकूट के वि0 ख0 कर्वी के ग्राम रेहुँटा में पुल से राजपाल यादव के घर तक नाली नव निर्माण व प्रेमचन्द्र दर्जी के घर से लक्ष्मी राजपूत के घर दूरी 400 मी0 तक इण्टरलॉकिग निर्माण के सम्बन्ध में श्री रामानन्द एवं अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

3-जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड पहाणी के ग्राम पंचायत पचोखर, मजरा-मझियार में मेन रोड से बैजनाथ के घर तक लम्बाई लगभग 700 मी0 रोड मरम्मत के सम्बन्ध में श्रीमती सविता देवी एवं अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

4-जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड कर्वी के ग्राम खुटहा मे धोबी पुरवा से मेन रोड बिरमा दूरी 200 मी0 तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार एवं अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका तथा

5-जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड कर्वी के ग्राम पंचायत परसौंजा में राजकुमार कोटेदार के घर से चन्दन पटेल के घर के आगे तक लगभग 01 किमी0 तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण करने के सम्बन्ध में श्री कल्लू सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका।

श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद कन्नौज से सम्बन्धित याचिका†

श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद कन्नौज की तहसील तिर्वा के ग्राम खरगापुर में शिव जी के मंदिर पर तार, पोल एवं सोलर लाइट लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामू कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कन्नौज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

---

†छापी नहीं गईं।

श्री अरमान खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री अरमान खान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद लखनऊ के विकास खण्ड मोहनलालगंज के ग्राम करनपुर में किसानों की फसलों की सिंचाई के लिए राजकीय नलकूप लगाए जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश राही व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

2-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम के अन्तर्गत भवानीगंज वार्ड के मोहल्ला मेहंदीगंज में सड़क व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सिद्दीक हसन व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

3-जनपद लखनऊ के नगर निगम वार्ड 2, बिजली पासी किला के गौरी हाइडिल नहर पटरी पर राजा यादव के मकान से विनय के मकान से आगे तक सड़क व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

4-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम के अन्तर्गत राजाजीपुरम के मिनी इन्डोर स्टेडियम का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती सबीह फातिमा व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका तथा

5-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम के अन्तर्गत ग्राम भूहर में बाबा दूध ढेरी के पास से पवन की अमरूद की बगिया के पास तक बने आवासीय मकानों तक सड़क व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इजहार अहमद व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका।

श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित चार याचिकाएँ†

श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद शामली के ग्राम लपराना से नया गांव पीरखेड़ा बाईपास तक क्षतिग्रस्त सड़क की विशेष मरम्मत कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री गजेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

2-जनपद शामली के ग्राम बुटराडा सोटा साल्हा खेड़ी तक क्षतिग्रस्त मार्ग का नव निर्माण/विशेष मरम्मत कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजीव व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

---

†छापी नहीं गईं।

3-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के विकास खण्ड कैराना के ग्राम बघेव से राजबाहे की पटरी ग्राम भैंसवाल तक क्षतिग्रस्त मार्ग की विशेष मरम्मत कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री भारत भूषण व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका तथा

4-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम यूनुसपुर के कस्बे से गुराना तक लगभग 2 किमी0 तक क्षतिग्रस्त मार्ग की विशेष मरम्मत कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रवीन प्रजापती व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका।

श्री आकाश सक्सेना, सदस्य, विधान सभा की जनपद रामपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री आकाश सक्सेना, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र-37, रामपुर नगर के अन्तर्गत ग्राम दबका से ग्राम अफजलपुर पट्टी वाया चमरपुरा तक डामर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम गोपाल एवं अन्य निवासीगण जनपद रामपुर की याचिका,

2-जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र-37, रामपुर नगर के अन्तर्गत ग्राम तुमडिया से ग्राम मगरमऊ तक डामर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम औतार लोधी एवं अन्य निवासीगण जनपद रामपुर की याचिका,

3-जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र-37, रामपुर नगर के अन्तर्गत ग्राम अफजलपुर पट्टी से ग्राम अफजलपुर तक डामर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम बहादुर एवं अन्य निवासीगण जनपद रामपुर की याचिका,

4-जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र-37, रामपुर नगर के अन्तर्गत ग्राम शाहबाद-रामपुर मार्ग से फैजनगर तक डामर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र एवं अन्य निवासीगण जनपद रामपुर की याचिका तथा

5-जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र-37, रामपुर नगर के अन्तर्गत ग्राम हरदासपुर से ग्राम परतापुर-भेरकी तक डामर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुंवर बहादुर एवं अन्य निवासीगण जनपद रामपुर की याचिका।

श्री आशु मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएँ†

श्री आशु मलिक, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद सहारनपुर नगर निगम के अन्तर्गत आने वाली 32 ग्राम पंचायतें एवं मऊ एकता कालोनी में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोहित राणा व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका तथा

---

†छापी नहीं गईं।

2-जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड पुवांरका के अन्तर्गत ग्राम मुगलमजरा से लेकर छजपुरा पीपल तक सम्पर्क मार्ग (लगभग 3 कि0मी0) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अहकाम व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका।

श्री कमाल अख्तर, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री कमाल अख्तर, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ में ग्राम गुलडिया माफी से मिलक अमावती तक रपटा एवं मिसिंग लिंक मार्ग बनाए जाने के सम्बन्ध में श्री मौ0 नादिर एवं अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका,

2-जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ में ग्राम मुस्तफापुर खंडसाल से ग्राम सलवाखेड़ा तक रपटा एवं मिसिंग लिंक मार्ग बनाए जाने के सम्बन्ध में श्री मौ0 शाहनवाज एवं अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका,

3-जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ में ग्राम मनकुआ मकसूदपुर से जमशेदपुर तक सड़क मार्ग की मरम्मत व सुधार कार्य के सम्बन्ध में श्री मौ0 रहमान एवं अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका,

4-जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ में ग्राम गजरौला सैद के तालाब से धारक नगल मेन रोड की पुलिया तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री मौ0 नासिर एवं अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका तथा

5-जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ में ग्राम वाजिदपुर से गुलडिया मार्ग तक रपटा एवं मिसिंग लिंक मार्ग बनाए जाने के सम्बन्ध में श्री मौ0 रिजवान एवं अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका।

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित चार याचिकाएँ†

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के ग्राम इटबरा से शरदहा शुक्ल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम सिंह व अन्य निवासी जनपद बस्ती की याचिका,

2-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के ग्राम बेलघाट से बैदोलिया अजायब तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजीत चौधरी निवासी जनपद बस्ती की याचिका,

---

†छापी नहीं गईं।

3-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के ग्राम सांवडीह पोखरहा गांव से बलुवा चौबे तक नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गंगा राम वर्मा निवासी जनपद बस्ती की याचिका तथा

4-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के ग्राम हलुवा मार्ग से बहादुरपुर तक नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र यादव निवासी जनपद बस्ती की याचिका।

श्री गणेश चन्द्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद सन्त कबीर नगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री गणेश चन्द्र, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद सन्तकबीरनगर के ब्लाक नाथनगर के अन्तर्गत पी0डब्लू0डी0 मार्ग से नवोदय विद्यालय होते हुए जगदीशपुर गौरा तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामसूरत गौड़ व अन्य निवासीगण जनपद संतकबीरनगर की याचिका,

2-जनपद सन्तकबीरनगर के ब्लाक नाथनगर में पी0डब्लू0डी0 मार्ग से भिनखनी खरवनईया तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरीश भर व अन्य निवासीगण जनपद संतकबीरनगर की याचिका,

3-जनपद सन्तकबीरनगर के ब्लाक नाथनगर के अन्तर्गत पी0डब्लू0डी0 मार्ग से समय माता मंदिर होते हुए ग्राम जोगाराजा तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचेत व अन्य निवासीगण जनपद संतकबीरनगर की याचिका,

4-जनपद सन्तकबीरनगर के ब्लाक नाथनगर के अन्तर्गत ग्राम कठैचा से जमीरा मार्ग तक विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधाकर व अन्य निवासीगण जनपद संतकबीरनगर की याचिका तथा

5-जनपद सन्तकबीरनगर के ब्लाक हैसर के अन्तर्गत ग्राम अशरफपुर से ढेबरी होते हुए हकीमपुर तक मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जनमेजर मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद सन्तकबीरनगर की याचिका।

श्री गौरव कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री गौरव कुमार, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बाराबंकी विधान सभा क्षेत्र जैदपुर जनपद बाराबंकी के ब्लाक हरख में बाराबंकी-हैदरगढ़ मार्ग से प्राथमिक विद्यालय भानमऊ क्षतिग्रस्त मार्ग लम्बाई 1 किमी0 की

---

†छापी नहीं गईं।

मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुस्तफा एवं अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका,

2-जनपद बाराबंकी विधान सभा क्षेत्र जैदपुर के ब्लाक हरख के ग्राम खपुरवा में सड़क का नवनिर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र यादव एवं अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका,

3-जनपद बाराबंकी विधान सभा क्षेत्र जैदपुर के ब्लाक मसौली के रहरामऊ-सिकन्दरपुर क्षतिग्रस्त मार्ग लम्बाई 2 किमी0 की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 इब्राहिम एवं अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका,

4-जनपद बाराबंकी विधान सभा क्षेत्र जैदपुर के ब्लाक सिद्धौर के ग्राम खलेकपुरवा में सड़क का नवनिर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार एवं अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका तथा

5-जनपद बाराबंकी विधान सभा क्षेत्र जैदपुर के ब्लाक मसौली के ग्राम सफदरगंज में सड़क का नवनिर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमचन्द्र यादव एवं अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका।

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी) सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद-जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई के अन्तर्गत रगौली से सदरा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंकित रावत एवं अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

2-जनपद-जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई के अन्तर्गत वीरपुरा से मकरन्दपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ऋषि श्रीवास्तव एवं अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

3-जनपद-जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई के अन्तर्गत कुरकुरू सैदनगर मार्ग से स्योढ़ी मार्ग तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय राठौर एवं अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

4-जनपद-जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई के अन्तर्गत ग्राम-सतोह से ग्राम-चन्दुरा तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र पटेल एवं अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका तथा

---

†छापी नहीं गईं।

5-जनपद जालौन के उरई नगर में कोंच बस स्टैण्ड पर पार्क का निर्माण एवं पं0 दीनदयाल उपाध्याय के नाम से चौराहा बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका।

श्री चन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री चन्दपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र डिबाई के ग्राम जरगवां में पानी की टंकी से ग्राम नंगला गर्वी सम्पर्क मार्ग में इण्टरलॉकिंग कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक अनूपशहर के अन्तर्गत ग्राम ऐंचोरा में कालीचरन के मकान से नहर के पक्के घाट तक की सड़क का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदनपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

3-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक डिबाई के अन्तर्गत रामघाट कल्याण मार्ग से ग्राम नगला विधि तक के मार्ग का खडन्जा द्वारा नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

4-जनपद बुलन्दशहर के ब्लॉक डिबाई के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जरगवां के माजरा नगला कोठी से ग्राम नगला विधि सम्पर्क मार्ग तक इण्टरलॉकिंग द्वारा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गजराज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

5-जनपद बुलन्दशहर के ब्लॉक अनूपशहर के अन्तर्गत ग्राम सोरखा में प्रभात शर्मा के घर से पुलिया तक के मार्ग को आर0सी0सी0 द्वारा नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभात शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

श्री चेतराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री चेतराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाक बण्डा के अन्तर्गत प्राचीन शिव मंदिर (एकोत्तरनाथ) को जाने वाली सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामखेलावन व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

---

†छापी नहीं गईं।

श्री बाबू लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री बाबू लाल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद आगरा के ब्लाक-फतेहपुर सीकरी के ग्राम मगौली खुर्द से राजस्थान सीमा तक सड़क निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

2-जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी कागारौल मार्ग पर फतेहपुर सीकरी में रेल उपरिगामी मार्ग का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री होशियार सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

3-जनपद आगरा के ब्लाक-फतेहपुर सीकरी के ग्राम सामरा से दाऊदपुर से हनुमान मन्दिर तक सड़क निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

4-जनपद आगरा के ब्लाक-फतेहपुर सीकरी के ग्राम सामरा की चारागाह की भूमि पर गौशाला का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री छिदन सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका तथा

5-जनपद आगरा के ब्लाक-फतेहपुर सीकरी के ग्राम सहनपुर सामरा मार्ग से हवेली वाले हनुमान मन्दिर तक सड़क निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री टिकेन्दर सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका।

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत चांद दियर के मौजा फिरंगी टोला में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुमेर यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

2-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत रेवती-बैरिया मार्ग से अचलगढ़ होते हुए नौकी गांव चट्टी तक मार्ग का विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार पाण्डेय निवासी जनपद बलिया की याचिका,

3-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत मझौवा-दुधैला मार्ग से दुधैला ग्राम होते हुए छोटकी बेलहरी मार्ग का नवनिर्माण/विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पृथ्वीचन्द्र पासवान निवासी बलिया की याचिका,

---

†छापी नहीं गईं।

4-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के लालगंज से शिवकपुर कपूर-दियर गंगा घाट तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री एकराम यादव निवासी जनपद बलिया की याचिका तथा

5-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के शिवपुर कपूर-दियर के मौजा सेमरिया का डेरा, गड़ेरिया व जगदीशपुर को गंगा नदी के कटान से बचाने के लिए रिंग बांध का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शेभनाथ यादव निवासी जनपद बलिया की याचिका।

श्री जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानंद, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानंद, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बरखेडा ब्लाक मरौरी तहसील खटिमा न्यू बाईपास रोड ग्राम पौटा खुर्द के पास से टनकपुर रोड पिपरिया अगरू तक दो छोटी पुलिया सहित सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सरोज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,

2-जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बरखेडा के अन्तर्गत ब्लॉक मरौरी में महोफ रोड कुकरा से पीराताल रम्पुरा होते हुए सैजना सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्दनलाल व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,

3-जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बरखेडा के अन्तर्गत तहसील बीसलपुर ग्राम हिम्मतपुर से इलावास मेले सम्पर्क मार्ग तक का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामगोपाल पासवान व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,

4-जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बरखेडा के अन्तर्गत तहसील बीसलपुर ग्राम पिपरईया रामगोपाल पासवान के घर से बलदेवपुर होते हुए हाई-वे तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामगोपाल पासवान व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका तथा

5-जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बरखेडा के अन्तर्गत ब्लॉक मरौरी में बिठौरा कला से जार कल्लिया तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मथुरा प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका।

---

†छापी नहीं गईं।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित चार तथा जनपद इटावा से सम्बन्धित एक याचिका†

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद झांसी में सोलर पावर प्रा0 लि0 कम्पनी द्वारा किसानों की भूमि को फर्जी तरीके से एग्रीमेंट कराकर 20 वर्ष की जगह 30 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवचरण व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

2-जनपद झांसी में छावनी हेतु किसानों से अधिगृहीत की गयी भूमि पर पात्र किसानों को पुनर्वास हेतु पट्टे दिये जाने एवं नौकरी व अन्य सुविधायें दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री हरीकृष्ण व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

3-जनपद-झांसी में ग्राम सारमऊ, तहसील-झांसी के अन्तर्गत अम्बाबाय रजवाहा (नहर) में अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा, सिंचाई निर्माण खण्ड-5, झांसी द्वारा भुगतान कराने के सम्बन्ध में श्रीमती मीना पटैरिया एवं अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

4-जनपद इटावा नगला थाना बलरई तहसील जसवन्त नगर के गाटा सं0 1236, 1238, 1216, 1235 भूमि पर से अवैध कब्जा हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम बाबू एवं अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका तथा

5-जनपद-झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र में दमोह-समथर-सिकंदरा स्टेट हाई-वे पर चितगुआं गांव के पास हमीरपुर रजबहा पर बने पुल का डिजाइन बदलकर पुनर्निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामराजा राजपूत एवं अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका।

श्री जियाउर्रहमान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ†

श्री जियाउर्रहमान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र-29, कुन्दरकी के अन्तर्गत नोरना शेखूपुरा से खुरमनगर बीचालो तक लम्बाई लगभग 3.00 किमी0 सड़क का नवनिर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुनशाद व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका,

2-जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र-29, कुन्दरकी के अन्तर्गत कुन्दरकी गोट से सकदुनगला तक सड़क का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजमत व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका तथा

---

†छापी नहीं गईं।

3-जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र-29, कुन्दरकी के अन्तर्गत कुन्दरकी में विद्युत तारों की हालत बहुत ही जर्जर एवं खराब है तथा ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़वाये जाने एवं जर्जर विद्युत तार बदलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सफी व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका।

श्री तसलीम अहमद, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री तसलीम अहमद, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के ग्राम लालपुर सौजीमल से बालावाली रेलवे स्टेशन तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्तेजार अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

2-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के भागूवाला कांशीरामपुर जालपुर मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नफीस अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

3-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के ग्राम चन्दक से पूंडरीकलां सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनीस अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

4-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के ग्राम पानाहीमपुर से रानीकोटा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महताब अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका तथा

5-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के ग्राम समीपुर में टंकी के पास से ईदगाह सम्पर्क मार्ग का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री आफताब अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका।

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-279, आलापुर के विकास खण्ड जहांगीरगंज के ग्राम सिंघल पट्टी सैथुआ सम्पर्क मार्ग से ग्राम इन्दौपुर घिनहा (पोखरा) तक शून्य से लेपन/पिच नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश यादव एवं अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

---

†छापी नहीं गईं।

2-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-279, आलापुर के विकास खण्ड रामनगर के बसखारी, जहांगीरगंज मार्ग पर ग्राम हिरामपुर में बुद्धिराम यादव के घर से शुरू होकर प्राथमिक विद्यालय बहरामपुर तक शून्य से लेपन/पिच नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सेवाराम यादव एवं अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

3-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-279, आलापुर के विकास खण्ड रामनगर के ग्राम विमावल (धुसवापुर) में सरावां विमावल मार्ग के दक्षिण राजितराम यादव एच0एल0 डिग्री कालेज से होते हुए मंगरू राम के ट्यूबवेल तक सी0सी0 मार्ग नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आसित मौर्य एवं अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

4-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-279, आलापुर के विकास खण्ड जहागीरगंज के नरियाव, सिकन्दरपुर मुख्य मार्ग पर ग्राम गुलरहा में घूरहू यादव के घर के बगल के पश्चिम से हाजीपुर होते हुए ग्राम लखनडीह तक शून्य से लेपन/पिच नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पप्पू यादव एवं अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका तथा

5-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-279, आलापुर के विकास खण्ड रामनगर के ग्राम हुसेनपुर खुर्द से कटघर, लखनडीह मार्ग पर बुढ़वा बाबा स्थान से होते हुए हीरा निषाद के घर तक शून्य लेपन/पिच नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंकित वर्मा एवं अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका।

श्री देवेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज से सम्बन्धित चार याचिकाएँ†

श्री देवेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र-100 कासगंज, सदर के अन्तर्गत ग्राम बिरसुआ में आबादी क्षेत्र में 500 मी0 रोड टूटा व जर्जर मार्ग पर सी0सी0 रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री भेद सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका,

2-जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र-100, कासगंज, सदर के अन्तर्गत ग्राम नगला तकदीर में आबादी क्षेत्र में 250 मीटर रोड पर सी0सी0 रोड का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुनेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका,

3-जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र-100, कासगंज, सदर के अन्तर्गत ग्राम मेमड़ी में आबादी क्षेत्र में (150 मी0 लम्बाई लगभग) सी0सी0 रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम प्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका तथा

---

†छापी नहीं गईं।

4-जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत करसरी के मजरा नगला अण्डौआ में ट्रांसफार्मर आबादी क्षेत्र से हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रभान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका।

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के खानपुर-बसी मार्ग से ग्राम थाना तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री यागेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के ग्राम बरोली खानपुर मार्ग से गिनोरा नगली तक निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

3-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के ग्राम ईशनपुर से ग्राम ढक्का सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

4-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के ग्राम सुलेला जलालपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रीता लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

5-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के ग्राम कपसाई से बलरामपुर होते हुए मवाई तक के मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

श्री निर्मल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री निर्मल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद सीतापुर की तहसील बिसवां थाना सकरन से ब्लाक मुख्यालय साण्डा को सीधे जोड़ने के लिये छोटी किवानी नदी पर ग्राम बेलवा बसैहिया में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रभाल चौरसिया व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

2-जनपद सीतापुर के अन्तर्गत तहसील मुख्यालय बिसवां में युवाओं के खेलकूद प्रोत्साहन हेतु स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

---

†छापी नहीं गईं।

3-जनपद सीतापुर के अन्तर्गत तहसील बिसवां के ब्लाक मुख्यालय सकरन को सीधे जोड़ने हेतु छोटी नदी पर ग्राम टेडवाकलां में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहले राम व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

4-जनपद सीतापुर के अन्तर्गत तहसील बिसवां में शारदा सहायक नहरपुल भिठमनी से ग्राम बड़हरपुरवा होते हुए गजनीपुर बाजार सरैयांकला मार्ग तक पेन्टेड सड़क निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री परशुराम, निवासी जनपद सीतापुर की याचिका तथा

5-जनपद सीतापुर के अन्तर्गत तहसील बिसवां ग्रामीण अंचल के कई ग्रामों को मुख्यालय से जोड़ने हेतु सकरन खुर्द से पचदेवरा कौव्वा खेडा होते हुए पुरैना तक पेन्टेड सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय वर्मा, निवासी जनपद सीतापुर की याचिका।

श्री पंकज गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर व जनपद उन्नाव से सम्बन्धित एक-एक याचिका†

श्री पंकज गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद कानपुर के कानपुर विकास प्राधिकरण में शामिल किए गए जनपद उन्नाव की तहसील सदर के 29 ग्रामों को उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण में वापस करने के सम्बन्ध में श्री राकेश सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका तथा

2-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सदर के गंगाघाट में राजकीय महाविद्यालय स्थापित कराने के सम्बन्ध में श्री मनोज सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

श्री पंकज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गौतमबुद्धनगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री पंकज सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद गौतमबुद्धनगर के राईजिंग होम्स, सेक्टर-53 में गंगा वाटर सप्लाई कनेक्शन के सम्बन्ध में श्री हितेष चौहान एवं अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर की याचिका,

2-जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्राम-गढ़ी चौखण्डी में श्मशान घाट तक जाने वाले सड़क के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में श्री राम निवास यादव एवं अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर की याचिका,

3-जनपद गौतमबुद्धनगर के अट्टा, सेक्टर-27 मार्केट में पार्किंग की समस्या के सम्बन्ध में श्री रवि अवाना एवं अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर की याचिका,

---

†छापी नहीं गईं।

4-जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्राम आगाहपुर में श्मशान घाट/मरघट पर चाहर दिवारी, पेयजल की व्यवस्था, बैठने के लिए शेड/बेंच आदि के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर की याचिका तथा

5-जनपद नोएडा के सेक्टर-76 में सोसाइटियों के पास पार्क निर्माण के सम्बन्ध में श्री सचिन गोयल एवं अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर की याचिका।

श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड करछना के ग्राम सभा भरोहा में नाली, चकमार्ग के मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

2-जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड करछना के ग्राम सभा बेंदौ मार्ग से विनोद श्रीवास्तव के घर तक सड़क मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बनवारी लाल पटेल व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

3-जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड करछना के ग्राम सभा रोकड़ी में लाल बहादुर के कुआं से परमानंद के घर तक नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल बहादुर गौतम व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

4-जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड करछना के ग्राम सभा सारंगापुर में प्राचीन मंदिर के सामने पक्की नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शशि दुबे व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका तथा

5-जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड चाका के ग्राम सभा सुल्तनवा, बलीपुर में 63 के0वी0ए0 ट्रान्सफार्मर की जगह पर 100 के0वी0ए0 ट्रान्सफार्मर लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका।

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत ग्राम बलीपुरा से सुरी के घर से मन्दिर तक लम्बाई लगभग 100 मी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जहान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

---

†छापी नहीं गईं।

2-जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत ग्राम कैथरा में नाले के पुल से रमेश के घर तक लम्बाई लगभग 350 मी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

3-जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत ग्राम नगर बीसा कालोनी में शरीफ की दुकान से आकिल के घर तक लम्बाई लगभग 100 मी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमप्रकाश लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

4-जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत ग्राम बहलीमपुरा में कब्रिस्तान रोड से निगम के प्लॉट तक लम्बाई लगभग 100 मी0 सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री जहान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

5-जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत ग्राम बसेन्द्रा में खोखाराम के घर से समीर के घर तक लम्बाई लगभग 100 मी0 सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बलजीत प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ†

श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र औरैया सदर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गदनपुर में फफूंद-औरैया रोड से ग्राम रोशनपुर होते हुए गदनपुर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिषेक कुमार व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका,

2-जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र दिबियापुर के अन्तर्गत ग्राम महेवा-अछलदा रोड से होते हुए घसारा रोड तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चंद्र प्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका तथा

3-जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र दिबियापुर के अन्तर्गत ग्राम नगला परमाई से नगला छत्तर तक सड़क नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रजेन्द्र दिवाकर व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका।

श्री प्रदीप शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री प्रदीप शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सहजनवां के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रानीपुर टोला जगदीशपुर में श्री ब्रम्हा पासवान के घर से श्री अमर नाथ बेलदार के घर तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम प्रकाश चौरसिया व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका,

---

†छापी नहीं गईं।

2-जनपद गोरखपुर विकास खण्ड सहजनवां के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बैजलपुर में इण्टर कालेज से रावतपार सिवान तक पिच रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मराज गोड़ व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका,

3-जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सहजनवां के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मझौरा से कुचडेहरी वाचनालय होते हुए नहर पुलिया तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गौरव गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका,

4-जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सहजनवां के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अनन्तपुर में श्री मकोले के खेत से श्री त्रिलोकी निषाद के आगे तक पिच रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम प्रकाश यादव व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका तथा

5-जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सहजनवां के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रानीपुर में प्राथमिक विद्यालय के पश्चिम से भुदई सिवान, भरवल से श्री झीनक बेलदार के घर होते हुए श्री महेन्द्र उपाध्याय के घर तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका।

श्री प्रवीण पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री प्रवीण पटेल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र फूलपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा 2 हेतापट्टी में आधुनिक पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

2-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र फूलपुर के अन्तर्गत शास्त्री पुल से हण्डिया तक फोरलेन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लल्लू प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

3-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र फूलपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा कोटवा, जमुनीपुर, ककरा दुबावल में सिंचाई की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री धनंजय मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

4-जनपद प्रयागराज में प्रयागराज से अंदावा तक मेट्रो रेल सेवा शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविंद सिंह व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका तथा

5-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र फूलपुर के अन्तर्गत मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप दुबे व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका।

---

†छापी नहीं गईं।

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद शामली के ग्राम-अंगदपुर में स्थित राजकीय इण्टर कालेज के नाम में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में श्री मन्चवीर एवं अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

2-जनपद शामली के मोहल्ला बरखण्डी में प्रहलाद मेम्बर वाली गली जिसकी लम्बाई 250 मी0 सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजीत एवं अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

3-जनपद शामली में विकास नगर लांसर पब्लिक स्कूल वाली गली से लेकर डा0 देवेन्द्र मलिक के मकान तक लम्बाई लगभग 500 मी0 सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीश मुखिया एवं अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

4-जनपद शामली के विकास खण्ड कांधला के फजलपुर राजवाहे पटरी लगभग 10 किमी0 मार्ग का चौड़ीकरण/नवीनीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री योगेश व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका तथा

5-जनपद शामली के विकास खण्ड शामली के दिल्ली-सहारनपुर हाई-वे से ग्राम बलवा तक 1 किमी0 मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका।

श्री प्रेम सागर पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री प्रेम सागर पटेल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद महाराजगंज के सिसवा के अन्तर्गत चैनपुर-सोनबरसा में निर्माणाधीन लघु सेतु को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका,

2-जनपद महराजगंज के सिसवा बाजार में कृषि उत्पादन मण्डी समिति बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री नथुनी सिंह व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका,

3-जनपद महराजगंज के बन्द चीनी मिल गड़ौरा पर किसान का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रवीन पटेल व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका,

---

†छापी नहीं गईं।

4-जनपद महाराजगंज के अन्तर्गत चैक निचलौल मार्ग पर टीकर में छोटी नहर पर लघु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री निपेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद महाराजगंज की याचिका तथा

5-जनपद महाराजगंज के अन्तर्गत चैक निचलौल तहसील में जहदा में ब्लाक बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद महाराजगंज की याचिका।

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड मियाँगंज की नगर पंचायत रसूलाबाद में माता मान शिला देवी गेट से बरगद के पेड़ तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र कुमार बाजपेई व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

2-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर के ग्राम सभा पावा में उच्च प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम रतन व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड मियाँगंज के ग्राम सभा सहबसी मजरा नौहाई बुजुर्ग में दीपू की दुकान से जमील के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश कनौजिया व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

4-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत 313 ग्रामों में रिवैम्प योजना अन्तर्गत जर्जर विद्युत लाइन बदलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका तथा

5-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड मियाँगंज के ग्राम पंचायत असीवन तरफ कादिरपुर में पंचायत भवन की बाउन्ड्री का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कन्नौजिया व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

श्री बाबूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री बाबूराम, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद पीलीभीत के विकास खण्ड पूरनपुर के अन्तर्गत पुरैना दीपनगर सम्पर्क मार्ग तक डामर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कर्म सिंह व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,

---

†छापी नहीं गईं।

2-जनपद पीलीभीत के तहसील कलीनगर के अन्तर्गत ग्राम बसन्तपुर नरौरा सम्पर्क मार्ग तक डामर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,

3-जनपद पीलीभीत के विकास खण्ड पूरनपुर के अन्तर्गत पिपरिया सन्तोष सम्पर्क मार्ग तक डामर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री छेदालाल व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,

4-जनपद पीलीभीत के विकास खण्ड पूरनपुर के अन्तर्गत पीलीभीत बस्ती मार्ग से जेठापुर होते हुए वक्तापुर मार्ग तक डामर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अहिवरन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका तथा

5-जनपद पीलीभीत के विकास खण्ड पूरनपुर के अन्तर्गत रम्मपुरा फकीरे से कटैया होते हुए अमरैया खाता लिंक मार्ग तक डामर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित दो याचिकाएँ†

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद आगरा की तहसील खैरागढ़ के ब्लाक जगनेर में ग्राम शाहगंज से सिगरावली राजस्थान बार्डर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गंगा सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका तथा

2-जनपद आगरा की तहसील खैरागढ़ के ब्लॉक जगनेर में ग्राम नगला (भवनई) से उसरा एवं करवल (सिगाईच) तक सड़क का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमले सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका।

श्री भूपेश चौबे, सदस्य, विधान सभा की जनपद सोनभद्र से सम्बन्धित चार याचिकाएँ†

श्री भूपेश चौबे, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद सोनभद्र के ब्लाक कोन के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कचनरवा में पचखेड़ी में महुआ नाला पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वंशीधर व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका,

2-जनपद सोनभद्र के ब्लाक कोन के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बागेसोती में घंटी पिपरहवा नाला पर पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम किशोर जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका,

---

†छापी नहीं गईं।

3-जनपद सोनभद्र के ब्लाक राबर्टसगंज ग्राम पंचायत पीथा में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका तथा

4-जनपद सोनभद्र के ब्लाक चतरा में ग्राम पंचायत चतरा में मिडिल स्कूल के पास खेल के मैदान में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका।

श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड-पडरौना के नगर क्षेत्र में पडरौना मेन बाजार शुगर फैक्ट्री सायरी माई मन्दिर से बकुल्हा चौराहे तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मन्टू जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

2-जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड-पडरौना में पडरौना खड्डा मार्ग से शुक्ल चौराहे से कुकरहा चौराहे तक 1 किमी0 सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवि जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

3-जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड-विशुनपुरा सुधौली नहर की पटरी से घूर छपरा मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

4-जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड-विशुनपुरा में सुरवरिया दान्तोपुर लम्बाई मार्ग लगभग 4.00 किमी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका, तथा

5-जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड-विशुनपुरा में डबनी बाजार से सिसवा गोईती लाला टोला तक 500 मी0 पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय राय व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका।

श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ तथा जनपद लखनऊ व उन्नाव से सम्बन्धित एक-एक याचिका†

श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के अन्तर्गत गांगूपुर घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुजीत कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सीतपुर की याचिका,

---

†छापी नहीं गईं।

2-जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के अन्तर्गत छूला शिवपुरी घाट-गोमती नदी तट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

3-जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रायपुर देव सिंह में आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र कुमार बाबा व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

4-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम के अन्तर्गत ब्रह्मपुरी इन्दिरानगर में निवासियों द्वारा सड़क पर किये गये अवैध कब्जे/अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री हरीष गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका तथा

5-जनपद उन्नाव, विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पिंजरा में पट्टे पर आवंटित कृषि भूमि से अवैध कब्जा हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन कुमार व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार के अन्तर्गत श्रीमती ममता, उचित दर विक्रेता के विरूद्ध 3/7 का मुकदमा एवं जाँच अधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी की जाँच कराने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

2-जनपद रायबरेली में विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में 132 के0वी0ए0 का बिजली घर स्थापित करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

3-जनपद रायबरेली में एन0टी0पी0सी0 तापीय परियोजना ऊंचाहार द्वारा प्रदूषण रोकने के सम्बन्ध में श्री आशीष कुमार तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

4-जनपद रायबरेली में सलेमपुर में एक बारात घर एवं ग्राम पंचायत मुर्शिदाबाद में आंगनबाड़ी केन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में श्री कमलेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका तथा

5-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊंचाहार में मुबारकपुर से स्मृति पटेल कन्या महाविद्यालय तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका।

---

†छापी नहीं गईं।

श्री महबूब अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित चार याचिकाएँ†

श्री महबूब अली, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद अमरोहा, के विधान सभा क्षेत्र अमरोहा में तोफापुर से शिव मन्दिर होते हुए पलौला सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री मुनाजिर मलिक व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका,

2-जनपद अमरोहा, के विधान सभा क्षेत्र अमरोहा में शाहपुर सहसपुर अलीनगर मार्ग से गंगदासपुर तक का सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बब्बू एवं अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका,

3-जनपद अमरोहा, के विधान सभा क्षेत्र अमरोहा में चुबका बूढनपुर मार्ग पर रसूलपुर गुर्जर से अमरोहा-सहसपुर चौधरपुर मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीवीरपाल सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका तथा

4-जनपद अमरोहा, के विधान सभा क्षेत्र अमरोहा में ग्राम-गंगादासपुर से खैरोवाली मढैया तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री गयूर अहमद एवं अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका।

श्री मुकेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री मुकेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ में ग्राम काजीपुरा से ग्राम बिडवी तक लोक निर्माण विभाग द्वारा काली सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधीर राठौर व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

2-जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ के ग्राम शहजहांपुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित काली सड़क के आबादी क्षेत्र में सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जसमेर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

3-जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ के ग्राम हरपाल में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित काली सड़क के आबादी क्षेत्र में सी0सी0 सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री नवीन कुमार व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

4-जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ के ग्राम नगला नसीराबाद में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित काली सड़क के आबादी क्षेत्र में सी0सी0 सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री आजाद कुमार कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका तथा

---

†छापी नहीं गईं।

5-जनपद सहारनुपर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ के ग्राम लुंडी में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित काली सड़क के आबादी क्षेत्र में सी0सी0 सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री विकास कुमार व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका।

श्री मूलचन्द सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री मूलचन्द सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद जालौन, तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत रामपुरा से सिद्धपुरा मार्ग पर वैहलावली के पास ध्वस्त मार्ग का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेंद्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

2-जनपद जालौन, तहसील कोंच के अन्तर्गत कोंच कैलिया रोड से बरोद कलां सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत/पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र विश्वकर्मा व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

3-जनपद जालौन, तहसील कोंच के अन्तर्गत कोंच उरई मनौरी रोड से दिरावटी होकर भेंड़ तक सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत/पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सौरभ पुरवार व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

4-जनपद जालौन, तहसील कोंच के अन्तर्गत व्यौना राजा से जैतपुरा एवरा सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत/पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इंद्रजीत पाल व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका तथा

5-जनपद जालौन, तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत शेखपुर अहीर से जालौन खुर्द सम्पर्क मार्ग पर क्षतिग्रस्त नहर के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका।

श्री मो0 ताहिर खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री मो0 ताहिर खान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद सुल्तानपुर के ग्राम सभा धम्मौर मार्ग से अमेठी बार्डर तक लम्बाई लगभग 3 किमी0 सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में अभय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका,

2-जनपद सुल्तानपुर के ग्राम विनायकपुर में राजपुर बेला पश्चिम सम्पर्क मार्ग से हरिहरपुर (विनायकपुर) तक लम्बाई लगभग 3 किमी0 सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में सुरेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका,

---

†छापी नहीं गईं।

3-जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र इसौली के अन्तर्गत ग्राम मिर्जा का पुरवा, ग्राम सभा-बरसावां में 16 के0वी0 ट्रांसफार्मर के स्थान पर 25 के0वी0 का ट्रांसफार्मर लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री जाहिद बेग व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका,

4-जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र इसौली के अन्तर्गत ग्राम पिटैला, ब्लाक बल्दीराय में 63 के0वी0 ट्रांसफार्मर के स्थान पर 100 के0वी0 का ट्रांसफार्मर लगवाये जाने के सम्बन्ध में मो0 राशिद व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका तथा

5-जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र इसौली के अन्तर्गत ग्राम दौनो, ब्लाक बल्दीराय में 25 के0वी0 ट्रांसफार्मर के स्थान पर 63 के0वी0 का ट्रांसफार्मर लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनवर अंसारी व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका।

श्री मो0 हसन रूमी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद से सम्बन्धित एक तथा जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित चार याचिकाएँ†

श्री मो0 हसन रूमी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद फर्रूखाबाद की तहसील फतेहगढ़ के अन्तर्गत ग्राम राजारामपुर मेंई में याची के घर से समीद खाँ के घर तक सड़क एवं नाली का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अफसर खाँ निवासी जनपद फर्रूखाबाद की याचिका,

2-जनपद कानपुर नगर के जिला अस्पताल उर्सला में मुफ्त एम0आर0आई0 व सी0टी0 स्कैन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

3-जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र कैण्ट (छावनी) के अन्तर्गत वार्ड सं0-47 में पी0एल0डी0 इण्टर कालेज से शनिदेव मंदिर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आर्यन यादव व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

4-जनपद कानपुर नगर के टाटमिल चौराहा से नया पुल (बाबू पुरवा थाना) तक एलिवेटेड पुल के नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हाजी कामरान व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका तथा

5-जनपद कानपुर नगर के पनकी परियोजना के अन्तर्गत विद्युत परिषद इण्टर कालेज, पनकी कानपुर में 3 की जगह 7 प्रवक्ताओं की पदोन्नति व प्रवक्ताओं के पदों को कम किये जाने के सम्बन्ध में श्री करूणेश श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका।

---

†छापी नहीं गईं।

श्री मोहन वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री मोहन वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुईं मानी गयीं :-

1-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में अहिरौली महुअवा मार्ग से सरस्वती विद्या मन्दिर स्कूल तक 200 मीटर सी0सी0 रोड़ का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

2-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के ब्लाक सुकरौली के अन्तर्गत सेन्दूआर चौराहे से पिराइच पश्चिम छोर तक 500 मीटर सड़क, नाली एवं आर0सी0सी0 निर्माण के सम्बन्ध में श्री अजीत सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

3-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के ब्लाक मोतीचक के अन्तर्गत खेटटा राजवाहा से सितुहिया माइनर पर फुर्सत पूर चौराहे तक नहर पटरी 300 मीटर सी0सी0 निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उदयभान कुशवाहा एवं अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

4-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के ब्लाक सुकरौली के अन्तर्गत मन्झरिया देवी जाने वाले नाउ मुन्डा सड़क पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द वर्मा एवं अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका तथा

5-जनपद कुशीनगर के विधान सभा हाटा के ब्लाक हाटा के अन्तर्गत रामनगर रामपुर बुजुर्ग से करमही 200 मीटर सी0सी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजन गौड़ एवं अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम खाता में एन के स्कूल से करसरा मार्ग तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री कमल सिंह निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

2-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम दिनौरा में प्राइमरी स्कूल से श्मशान घाट तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामवीर निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

---

†छापी नहीं गईं।

3-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम देवरी में नरेश के मकान से ग्राम रतनपुर मार्ग तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री शिशपाल निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

4-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम बनियाठेर से ग्राम नरसरा तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका तथा

5-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के यशोदा आईटीआई से ग्राम बगपुरा मोड़ तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विकास कुमार निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका।

श्री योगेश शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†

श्री योगेश शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ, पिंक सिटी, मिर्जापुर बख्शी का तालाब जानकीपुरम् में श्री प्रकाश मिश्रा के घर से श्री शशांक सिंह के घर तक नाली व सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार वर्मा एवं अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में नगर पंचायत बदलापुर के अन्तर्गत भीमपुर राजबाहा पर विठुआकला रेलवे क्रासिंग के बगल निषाद बस्ती के सामने पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश निषाद व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

2-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में विकास खण्ड बदलापुर के अन्तर्गत ग्राम-बहुर, लच्छी पट्टी, सिंगरामऊ, कुमार पट्टी, शाहपुर निषाद बस्ती में प्रा0 विद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कुमार एवं अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

3-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में नगर पंचायत के अन्तर्गत पार्क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री साहब लाल चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

4-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में ग्राम पहितियापुर में बहरा पार्क का जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका तथा

---

†छापी नहीं गईं।

5-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में सभी 33/11 उपकेन्द्रों सहोदरपुर, भटपुरा, बदलापुर खुर्द व अन्य कतिपय उपकेन्द्रों को अपग्रेड कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका।

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद चन्दौली में विकास खण्ड नियामताबाद के ग्राम सभा महावलपुर में बी0एस0एन0 स्कूल से बी0बी0एम0 स्कूल तक सी0सी0रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुराग मौर्या एवं अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

2-जनपद चन्दौली में विकास खण्ड नियामताबाद के ग्राम सभा कटेसर में राजू सोनकर से अराध्या स्कूल तक नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश खरवार व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

3-जनपद चन्दौली में विकास खण्ड नियामताबाद के ग्राम सभा हरिशंकरपुर में बसंतु पटेल के कटरा से शिव मन्दिर व महेन्दर यादव के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बसन्त पटेल व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

4-जनपद चन्दौली में विकास खण्ड नियामताबाद के ग्राम सभा बगही में विजय पटेल के मकान से धर्मेन्द्र चौहान के मकान तक सीवर लाइन व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय पटेल व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका तथा

5-जनपद चन्दौली में विकास खण्ड नियामताबाद के ग्राम सभा सिरसी में चकिया रोड से कुटिया तक साइडवाल तथा सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका।

श्री रमेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री रमेश, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र शाहगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड खुटहन में रसूलपुर बाजार-पटैला मार्ग का नवनिर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष विश्वकर्मा एवं अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

---

†छापी नहीं गईं।

2-जनपद जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र शाहगंज के अन्तर्गत ग्राम गुड़बड़ी स्थित राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय भवन का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री धीरेन्द्र चौधरी एवं अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

3-जनपद जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र शाहगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड खुटहन एवं विकास खण्ड शाहगंज (सोंधी) के मुख्यालय पर बुजुर्गों के लिए लाइब्रेरी की स्थापना कराए जाने के सम्बन्ध में श्री अखिल गुप्ता एवं अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

4-जनपद जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र शाहगंज के अन्तर्गत ग्राम भैंसौली में स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की चहारदीवारी का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द वर्मा एवं अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका तथा

5-जनपद जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र शाहगंज के अन्तर्गत ग्राम अरसियां स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जीर्णोद्धार कराए जाने के सम्बन्ध में श्री डबलू वर्मा एवं अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका।

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मध्य में कैसरबाग बारादरी से चाइना बाजार चौकी से निशात हास्पिटल से जय भारत हाल के आगे से लालबाग चौराहे तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शुभांग यादव व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

2-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मध्य में फूलबाग चौराहे से नजरबाग होते हुए मछली मोहाल से लाटूश रोड तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार यादव व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

3-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मध्य में सिंह द्वार पुराणी में समिक बस्ती गुरूद्वारे से लेकर अवस्थी जी के मकान तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री एनुद्दीन अहमद व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

4-बेसिक शिक्षा विभाग के 1894 पदों पर जूनियर ऐडेड शिक्षक भर्ती पूरी होने के सम्बन्ध में श्री अंकुर यादव एवं अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका तथा

5-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मध्य के अन्तर्गत ऐशबाग एल0डी0ए0 पार्क मकान नं0 डी-121 के सामने पार्क निर्माण एवं इन्टरलॉकिंग के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश साहू एवं अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका।

---

†छापी नहीं गईं।

डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद जौनपुर में विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम सभा पदुमपुर से साहापुर गेट लम्बाई लगभग 2 किमी0 पिच रोड की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में श्री सोनू निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

2-जनपद जौनपुर में विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम सभा कुर्नी में नहर के पुलिया से कोठारी सम्पर्क मार्ग तक रोड नवनिर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री राजू पटेल निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

3-जनपद जौनपुर में विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम सभा परसय (धर्मापुर) में पिच रोड से प्रजापति बस्ती तक पिच रोड नवनिर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार पटेल निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

4-जनपद जौनपुर में विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम सभा बेलवॉ चैरामाता मन्दिर से रामजित यादव के मशीन तक रोड नवनिर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री रामजित यादव निवासी जनपद जौनपुर की याचिका तथा

5-जनपद जौनपुर में विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम सभा दीनापुर चौराहे से यादव बस्ती तक पिच रोड की मरम्मत कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री अरविंद निवासी जनपद जौनपुर की याचिका।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत महेवा बस्ती से ग्राम आनेपुर तक लगभग 1500 मी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज भदौरिया व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका,

2-जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत महमूदपुरा पाए के नगला चौराहे से मुरलीपुरा में मनोज यादव के घर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश बौद्ध व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका,

3-जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत इंद्रावती के ग्राम बंजरी से निवाड़ी अटसू सम्पर्क मार्ग तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका,

---

†छापी नहीं गईं।

4-जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के ग्राम पंचायत दलीपनगर के ग्राम बिरहाई से ग्राम पंचायत पुरावली के ग्राम लीटेपुरा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री यतेन्द्र दोहरे व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका तथा

5-जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के ग्राम पंचायत बहादुरपुर घार के ग्राम विशुनगढ़ से शामला-डभा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अहिरवन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका।

श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएँ तथा जनपद अम्बेडकर नगर से सम्बन्धित एक याचिका†

श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के चांदपुर सेमरी से मुझली को जाने वाले मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलीप कुमार व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका,

2-जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के ग्राम नसीरपुर मार्केट प्राइमरी स्कूल के बगल से मायाहरण पाण्डेय के घर तक 1600 मी0 की पिच रोड के निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री गुड्डू व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर की याचिका तथा

3-जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के विरसिंहपुर से बगिया गांव को जाने वाले मार्ग का नवनिर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री बिहारी वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका।

श्री राजपाल सिंह बालियान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री राजपाल सिंह बालियान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के अन्तर्गत मोहम्मदपुर राय सिंह से जेतपुर तक सम्पर्क मार्ग लम्बाई लगभग 2.5 किमी0 का विशेष मरम्मत कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

2-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना से काधला वाया जौला, जोगिया रवेड़ा राजपुर-गढी कृष्णा नदी तक सम्पर्क मार्ग लम्बाई लगभग 10 किमी0 के निर्माण के सम्बन्ध में श्री विनोद प्रधान, निवासी जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

---

†छापी नहीं गईं।

3-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के ग्राम भेरोकलां से जेतपुर तक सम्पर्क मार्ग लम्बाई लगभग 3 किमी0 के निर्माण के सम्बन्ध में श्री विपिन गहलोत, निवासी जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

4-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना से हबीबपुर तक सम्पर्क मार्ग लम्बाई लगभग 5 किमी0 के निर्माण के सम्बन्ध में श्री फेज प्रधान, निवासी जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका तथा

5-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना से लुहसाना-कुरावा तक सम्पर्क मार्ग लम्बाई लगभग 9 किमी0 के निर्माण के सम्बन्ध में श्री चरण सिंह प्रधान, निवासी जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका।

श्री राजीव कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री राजीव कुमार, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद अमरोहा, के विधान सभा क्षेत्र धनौरा के ग्राम लिसड़ी मोड़ से आजमपुर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महकपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका,

2-जनपद अमरोहा, के विधान सभा क्षेत्र धनौरा ग्राम पंचायत पतेई एमन में बारात घर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री समरपाल सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका,

3-जनपद अमरोहा, के विधान सभा क्षेत्र धनौरा ग्राम छीतरा में आई0टी0आई0 कालेज से राधा स्वामी सत्संग भवन तक आर0सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रणवीर सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका,

4-जनपद अमरोहा, के विधान सभा क्षेत्र धनौरा के दारानगर में मंगत सिंह के घर से राजपाल सिंह के घर तक आर0सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मंगता सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका तथा

5-जनपद अमरोहा, के विधान सभा क्षेत्र धनौरा के ग्राम छीतरा में रेलवे फाटक से आई0टी0आई0 कालेज तक आर0सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्यपाल सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका।

---

†छापी नहीं गईं।

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद प्रतापगढ़ के गड़वारा सामुदायिक केन्द्र को स्वतंत्र सी0एच0सी0 शीघ्र घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजाराम वैश्य व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका,

2-जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा के अन्तर्गत साल्हीपुर मन्दाह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से कोर्रा प्राथमिक विद्यालय सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विकास पटेल व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका,

3-जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सदर के अन्तर्गत सराय महिमा ग्राम सभा में स्थित सेतापुर नाले पर डी0आर0बी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका,

4-जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सण्डवा चण्डिका के अन्तर्गत दांदूपुर दौलतपुर-लोकईयापुर सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव विलाश व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका तथा

5-जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सण्डवा चण्डिका के अन्तर्गत आशापुर मिश्रान में काली सड़क का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका।

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद गोहना के अन्तर्गत ब्लॉक रानीपुर में ग्राम कतरारी चुंगी से अतरारी खैराबाद रोड का मोईनाबाद आजमगढ़ बार्डर तक सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हाजी अब्दुलही व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका,

2-जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद गोहना के अन्तर्गत ब्लॉक रानीपुर में ग्राम दौलसेपुर चट्टी से तेन्दुली नहर बाजार चट्टी तक का सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका,

3-जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद गोहना के अन्तर्गत ब्लॉक रानीपुर में सरसेता अनुसूचित बस्ती से पचिस्ता अनुसूचित बस्ती तक सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बद्री प्रधान, निवासी जनपद मऊ की याचिका,

---

†छापी नहीं गईं।

4-जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद गोहना के अन्तर्गत ब्लॉक रानीपुर में ग्राम खुरहट भटौली मोड़ से अमरहट राजभर बस्ती होकर अमरहट अनुसूचित बस्ती तक सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मिट्ठू प्रसाद राजभर व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका तथा

5-जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद गोहना के अन्तर्गत ब्लॉक रानीपुर में ग्राम शमसाबाद चट्टी से मण्डुसरा चौहान बस्ती तक सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदरू पौहारी व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र-309, रूधौली, तहसील-भानपुर के अन्तर्गत गौर बाल्टरगंज मार्ग से बहेरिया जंगल मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजन चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद मैनपुरी की याचिका,

2-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र-309, रूधौली, तहसील-भानपुर के अन्तर्गत मुड़री से दुर्गापुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री सतेन्द्र चौधरी, निवासी जनपद बस्ती की याचिका,

3-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र-309, रूधौली के अन्तर्गत बाघनगर से मथुरापुर मार्ग पर स्थित भीटाराम सेन पक्की सड़क से हलीम के घर तक लम्बाई मार्ग का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री ग्रिजेश यादव, निवासी जनपद बस्ती की याचिका,

4-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र-309, रूधौली के अन्तर्गत ग्राम अरदा में राम कृपाल के घर से गांव के पश्चिम दलित टोला के शीतला प्रसाद के घर तक लगभग 500 मी0 सी0सी0 रोड का निर्माण करवाये जाने के निर्माण के सम्बन्ध में श्री पृथ्वीराज, निवासी जनपद बस्ती की याचिका तथा

5-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र-309, रूधौली के अन्तर्गत ग्राम अरदा में राम कृपाल के घर से गांव के उत्तर चौधरी टोला के जुग्गी लाल चौधरी के घर तक लम्बाई लगभग 400 मी0 सी0सी0 रोड का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मराज, निवासी जनपद बस्ती की याचिका।

---

†छापी नहीं गईं।

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ†

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद फतेहपुर की तहसील बिंदकी के अन्तर्गत ग्राम मानेपुर पतेउरा से चांदपुर यमुना मोहाना तक नोन नदी की खुदाई व सफाई कराने के सम्बन्ध में श्री संतोष कुमार गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका,

2-जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद में निरीक्षण भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका तथा

3-जनपद फतेहपुर के कस्बा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका।

श्री राजेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री राजेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद मथुरा की तहसील छाता की ग्राम पंचायत शेरगढ़ क्षेत्र को नगर पंचायत का दर्जा देकर नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेमचंद्र व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका,

2-जनपद मथुरा की तहसील मांट की ग्राम पंचायत नौहझील एवं गांव सुरीर व गांव सोनई एवं गांव मांट को नगर पंचायत का दर्जा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका,

3-जनपद मथुरा की मांट तहसील की नौहझील बाजना क्षेत्र में मण्डी परिषद् बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री पप्पू कोली व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका,

4-जनपद मथुरा की तहसील मांट के अन्तर्गत ग्राम कौलाहर के साइड से जाने वाले सिंचाई विभाग के अहरौला-पचहरा नाले की सफाई करवाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका तथा

5-जनपद मथुरा की तहसील छाता के अन्तर्गत ग्राम चमरगढ़ी में यमुना नदी से हो रहे कटान को रोकने के सम्बन्ध में श्री देवकी प्रमुख व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका।

---

†छापी नहीं गईं।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित चार याचिकाएँ तथा जनपद लखनऊ से सम्बन्धित एक याचिका†

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड-अकबरपुर अन्तर्गत स्थित ग्राम हुसेनपुर सकरवारी सुदामा निषाद के घर से मोमिनपुर चौराहा तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का मरम्मत/निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुदामा निषाद व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर की याचिका,

2-जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड-अकबरपुर अन्तर्गत स्थित अकबरपुर-दोस्तपुर सम्पर्क मार्ग से कैलाश यादव के दुकान किशुनीपुर गांव तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का मरम्मत/निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री कैलास यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर की याचिका,

3-जनपद लखनऊ में सचिव उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या-11599/यू0पी0 रेरा/वसूली/2022-23, दिनांक 27-09-2022 का अनुपालन कराते हुए मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, लखनऊ से आर0सी0 में जारी धनराशि की यथाशीघ्र वसूली कराकर यू0पी0 रेरा के पास जमा कराते हुए पीड़ित परिवार को यथाशीघ्र दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

4-जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड अकबरपुर अन्तर्गत स्थित ग्राम हुंसेपेटी पिच मार्ग से शारदा सहायक नहर तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर की याचिका तथा

5-जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड अकबरपुर अन्तर्गत स्थित अकबरपुर-दोस्तपुर सम्पर्क मार्ग से हिन्दुस्तान साईकिल बनवा गांव तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री समशाद व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर की याचिका।

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के अन्तर्गत ग्राम खासपुरा मेन रोड से सदनपुर लम्बाई लगभग 1.00 किमी0 तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नौशाद व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

---

†छापी नहीं गईं।

2-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के अन्तर्गत ग्राम पोटी से सोलान लम्बाई लगभग 1.00 किमी0 तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अबरार व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

3-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के अन्तर्गत ग्राम राहू नगली से छजुपुर लम्बाई लगभग 1.00 किमी0 तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शाकिर व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

4-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के अन्तर्गत ग्राम छज्जेपूरा से ग्राम तमरोला लम्बाई लगभग 1.00 किमी0 तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धनीराम व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका तथा

5-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के अन्तर्गत ग्राम तेलीपुर बाग से गल्लाखेड़ी कब्रिस्तान लम्बाई लगभग 1.00 किमी0 तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फेजान व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका।

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद श्रावस्ती विकास खण्ड जमुनहा के अन्तर्गत नासिरगंज के पश्चिम डामर मार्ग से इटहिया गांव तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम खेलावन एवं अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका,

2-जनपद श्रावस्ती विकास खण्ड गिलौला के अन्तर्गत औरइया टिकई भदईपुर के उत्तर डामर मार्ग अखिलेश मिश्रा के खेत से टीकर अलादाद(टिकरिया) विद्यालय तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिओम वर्मा एवं अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका,

3-जनपद श्रावस्ती विकास खण्ड गिलौला के अन्तर्गत भौसावा से एकडगवा तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद शुक्ला एवं अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका,

4-जनपद श्रावस्ती विकास खण्ड इकौना के अन्तर्गत सेमरी तरहार में रमेश के घर से गनेशपुर मार्ग तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीनानाथ दूबे एवं अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका तथा

---

†छापी नहीं गईं।

5-जनपद श्रावस्ती विकास खण्ड इकौना के अन्तर्गत राजगढ़ गुलरिया में मेन रोड से पंचायत भवन तक तथा हरि प्रसाद के खेत से पंचायत भवन तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती पूजा देवी एवं अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका।

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद ललितपुर के विकास खण्ड-बार के ग्राम पंचायत भैलोनी सूबा में मुरारी वंशकार के मकान से कल्यान सिंह लोधी के मकान की ओर सी0सी0 रोड निर्माण लम्बाई लगभग 500 मी0 निर्माण के सम्बन्ध में श्री अवधेश एवं अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका,

2-जनपद ललितपुर के विकास खण्ड-बार के ग्राम पंचायत गैदोरा में प्राइमरी विद्यालय से रघुवीर सिंह लोधी के मकान तक सी0सी0 रोड लम्बाई लगभग 500 मी0 निर्माण के सम्बन्ध में श्री प्रदीप प्रजापति एवं अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका,

3-जनपद ललितपुर के विकास खण्ड-बार के ग्राम पंचायत वस्त्रावन में हनुमान जी के मन्दिर से ग्राम की ओर सी0सी0 रोड लम्बाई लगभग 500 मी0 निर्माण के सम्बन्ध में श्री राम करन एवं अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका,

4-जनपद ललितपुर के विकास खण्ड-बार के ग्राम पंचायत गदयाना में समा नाले पर लघु सेतु का बाक्स कल्वर्ट निर्माण के सम्बन्ध में श्री रामबिहारी एवं अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका तथा

5-जनपद ललितपुर के विकास खण्ड-बार के ग्राम पंचायत देवरान में किसान सेवा सोसायटी के केन्द्र से जयराम लोधी के मकान की ओर सी0सी0 रोड लम्बाई लगभग 500 मी0 निर्माण के सम्बन्ध में श्री छोटेलाल एवं अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका।

श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत लालपुर परगना में स्थित शमशान घाट को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण कुमार व अन्य निवासीगण जनपद सिकन्दराबाद की याचिका,

---

†छापी नहीं गईं।

2-जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत ग्राम गाजीपुर ऋषिपाल के मकान से ग्राम खगुआवास की मढ़ैया तक काली सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कपिल यादव व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

3-जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत ग्राम मोहम्मदपुर कलां में स्थित शमशान घाट पर रास्ता का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सौरभ शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

4-जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत ग्राम सभा बिशनपुर में काली सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोविन शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

5-जनपद बुलन्दशहर के ग्राम पिलखनवाली में देवी मन्दिर से लेकर सक्की के घर तक नाली खड़न्जा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएँ†

श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद फतेहपुर के ब्लॉक बहुआ के अन्तर्गत ग्राम शाह में ए0एन0एम0 सेण्टर बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री शशि भूषण सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका तथा

2-जनपद फतेहपुर के अयाहशाह के अन्तर्गत कस्बा गाजीपुर से औगासी चित्रकूट मार्ग तक बाईपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका।

श्री विजयपाल (आढ़ती), सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री विजयपाल आढ़ती, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद हापुड़ के विकास खण्ड-हापुड़ के ग्राम सालेपुर कोठला, सिराजू के खेत से लेकर मुनसब के खेत तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सलमान व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका,

2-जनपद हापुड़ के विकास खण्ड-हापुड़ के ग्राम सूदना, मूलराज त्यागी के कलेसर से लेकर ग्राम वझीलपुर से परशू के कुआं तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका,

---

†छापी नहीं गईं।

3-जनपद हापुड़ के ब्लाक हापुड़ के अन्तर्गत ग्राम मीरपुर, रिपुदमन के खेत से हसनपुर सरकारी ट्यूबवेल तक की सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री हरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका,

4-जनपद हापुड़ के ग्राम नली में सतीश शर्मा ख्याली की चामूड़ से कालू शर्मा के खेत तक की सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री पप्पू शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका तथा

5-जनपद हापुड़ के ब्लाक हापुड़ के ग्राम काकोडी में छपकोली मार्ग से बहरादरा के खेत से राजेन्द्र रावण के खेत तक की सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अजीत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका।

श्री विनय प्रकाश गोंड, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ†

श्री विनय प्रकाश गोंड, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र रामकोला में 1000 मीटर सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मृत्युंजय पाण्डेय एवं अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

2-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र रामकोला के अन्तर्गत रामकोला मैथाली रोड से मोती पाकड़ रोड होते हुए विजयपुर तक 02 किमी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका तथा

3-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र रामकोला में 500 मीटर सी0सी0 रोड का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका।

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद जालौन के विकास खण्ड कुठौद के ग्राम छानी अहीर में रमेश के खेत से धमना आश्रम तक लम्बाई लगभग 1400 मी0 नाला का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल प्रधान छानी निवासी व जनपद जालौन की याचिका,

2-जनपद जालौन के विकास खण्ड महेवा के सिमरा चौराहा से ग्राम पाल मड़ैया तक लगभग 4 किमी0 सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द तिवारी निवासी जनपद जालौन की याचिका,

---

†छापी नहीं गईं।

3-जनपद जालौन के विकास खण्ड महेवा के अन्तर्गत कालपी मदारीपुर मुख्य मार्ग से ग्राम मल्थुवा तक लम्बाई लगभग 2 किमी0 सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव पाण्डेय निवासी व जनपद जालौन की याचिका,

4-जनपद जालौन के विकास खण्ड महेवा के अन्तर्गत ग्राम बाबई से सरसई तक लम्बाई लगभग 3 किमी0 सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रिंस गुर्जर निवासी व जनपद जालौन की याचिका तथा

5-जनपद जालौन के विकास खण्ड कदौरा में नगर कदौरा से कालपी हमीरपुर मुख्य मार्ग से हरचन्दरपुर होते हुए ग्राम अकौना तक लम्बाई लगभग 07 किमी0 सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक चतुर्वेदी निवासी जनपद जालौन की याचिका।

श्री विशम्भर सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा से सम्बन्धित याचिका†

श्री विशम्भर सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाँदा के मोहल्ला नई बस्ती, खांईपार, वार्ड नं0 02 में नईम के दरवाजे से अबरार अहमद फारूखी के दरवाजे तक सड़क एवं दोनों ओर की नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अबरार अहमद फारूकी व अन्य निवासीगण जनपद बाँदा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री शशांक त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री शशांक त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद सीतापुर के विकास खण्ड एलिया में हथूरी मोड़ से कंचनपुर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

2-जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महोली के ग्राम सढिया पेण्टेड रोड से नहर पटरी पर बसबैपुल तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नन्हू व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

3-जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महोली चमखर पुल से डाडाबाद पुल तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सज्जन पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

4-जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महोली से हरगांव मार्ग पर तकिया चौराहे से पचासा, बसारा तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका तथा

---

†छापी नहीं गईं।

5-जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महोली में ग्राम रोहिला से सिकटिहा, मेटलपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग 21 बाईपास तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवनीश मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका।

श्री शशांक वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर खीरी से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री शशांक वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन के अन्तर्गत नगर पंचायत सिंघाई व नगर पंचायत धौरारा को आदर्श नगर पंचायत घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम कुमार आर्य व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी की याचिका,

2-जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन के अन्तर्गत पचपेड़ी पुल जो लखीमपुर खीरी से निघासन को जोड़ने का मुख्य मार्ग पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी की याचिका,

3-जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन के अन्तर्गत ग्राम सुतना बरसोला को नगर पंचायत दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री किशन महावर व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी की याचिका,

4-जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन के अन्तर्गत ढकरवा सराय से गजियापुर साइफन तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी की याचिका तथा

5-जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन के अन्तर्गत बेरिया ग्राम से बिवहारी ग्राम तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमर नाथ मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी की याचिका।

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड बछरावां, विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत शारदा नहर जौनपुर ब्रांच भईयापुर तक पक्की रोड की मरम्मत करवाए जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

2-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड महराजगंज, विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत हरदोई-तौली मार्ग से चोखे के पुरवा होते हुए नरायनपुर तक पक्की की रोड मरम्मत करवाए जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

---

†छापी नहीं गईं।

3-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत सिंचाई हेतु ग्राम पंचायत ओसाह एवं इचौली ग्राम पं0 के रामपाल खेड़ा नलकूपों को लगवाए जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

4-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड महराजगंज विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत इन्हौना-महाराजगंज मार्ग मौन के पास से कुशुमौहरा बलीपुर तक पक्की रोड मरम्मत करवाए जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार निवासी जनपद रायबरेली की याचिका तथा

5-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड महराजगंज, विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत महाराजगंज-बछरावां मार्ग से सलेथू तक पक्की रोड मरम्मत करवाए जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार निवासी जनपद रायबरेली की याचिका।

श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड मेजा के अन्तर्गत ग्राम सभा लोटाढ़ में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शशीकान्त व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

2-जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड मेजा के अन्तर्गत ग्राम सभा मरहा में ऊरूवा मेजा मार्ग से विश्वकर्मा बस्ती होते हुए मरहा दलित बस्ती लम्बाई लगभग 1500 मी0 तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संरेश भारतीया व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

3-जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड उरूवा के अन्तर्गत ग्राम सभा अमिलिया में नहर से ग्राम घूघा बारी तक सम्पर्क मार्ग लम्बाई लगभग 1000 मी0 तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शेष मणि व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

4-जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड मेजा के अन्तर्गत ग्राम सभा ऊसकी में जोगिया बाबा होते हुए नाला तक लम्बाई लगभग 1500 मी0 सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शशीकान्त व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका तथा

5-जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड मेजा के अन्तर्गत ग्राम सभा जरार में ऊसर बस्ती होते हुए मजार तक लम्बाई लगभग 1500 मी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री खुर्दीश व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका।

---

†छापी नहीं गईं।

श्री सर्वेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री सर्वेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद फिरोजाबाद के ग्राम निजामपुर गढूमा में बालाजी मन्दिर से राम नरेश की चक्की तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजू कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

2-जनपद फिरोजाबाद के ग्राम सेंदलपुर के मजरा नगरिया से विजयवीर के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

3-जनपद फिरोजाबाद के ग्राम नगला सुन्दर में प्राथमिक विद्यालय से विनोद कुमार के खेत तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

4-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के अन्तर्गत ग्राम मढ़वा में प्राथमिक विद्यालय से अवधेश के मकान तक के मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका तथा

5-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के अन्तर्गत ग्राम नगला धर्म में मिट्ठू फौजी के मकान से ब्रहम्देव आश्रम रेलवे क्रासिंग तक मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृज किशोर व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-कानपुर महानगर के अन्तर्गत पनकी बाई-पास के किनारे ए0टू0जेड0 कम्पनी द्वारा बनाए गए कूड़े के डम्प स्थल को अन्य किसी स्थल पर स्थानान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

2-कानपुर शहर में आकस्मिक विभाग एवं ट्रामा सेन्टर की स्थापना कराने के सम्बन्ध में श्री अभिनव दीक्षित व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

3-जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्दनगर के अन्तर्गत लेबर कालोनी निवासियों को उनके स्वामित्व का मालिकाना हक दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

---

†छापी नहीं गईं।

4-जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्दनगर के अन्तर्गत वार्ड-53 दूषित भू-गर्भ जल क्षेत्र में वाटर लाइन डलवाने के सम्बन्ध में श्री विनोद सुमिल पाल एवं अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका तथा

5-जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्दनगर में पाण्डुनगर क्षेत्र/शास्त्री नगर में ए0बी0सी0 विद्युत लाइन डलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज बाजपेयी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका।

श्री स्वामी ओउमवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री स्वामी ओउमवेश, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र-23, चाँदपुर के अन्तर्गत शहर चाँदपुर से बास्टा तक सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फिरोज आलम उर्फ बबलू व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

2-जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र-23, चाँदपुर के अन्तर्गत ग्राम घनसूरपुर से चाँदपुर जलीलपुर मार्ग तक सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दारा सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

3-जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र-23, चाँदपुर के अन्तर्गत ग्राम पाहुली से गोयली तक सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इरशाद अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

4-जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र-23, चाँदपुर के अन्तर्गत ग्राम स्याऊ से चाँदपुर अम्हेड़ा मार्ग तक के सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रूपराज चौहान व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका तथा

5-जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र-23, चाँदपुर के अन्तर्गत ग्राम छाछरी मोड़ जलीलपुर मार्ग से सीकरी तक सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सरदार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका।

श्री हरिओम, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री हरिओम, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र-101, अमापुर के मोहनपुर से नगला बंजारी तक मार्ग पर विशेष मरम्मत व आबादी भाग सी0सी0 में कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभय मिश्रा एवं अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका,

---

†छापी नहीं गईं।

2-जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र-101, अमापुर के मोहनपुर मार्ग से कोढ़रा तक मार्ग पर विशेष मरम्मत व आबादी भाग सी0सी0 में कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्यपाल एवं अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका,

3-जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र-101, अमापुर के रजबाह पर करमपुर से गढ़िया तक मार्ग पर विशेष मरम्मत व आबादी भाग सी0सी0 में कराये जाने के सम्बन्ध में श्री छत्रपाल एवं अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका,

4-जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र-101, अमापुर के न्योली में विद्युत लाइन का स्थानान्तरण कराये जाने व चीनी मिल के सामने बाजार में जर्जर विद्युत तारों को बदलवाने के सम्बन्ध में श्री अजीत सोलंकी एवं अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका तथा

5-जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र-101, अमापुर के ग्राम जखा में चन्द्रपाल के खेत के पास नाले पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतेन्द्र एवं अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका।

श्री हरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री हरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेशवर के ग्राम सिगनपुर में जखैड़ा झाल से बिलहारा गोविन्दपुरी तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र चौहान व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका,

2-जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम आलमपुर भगवन्तपुर से ग्राम झडीना की ओर तिराहा माकनपुर खानपुर तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरजीत कौर व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका,

3-जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम औरंगाबाद से ग्राम मतनौरा तक लम्बाई लगभग 03 किमी0 सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री राजकुमार मावी व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका,

4-जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम फुल्डेहरा में नाली वाले मंदिर से नवादा जाने वाली काली सड़क तक लम्बाई लगभग 01 किमी0 सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री कृष्ण कुमार व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका तथा

5-जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम सादुल्लापुर से अमरीश के खेत तक लम्बाई लगभग 1.5 किमी0 तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री संजय कुमार व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका।

---

†छापी नहीं गईं।

श्रीमती अंजुला सिंह माहौर, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस से सम्बन्धित चार याचिकाएँ†

श्रीमती अंजुला सिंह माहौर, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद हाथरस, के हाथरस सदर में ट्रासपोर्टनगर की स्थापना के सम्बन्ध में श्री काका बाबू एवं अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका,

2-जनपद हाथरस, के हाथरस सदर के ब्लॉक-सासनी में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में श्री ध्रुव शर्मा एवं अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका,

3-जनपद हाथरस के तहसील-हाथरस में दाउजी महाराज में लगने वाले छठ मेले को राज्य मेला घोषित करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री गौरव आर्य एवं अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका तथा

4-जनपद हाथरस के सेंगर नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजपाल एवं अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका।

श्रीमती केतकी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती केतकी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के ग्राम मुड़ाडीह, ब्लाक रेवती विधान सभा क्षेत्र बांसडीह के ग्राम मुड़ाडीह में पानी के निकास हेतु दो पुल के निर्माण के सम्बन्ध में श्री वीर बहादुर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित चार याचिकाएँ†

श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के अन्तर्गत ग्राम सभा लखनपुर करन अन्तर्गत पश्चिम पुरवा में नाले पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

2-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के अन्तर्गत ग्राम सभा परमानन्दपुर (सेधई का पूरा) में 15 नग विद्युत पोल के साथ 60 के0वी0 ट्रांसफार्मर के प्रतिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

---

†छापी नहीं गईं।

3-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के अन्तर्गत ग्राम सभा सरांय लाल खातून उर्फ शिवगढ़ भैया राम के खेत के पास में तार व पोल के साथ 25 के0वी0 ट्रांसफार्मर के प्रतिष्ठापन कराये जाने में श्री संजय कुमार व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका तथा

4-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के अन्तर्गत ग्राम सभा पंचायत भानेमऊ में तार व पोल के साथ 63 के0वी0 ट्रांसफार्मर का प्रतिष्ठापन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलाम अहद व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका।

श्रीमती नीलिमा कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्रीमती नीलिमा कटियार, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र कल्याणपुर के अन्तर्गत संतलाल का हाता 111/1, बेनाझाबर में पानी की पाइप लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में श्री पुनीत उपाध्याय व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

2-जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र कल्याणपुर के अन्तर्गत मन्धना से कल्याणपुर आई0आई0टी0 गेट तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित कनौजिया व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

3-जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र कल्याणपुर के अन्तर्गत पनकी नहर छठ पूजा घाट से कानपुर पनकी रोड, सराय मसवानपुर तिराहे तक के मार्ग पर प्रकाश की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवि यादव व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

4-जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र कल्याणपुर के अन्तर्गत गंगागंज वार्ड 50 में काशीराम डूडा कालोनी में सड़क, नाली एवं बिजली की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फूलमती व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका तथा

5-जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र कल्याणपुर के अन्तर्गत इन्द्रानगर छोटी कालोनी पार्क का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राज किशोर तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका।

श्रीमती विजमा यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ

श्रीमती विजमा यादव, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत ग्राम बरेस्ता नहर रसुलहां से अनन्त महाविद्यालय लम्बाई लगभग 01 किमी0 तक सड़क का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नन्दलाल व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

---

†छापी नहीं गईं।

2-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत ग्राम बसनेहरा तिराहा से पश्चिम यादव बस्ती होते हुए प्राइमरी विद्यालय लम्बाई लगभग 02 कि0मी0 तक सड़क मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मेवालाल यादव व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

3-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत ग्राम छतौना सम्पर्क मार्ग नहर से पटेलनगर आबादी से भरौली हरिजन बस्ती होते हुए अमृत लाल के घर लम्बाई लगभग 03 किमी0 तक सड़क का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्शी लाल व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

4-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत ग्राम भलेकुआ सिठौली मार्ग से सण्डलपुर बाबा की मजार लम्बाई लगभग 02 किमी0 तक सड़क का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका तथा

5-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत प्रयागराज जौनपुर मार्ग इफको तालाब के सामने से ग्राम भरौती मुस्लिम बस्ती लम्बाई लगभग 1.5 किमी0 तक सड़क का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इतियाक अहमद व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका।

श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद इटावा, की के ब्लाक बढ़पुरा में ग्राम रूरा (पिलुआ महावीर) एवं ग्राम असवा के मध्य यमुना नदी पर सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में श्री नीरज राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका,

2-जनपद-इटावा, की तहसील इटावा के अन्तर्गत नगर में बने जिला चिकित्सालय को सिटी हास्पिटल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री आशुतोष चौधरी एवं अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका,

3-जनपद-इटावा, की तहसील इटावा के अन्तर्गत ब्लाक बढ़पुरा में 33 के0वी0ए0 का पावर हाउस बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष भदौरिया एवं अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका,

---

†छापी नहीं गईं।

4-जनपद-इटावा, तहसील इटावा के नगर अन्तर्गत ग्वालियर बाइपास एवं नगर को जोड़ने वाली रोड के मध्य में पड़ने वाले प्राचीन हनुमान मंदिर के आवागमन हेतु सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमन सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका तथा

5-जनपद-इटावा, तहसील इटावा के अन्तर्गत के ब्लाक बढ़पुरा में ग्राम रूरा (पिलखुआ महावीर) एवं ग्राम असवा के मध्य यमुना नदी पर सेतु निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश भदौरिया एवं अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका।

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित चार याचिकाएँ†

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड सिधौली व बड़ा गांव के मध्य एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

2-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के नगर पंचायत निगोही में खेल के मैदान का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

3-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के नगर पंचायत निगोही में स्थित गोल पार्क चौराहे पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका तथा

4-जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के ग्राम पंचायत ढकिया तिवारी में एक विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका।

श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ†

श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र-306, डुमरियागंज के भंडरिया से बढ़नी चाफा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में मु0 सुहेल फारूकी एवं अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका,

---

†छापी नहीं गईं।

2-जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र-306, डुमरियागंज के ग्राम-सिसईकला के प्राथमिक विद्यालय के सामने नहर पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल राज यादव निवासी जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका तथा

3-जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के ग्राम बिथरिया के पश्चिम तरफ से नहर को बाढ़ की रोकथाम के लिए ऊँचा किये जाने के सम्बन्ध में श्री मलिक मो0 असजद निवासी जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका।

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री प्रभू नारायण सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद चन्दौली के विकास खण्ड चहनियां के अन्तर्गत ग्राम टाण्डा कला में गंगा नदी से हो रहे कटान को रोकने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद यादव व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

2-जनपद चन्दौली के विकास खण्ड चहनियां के अन्तर्गत ग्राम महुरिया (पकड़ी) में गंगा नदी से हो रहे कटान को रोकने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

3-जनपद चन्दौली के विकास खण्ड चहनियां के अन्तर्गत ग्राम कैली में गंगा नदी से हो रहे कटान को रोकने के सम्बन्ध में श्री चन्द्र शेखर शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

4-जनपद चन्दौली के विकास खण्ड चहनियां के अन्तर्गत ग्राम तिरगांवा, हसनपुर, मारुफपुर व कतिपय ग्रामों में गंगा नदी से हो रहे कटान को रोकने के सम्बन्ध में श्री संदीप यादव व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका तथा

5-जनपद चन्दौली के विकास खण्ड चहनियां के अन्तर्गत ग्राम बीसूपुर महुआरी खास में सम्पर्क मार्ग की लम्बाई लगभग 1.00 किमी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भोला नाथ व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका।

श्री बीरेन्द्र सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ†

श्री बीरेन्द्र सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद हाथरस के विकास खण्ड हाथरस के अन्तर्गत ग्राम तुरसैन में लोक निर्माण विभाग की सड़क पर 500 मी0 तक जलभराव की समस्या के निदान हेतु आर0सी0सी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र वाष्णेय व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका,

---

†छापी नहीं गईं।

2-जनपद हाथरस के विकास खण्ड हाथरस के अन्तर्गत ग्राम चन्दपा एन0एच0 से ग्राम ककोड़ी तक लम्बाई लगभग 3.00 किमी0 मार्ग का सी0सी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राज प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका,

3-जनपद हाथरस के विकास खण्ड मुरसाना के अन्तर्गत ग्राम हीरा की गढ़ी में गिजरोली रजवाह पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका,

4-जनपद हाथरस के विकास खण्ड हंसायन में ग्राम सिड़रमई के कैनाल पर लत्बाई लगभग 2.5 किमी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सचिन व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका तथा

5-जनपद हाथरस के ब्लाक हंसायन के मार्ग केशोपुर से गंगापुर के मध्य ग्राम अललेंदीनपुर से जमालपुर बाडर तक लम्बाई लगभग 800 मी0 मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओजवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका।

श्री संग्राम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†

श्री संग्राम सिंह, सदस्य, विधान सभा की बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत ऐडेड विद्यालय को मूल भवन में संचालित करने अथवा विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत परिषदीय अथवा अन्य ऐडेड विद्यालयों में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित कुमार यादव व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री वीरेंद्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड भनवापुर की ग्राम पंचायत तरांव में तरांव से सिकटा स्टेट बैंक तक सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराए जाने के सम्बन्ध मे श्री दुर्गेश मिश्र निवासी जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

दिनांक 03-03-2023 को नियम-51 के अन्तर्गत निम्नलिखित कुल 154 सूचनाएँ प्राप्त हुईं सभी सूचनाएँ स्वीकृत हुईं।

पहली सूचना श्री मोहन वर्मा की जनपद कुशीनगर के नगर पंचायत सुकरौली में नागरिक पुलिस स्टेशन का नवसृजन किये जाने के सम्बन्ध में हैं, दूसरी सूचना श्री राजीव

---

†छापी नहीं गईं।

कुमार सिह उर्फ बब्बू भईया की जनपद बदायूँ, के विधान सभा क्षेत्र दातागंज में सड़क एवं पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री राकेश कुमार गोस्वामी की जनपद महोबा में धार्मिक पर्यटन के रूप में प्रसिद्ध गोरखागिरी पर्वत को रोपवे से जोड़े जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री निर्मल वर्मा की जनपद सीतापुर के अन्तर्गत भीषण जाम के कारण कतिपय बाईपास के निर्माण के सम्बन्ध में है, पांचवी सूचना श्रीमती सैय्यदा खातून की जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज के अन्तर्गत ग्राम, में भोजपुर राप्ती नदी के कटे हुए बन्धे का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री विजय पाल (आढ़ती) विधान सभा क्षेत्र हापुड़ के ग्राम अयादनगर में काली नदी के छतिग्रस्त पुल के निर्माण व के चौड़ीकरण कराने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री बाबू राम की जनपद पीलीभीत के पूरनपुर में खोदी गयी सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री विनोद सिंह की जनपद सुलतानपुर के तहसील सदर, विधान सभा क्षेत्र कूरेभार के ग्राम कनौली में अंत्येष्टि स्थल के निर्माण के सम्बन्ध में है। नौवीं सूचना श्री रमेश की जनपद जौनपुर के शाहगंज में कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्रीमती ओममणी वर्मा की नरैनी विधान सभा क्षेत्र, जनपद बांदा के राजमार्ग संख्या-71 में कस्बा अतर्रा को जाम की समस्या से निजात हेतु केन नहर पटरी होते हुए बाईपास बनाए जाने के सम्बन्ध में हैं, ग्यारहवीं सूचना श्री राम रतन कुशवाहा जनपद की ललितपुर के नगर ललितपुर में कतिपय पुलों की मरम्मत के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्रीमती जयदेवी की जनपद मलिहाबाद के विधान सभा माल में कतिपय सड़कों के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना डॉ0 मुकेश वर्मा की जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत नगर निगम सीमा में बसे मोहल्ला हसमत नगर एवं अब्बास नगर में व्याप्त गंदगी एवं जल भराव के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना डॉ0 राघवेन्द्र शर्मा की जनपद बरेली के बिथरी में एक राजकीय सेवा से दूसरी राजकीय सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मियों को वेतन संरक्षण के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री प्रेम सागर पटेल की जनपद महराजगंज के सिसवां में कतिपय सड़कों के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री राजेश कुमार गौतम की जनपद सुल्तानपुर के तहसील बल्दीराय विकास खण्ड धनपतगंज में कतिपय सड़क मार्गों की मरम्मत के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी की जनपद उन्नाव के तहसील सदर, परगना हडहा के ब्लाक सिकन्दरपुर के ग्राम दुबेपुर में खेल मैदान के अवैध कब्जे के सम्बन्ध है, अट्ठारहवीं सूचना श्री अखिलेख की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में मंगई पुल की मरम्मत के सम्बन्ध में हैं, उन्नीसवीं सूचना श्री त्रिभुवन दत्त की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र रामनगर के ग्राम परवडीह में कतिपय पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार की जनपद प्रतापगढ़ के राजकीय इण्टर कालेज में दौड़ने के लिये इन्डोर रबड़ ट्रैक का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री राम सिंह पटेल की जनपद

प्रतापगढ़ में श्री विनोद कुमार गुप्ता द्वारा कुरैशी का भेदभाव व जान बूझकर निरस्त किये जाने पर आवश्यक कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, बाईसवीं सूचना श्री आशुतोश शुक्ला की जनपद उन्नाव के भगवन्तनगर में कतिपय क्षेत्रों में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में है, तेईसवीं सूचना श्री संदीप सिंह की माननीय उच्च न्यायालय की याचिका सं0 53619/20217 के क्रम में सहकारी निरीक्षक वर्ग-2 का प्रत्यावेदन पर शासन द्वारा कोई कार्रवाई न करने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा' की जनपद उन्नाव के पुरवा पावर हाऊस से संबद्ध ब्लाक सिकन्दरपुर करन के ग्राम दुबेपुर आदि गांवो में जीर्ण विद्युत सप्लाई एवं 16 के0वी0ए0 के स्थान पर उच्च क्षमता वाले विद्युत ट्रांसफमर लगाये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं श्री पंकज पटेल की जनपद जौनपुर के शाहगंज कस्बा में ग्राम भादी नटौली मार्ग पर कतिपय भूमि को कब्जा मुक्त कराने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवी सूचना श्री अभिजीत सिंह साँगा की जनपद उन्नाव के ब्लाक सिकन्दरपुर के कुछ ग्राम पंचायतों में समूह-ग के कार्मिकों को 3 वर्ष होने के उपरान्त भी हस्तान्तरण न किये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताईसवीं सूचना श्री गुलाम मौहम्मद की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सिवाल खास की नगर पंचायत में 100 बेड का अस्पताल बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री रत्नाकर मिश्र की जनपद मिर्जापुर के कतिपय पुलों की मरम्मत के संबंध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री मो0 हसन रूमी की जनपद कानपुर नगर में केस्को सब-स्टेशन हैरिस गंज के अन्तर्गत ट्रांसफार्मर लगाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री बाबूलाल की जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर सीकरी में कतिपय कच्चे मार्ग को पक्का कराने के सम्बन्ध में है, इकतीसवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेयी की कानपुर नगर के फूलबाग में के0डी0ए0 द्वारा महोत्सव पंडाल के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री प्रकाश द्विवेदी की बांदा से कानपुर वाया चिल्ला, ललौली, बिन्दकी मार्ग को फोर लेन कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतीसवीं सूचना डॉ0 विमलेश पासवान की विधान सभा क्षेत्र बासगांव जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत कुशवासी क्षेत्र में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में है, चौतीसवीं सूचना श्रीमती विजमा यादव की प्रतापुर के लगभग 25 ग्रामों को जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्री हर्षवर्धन बाजपेयी की जनपद प्रयागराज के मोहल्ला हिम्मतगंज के यूनानी मेडिकल कालेज वाली गली में जर्जर बिजली के खम्भे को बदलकर आवासीय मकानों के दूसरी तरफ लगाये जाने के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना श्री मौ0 फहीम इरफान की जनपद मुरादाबाद में कतिपय स्कूल मानक के विपरीत चलाने के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना श्री राजीव कुमार की जनपद अमरोहा के धनौरा में रामलीला ग्राउण्ड के उच्चीकरण के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना डॉ0 सुरभि की जनपद फर्रूखाबाद के अन्तर्गत कायमगंज विधान सभा में ग्राम सभा भटासा का नहर पुल के पुनः निर्माण के सम्बन्ध में है, उन्तालीसवीं सूचना श्री महेन्द्र नाथ यादव की विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर में स्थित नगर पालिका परिषद् बस्ती में सृजन के 40 वर्ष बाद आज तक सीवर लाइन की व्यवस्था न होने के

सम्बन्ध में है, चालीसवीं सूचना श्री विवेक कुमार वर्मा की जनपद पीलीभीत के बीसलपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्टाफ की कमी के सम्बन्ध में है, इक्तालीसवीं सूचना श्री नन्द किशोर की जनपद गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद् द्वारा गुणवत्ताविहीन कार्य की जाँच करने के सम्बन्ध में है, बयालीसवीं सूचना श्री देवन्द्र सिंह लोधी की जनपद लखनऊ के वृन्दावन योजना के अन्तर्गत सेक्टर 7 में निर्माणाधीन लिंक रोड पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतालीसवीं सूचना श्री जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानंद की जनपद पीलीभीत के बीसलपुर में गेहूँ के क्रय केन्द्र मण्डी में हैण्डलिंग एवं परिवहन बिल का भुगतान न होने के सम्बन्ध में है, चौवालीसवीं सूचना श्रीमती अजुला सिंह माहौर की जनपद हाथरस के 33 के0वी0ए0 का बिजलीघर चालू कराये जाने के सम्बन्ध में हैं, पैंतालीसवीं सूचना श्री प्रदीप कुमार चौधरी जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र धीमरी में कतिपय सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में है, छियालीसवीं सूचना श्री पंचानंद पाठक पी0एन0 पाठक की जनपद कुशीनगर के विकास प्राधिकरण में संस्थाओं की कमी के सम्बन्ध में है, सैंतालीसवीं सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद-सहारनपुर के रामपुर में निर्माण कार्यों में टी0ए0सी0 जाँच के सम्बन्ध में है, अड़तालीसवीं सूचना श्री देवेन्द्र सिंह की जनपद कासगंज के शहर कासगंज में कतिपय नालों के निर्माण के सम्बन्ध में है, उन्चासवीं सूचना श्री राजेश चौधरी की जनपद मथुरा की मांट मे विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में हैं, पचासवी सूचना श्री मुकेश चौधरी की जनपद सहारनपुर के नकुड़ में दूषित पानी से हो रही असुविधा के सम्बन्ध में है, इक्यावनवीं सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की जनपद सिद्धार्थनगर व बलरामपुर के बीच राप्ती नदी सिंगार जोत के पास एक पुल बना है जिसका उत्तरी एप्रोच टूट गया है, उसके टूटने से बस व ट्रक न जा पाने के सम्बन्ध में है, बावनवीं सूचना श्री पंकज गुप्ता की आवास एवं विकास परिषद् में कार्यरत कतिपय अधिकारियों की जाँच कराकर हटाये जाने के सम्बन्ध में है, तिरपनवीं सूचना श्रीमती नीलिमा कटियार की जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र कल्याणपुर के अन्तर्गत प्रदेश के विशिष्ट शैक्षणिक एवं अकादमिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सांइटिफिक सेंटर बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, चौवनवीं सूचना श्री अशरफ अली खान की जनपद शामली के थानाभवन में कतिपय जमीन को भू-माफियाओं से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचपनवीं सूचना श्री ब्रजभूषण राजपूत की जनपद महोबा के बजरंग नगर शहर मोहल्ला में भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जे के सम्बन्ध में है, छप्पनवीं सूचना श्री संजय कुमार शर्मा की जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर में राजकीय कन्या महाविद्यालय बनवाये जाने के सम्बन्ध में हैं, सत्तावनवीं सूचना श्री कमाल अख्तर की बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली दिए जाने व सब्सिडी के सम्बन्ध में है, अट्ठावनवीं सूचना श्री राजेश त्रिपाठी की जनपद गोरखपुर के विभिन्न ब्लाकों के मार्गों की मरम्मत के सम्बन्ध में है, उन्सठवीं सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली के ऊंचाहार खरौली संपर्क मार्ग को तीर के पुरवा निर्मित गंगा पुल तक चौड़ीकरण के सम्बन्ध में

है, साठवीं सूचना श्री सत्यपाल सिंह राठौर की जनपद एटा के थाना जैथरा के डुमरी चौकी को थाना बनाये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कसठवीं सूचना प्रो0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के विधान सभा में भुता कतिपय सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में हैं, बासठवीं सूचना श्री धीरेन्द्र सिंह की जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्राम अट्टा में सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है, तिरसठवीं सूचना श्री पीयूष रंजन निषाद की कर्मचारी राज्य बीमा निगम नैनी प्रयागराज को जनहित में संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौसठवीं सूचना श्री राम फेरन पाण्डेय की जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत इकौना बाजार सब्जी मण्डी के स्थान परिवर्तन के सम्बन्ध में है, पैसठवीं सूचना श्री प्रदीप कुमार यादव की प्रदेश के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अवर अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर उनके सेवाकाल में रहते हुए ही प्रोन्नति कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियासठवीं सूचना श्री वीरेन्द्र चौधरी की उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग में आरटीआई प्रयोगकर्ताओं की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में हैं, सरठवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के बदलापुर में कतिपय ग्राम में प्राथमिक विद्यालय के निर्माण के सम्बन्ध में है, अड़सठवीं सूचना श्री राजीव गुम्बर की जनपद सहारनपुर से नागल सड़क मार्ग पर कतिपय रेलवे क्रासिंग पर सेतु निर्माण के सम्बन्ध में हैं, उन्हतरवीं सूचना श्री राम पाल वर्मा की विधान भवन में आउटसोर्स के माध्यम से विद्युत कर्मियों के साथ हो रहे शोषण से मुक्ति दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तरवीं सूचना श्री अवधेश प्रसाद की जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों की मरम्मत के सम्बन्ध में है, इकहत्तरवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार की मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ में पूर्वी क्रासिंग में जाम के सम्बन्ध में है, बहत्तरवीं सूचना श्री राम सिंह की जनपद प्रतापगढ़ में शारदा सहायक खण्ड 36 में किसानों की फसल बर्बादी के सम्बन्ध में है, तिहत्तरवीं सूचना इंजी0 बृजेश कठेरिया की जनपद मैनपुरी के किशनी में भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जे के सम्बन्ध में है, चौहत्तरवीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की जनपद बलिया के तहसील सिकन्दरपुर के ब्लाक नवा नगर अन्तर्गत घाघरा नदी के किनारे ग्राम खरीद में पुलिस चौकी खोले जाने के सम्बन्ध में है, पचहत्तरवीं सूचना डॉ0 शिव प्रताप यादव की जनपद बलरामपुर के गैसड़ी में 132 के0वी0 उपकेन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में है, छियत्तरवीं सूचना श्री वीरेन्द्र कुमार यादव की जनपद जंगीपुर के गाजीपुर ग्राम में कतिपय सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में हैं, सतहत्तरवीं सूचना श्री गौरव कुमार की माध्यमिक/बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक के पदों पर पदोन्नत करने के सम्बन्ध में है, अठहत्तरवीं सूचना श्रीमती ऊषा मौर्या की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र हुसैनगंज के हथगाम कड़ा मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में है, उन्यासीवीं सूचना श्री नफीस अहमद की सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सेवानिवृत्त कर्मचारी का पी0एफ0/ग्रेच्युटी का भुगतान के सम्बन्ध में है, अस्सीवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर में कूड़े के निस्तारण के सम्बन्ध में है, इक्यासीवीं सूचना श्री रमेश जायसवाल की मुगलसराय, चंदौली में नगर पालिका

परिषद पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर के अन्तर्गत जी0टी0 रोड लिंक से नई बस्ती सोनकर बस्ती से होते हुए हरिशंकरपुर लिंक रोड तक निर्माण के सम्बन्ध में है, बयासीवीं सूचना श्रीमती सरिता भदौरिया की विधान सभा क्षेत्र इटावा, तहसील इटावा के अन्तर्गत ग्राम लोहिया खुर्द, पोस्ट खेड़ाहेलू, विकास खण्ड बसरेहर में प्राइमरी स्कूल का निर्माण कराने के सम्बन्ध में है, तिरासीवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की विधान सभा क्षेत्र, बदलापुर जौनपुर के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जमाऊपट्टी, नाभीपुर, गद्दोपुर, पूरालाल, लोहिन्दा, राजा बाजार, बरबसपुर, लेदुका, धनियामऊ के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में है, चौरासीवीं सूचना श्री अनिल कुमार की जनपद मुजफ्फरनगर थाना-पुरकाजी में दर्ज मु0सं0-218/21 में अभी तक कार्रवाई न किए जाने के सम्बन्ध में है, पच्चासीवीं सूचना श्री अभय सिंह की प्रा0ख0लो0नि0वि0 अयोध्या में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर आशीष कुमार पाण्डेय द्वारा अवैध रूप से की जा रही उगाही की जाँच करवाने के सम्बन्ध में है, छियासीवीं सूचना श्री प्रसन्न कुमार की सदर शामली के विकास खण्ड कांधला में ग्राम पंचायत गंगेरू जो कि पुराना कस्बा है, को नगर पंचायत बनाए जाने के सम्बन्ध में है, सत्तासीवीं सूचना श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू की जौनपुर-आजमगढ़ नेशनल हाई-वे से कोटिला बाजार तक मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में है, अट्ठासीवीं सूचना श्री अनिल पाराशर की सरोजनी नगर की वृंदावन योजना, जनपद लखनऊ में काश्तकारों को उनकी अर्जित भूमि के सापेक्ष 05 प्रतिशत-का भूखण्ड आवंटन कराए जाने के सम्बन्ध में है, नवासीवीं सूचना भी भगवान सिंह कुशवाहा की विधान सभा खैरागढ़, जनपद आगरा में ब्लॉक सैया में इरादत नगर से मिहावा होते हुए मोतीपुरा तक सड़क चौड़ीकरण एवं मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में है, नब्बेवीं सूचना श्री ओम प्रकाश की नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग द्वारा आई0ए0एस0 अधिकारियों की नियुक्ति/तैनाती में आर0ए0एस0 (कैडर) रूल्स के नियम-10 व नियम का पालन नहीं किए जाने के सम्बन्ध में है, इक्यानबेवी सूचना श्री राजेश्वर सिंह की विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर, लखनऊ के अन्तर्गत गोसाईगंज-मोहनलालगंज-बनी-मोहान मार्ग को फोरलेन कर चौड़ीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में है, बान्नबेवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद रायबरेली व जनपद प्रतापगढ़ को सीधे तौर पर जोड़ने हेतु पक्के पुल के निर्माण के सम्बन्ध में तिरान्नबेवीं सूचना श्री सुरेन्द्र चौरासिया की जनपद देवरिया के दंबगों द्वारा जनपद गोरखपुर में जमीनों पर अवैध कब्जों कें सम्बन्ध में है, चौरान्नबेवीं सूचना श्री वीरेंद्र सिंह लोधी की विधान सभा क्षेत्र मारहरा जनपद एटा के मरथरा मोहनपुर वाया मेरहची नगर पंचायत व मारहरा नगर पालिका लम्बाई 28 किमी0 जनपद कासगंज की कासगंज-बरेली फोरलेन के सौंदर्यीकरण व चौड़ीकरण के सम्बन्ध में हैं, पंचान्नबेवी सूचना श्री प्रेम नारायण पाण्डेय की विधान सभा क्षेत्र तरबगंज जनपद गोंडा में गोंड़वा पक्की सड़क से थड़क्की पट्टी संपर्क मार्ग के डामरीकरण के सम्बन्ध में है, छियान्नबेवीं सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की नगर पंचायत खखरेरू में नवीन तहसील का सृजन करने के

सम्बन्ध में है, सत्तान्नवेवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की गरौठा विधान सभा क्षेत्र में जर्जर सड़कों के मरम्मतीकरण के सम्बन्ध में है, अट्ठानवेवी सूचना श्री स्वामी ओउमवेश की हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर, उप स्वास्थ्य केंद्र दुबेपुर, ब्लॉक सिकंदरपुर करन जनपद उन्नाव में ए0एन0एम0 की नियुक्ति के सम्बन्ध में है, निन्यानवेवीं सूचना श्री हरिओम वर्मा की जनपद कासगंज के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र अमांपुर के ग्राम राम छितौनी में सीता माता मंदिर में आवास, बाउंड्रीवाल, सौंदर्यीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में है, सौवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के रसड़ा स्थित जिला अस्पताल के बाद सबसे बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मानकानुसार विशेषज्ञ चिकित्सक न होने के सम्बन्ध में है, एक सौ एकवीं सूचना श्री राज अचल राजभर की भर/राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के सम्बन्ध में है, एक सौ दोवीं सूचना श्री लालजी वर्मा की जनपद प्रयागराज में विकास खण्ड शंकरगढ़ के अन्तर्गत ग्राम भोड़ी सहित कई गांवों के किसानों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में है, एक सौ तीनवीं सूचना श्री जगदीश नारायण की जफराबाद, जौनपुर में सई नदी पर सलखापुर व गुतवन के मध्य प्लाटून ब्रिज लगने के सम्बन्ध में हैं, एक सौ चारवीं सूचना श्री छोटे लाल वर्मा की फतेहाबाद, जनपद आगरा में ग्राम उझावली पुल से लेकर फतेहाबाद-फिरोजाबाद मार्ग तक अधूरे सर्विस लेन को पूरा करने की है, एक सौ पांचवी सूचना श्री रवि शर्मा की विधान सभा क्षेत्र झांसी-नगर के अंतरर्राज्यीय बस स्टैंड को बाहरी क्षेत्र में स्थानांतरित किए जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ छठवीं सूचना श्रीमती गीता शास्त्री (पासी) की विधान सभा क्षेत्र सोरांव के अन्तर्गत (मसियांव ताल) मनसैता नाला साफ कराने के सम्बन्ध में है, एक सौ सातवीं सूचना श्री तुफानी सरोज की केराकत, जनपद जौनपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा तरांव बगहीं दलित बस्ती से कोईलारी बाजार तक शून्य से लेपन स्तर तक पिच रोड का निर्माण कराने के सम्बन्ध में है, एकसौ आठवीं सूचना श्री विनोद चतुर्वेदी की जनपद उरई जालौन के कालपी में कतिपय सड़क निर्माण के सम्बन्ध में है, एक सौ नौवीं सूचना श्री बेचई सरोज की लालगंज के कतिपय सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में है, एक सौ दसवीं सूचना श्री पंकज सिंह की नोएडा में राजकीय कन्या डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ ग्यारहवीं सूचना श्री मनीष रावत की जनपद सीतापुर के सिधौली के ग्राम धरांवा में निराश्रित गोवंश के लिये एक सरकारी गौशाला का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ बारहवीं सूचना श्री विनय प्रकाश गोंड की जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड रामकोला की ग्राम अमवा बाजार रोड में कतिपय मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में है, एक सौ तेरहवीं सूचना श्री तसलीम अहमद की जनपद बिजनौर के नजीबाबाद में ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि के सम्बन्ध में है, एक सौ चौदहवीं सूचना श्री अताउर्रहमान की जनपद बरेली के ग्राम चन्गासी में 33 के0वी0ए0 सब स्टेशन निर्माण के सम्बन्ध में है, एक सौ पन्द्रहवीं सूचना श्री वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के विकास खण्ड खुदागंज में सहकारी समिति गोविन्दपुर

प्रथम विकास खण्ड जैतीपुर के जिला प्रबन्धक द्वारा की जा रही धांधली के सम्बन्ध में है, एक सौ सोलहवीं सूचना श्री सुभाष त्रिपाठी की जनपद बहराइच की विधान सभा क्षेत्र प्रयागपुर के अन्तर्गत किसानों के बकाया मूल्य भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ सत्रहवीं सूचना डॉ0 मनोज कुमार प्रजापति की जनपद हमीरपुर के नगर पंचायत सुमेरपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र न होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं, एक सौ अट्ठारहवीं सूचना श्री तेजपाल सिंह नागर की जनपद अयोध्या के खतौनी सं0 00666 की पैमाइश कराये जाने के सम्बन्ध में हैं, एक सौ उन्नीसवीं सूचना श्री विवेकानन्द पाण्डेय की जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत महराजगंज को जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में है, एक सौ बीसवीं सूचना श्री बृजेश कुमार की मिर्जापुर मे भटौली घाट सम्पर्क मार्ग की मरम्मत सम्बन्ध में है, एक सौ इक्कीसवीं सूचना श्री अनिल सिंह की जनपद उन्नाव के पालिका केन्द्रीयत राजस्व सेवा में अपर नगर आयुक्त राजस्व के पदों को सृजन किये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ बाइसवीं सूचना श्री वीरेन्द्र चौधरी की फरेन्दा में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में है, एक सौ तेइसवीं सूचना श्री बेदी की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनिया में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों की गुणवत्ता की जाँच के सम्बन्ध में है, एक सौ चौबीसवीं सूचना श्री जय प्रकाश अचंल की जनपद बलिया की में पशुपालन किसानों की विषम परिस्थिति के सम्बन्ध में है, एक सौ पच्चीसवीं सूचना श्री आनन्द कुमार यादव की जनपद बाराबंकी के तहसील नवाबगंज के ग्राम भानमऊ में भूमि के कब्जे के सम्बन्ध में है, एक सौ छब्बीसवीं सूचना श्रीमती केतकी सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बासडीह में कतिपय मार्ग की कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ सत्तइसवीं सूचना श्री राज प्रसाद उपाध्याय की जनपद मिर्जापुर मे भटौली घाट सम्पर्क मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में है, एक सौ अट्ठाइसवीं सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की जनपद मुजफ्फरनगर की विधान सभा क्षेत्र चरथावल में स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ उन्तीसवीं सूचना श्री अमरेश कुमार की जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज में कतिपय सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में है, एक सौ तीसवीं सूचना श्री मदन भैया की जनपद गाजियाबाद के अधिशाषी अधिकारी के खिलाफ जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ इकतीसवीं सूचना श्री सरवन कुमार निषाद की जनपद अमेठी में फर्जी दस्तावेज के आधार पर कब्जे के सम्बन्ध में है, एक सौ बत्तीसवीं सूचना श्री नीरज बोरा की जनपद लखनऊ में आंधी में गिरे पेड़ को हटाने में दस माह से भी अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी कार्रवाई न होने के सम्बन्ध में है, एक सौ तैतीसवीं सूचना श्री मानवेन्द्र सिंह की जनपद लखनऊ के ग्राम भैंसामऊ में कतिपय भूमि को खाली कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ चौतीसवीं सूचना श्री श्रीराम अवतार सैनी की विधान सभा क्षेत्र नूरपुर, जनपद बिजनौर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभी रिक्त विशेषज्ञ पद भरे जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ पैतीसवीं सूचना श्री सचिन यादव की विधान सभा क्षेत्र जसराना में विकास खण्ड हाथवंत के

नंगला हरि सिंह स्थित जेडा झाल परियोजना की नहर से सम्बन्धित सेंगर नदी की सफाई के सम्बन्ध में है, एक सौ छत्तीसवीं सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की चंदौली के डिघवट वरंगा मार्ग मरम्मत के सम्बन्ध में है, एक सौ सैंतीसवीं सूचना श्री आशु मलिक की खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों को सहायता देने के सम्बन्ध में है, एक सौ अड़तीसवीं सूचना श्री सौरभ सिंह सोनू की सचिवालय डिस्पेंसरी में तैनात डॉ0 पंकज उपाध्याय के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में है, एक सौ उन्तालीसवीं सूचना श्री पंकज पटेल की मुंगराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर में जलभराव के सम्बन्ध में है, एक सौ चालीसवीं सूचना श्री कविंद्र चौधरी की समाज कल्याण से सम्बन्धित शिक्षकों के मानदेय के सम्बन्ध में है, एक सौ इकतालीसवीं सूचना श्री अजय सिंह की बस्ती जनपद में हरैय्या विधान सभा क्षेत्र में बिमला देवी पुत्री श्री हीरालाल के परिवार रजिस्टर में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में है, एक सौ बयालीसवीं सूचना श्री जीत लाल पटेल की जनपद प्रतापगढ़ में भूमि के अवैध कब्जे के सम्बन्ध में है, एक सौ तैतालीसवीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की जनपद अमेठी के गौरीगंज में लेखपाल की लापरवाही से किसान दुर्घटना बीमा का लाभ न मिल पाने के सम्बन्ध में है, एक सौ चौवालीसवीं सूचना श्री उमर अली खान की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के विकास खण्ड मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड सडोली कदीम के ग्राम में पीने के पानी की समस्या के सम्बन्ध में है, एक सौ पैंतालीसवीं सूचना श्री आर0 के0 वर्मा की जनपद मेरठ में स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्व विद्यालय कर्मियों द्वारा कोविड काल में इंजेक्शन की कालाबजारी के सम्बन्ध में है, एक सौ छियालीसवीं सूचना श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू' की नगर विकास सहकारी बैंक लिमिटेड में कार्यरत कतिपय कर्मचारी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जाँच के सम्बन्ध में है, एक सौ सैंतालीसवीं सूचना श्री अनिल कुमार त्रिपाठी की जनपद संतकबीरनगर के मेंहदावल में कतिपय स्थानों पर बस संचालन के सम्बन्ध में है, एक सौ अड़तालीसवीं सूचना श्री हंसुराम की जनपद आजमगढ़ के तहसील मौजा में कतिपय मुकदमे में सी0ओ0 सिटी द्वारा जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ उन्चासवीं सूचना श्री गणेश चन्द्र की विकास खण्ड हैंसर के ग्राम पंचायत सिरसी में निर्माणाधीन राजकीय आई0टी0आई0 का निर्माण कार्य पूरे कराने के सम्बन्ध में है, एक सौ पचासवीं सूचना श्री समरपाल सिंह की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगावां में कतिपय सड़क के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में है, एक सौ इक्यानवीं सूचना डॉ0 पल्लवी पटेल की नगर निगम लखनऊ के पटेल नगर में आवासीय परिसर में स्थित म0सं0-88 में अवैध रूप से होटल संचालित होने के सम्बन्ध में है, एक सौ बावनवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद अयोध्या के रूदौली क्षेत्र में कतिपय विभागों के संचार को बाराबंकी से मुख्यालय अयोध्या किये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ तिरपनवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर के कस्बा किरतपुर में स्थित दादा मोइनुद्दीन के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में है तथा एक सौ

चौवनवीं सूचना श्री बम्बा लाल की जनपद उन्नाव के राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है।

उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय कार्ड धारकों को त्योहारों पर एक किलो चीनी प्रति कार्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

वर्तमान में प्रदेश के समस्त अत्योदय राशन कार्ड...

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[धारकों को प्रतिमाह 01 किग्रा0 चीनी का वितरण किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 12 मई, 2017 के माध्यम से यह अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू होने के उपरांत बी0 पी0 एल0 श्रेणी का चिन्हांकन नहीं रह गया है। अंत्योदय अन्न श्रेणी के लाभार्थी चिन्हित हैं, अतः भारत सरकार द्वारा मात्र अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों के लिए 01 किलोग्राम चीनी प्रति परिवार प्रतिमाह पी0डी0एस0 के अन्तर्गत जारी रखी गयी है। उक्त योजना के लाभार्थी के लिए भारत सरकार द्वारा रु0 18.50 प्रति किलोग्राम की दर से सब्सिडी अनुमन्य है व शेष मूल्य का वहन अन्त्योदय लाभार्थी द्वारा किया जाता है। रु0 18.50 प्रति किलोग्राम की सब्सिडी की धनराशि में सभी प्रशासनिक, परिवहन व अन्य व्यय सम्मिलित हैं।

अतः उक्त के दृष्टिगत पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को त्यौहार आदि पर चीनी वितरित कराये जाने का अवसर नहीं है]

जनपद-आजमगढ़ में मूल्य समर्थित योजनान्तर्गत धान खरीद की आन-लाइन फीडिंग न होने से जनपद के किसानों को होने वाली समस्या के समाधान के सम्बन्ध में श्रीमती पूजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत की गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस लोक महत्व-

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गन्ना विकास एवं चीनी मिले मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य गन्ना विकास एवं चीनी मिले मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[के विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ कि हमारे जनपद आजमगढ़ में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत की जा रही धान खरीद 2022-23 में दिनांक 25-01-2023 को पी0सी0एफ0 द्वारा संचालित धान खरीद क्रय केन्द्रों का काँटा शून्य कर पोर्टल बन्द कर दिया गया। पोर्टल खुलने की प्रत्याशा में धान की तौल करा ली गयी, किन्तु पोर्टल बन्द हो जाने के कारण ऑनलाइन फीडिंग नहीं हो पायी है। जिसके कारण खरीद प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी है, धान क्रय नीति के अनुसार पोर्टल पर दर्शित होने वाली ऑनलाइन खरीद ही वास्तविक खरीद है। ऐसी स्थिति में किसानों में आक्रोश एवं असंतोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण पर सरकार द्वारा की जानी वाली कार्रवाई पर वक्तव्य दिलाये जाने की मांग करती हूँ।

उत्तर

अवगत कराना है कि खाद्य विभाग के क्रय केन्द्रों के कांटे बन्द नहीं थे। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में जनपद आजमगढ़ में पी0सी0एफ0 द्वारा संचालित धान क्रय केन्द्रों द्वारा दिनांक 25-01-2023 को धान खरीद की गयी, किन्तु पी0सी0एफ0 क्रय केन्द्रों का काँटा बन्द होने के कारण ऑनलाइन फीडिंग नहीं हो पायी थी। ऐसे किसान जिनके धान की तौल पी0सी0एफ0 क्रय केन्द्रों पर हुई थी, उनके धान को खाद्य विभाग के क्रय केन्द्रों पर प्रेषित कर ऑनलाइन फीडिंग/धान खरीद करा दी गयी है।]

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्या, पूजा सरोज जी आपको उत्तर मिल गया है। क्या आप उत्तर से खुश नहीं है ?

श्रीमती पूजा-

नहीं, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

अपनी संतुष्टि के लिए आप क्या पूछना चाहती हैं, पूछिए।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्रीमती पूजा-

मान्यवर, एक्चुअली मैंने प्रश्न किया था कि हमारे जिले आजमगढ़ में 25 जनवरी को ही पी0सी0एफ0 के पोर्टल्स बंद कर दिये गये थे जिसके तहत् किसानों का धान जो क्रय किया गया था वहाँ पर तौल करके केन्द्रों पर रखवा तो लिया गया था परन्तु उसकी ऑन लाइन फीडिंग न होने की वजह से उनको खरीदा नहीं माना जा रहा था। इसमें मान्यवर, उत्तर मिला है कि धान खरीद कर ली गयी है तो मैं यह सरकार से पूछना चाहूँगी कि कितनी धान की खरीद कर ली गयी है और कितना अभी बचा है मान्यवर, अभी मैने पता लगाया तो उसमें अभी पहले जब डी0एम0 ने पी0सी0एफ0 से आख्या माँगी थीं तो पी0सी0एफ0 ने अपनी आख्या में बताया था कि अभी 20 हजार क्विंटल से ज्यादा धान जो फीडिंग के लिए बचा हुआ है, वह अभी केन्द्रों पर ही रखा हुआ है लेकिन अभी इन्होंने जितना धान क्रय कराया है वह 50 परसेन्ट भी नहीं है। अभी हमारे क्षेत्र में दामा सेन्टर, करवा सेन्टर, टोडर सेन्टर, होलपुर सेन्टर, किशुनदास सेन्टर में किसानों से फोर्सफुली कहा जा रहा है कि आप अपना धान ले जाइये हम इसको खरीद नहीं सकते हैं जबकि मान्यवर, पी0सी0एफ0 ने पहले ही यह माना था कि अभी 20 हजार क्विंटल से ज्यादा धान है उसकी खरीद कब की जाएगी उसको कब खरीदा जाएगा।

श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, दिनांक 25-01-2023 को पी0सी0एफ0 क्रय केन्द्र का पोर्टल खराब हो गया था इसलिए वहाँ धान की तौल नहीं हो सकी थी। मात्र 282 किसान थे, 1121 क्विंटल उनका धान था। खाद्य विभाग द्वारा उन सबका धान तुलवा दिया गया और उनका पेमेण्ट भी करा दिया गया है।

श्रीमती पूजा-

मान्यवर, डी0एम0 के पत्र पर पी0सी0एफ0 ने आख्या दी थी उसमें 5358 किसानों के बारे में इन्होंने बात की और 20,302 क्विंटल धान की बात ऑन पेपर कही गयी है और सर बता रहे हैं कि 1121 क्विंटल धान था। आप एक तरफ कहते हैं कि किसानों के हितैषी हैं और फिर आप इस तरह से बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

इसको दिखवा लीजियेगा माननीय मंत्री जी।

श्री लक्ष्मी नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं। मैं गलत कह गया था। धान 11,215 कुंटल था, जिसकी तुलवायी हुई है पैसों का भुगतान हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, पूजा जी, आप दे दीजिये, मैं मंत्री जी के पास भिजवा दूंगा, जो उसमें होगा वह करवा देंगे।

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वार्ड सं0-37 में भू-खण्ड को अधिग्रहण से मुक्त करवाने, उचित मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में श्री राम खिलाड़ी सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

प्रकरण में कानपुर विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 02-03-2023 द्वारा अवगत कराया गया है .....

श्री लालजी वर्मा-

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[कि तहसीलदार/विशेष कार्याधिकारी (लैण्ड बैंक) द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्यानुसार मकान संख्या-12/192 एवं मकान संख्या-12/199 के अर्जन की कार्रवाई म्युनिसिपल कार्पोरेशन एक्ट के तहत् वर्ष 1963 एवं वर्ष 1964 में पूर्ण की गई थी। अर्जित भूमि से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा मुआवजा प्राप्त होने के उपरान्त मुआवजे के सम्बन्ध में कोई आपत्ति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। भूमि के अर्जन की कार्रवाई पूर्ण होने के 50 से 55 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त उक्त भू-खण्ड के मुआवजे/अधिग्रहण मुक्त कराने की मांग किया जाना मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर प्रतिपादित विधिक सिद्धान्तों के विपरीत है।]

प्रदेश के नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिशाषी अधिकारियों की मूल विभाग में वापसी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भइया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि-

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1-उ0प्र0 के नगर निकायों में संख्या की वृद्धि तथा अधिशाषी अधिकारी श्रेणी-3 एवं अधिशाषी अधिकारी, श्रेणी-2 .....

श्री लालजी वर्मा-

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(नगर विकास मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[अधिशाषी अधिकारी श्रेणी-3 एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत पदों पर रिक्ति के दृष्टिगत दूसरे विभाग के कार्मिकों का अधिशाषी अधिकारी श्रेणी-1/ सहायक नगर आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी श्रेणी-2, अधिशाषी अधिकारी श्रेणी-3 एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत के पद पर पूर्णकालिक व्यवस्था होने तक या वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-जी-1-176 / दस-99-534 (46) /76टीसी, दिनांक 16-03-1999 के प्रस्तर-2 में निहित व्यवस्था (जो पहले हो) के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति पर तैनाती की गयी।

(2) निदेशक, नगर निकाय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर अवगत कराना है कि वर्तमान में प्रदेश में कुल 762 नगर निकाय हैं, जिसमें से 111 नव सृजित नगर पंचायतें, 124 नागर निकायों का विस्तार एवं 04 नगर निकायों का उच्चीकरण किया गया है, जिसके कारण नव सृजित नागर पंचायतें एवं उच्चीकृत/सीमा विस्तारित नगरीय निकायों के कार्यों, दायित्वों में वृद्धि के दृष्टिगत निकायों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर अधिशाषी अधिकारियों की तैनाती की गयी है।

(3) अधिशाषी अधिकारी श्रेणी-1/सहायक नगर आयुक्त के रिक्त पदों के सापेक्ष उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से 12 अभ्यर्थियों के चयन की संस्तुति उपलब्ध करायी गयी है। नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत कर तैनाती किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उक्त पद पर नियमित तैनाती हो जाने के पश्चात् प्रतिनियुकित के आधार पर तैनात 07 अधिशाषी अधिकारी श्रेणी-1 / सहायक नगर आयुक्त को उनके पैतृक विभाग में वापस किया जाना सम्भव है।

(4) अधिशाषी अधिकारी श्रेणी-2 शत-प्रतिशत पदोन्नति का पद है। पदोन्नति हेतु अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध होने के कारण उन्हें पदोन्नति कर अधिशाषी अधिकारी श्रेणी-2 के रिक्त पदों पर नियमित तैनाती करते हुए प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात समस्त कार्मिकों को उनके पैतृक विभाग में वापस कर दिया गया है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(5) अधिशाषी अधिकारी श्रेणी-3 शत-प्रतिशत पदोन्नति का पद है। पदोन्नति हेतु निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण अधिशाषी अधिकारी श्रेणी-3 के रिक्त पद के सापेक्ष अन्य विभाग के 12 कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं। पदोन्नति हेतु अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर पदोन्नति कर नियमित तैनाती करते हुए प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत कार्मिकों को उनके पैतृक विभाग में वापस किया जाना सम्भव है।

(6) अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत शत-प्रतिशत आयोग की परिधि का पद है। रिक्त पदों का अधियाचन उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ को प्रेषित किया गया है, जिसके सापेक्ष 94 अभ्यर्थियों के चयन की संस्तुति निदेशालय में प्राप्त हो गयी है। इसके अतिरिक्त 124 पदों का अधियाचन आयोग में लम्बित है। नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने / तैनाती किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इन सभी 94 की नियुक्ति के उपरान्त भी प्रदेश की लगभग 200 नगर पंचायतों में अधिशाषी अधिकारी का पद रिक्त रह जायेगा।

3-इस प्रकार प्रदेश के नागर निकायों में जैसे-जैसे नियमित अधिशाषी अधिकारी की तैनाती होती जायेगी, वैसे-वैसे प्रतिनियुक्ति पर तैनात कार्मिकों को उनके पैतृक विभाग में वापस किया जाना सम्भव है।]

जनपद उन्नाव में वित्तीय अनियमितता के बावजूद ग्राम प्रधान को निलम्बित न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य

लोक निर्माण मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)-

निदेशक, पंचायती राज द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री अमर किशोर, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत बछौरा, जनपद उन्नाव ....

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य लोक निर्माण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री जितिन प्रसाद-

[के विरुद्ध मुकदमा 0513 भा0 द0 संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत दिनांक 15-10-2022 को पंजीकृत कराया गया है, जो मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। इसके

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतिरिक्त दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रुपये 137220.00 की वसूली के आदेश निर्गत किए गये हैं। प्रश्नगत प्रकरण में जिला प्रशासन उन्नाव द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।]

श्री अध्यक्ष-

उमाशंकर सिंह, आप पूछेंगे नहीं तो ये पता कैसे चलेगा कि आप उमाशंकर सिंह हैं।

*** श्री उमाशंकर सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, जो जवाब आया है उस जवाब में कुछ विरोधाभास है, इन्होंने जवाब दिया है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जिस वजह से प्रधान को बर्खास्त नहीं किया गया है लेकिन न्यायालय का जो आर्डर है उसमें प्रधान स्टे के लिए कोर्ट में गये थे वह मामला विचाराधीन है। अध्यक्ष जी, अपने रिपोर्ट में इन्होंने दिखाया है कि रु0 1,37,220 वसूली करने के लिए प्रधान को नोटिस दिया जा चुका है। तो क्या ऐसी स्थिति के बाद प्रधान को बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए ?

***श्री जितिन प्रसाद-**

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक इस प्रकरण का सवाल है, मुकदमा कर दिया गया है और एक बड़ा अच्छा शब्द है उसे माननीय सदस्य भी बहुत इस्तेमाल करते होंगे वो है 'सबज्यूडिस' मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उसके तहत् जब मामला न्यायालय में है और प्रक्रिया चल रही है तो मैं समझता हूँ कि यहां उसका कुछ औचित्य नहीं है। मगर माननीय सदस्य को इतना मैं बता सकता हूँ कि वसूली की प्रक्रिया भी शुरू है और जैसे ही न्यायालय अपना मत देगा उस हिसाब से कार्रवाई की जायेगी।

जनपद-मुरादाबाद के तहसील बिलारी में भोलाराम पेपर मिल में अवैध कब्जे व प्रदूषण आदि के निदान के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद फहीम इरफान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यावरण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के--

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री दे दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[पत्र संख्या-जी-40281/सी-7/नोडल विधान स0-203/23, दिनांक 02-03-2023 द्वारा श्री मौहम्मद फहीम इरफान, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 28-02-2023 को दी गयी सूचना के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार निम्नवत् अवगत कराना है-

1-उद्योग मैसर्स भोलाराम पेपर एण्ड पॉवर प्रा0 लि0 (यूनिट-1) एवं उद्योग मैसर्स भोलाराम पेपर एण्ड पॉवर प्रा0 लि0 (यूनिट-2) जोकि विगत कई वर्षों पूर्व बन्द कर दी गई थी। प्रश्नगत उद्योग द्वारा दिनांक 25-09-2021 से पुनः उत्पादन कार्य प्रारम्भ किया गया है।

2-उद्योग में कच्चे माल के रूप में वेस्ट पेपर का उपयोग करते हुए यूनिट-1 के द्वारा क्राफ्ट पेपर-350 मी0टन प्रति दिन एवं यूनिट-2 में न्यूज़ प्रिंट व राइटिंग पेपर-100 मी0टन प्रति दिन का उत्पादन किया जाता है।

3-उद्योग में यूनिट-1 से लगभग 1025 के0एल0डी0 एवं यूनिट-2 से लगभग 840 के0एल0डी0 औद्योगिक उत्प्रवाह जनित होता है। उक्त दोनों यूनिट से जनित होने वाले औद्योगिक उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु पृथक-पृथक रूप से उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित/संचालित हैं। उद्योग की यूनिट-1 शून्य उत्प्रवाह निस्तारण (जेड0एल0डी0) पर आधारित है तथा शुद्धिकृत औद्योगिक उत्प्रवाह को प्रक्रिया में पुनः प्रयोग/सिंचाई हेतु प्रयोग किया जाता है तथा यूनिट-2 शुद्धिकृत उत्प्रवाह को यथासंभव प्रक्रिया में पुनः प्रयोग किया जाता है तथा अरिल नदी में भी निस्तारित किया जाता है।

4-क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा उक्त औद्योगिक इकाईयों का निरीक्षण, जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाता है।

5-क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा उक्त संदर्भित इकाईयों का अघतन निरीक्षण दिनांक 01-03-2023 को किया गया। उक्त निरीक्षण के दौरान उद्योग मैसर्स भोलाराम पेपर एण्ड पॉवर प्रा0 लि0 (यूनिट-1) द्वारा शोधित उत्प्रवाह को पुनः प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता पाया गया तथा उद्योग परिसर के बाहर उत्प्रवाह निस्तारित किया जाता नहीं पाया गया।

6-निरीक्षण दिनांक 01-03-2023 के दौरान उद्योग मैसर्स भोलाराम पेपर एण्ड पॉवर प्रा0 लि0 (यूनिट-2) में स्थापित ई0टी0पी0 सुचारू रूप से कार्यरत पाया गया तथा ई0टी0पी0

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के आउटलेट से शुद्धिकृत उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर विश्लेषित कराया गया, जिसमे मुख्य प्रदूषणकारी प्रचालकों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये गये।

7-जनपद प्रयागराज में आयोजित माघ मेले के दौरान जिला स्तरीय समिति के साथ क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा उक्त इकाईयों का निरीक्षण दिनांक 13-01-2023, 19-01-2023 एवं 03-02-2023 को किया गया, जिसमें उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र सुचारू रूप से संचालित पाए गए।

8-क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा दिनांक 12-04-2022, दिनांक 19-01-2023 को उद्योग मैसर्स भोलाराम पेपर एण्ड पॉवर प्रा0 लि0 (यूनिट-2) के ई0टी0पी0 के आउटलेट से शुद्धिकृत उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर विश्लेषित कराया गया, जिसमे प्रदूषणकारी प्रचालकों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये गये।

9-दिनांक 01-03-2023 को क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा अरिल नदी का जल नमूना एवं नदी के आस-पास के ग्राम देवरी, ग्राम दिनौरा, ग्राम खाता, ग्राम हमजापुर एवं ग्राम खानपुर के हैंडपम्प से भू-गर्भीय जल नमूने एकत्र किए गए। उक्त नमूनों की विश्लेषण आख्या के अनुसार अरिल नदी एवं उक्त स्थलों के भू-गर्भीय जल के प्रचालक मानकों के अनुरूप पाए गए हैं।

10-क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा पूर्व में अरिल नदी का जल नमूना दिनांक 09-12-2020 एवं अरिल नदी के पास स्थित ग्राम देवरी के हैडपम्प का दिनांक 26-06-2020 तथा उद्योग परिसर में स्थित हैडपम्प का जल नमूना दिनांक 09-03-2021 को एकत्र किया गया, जिसमें जल नमूनों की गुणता निर्धारित मानकों के अनुरूप पायी गयी।

11-उद्योग द्वारा परिसर में स्थित नलकूपों एवं परिसर के बाहर स्थित नलकूप के भू-जल नमूनों की जाँच एन0ए0बी0एल0 से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से दिनांक 11-04-2022 को कराया गया, जिसमें जल नमूनों की गुणता निर्धारित मानकों के अनुरूप पायी गयी।

12-उद्योग में जल आपूर्ति हेतु 03 नलकूप स्थापित हैं, जिन पर वॉटर फ्लो मीटर स्थापित है। उद्योग द्वारा भू-जल दोहन हेतु भूगर्भ जल विभाग से प्राधिकार / अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया, जिसकी वैधता दिनांक 12-08-2026 तक है।

13-उद्योग मैसर्स भोलाराम पेपर एण्ड पॉवर प्रा0 लि0 (यूनिट-1) में 80 टी0पी0एच0 क्षमता का ब्वायलर स्थापित हैं जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में इलेक्टोस्टेटिक प्रेसिपेटर (ई0एस0पी0) एवं भूतल से लगभग 76 मी0 ऊंची चिमनी स्थापित है तथा वायु गुणता के सतत् अनुश्रवण हेतु ऑनलाइन कान्टीनुअस इमीशन मॉनीटरिंग सिस्टम (ओसीईएमएस) की स्थापना की गई है।

14-क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा उद्योग मैसर्स भोलाराम पेपर एण्ड पॉवर प्रा0 लि0 (यूनिट-1) में स्थापित उक्त ब्वायलर का अनुश्रवण दिनांक 01-03-2023 को किया गया जिसमें चिमनी से निस्तारित उत्सर्जन में प्रचालक मानकों के अनुरूप पाये गये।

15-अरिल नदी में मैसर्स भोलाराम पेपर एण्ड पॉवर प्रा0 लि0 द्वारा निस्तारित उत्प्रवाह से नदी प्रदूषित होने तथा उक्त प्रदूषित जल को गौवंश द्वारा पीने के कारण गौवंश बीमार होने एवं उनकी मृत्यु के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के पत्र दिनांक 02-03-2023 द्वारा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

16-मैसर्स भोलाराम पेपर एण्ड पॉवर प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम समाज की 02 बीघे से अधिक भूमि, वाल्मीकी समाज के श्मशान घाट व 03 चकरोडों पर बाउण्ड्रीवाल करके अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में सूचना प्रेषित किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के पत्र दिनांक 02-03-2023 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है।]

जनपद-मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना के सामुदायिक केन्द्र में डाक्टर एवं नर्स स्टाफ की कमी के सम्बन्ध में श्री राजपाल सिंह बालियान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गढ़ीनौआवाद कई वर्षों से संचालित है जिसमें ....

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[30 बेड उपलब्ध है। यहाँ डॉ0 अरविन्द्र कुमार कम्बोज (चिकित्साधिकारी), डॉ0 इति सिंह (डेन्टल सर्जन) तैनात हैं। स्टाफ नर्स के पद पर श्रीमती वन्दना, फार्मासिस्ट के पद पर श्री सुधीर कुमार एवं श्री संजीव मलिक तथा ए0एन0एम0 के पद पर श्रीमती इन्दिरा रानी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कार्यरत हैं। श्री विनोद (स्वीपर कम चौकीदार) सफाईकर्मी, श्री अनिल कुमार, वार्ड ब्वाय एवं श्रीमती प्रीति (चतुर्थ श्रेणी कार्मिक) के रूप में तैनात हैं।

बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ जनहित को उपलब्ध कराने हेतु हैल्थ एण्ड वैलेनस सेन्टर की स्थापना की गयी है। श्री शोभित (सी0एच0ओ0) को इस केन्द्र पर तैनात किया गया है। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनात इन कार्मिकों द्वारा जनसामान्य को बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है।

यह भी अवगत कराना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गढ़ीनौआवाद, तहसील बुढ़ाना क्षेत्र के अन्तर्गत आता है तथा तहसील स्तर पर एफ0आर0यू0, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बुढ़ाना की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है, तहसील बुढ़ाना के क्षेत्र ब्लाक शाहपुर के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहपुर की दूरी लगभग 11 किलोमीटर है जहाँ पर प्रसव, ओ0पी0डी0/आई0पी0डी0, सर्जरी, ए0आर0वी0, टीकाकरण अन्य सभी चिकित्सा सुविधाएं 24x7 उपलब्ध है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बुढ़ाना तहसील स्तरीय केन्द्र होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गढ़ीनौआवाद से गम्भीर मरीजों को सन्दर्भित कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बुढ़ाना रेफर कर दिया जाता है।]

मा0 सदस्यों के सामूहिक फोटोग्राफी के सम्बन्ध में सदन को सूचना

श्री अध्यक्ष-

सभी माननीय सदस्यों के लिए सूचना है कि वह इसके बाद 5 बजकर 10 मिनट तक फोटोग्राफी के लिए अपना स्थान ग्रहण कर लें। माननीय मंत्रीगण और माननीय सदस्यगण पूर्व निर्धारित स्थान पर ही बैठेंगे अथवा खड़े होंगे। मेरा निवेदन है कि किसी का नाम उस सीट पर अगर लिखा हुआ है तो अच्छा नहीं रहेगा कि वह वहां पर बैठे। कोई दूसरा व्यक्ति आकर आपसे कहे कि आप यहां से उठें, तो जहां पर नाम लिखा है वहीं पर बैठेंगे और नाम नहीं लिखा है, जहां पर फ्री सीटिंग है या फ्री स्टैण्डिंग है वहां पर अपने आप सब लोग अपना पूर्व निर्धारित स्थान ले लेंगे। समस्त माननीय सदस्यगण को यह सूचित किया जाता है कि फोटोग्राफी स्थल पर किसी भी सहयोगी को अपने साथ नहीं ले जायें क्योंकि अगर आप किसी सहयोगी को अपने साथ ले गये तो उससे कहा जायेगा कि यहां से हट जाओ क्योंकि माननीय सदस्यों की ही फोटोग्राफ है, उसके अलावा किसी दूसरे के आने का औचित्य भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है। फोटोग्राफी स्थल पर पहुंचने के लिए गेट नं0-2 का ही प्रयोग करेंगे। हम लोग सवेरे गेट नं0-1 से आते हैं और गेट नं0-3 से बाहर जाते हैं। श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की जो प्रतिमा लगी है उसी से सीधा जो गेट है, फोटोग्राफी स्थल पर जाने के लिए उसी गेट का इस्तेमाल करेंगे। विधान सभा जैसे ही उठेगी, आज का सत्र उठेगा, उसके बाद सारे सदस्य वहां पर जायेंगे। वहां सिर्फ माननीय विधान सभा के सदस्यों एवं माननीय मंत्रीगणों के लिए फोटोग्राफ है, माननीय नेता प्रतिपक्ष भी उपस्थित रहेंगे, माननीय नेता सदन भी उपस्थित रहेंगे। सारे

सदस्यों से मेरा निवेदन है, पहले यह फोटोग्राफ लास्ट ईयर में होती थी लेकिन अबकी बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने निर्णय लिया कि पहले साल में फोटोग्राफ होगी। फोटोग्राफ होने के 10 दिन के बाद सारे माननीय सदस्य पटल कार्यालय से अपनी फोटोग्राफ ले सकेंगे।

विश्वविद्यालयों/संस्थानों की समितियों में कार्य करने के लिये विधान सभा सदस्यों के नामांकन हेतु श्री अध्यक्ष विधान सभा को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, एक विषय है, जिन विश्वविद्यालयों में या जिन संस्थानों में नामांकन होना है। मान्यवर, जिसमें निर्वाचन की प्रक्रिया है, उसमें तो माननीय नेता प्रतिपक्ष के भी हस्ताक्षर होने हैं। लेकिन जिसमें निर्वाचन की प्रक्रिया नहीं है, जो सीधे-सीधे मान्यवर, आपके माध्यम से नामित किया जाना है, उसका एक प्रस्ताव मैं रख देता हूँ कि आपको अधिकृत कर दिया जाये, यह सदन आपको अधिकृत कर दे, आप उसमें निर्वाचित कर दें और जिसमें दोनों की आवश्यकता है, यानी कि जिसमें माननीय प्रतिपक्ष की भी आवश्यकता है, जिसमें निर्वाचन होता है, उसमें भी जो पहले परम्परा रही है, उसी के अनसार हो जायेगा, हम उसके लिए तैयार है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, परम्परा रही है।

श्री अध्यक्ष-

जो परम्परा रही है, वैसे हो जायेगा।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, हमारा निवेदन है कि 5 लोग उसमें यूनिवर्सिटीज में आते हैं। 02 लोग विपक्ष से और 03 आपके हो जायें, अगर आप इस पर सहमत हैं।

श्री अध्यक्ष-

अगर परम्परा है तो होगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अगर 2012 से 2017 तक यह हुआ तो हम उसको मान लेंगे। (हँसी)

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, जब हम लोग माननीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी ने तमाम नई परम्परायें डाली हैं, जो अपने आप में एक रिकार्ड है (हँसी) और आप इतने बड़े दिल के व्यक्ति हैं और इतने सीनियर है, आप सभी सदस्यों का बड़ा सम्मान और ख्याल रखते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हम उन लोगों का अधिकार नहीं छीनना चाहते, जिनको जाना चाहिए।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, यह भी चुनकर आये हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमने यह कहाँ मना किया हैं ? हमने कहा कि जो परम्परा 2012 से 2017 तक रही है, मान्यवर, उसी आधार पर मेरा यह प्रस्ताव है कि आप उसी के आधार पर नामित करवा दें।

मान्यवर, इसमें हम यह प्रस्ताव करते है कि इसमें माननीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया जाये कि जिसमें केवल नामांकन होना है, आपको अधिकार दे दिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि जिन संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, बात तो हमारी आ जाए।

श्री अध्यक्ष-

मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पर सिर्फ नामांकन होना है, उसकी बात कर रहे हैं, इलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, समान अनुपातिक होता है, यह हमारी परम्परा रही है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जहाँ निर्वाचन होना है, वहाँ दोनों मान लेंगे, जैसे समितियों में किया है। आप वह बात क्यों दोहरा रहे हैं। हम जो पूछ रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिए। समितियों में चाहे वह पी0ए0सी0 हो, आश्वासन हो, उसमें आपकी जितनी परसेंटेज आती थी, उसमें किया। हमने कहा कि 2012 से 2017 तक जो परम्परा रही है, हम उसको मान लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपको कोई डाउट है कि गड़बड़ था ?

(हँसी)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह सदन उठ जायेगा, यह नॉमिनेशन अभी तक नहीं हो पाये। इसलिए हम चाहते हैं कि यह नॉमिनेशन हो जायें ताकि जिन लोगों का अधिकार है, उन लोगों को अधिकार भी मिल जाये और वहाँ की व्यवस्था में जो सहयोग कर सकते हैं, वह सहयोग कर देंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर देता हूँ, बहुमत के आधार पर निर्णय कर लेंगे।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, समान आनुपातिक कर दिया जाये तो हम सहमत हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि जिन समितियों में जिन संस्थाओं में नामांकन होना है, जिसमें निर्वाचन नहीं होना है, उन समितियों और उन संस्थाओं के नामांकन हेतु माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को अधिकृत कर दिया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक निवेदन सुन लीजिए, जहाँ नामांकन होना है, उसमें प्रस्ताव की क्या जरूरत है, वह तो आपको अधिकार ही है।

श्री अध्यक्ष-

फिर भी सदन से अनुमति ले लें तो उसमें नुकसान क्या है ? सबकी भागीदार हो जाये। यही तो समस्या है कि आप सबकी भागीदारी नहीं कराना चाहते हैं, वर्मा जी, अकेले ही सब कुछ ले लेना चाहते है। (हँसी)

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, समान आनुपातिक कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

उसके लिए मैं अभी कोई व्यवस्था देने की स्थिति में नहीं हूँ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जब अगली बार औपचारिकतापूर्ण करने के बाद आ जायेगा, तब विचार कर लेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, कम-से-कम दो तीन महीने के बाद सदन होगा। तो दो तीन महीने तक जो परम्परा वर्ष 2012 से 2017 तक रही है। हम उसे मान लेंगे।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, यह तो ज्यादती है। सामान्य अनुपातिक कर दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो परम्परा आपने वर्ष 2012 से 2017 तक डाली है हम उसको मान लेंगे।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, सामान्य अनुपातिक की व्यवस्था है। तो सामान्य अनुपातिक कर दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, ऐसा है, यह तो उलझाने वाली बात है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, वर्ष 2012 से 2017 के बीच में उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था। आपने वर्ष 2017 से 2022 में उपाध्यक्ष का चुनाव कराया। आपने परम्परा तोड़ी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमने तो फॉलो किया है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, आपने उपाध्यक्ष का चुनाव कराया है कि नहीं कराया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमने तो कई बार करवाया।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, वर्ष 2012 से 2017 में अगर कोई त्रुटि हुई है तो इसमें सुधार लीजिये।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, उपाध्यक्ष का चुनाव मैंने खुद करवाया था। आप ही के पार्टी के राजेश अग्रवाल जी उपाध्यक्ष थे और वही समिति के चेयरमैन हुआ करते थे। तब आप वहाँ नहीं थे तब टण्डन जी यहाँ बैठते थे। उनके परामर्श से हुआ था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक विषय को दूसरे विषय से क्लब नहीं करना चाहिए। बात उस समितियों की हो रही, नॉमिनेशन की हो रही।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसका बड़ा सरल सा उपाय है और आप दोनों की लड़ाई 5 लोग का होना है। जिन 5 लोगों का होना है वह 5 लोग यहाँ बैठे हैं। दो कांग्रेस के सदस्य दो जनसत्ता के सदस्य और एक बसपा के माननीय सदस्य। मैं समझता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और उम्मीद करते हैं कि अगर धन की भी आवश्यकता पड़े। तो सर्वसम्मति से हम 5 लोगों को नामित करायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आगे का प्रस्ताव रखें।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, सबका रेशियो निकाल लिया जाये। यह वर्ष 2012 से 2017 तक की बात क्या है। जब से उत्तर प्रदेश में विधान सभा गठित हुई है तब से रेशियो निकाल लिया जाये। जो निर्णय है उसी आधार पर हो जाये।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, हम सभी विपक्ष के सदस्य आप पर विश्वास करते हैं। आपने संरक्षण भी दिया है। आप सत्ता या विपक्ष के नहीं है। आप 403 विधायकों के संरक्षक है।

श्री अध्यक्ष-

मैं बात करूंगा। अभी जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्ताव किया है उसी पर चर्चा हो रही है। अभी कौन होगा, कौन नहीं होगा उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। अभी मुझे अधिकार नहीं मिला मैं पहले बता दूं कि कौन होगा। अभी उसके ऊपर कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, आप पर विश्वास है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, उसके लिए अध्यक्ष जी को अधिकृत कर देते हैं और अध्यक्ष जी अपने विवेक से कर देंगे। हम तो अध्यक्ष जी को रखने का प्रस्ताव भी कर दिया और पास भी कर दिया।

श्री अध्यक्ष-

अन्य सभी समितियों में जिसमें निर्वाचन होना है उसमें माननीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं सर्वसम्मति से पास हुआ)

बजट सत्र की समाप्ति पर आभार

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, आज फोटोग्राफी का भी दिन है इसलिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आज हमारी सारी बहनें फोटो खिचानें के लिए तैयार होकर आयी हैं।

बजट सत्र की समाप्ति पर आभार

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, 20 तारीख से यह बजट सत्र प्रारंभ हुआ था और कई वर्षों के बाद आपने इस सदन को रात के 12 बजे तक चलाया और मैं समझता हूँ कि घंटों के हिसाब से जितने मा0 सदस्य बोलना चाहते थे, सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिल गया। हम यह भी चाहते थे कि सदन और आगे तक चले, लेकिन सदस्यों का दबाव यह था कि एक हफ्ता पहले होली का माहौल शुरू हो जाता है और हम तीन दिन से यही सुन रहे थे कि सदन कब खत्म करोगे कब खत्म करोगे। मान्यवर, मै विशेष रूप से दो बातें कहना चाहता हूं, एक तो इस सदन में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की चर्चा बहुत हुयी है, यह उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लोगों का विश्वास बढ़ा है योगी जी के ऊपर व मोदी जी के ऊपर और उसी विश्वास का यह प्रतिफल है कि बड़े पैमाने पर आज लोग स्वाभाविक अनुकूलता इस बात पर महसूस करते हैं कि उत्तर प्रदेश को सेफ्टी और सिक्योरिटी के प्वाइंट ऑफ व्यू से सबसे उपयुक्त स्थान मानते हैं हम लोगों ने पिछली बार भी यह संकेत दिया था, जब हम अनुपूरक बजट लाये थे।

वर्ष 2022-23 में, हमने इस बात की व्यवस्था की थी कि नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखण्ड के आस पास एक ऐसा स्थान सृजित करें, जहां पर लोगों को मैन पॉवर मिल सके और जहां जमीन भी अपेक्षकृत ज्यादा हो और सस्ती भी हो, तो इसलिए मान्यवर, एक व्यवस्था इसमें यह है कि हमने झांसी, बुंदेलखण्ड औद्योगिक विकास जेबिडा का गठन करने का प्रस्ताव रखा है, जेबिडा, जैसे जे0 से झांसी, बी0 से बुंदेलखण्ड, आई0 से औद्योगिक डी0 से डेवलपमेंट प्राधिकरण यानी जेबिडा, जिस प्रकार से नोएडा का गठन हुआ था उसी प्रकार से जेबिडा का गठन हो और झांसी व बुंदेलखण्ड का विकास हो। मान्यवर, वास्तव में वहां पर आवश्यकता भी है। हालांकि डिफेंस कॉरिडोर में इसको टेकअप किया गया था, लेकिन यह अपने आप में एक अच्छा प्रयोग होगा और इसी वर्ष से उसको आगे बढ़ाया जाए और मैं समझता हूँ कि एक ही क्षेत्र में डेवलेपमेंट हो और उसको विविधत किया जाए विभिन्न क्षेत्रों में, जिस प्रकार से हमारे पास एम0ओ0यू0 आये हैं, उसमें अलग से लोगों ने इच्छा भी व्यक्त की है और मान्यवर, झांसी के लिए भी काफी एम0ओ0यू0 आये हैं। लगभग 223 लोगों ने झांसी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने का प्रस्ताव दिया है। मान्यवर, मैं समझता हूँ कि यह इस सत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। कि हम आज 11 दिन सदन चलाने के बाद हमने अपना बजट पास कर लिया और आपने कृपापूर्वक इस सदन में कई नई परम्पराएं डालीं। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण था कि अपने लेजिस्लेचर के सम्मान के लिए जो कदम उठाया, उसमें सम्पूर्ण सदन ने साथ दिया। हमारे समाजवादी पार्टी के साथी भी उसमें साथ देते, तो अच्छा रहता। हम कोशिश भी कर रहे थे, हम चाहते भी थे। जिस प्रकार से कल प्रस्ताव आया था, उसमें भी सभी का सहयोग था। आपने जिस भी परिस्थिति में कहा, शुरू से ही ये परम्परा रही है कि जहाँ विधायक की कोई

निजी बात होती है या इस प्रकार का कोई प्रकरण होता है, तो सभी लोग कहते हैं कि निजी मामला है, इसलिए इसको सुन लिया जाए, तो अच्छा होता, अगर आप लोग रहते। बहरहाल अब जिस परिस्थिति में नहीं रहे, लेकिन इस लेजिस्लेचर का हर तरह से सम्मान बरकरार रहे, सम्मान बढ़े, प्रत्येक विधायक का सम्मान बढ़े। जो स्थिति पैदा हुई, वह भगवान करे कभी न पैदा हो, उसकी किसी प्रकार से पुनरावृत्ति न हो, यही उद्देश्य हमारा रहता है।

मान्यवर, हम हर तरीके से चाहते हैं कि कार्यपालिका में, व्यवस्थापिका में। हम किसी प्रकार का दुराव चाहते नहीं, लेकिन कभी-कभी इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है, कभी इस प्रकार के निर्णय भी लिए जाते हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में आज जो निर्णय लिया गया, मैं समझता हूँ कि इस सदन के लिए ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले लोगों के लिए और बाकी सदनों के लिए भी, हिन्दुस्तान की दूसरी विधायिकाओं के लिए भी अपने आप में एक सबक होगा। उद्देश्य केवल यही था कि वो लोग रियलाइज भी करें और किस सीमा तक हमको जाना है, किस सीमा तक हमको नहीं जाना है, इस बात को रियलाइज करने की भी बात थी, लेकिन आपने कृपापूर्वक बड़े अच्छे ढंग से उसका निस्तारण किया। इसलिए हम आपको विशेष रूप से बधाई देते हैं।

मान्यवर, हम नेता प्रतिपक्ष को बधाई देंगे कि उन्होंने हमारी सदन की कार्रवाई में हर समय भाग लिया, उसके लिए समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं, चाहें लोकदल के हों, चाहें अपना दल के हों, चाहें राजा भैया के साथी हों, बी0एस0पी0 के, कांग्रेस के और निषाद पार्टी के भी। हम जितने भी लोग इस सदन में हैं, उन सबने इस बार किसी न किसी रूप में अपने विचारों से सदन को लाभान्वित किया और इसी प्रकार से हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि सभी लोग सदन की कार्रवाई में अधिकाधिक भाग लें। हमारे नये सदस्यों ने भी, राज्यपाल के अभिभाषण पर लगभग 150 लोगों ने और बजट पर भी 134-135 लोगों ने अपने विचार रखे। मैं समझता हूँ कि पीछे के जितने भी सदन हुए होंगे, इस वर्ष ही नहीं, पीछे भी इतने बड़े पैमाने पर एक सत्र में 250-300 लोग बोले, ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और जो देर-देर तक सदन चला, जिसके कारण सदन आगे दिनों तक नहीं चल पाया, जो आपने रात में मैं समझता हूँ कि 09:00 बजे, 09:30 बजे, रात में 12:00 बजे तक सदन को चलाया, वो अपने आप में उन लोगों की बात का खास तौर से जवाब है, जो कहते है कि सदन नहीं चला। तो जितने घण्टे आगे बढ़ाकर ये सदन चलाया, तो मैं समझता हूँ कि वह अपने आप में उस बात की पूर्ति कर देता है।

मान्यवर, मैं विधान सभा के प्रमुख सचिव और सभी जितने अधिकारी हैं, उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उनका बहुत बड़ा सहयोग रात-रात तक जगने का और यहाँ पर काम करने में उनका पूरा सहयोग मिला। यहाँ पर हमारे मार्शल और जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं, यहाँ पर जो अधिकारी हैं, उनके प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं और लिफ्टमैन से

लेकर फोर्थ क्लास तक जितने लोग भी हमारे इस सदन के संचालन में जिन लोगों ने सहयोग दिया, उन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ और परंपरागत तरीके से पिछले वर्ष मा0 मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा की थी सुरक्षा कर्मियों और शेष कर्मचारियों के लिए, मैं उसी दर से इनको भी मानदेय देने की घोषणा करता हूँ। साथ ही साथ पहले लिफ्ट मैनों को कुछ नहीं मिल पाया था, इस बावत मैने राज्य सम्पति अधिकारी को भी बता दिया और मा0 पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री जी से भी इस बारे में बात कर ली है।

उनकी भी सहमति है कि जो लोग पी0डब्ल्यू0डी0 के हैं और राज्य सम्पत्ति विभाग के है, इस होली के विशेष मौके पर 03-03 हजार रुपये का मानदेय खासतौर से लिफ्ट मैन को दे दिया जाये। इसके साथ ही हम आपका विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं कि आपने बहुत सदाश्यता से, सभी लोगों का सम्मान करते हुए सदन का संचालन किया है।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा कुछ कहने पर)

अरे ! नई विधान सभा बनने जा रही है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति हो तो हम भी आभार प्रकट कर दें और दो शब्द कह दें।

श्री अभय सिंह-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जिस तरीके से नई दिल्ली में बना हुआ है, अगर उसी तरीके से यहाँ पर भी बना दें कांस्टीट्यूशन क्लब तो विधायकों व पूर्व विधायकों को बड़ा आराम हो जायेगा। वढ़िया जिम, स्वीमिंग पूल और पूरी सुविधायें रहेंगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आपकी बात का संज्ञान ले लिया है। फिर से सभी को एक बार धन्यवाद। हमारी अपनी पार्टी के लोगों, मा0 मंत्रियों को तथा सभी विधायकों को बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने विशेष रूप से सहयोग दिया है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, 20 फरवरी से यह सदन चला और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो परिवर्तन आपके संरक्षण और नेतृत्व में हम सभी 403 सदस्यों को देखने को मिला, उसके लिए हम सभी सदस्य दिल से आपको बधाई देते हैं। (मेजों की थपथपाहट) कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके लिए बहुत शब्द नहीं होते है। नई परम्परायें, आपने डालीं और आप चाहते भी थे कि यह सत्र होली के बाद चले लेकिन अब सरकार नहीं चाहती है। अच्छी बहस हुई, इतनी बड़ी संख्या में कभी लोगों ने भाग नहीं लिया। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी मँहगाई को देखते हुए सुरक्षा गार्डो व अन्य कर्मचारियों को पिछली बार दी गयी मानदेय की धनराशि को

बढ़ा देते तो बहुत अच्छा होता, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। आज जब हाउस खत्म हो रहा हैं और होली आ रही हैं तो ये 403 सदस्य भी घर जा रहे हैं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसमें कोई सदस्य ऐसा नहीं होगा, अब न बोले तो अलग बात है जिसके पास क्षेत्र से एक हजार फोन नहीं आये होंगे कि क्षेत्र के लिए क्या ले करके आ रहे हो ? ईश्वर की कृपा से, बड़े लोगों की कृपा से और ऊँचाहार की जनता की कृपा से हमको भी सदन में कई बार आने का मौका मिला। लेकिन यह शायद पहला बजट सत्र होगा और शायद आप ऐसा होने नहीं देंगे, हमको पूरा विश्वास है अपने संसदीय कार्य मंत्री पर कि आप हम सब लोगों को निराश और खाली हाथ इस सदन से जाने नहीं देंगे और खासकर जब होली हो। (मेजों की थपथपाहट) मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह जी0एस0टी0 का प्रकरण सारे सदस्यों का है। आप तो हमारी तरफ देख रहे हैं ये सारे माननीय सदस्य मेजें थपथपा रहे हैं, बहिनें भी मेज थपथपा रही हैं। देश के सबसे बड़े सूबे का और इतने बड़े बजट को लाने वाला हमारा वित्त मंत्री इतना कंजूस नहीं हो सकता है कि 403 विधायकों को आज निराश करके भेजे (मेजों की थपथपाहट) और हमें पूरी उम्मीद है और आपसे विनम्र आग्रह है कि हम लोग भी खुशी से जाएं अपने यहाँ और काम करा सकें। अपने क्षेत्र के मतदाताओं को यह बता सकें कि होली में आपके लिए एक्स्ट्रा विकास ले करके आ रहे हैं, अगर आप जी0एस0टी0 माफ कर दें तो।

श्री अध्यक्ष-

पाण्डेय जी, अँधेरा हो जायेगा तो फोटो नहीं आ पा पायेगी।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, परम्परा रही है हर बजट में 100-200 हैण्ड पम्प दिये गये और मेरी सरकार में पाँच साल दिया गया। अब गर्मी भी आ गयी इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी विचार कर लीजिए।

श्री राम निवास वर्मा-

मान्यवर, बीस तारीख से शुरू हुए इस बजट सत्र के कुशल संचालन के लिए, और सबके सहयोग के लिए, मैं आपको धन्यवाद और बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री राजपाल सिंह बालियान-

मान्यवर, बीस तारीख से जो बजट सत्र शुरू हुआ वह शांतिपूर्ण हुआ और जो थोड़ा बहुत कुछ कमी भी हुई मैं अपनी अंतरात्मा से दुखी हूँ और बहुत-बहुत खुश हूँ आपकी कार्य शैली से, संसदीय कार्य मंत्री जी की कार्यशैली से, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ जय हिन्द जय भारत।

श्री अनिल कुमार त्रिपाठी-

मान्यवर, इस बजट सत्र के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपनी सरकार को मा0 मुख्य मंत्री जी को, मा0 वित्त मंत्री जी को, सभी मंत्रीगण को जिन्होंने हर विभागों के लिए बहुत ही बेहतरीन बजट का प्रस्ताव दिया और सदन के सभी सदस्यों को भी मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि सबने सहयोग करके प्रदेश के उत्तम विकास के लिए एक मार्ग बनाया और आने वाले तीन चार दिनों बाद होली का त्योहार है इस होली के त्योहार पर इस रंग भरे त्योहार पर मैं सभी सदस्यों को ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ अपने दल की तरफ से और अपने नेता की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत बधाई।

श्री बेदी-

मान्यवर, बीस तारीख से सत्र चल रहा है और बहुत ही सुचारू रूप से एवं अच्छे ढंग से आपने सत्र को चलाया। आपका संरक्षण रहा इसके लिए मै आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और होली की सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और थोड़ा जी0एस0टी0 पर मेरा यह अनुरोध है कि विचार कर लिया जाए।

श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, सबसे पहले तो हम पूरा सदन आपको हार्दिक बधाई देना चाहते हैं आपने इस सदन में कई नई परम्पराएं शुरू की और आज जो हम लोगों ने देखा वह शायद संसदीय कार्य प्रणाली का एक अद्भुत नमूना था और इस सदन के सदस्यों की गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए जो आज हुआ है मैं मानती हूँ कि एक नज़ीर होगी कार्यपालिका और विधायिका दोनों के लिए मैं मा0 वित्त मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं, प्रमुख सचिव जी का आभार व्यक्त करती हूं, हमारे सभी मंत्रि-मण्डल के आदरणीय सभी सदन के सदस्यों को जिन्होंने स्वस्थ्य चर्चा की बजट पर अंत में क्योंकि होली है और आपने सदन को दस तारीख तक चलाने के लिए कहा था। अपनी बात मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने पूरी नही की। कम से कम गुझिया तो हम लोग खा लें इतना तो कर दें। अगर हम सब जाएंगे तो हमारें क्षेत्र के लोग पूछेंगे जरूर कि गुझिया के साथ-साथ और क्या लेकर के आए कम से कम अगर जी0एस0टी0 हटा देते और दो-दो सौ हैण्डपम्प तो दे दीजिए इतना बड़ा बजट है मा0 मंत्री जी बैठे है सभी लेकर जाएंगे। दो-दो सौ हैण्डपम्प दे दीजिए और हमारे पी0डब्लू0डी0 मंत्री जी बैठे हैं कम से कम दस दस किमी0 सड़क हर सदन के सदस्य को मिल जाए और 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 तो आप हटा देंगे मुझे पूरा विश्वास है यह मेरा आप पर भरोसा है। देखिये इन्होंने सर हिला भी दिया है तो यह जी0एस0टी0 हटा देंगे दो सौ दो सौ हैण्डपम्प ज्यादा नही मांग रहे हैं हम लोग और दस-दस किमी0 सड़क यह बहुत ज्यादा संख्या में नही है मै आपसे अनुरोध करूंगी

कि मा0 वित्त मंत्री जी बैठे है। हम सब खाली हाथ न जाए, होली की बधाई और शुभकामनायें, हम सब चाहते है कि खुशी-खुशी आये थे और ज्यादा खुश होकर जाएं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

सबके एकाउन्ट में एक तारीख को वेतन पहुँच गया है और 3 करोड़ से 5 करोड़ तक विधायक निधि कर दी गयी है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, पेंशन और वेतन को लेकर एक कमेटी बनी थी उसी को पुनर्जीवित करने की घोषणा कर दीजिए।

***श्री रघुराज प्रताप सिंह-**

मा0 अध्यक्ष जी, सभी दलीय नेताओं की भावनाओं से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए आपको धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि आपके निर्वाचन के समय हम लोगों ने कहा था कि आपका यह कार्यकाल नई परम्पराओं का कीर्तिमानों का कार्यकाल हो, यह हम सभी की शुभेच्छा थी। उसी तरह की आपकी कार्यशैली है और यह हम सभी लोगों के लिए गर्व की बात है। एक निवेदन है मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी कभी कुछ देंगे नहीं शास्त्रों में कहा गया है 'नृपस्य चित्तं कृपणस्य वित्तं, आगे नहीं कहेंगे, लेकिन श्रीमन् इतना विचार जरूर किया जाय कि 403 विधायक हैं और इसमें कोई सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की बात नहीं है। अगर सभी लोग कह रहे हैं कि हां हमारे क्षेत्र में पेयजल की आवश्यकता है भले ही आप सदन में मत घोषणा करिए लेकिन जहां से होना है वहां पर अवश्य हम लोगों की बात पहुँचाइये, क्योंकि अगर आपसे कुछ कहते हैं तो मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी का एक बड़ा ही चुप करा देने वाला वक्तव्य है कि तुम घुटने के डाक्टर से दांत की दवा मांग रहे हो, तो हमने कहा कि आप दांत के डाक्टर से अपॉइनमेंट दिलवा दीजिए या फिर घुटने के डाक्टर से दांत के दर्द की दवा दिलवा दीजिए। श्रीमन् जहां तक जी0एस0टी0 की बात है इतना अवश्य है कि जो भी हम लोगों के हाथ में विधायक निधि आय उतनी की ही बाहर संदेश जाना चाहिए। अलग-अलग ढंग से जी0एस0टी0 को लोगों ने जोड़ा है कोई कह रहा है कि 18 परसेंट है तो सवा चार मिलेगा, चार मिलेगा, पौने चार मिलेगा, जो भी मिले आपकी तरफ से यहीं आना चाहिए कि इतनी विधायक निधि है या हमें जी0एस0टी0 मुक्त करके पूरा 5 करोड़ दे दीजिए और नहीं तो करोड़ अगर मिल रहा है तो 4 ही करोड़ बताया जाय, 5 करोड़ न बताया जाय। यह पूरे सदन की भावना है इसके साथ ही विधान सभा के सभी कर्मचारी सभी अधिकारी, आप सबका हम आभार व्यक्त करते है। श्रीमन् एक छोटी सी मांग सुरक्षा कर्मियों की तरफ से आई है कि जितने दिन सदन चलता है उनको पौष्टिक आहार भत्ता पुलिस कर्मियों के बरावर दिया जाना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहिए। इस पर आप कृप्यापूर्वक विचार करें, यदि यह सम्भव हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को होली की बहुत-बहुत बधाई, धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

सुरक्षा कर्मियों वाला जो विषय आपने रखा है यह हो जाएगा, इसे हम करवा देंगे।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी से और अपने अन्य सभी सम्मानित दलीय नेताओं से अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ। संक्षेप में इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने कार्यकाल में एक-एक करके नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं इससे आने वाले दिनों में जो लोग लाइब्रेरी में अध्ययन करेंगे वह निश्चित रूप से आपकी इस कीर्ति को देख कर, आपके द्वारा किए गये कार्यों को देख कर, आप जहां भी रहेंगे लोग आपकी सराहना करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

जहां भी रहेंगे का क्या मतलब है ? (सदन में हंसी)

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, हम लोक सभा की बात कर रहे हैं। जिस तरह से आप हम सबके लिए शुभकामनायें देते रहते हैं उसी तरह से हम सबकी भी शुभकामनायें है कि आप इससे भी आगे जायें।

श्री अध्यक्ष-

रिपीट मत करिएगा।

श्री उमाशंकर सिंह-

अध्यक्ष जी रिपीट नहीं करना है क्योंकि समय भी हो रहा है। एक चीज मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में एक बात छूट गयी है। आप उससे वाकिफ भी हैं। उस बात को हमने ही उठाया था। नेता सदन उस समय मौजूद थे। हमने कहा कि जब आप मेम्बर ऑफ पार्लियामेन्ट थे और इसी तरह से सभी माननीय लोक सभा सदस्यों की बात आई तो स्पीकर साहब ने कमेटी बनाई। उस कमेटी के चेयरमैन नेता, सदन महोदय को ही बनाया। चूंकि यहां पर मीडिया के लोग बैठे रहते हैं। हम सभी विधायक यहां पर अपने क्षेत्र के विकास की बात करें तो समझ में आती है लेकिन अगर हम अपने भत्ते की बात करते हैं तो यह खराब मैसेज जाता है। इसके लिए यह तय हुआ था कि हमेशा के लिए कमेटी बन जायेगी और वह कमेटी अपना निर्णय दे देगी। मान लीजिए प्राइज इन्डेक्स से जोड़ दें या जिससे भी एक व्यवस्था बनाकर जोड़ देंगे। मुझे लगता है कि आज जो वेतन भत्ते मिल रहे हैं किसी का उससे डीजल का काम भी नहीं चल पा रहा है। इसलिए आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपसे आग्रह है चूंकि कमेटी बन चुकी थी। आपके पास ब्रीफ करने की अच्छी कला है। आप ब्रीफ करके उस बात को पुनर्जीवित करा सकते हैं। यह तो हम लोग

जानते हैं। हम लोग बहुत दिनों से आपको देख रहे हैं। आपमें कला है जैसे आप माननीय लालजी वर्मा जी को भी चुप करा लेते हैं। मुझे लगता है कि नेता सदन महोदय को भी कन्विंस करके उस कमेटी को पुनर्जीवित कर लेंगे। वह समिति सबके लिए है, किसी एक आदमी के लिए नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस कमेटी को पुनर्जीवित किया जाये और आप ही उसके अध्यक्ष हों। यह निर्णय आ जायेगा तो सबके लिए बेहतर होगा। अध्यक्ष जी, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मै प्रमुख सचिव, विधान सभा एवं इनके सहयोगीगण का सम्मान करता हूं। अभी जो आपने पुष्टाहार की बात की कि पुलिस के बराबर कर दिया जायेगा उसके लिए आपको बधाई देता हूं। एक और सिफारिश आई थी जो हमारे चतुर्थ क्लास के कर्मी है उनका मानदेय साढ़े तेरह हजार है अगर एक हजार बढ़ाकर साढ़े चौदह हजार कर दिया जाये तो ये होली में खुशी-खुशी चले जाते। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

दिनांक 20 फरवरी से शुरू हुए इस सत्र में यह सदन 11 दिन चला। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि यह चौथा सत्र है जबसे अट्ठारहवीं विधान सभा का गठन हुआ है। चौथे सत्र में सारे सत्र मिला लें तो तीन सत्रों में एक मिनट का भी स्थगन नहीं हुआ। अबकी बार 36 मिनट का स्थगन किन्हीं कारणों से हुआ। 83 घण्टे 15 मिनट यह सदन चला। अगर हम पूर्व की तरीके से देखें कि 11:00 बजे से 5:00 बजे तक सदन चलता था तो लगभग 2 गुना ज्यादा यह सदन चला। इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों को विशेष रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी को जिन्होंने समय-समय पर आकर सरकार की उपलब्धियों के बारे में सदन को बताया। सरकार के द्वारा जो जन-कल्याण के काम किये जा रहे हैं उसके बारे में बताया। नेता प्रतिपक्ष को जिन्होंने अपनी विपक्ष की जिम्मेवारी का बखूबी निर्वहन किया। आवश्यकतानुसार सरकार को सुझाव भी दिये। सकारात्मक आलोचना भी विपक्ष की तरफ से गयी। यह सारी बातें लोकतंत्र का एक हिस्सा है। मैं कई अवसरों पर इस बात को कहता हूँ कि लोकतंत्र बिना पक्ष और प्रतिपक्ष के पूरा नहीं होता। जब दोनों साथ मिलकर चलते है तब लोकतंत्र पूरा होता है। कई नये प्रयोग सबके सहयोग से किये गये। उसका आवश्यक मार्ग-दर्शन आवश्यक संसाधन सरकार द्वारा दिये गये। इसीलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी किसी भी प्रकार के संसाधन की को हृदय से धन्यवाद देता हूं। जब भी मुझे आवश्यकता पड़ी, उत्तर प्रदेश की विधान सभा में काम करने के लिए वह मुझे उनके द्वारा उपलब्ध कराई गयी। बहुत सारी नई चीजें हुई हैं जैसे आज के बारे में यहां पर चर्चा हुई। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के 3 महत्वपूर्ण अंग है जो संविधान में लिखा हुआ है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका।

चौथा स्तंभ कालांतर के अन्तर्गत पत्रकारिता के नाते एक महत्वपूर्ण स्तंभ है हम सभी के सामने आया है। हम सभी को मिलकर चलना है एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है और अगर हम एक दूसरे को नीचे दिखाकर आगे बढ़ना चाहेंगे तो लोकतंत्र कभी भी स्वस्थ नहीं होगा और लोकतंत्र की मंशा को हम कभी भी पूरा नहीं कर पायेंगे। सभी की अपनी-अपनी जिम्मेदारी बनती है और उन जिम्मेदारियों के साथ सबका अपना-अपना सम्मान और मैं विशेष रूप इस बात को फिर कहना चाहता हूँ कि जब मैने प्रातः काल कहा था कि वी

द् पीपल जब वी द् पीपल की बात होती है तो इस प्रदेश की जनता की बात होती है और जनता के द्वारा चुने गये प्रतिनिधि ही वी द् पीपल को रिप्रजेंट करते हैं। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात को कहना चाहता हूँ दो महत्वपूर्ण विषय इस सदन के अन्तर्गत लाना चाहता था वह किन्ही कारणों से नहीं आ पाये और हमारी जो नियमावली थी उस पर बहुत काम हुआ और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से जब मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिये कुछ और उसमें कमियां रह गयी थीं तो इन्होंने कहा कि और अच्छी तरह से इसको किया जा सकता है तो मुझे विश्वास है कि अगले सत्र के अन्तर्गत नई नियमावली हम विधान सभा में ले आयेंगे और उसके अगले सत्र से लागू करने का प्रयास करेंगे यहां पर उत्कृष्ट विधायक के बारे में सम्मान देने की बात हुई और बहुत सारी नई चीजे की जानी हैं और एक और मेरे ध्यान में है जहां पर मेरी कमी होती है उसको भी मैं बताने मे कोई संकोच नहीं करता हूँ कि मैंने डिजिटल गैलरी का मा0 मुख्य मंत्री जी से लोकार्पण करा लिया था लेकिन उसकी एक मशीन बाहर से आनी थी लेकिन किन्हीं कारणों से उस समय नहीं आ पायी थी लेकिन अब वह आ गयी है। होली के बाद डिजिटल गैलरी सभी को देखने के लिए मिलेगी मैं उसका एस0ओ0पी0 बना दूंगा और सारे सदस्यों के पास भेज दूंगा उसमें विधान सभा का पूरा इतिहास सन् 1867 से लेकर आज तक का जितने नियम पास हुए जितने बिल पास हुए और जितने नये कानून बने हैं उतने और वहां पर कौन-कौन किस विधान सभा के सदस्य थे उसकी पूरी कार्रवाई डिटेल में देखने को मिलेगी।

आज वर्तमान परिस्थितियों को देखकर उत्तर प्रदेश की बहुत सारी जो प्रगति है जैसे कि मैंने बताया एक हैलिकॉप्टर राइड है उसके द्वारा भी आप प्रदेश का डिजिटल भ्रमण कर सकेंगे और जल्दी ही होली के बाद में उसका प्रारंभ कर दूंगा मेरे मन में एक बात उठ रही थी कि उसको शुरू करना था लेकिन किन्ही कारणों से उसका विलम्ब हुआ और आवश्यक कार्रवाई भी उन लोगों के खिलाफ की जा रही है जिनके कारण समय पर पूरा नहीं हो पाया लेकिन उसको पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ और आने वाले समय में कुछ और चीजों के बारे में मा0 संसदीय कार्य मंत्री व मा0 मुख्य मंत्री जी से चर्चा करी है और मुख्य मंत्री जी ने विधान सभा के नए स्वरूप को बनाने के लिए कहा है और अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया है कि इस विधान सभा के अंदर 18 वीं विधान सभा के दरमियान ही आप लोग नयी निर्मित विधान सभा में एक सत्र करेंगे और नयी विधान सभा बनाने का भी बजट में प्रावधान किया गया है। उसमें यह सारी व्यवस्था की जायेगी। मेरी सोच हमेशा यह रहती है कि एक सत्र के बाद दूसरे सत्र के बीच में कुछ कुछ नया विधान सभा में होना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगले विधान सभा सत्र के पहले फिर आपको भी विधान सभा में देखने को मिलेगा। कुछ न कुछ नया उत्तर प्रदेश की समय हो गया है सभी लोगों को फोटोग्राफी के लिए जाना है। होली के लिए मेरी सभी लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं सभी की होली रंग भरी हो और सभी के जीवन में सुख समृद्धि, शांति और खुशिया लेकर आये ऐसी मेरी सभी के प्रति शुभकामनाएं है। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें जनता की सेवा करते रहें इन्ही बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं सभी को होली की बधाई देता हूँ और मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि हूं कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

मैं अपनी विधान सभा के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को धन्यवाद के साथ यह प्रस्ताव करता हूँ प्रश्न यह है कि सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

(प्रश्न उपस्थित हुआ एवं सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ)

राष्ट्रगान

जन-गण-मन अधिनायक जय हे।
भारत भाग्य विधाता।।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़ उत्कल बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल जलधि तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अनिश्चित काल के उठते है।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजकर 09 मिनट पर अनश्चित काल के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 03 मार्च, 2023

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-11 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-48 पर)

दिनांक 01-04-2021 से दिनांक 31-03-2022 तक का विवरण

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	योजना का नाम	प्राप्त आवेदन-पत्र	स्वीकृत आवेदन-पत्र	अस्वीकृत आवेदन	विभिन्न स्तरों पर जांच की प्रक्रियाधीन
1	2	3	4	5	6	7
1	मुरादाबाद	मृत्यु एवं विकलांगता/दिव्यांगता सहायता योजना	1027	20	673	334
		कन्या/पुत्री विवाह सहायता योजना	25110	9147	8683	7280
		योग :	**26137**	**9167**	**9356**	**7614**

दिनांक 01-04-2022 से दिनांक 30-11-2022 तक का विवरण

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	योजना का नाम	प्राप्त आवेदन-पत्र	स्वीकृत आवेदन-पत्र	अस्वीकृत आवेदन	विभिन्न स्तरों पर जांच की प्रक्रियाधीन
1	2	3	4	5	6	7
1	मुरादाबाद	मृत्यु एवं विकलांगता/दिव्यांगता सहायता योजना	611	0	11	600
		कन्या/पुत्री विवाह सहायता योजना	10057	508	4452	5097
		योग :	**10668**	**508**	**4463**	**5697**

पी0एस0यू0पी0-एल0 154 विधान सभा (242)-17-11-2023-76 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।